(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 3] पंचम विधान सभा के तृतीय सत्र का 19 वां दिवस [संख्या 13

मंगलवार, दिनांक 6-3-1973

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

श्री गोपाल जोशी।

पोंग डेम का निर्माण कार्य

283. **श्री गोपाल जोशी (बीकानेर) :** क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पोंग डेम कब तक बन कर तैयार हो जावेगा और राजस्थान के हिस्से में पोंग डेम से कितना जल प्राप्त होगा ?

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान को अपने पानी का पूरा भाग मिल जावेगा ? यदि हां, तो जब पानी का पूरा भाग मिलने लगेगा, तो उस पानी का उपयोग राज्य सरकार कहां करना चाहेगी ?

सिचाई मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : (1) पोंग डेम सम्भवतः 1974 के अन्त तक बन कर तैयार हो जावेगा। राजस्थान के हिस्से में पोंग डेम से लगभग आधा जल प्राप्त होगा।

(2) जी हां। राज्य सरकार पानी के पूरे भाग का उपयोग राजस्थान नहर, भाखड़ा नहर तथा गंग नहर द्वारा सिंचित क्षेत्रों पर आवश्यकतानुसार करना चाहेगी।

श्री गोपाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, पोंग डेम के बारे में जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हुई थी उसके अनुसार पोंग डेम कब तैयार हो जाना चाहिये था और उसके अनुसार हमारे हिस्से में कितना जल आना चाहिये था ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : 55 में एग्रीमेन्ट हुआ था। उसके मुताबिक जून 1974 तक पोंग डेम पूरा हो जाना चाहिये था और अपने हिस्से में लगभग 50 परसेन्ट पानी है। इसके अलावा इसमें 15.85 मिलियन एकड़ पानी रावी और व्यास का है उसमें 8 मिलियन एकड़ पानी का हिस्सा अपना है और बाकी पंजाब, हरियाणा, जम्मू और काश्मीर का है।

Page No 2

श्री गोपाल जोशी : प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार जितना हिस्सा पानी का राजस्थान को मिलना चाहिये उतना मिलेगा ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : उतना ही मिलेगा।

श्री गोपाल जोशी : कमाण्ड एरिया जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में बताया गया है उतना ही है जितना पहले था ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : वैसा ही है।

श्री गोपाल जोशी : जैसी मेरी इन्फार्मेशन है पहले 50 लाख एकड़ कमाण्ड एरिया था, वह अब 25 लाख एकड़ ही रह गया है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : 31 लाख एकड़ कमाण्ड होगा और इन्टेन्सिटी घटा कर पानी देना चाहें तो अधिक एरिया आ सकता है, वरना उतना ही एरिया इस पानी से आवेगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : क्या आपने पुस्तक पढ़ने का प्रयास किया है "डेजर्ट टू ब्लोजम", जो 59 में निकली थी। 16 लाख एकड़ को पानी 69 में लग जाना चाहिये था और इरिगेटेड एरिया 36 लाख से अधिक और कल्चरेबल एरिया है वह 50 लाख एकड़ था। खुद गवर्नर के भाषण में स्वीकार किया है कि 31 लाख से अधिक सिंचाई होनी है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : कल्चरेब और एक्चुअल कमाण्ड में फर्क है, और हमेशा फर्क रहता है। जो एरिया है जो वाकई कमाण्ड में होगा और जिसमें पानी लगेगा वह 31 लाख एकड़ ही है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : माननीय मंत्री महोदय, मेरा प्रश्न टाल रहे हैं। जैसा 'डेजर्ट टू ब्लोजम' में कहा है कल्चरेब कमाण्ड एरिया 36 लाख होगा जो अब 31 लाख एकड़ से अधिक नहीं होगा। 5 लाख कैसे कम हुआ ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : 31 लाख ही इरिगेटेड एरिया होगा जो हमारे पास लेटेस्ट फीगर्स हैं। उनके अनुसार इन्टेन्सिटी पहले गंग और भाखड़ा केनाल में 62 पर्सेन्ट थी। अब यह सोचा जा रहा है कि 100 पर्सेन्ट होनी चाहिये। इस प्रकार से 31 लाख ही एक्चुअल इरिगेटेड एरिया होगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : काश्मीर में या हिमाचल प्रदेश में आपने कैसे अडोप्ट किया, उसमें इन्टेन्सिटी का कैसे प्रश्न उठा ? उन्होंने इसी बेसिस पर कैसे बिल्ड किया था कि पोंग डेम 55 में हाइट बनाने का तय किया था उससे ज्यादा बना रहे हैं इसलिए वेरियेशन हुआ। हाइट में होता है तो वाटर में भी होगा।

श्री रामचन्द्र चौधरी : 55 में तो इतनी हाई इन्टेन्सिटी को लेकर नहीं चल रहे थे। आज जो विचारधारा चल रही है, उसके अनुसार ज्यादा इन्टेन्सिटी लेकर चलते हैं। ज्यादा इन्टेन्सिटी होगी तो एरिया कम होगा। गंग कैनाल का जो रखा है, उसके अनुसार 31 लाख एकड़ ही सिंचाई हो सकेगी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : 'डेजर्ट टू ब्लोजम' में उतनी ही है फिर भी एडोशन नहीं हुआ। कंवर सेन ने ओरिजिनल रिपोर्ट लिखी है राजस्थान केनाल के ऊपर उसमें भी

(श्री योगेन्द्र नाथ हांडा)
वह ही है। वेरिएशन जो हुए हैं वे एक्चुअल में हुए हैं वह क्यों हुए ? 5.1 एकड़ पानी देंगे यह प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लिखा है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : ऐसा लगता है कि आपको आंकड़ों से अधिक मतलब नहीं है। आप 1.5 कह रहे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं 5.1 कह रहा हूं।

श्री केदारनाथ : जितना कल्टीवेशन होगा वह 80 पर्सेन्ट वाटर पर होगा। जितना पोंग डेम पर हमारा शेयर है, उसमें पानी में शेयर कम मिलेगा।

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैंने पहले ही निवेदन कर दिया था कि रावी और व्यास रिवर्स की 15.85 मिलियन एकड़ की केपेसिटी और इसमें 8 मिलियन एकड़ फीट पानी का हिस्सा है। 1×6 की कमी नहीं हुई। जो हिस्सा है वह पूरा मिलेगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एक फर्दर क्वेश्चन है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन भाखड़ा और गंग कैनाल में करेंगे, वह मोतीराम कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार करेंगे ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : जी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री रामनारायण चौधरी।

मलसीसर से टमकोर (जिला झुन्झुनू) तक विद्युत लाइन

*284. **श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) :** क्या विद्युत मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

(1) मलसीसर से टमकोर (जिला झुंझुनू) तक विद्युत लाइन खींचने पर बिजली बोर्ड का कितना रुपया व्यय हुआ है ?

(2) इस लाइन पर किस किस गांव का विद्युतीकरण किया गया है ?

(3) डोमेस्टिक कनेक्शन देने के लिए इन गांवों की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई गई उसमें कितना कितना प्रोविजन किया गया तथा उसके मुताबिक कितनी कितनी लम्बी लाइन घरेलू कार्यों के लिए कनेक्शन देने हेतु इन गांवों के लिए खींची गयी ?

(4) ग्राम टमकोर में घरों में बिजली के कनेक्शन लेने हेतु कितने आवेदन-पत्र सहायक अभियन्ता बिजली बोर्ड, झुंझुनू के कार्यालय में प्राप्त हो गये हैं ?

(5) यह आवेदन-पत्र कब प्राप्त हुए तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

(6) मलसीसर से टमकोर तक खींची गई बिजली लाइन पर आज तक कितने विभिन्न प्रकार के कनेक्शन दिये जा चुके हैं ?

विद्युत मन्त्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1) मलसीसर से टमकोर तक विद्युत लाइन खींचने पर 1,65,966.22 रुपया व्यय हुआ।

(2) सूची संलग्न है।

(3) सूची संलग्न है।

Page No 4

(4)

(श्री हरिदेव जोशी)

(4) ग्राम टमकोर में घरेलू बिजली के कनेक्शन लेने हेतु कुल 82 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए।

(5) ये प्रार्थना-पत्र 22-5-72 से 21-7-72 तक की अवधि में प्राप्त हुए। आवश्यक लाइनों का एस्टीमेट बनाकर प्रार्थियों को डिमान्ड नोटिस दिनांक 23-2-73 को दे दिए गए हैं।

(6) अभी तक कोई कनेक्शन नहीं दिया जा सका है।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिए)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री मोहनलाल छंगाणी।

राजस्थान नहर के पानी से सिंचाई

285. श्री मोहनलाल छंगाणी (फलोदी): **श्री श्रीराम गोटेवाला** (किशनपोल, जयपुर) : क्या राजस्थान नहर परियोजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान नहर में गत 5 वर्षों में कितना कितना क्युसेक्स पानी आया तथा उस पानी से कितने क्षेत्रफल की सिंचाई हो सकती थी और कितने कितने क्षेत्र की सिंचाई हुई? वर्ष वार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) जितना पानी उपलब्ध हुआ और उससे जितनी सिंचाई होनी चाहिये थी, उससे कम सिंचाई हुई तो उसके क्या कारण थे?

(3) राजस्थान के हिस्से के अनुसार उक्त अवधि में कितना पानी आना चाहिये था?

(4) राज्य सरकार की पानी लेने की क्षमता कितनी थी और उसके अगेंस्ट में कितना पानी मिला? गत 5 वर्षों के आंकड़े देने का कष्ट करें।

राजस्थान नहर परियोजना मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : (1) सूची संलग्न है।

(2) वर्तमान परिस्थितियों में जो उपलब्ध जल से संभावित थी जो वास्तव में हुई, उसके आंकड़े संलग्न सूची में प्रेषित हैं। इनसे स्पष्ट है कि वास्तविक सिंचाई अपेक्षाकृत ज्यादा हुई है।

(3) सूची संलग्न है।

(4) सूची संलग्न है।
(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : प्रश्न यह है कि आपने जो सूची दी है उसके अनुसार राजस्थान नहर को जो पानी मिला है वह 7.7, 10.1, 10.5, 11.5 और 15.3 मिला है। एक्चुअल इर्रीगेशन नहीं, एप्रोक्सीमेट इरिगेशन हुआ है 1.44, 1.72, 2.19 2.69 और 3.17। प्रपोर्शन में इर्रिगेशन क्यों नहीं बढ़ा?

श्री रामचन्द्र चौधरी : बढ़ी है। आप हिसाब जानते नहीं हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैंने बहुत बच्चों को हिसाब पढ़ाया है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : 1968-69 7.7.

श्री मोहनलाल छंगाणी : 1968-69 में संभावित है 1.44 और एक्चुअल है 2.5, 1969-70 में संभावित 1.72 और एक्चुअल है 3. 4, 1970-71 में संभावित है 2. 19 और एक्चुअल है 4.2, 1971-72 में संभावित 2.69 और एक्चुअल है 4. 6 और 1972-73 में 3.17 और एक्चुअल में 4.8 का लक्ष्य। हम गणित खोटी जानते हैं या आप जानते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप कृपा करके प्राइमरी गणित की पुस्तक लेकर पढ़ने की कृपा करें चौधरी साहब।

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : क्या मन्त्री महोदय को यह पता नहीं है कि किसान को यह आम शिकायत है कि पानी बराबर वक्त से नहीं मिलता और पानी प्रचुर मात्रा में भी नहीं मिलता और इसके सम्बन्ध में मन्त्री महोदय को बार बार शिकायतें उन्होंने की हैं ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : आम पानी की शिकायत के बारे में जब जब शिकायत हमारे पास आती हैं तो हक उनको दूर करने की कोशिश करते हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आप किस पानी की बात कहां के लिये करते हैं ?

श्री लक्ष्मणसिंह : मेरा मतलब है राजस्थान कैनाल से।

श्री श्रीराम गोटेवाला : इस इलाके में दूसरा पानी भी मिलता है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : इसमें ऐसा है कि रिवर के फ्लो से जो पानी आता है, वह मिलता है। रिवर का पानी सितम्बर के बाद कम हो जाता है और उस वक्त जितना रिवर से पानी मिलता है उतना ही तो मिलेगा। बाकी रिजर्वेयर है नहीं, कहीं कि उसमें एकट्ठा करके बाद में दें। फिर सारे पंजाब में बिजली की कमी भी है। फिर गोविन्द सागर डेम में पानी है ही नहीं, तो जितना मिल सकता था, उतना हमने बराबर दिया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सूरतगढ़ और लो लेवल ब्रांच की माइनर डिस्ट्रिब्यूटरीज और सब डिस्ट्रिब्यूटरीज की भी पूरी खुदाई नहीं हुई है। क्या यह भी कारण नहीं है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : खुदाई हुई है। पर एक स्कीम और है लाइनिंग डालने की जब तक लाइनिंग नहीं की जावेगी, पूरा पूरा पानी नहीं मिल पावेगा, इसलिये दुबारा लाइनिंग हो रही है। उसमें एक नहर को बन्द करके करते हैं तो दूसरे को चालू रखते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या यह सही है कि 19 दिसम्बर को सलाहकार कमेटी की मीटिंग हुई थी ? राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के चेयरमेन हरिसिंहजी ने स्वीकार किया था उसमें कि लो लेवल ब्रांच पर 20 परसेंट पानी नहीं पहुँचता और सूरतगढ़ ब्रांच पर भी हालत अच्छी नहीं है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : आपके सामने क्या बात हुई है मुझे मालूम नहीं। आप अलग से सवाल कर लीजिये मैं उत्तर दे दूंगा।

श्री मोहनलाल छंगाणी : मूल प्रश्न तो, अध्यक्ष महोदय, रह ही गया। कारण नहीं बताया।

श्री अध्यक्ष : आपके सवाल का जवाब तो दिलवा दूंगा पर इस तरह से बहुत से प्रश्न अभी हैं। इसी पर सप्लीमेन्टरी में समय समाप्त हो जावेगा इतना, तो बाकी समय कम बचेगा।

इसका जवाब दे दीजियेगा।

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैंने पहले भी अर्ज किया, पहले सवाल के जवाब में बताया कि जितना पानी मिलता है उससे अपेक्षाकृत अधिक सिंचाई हो रही है।

प्रश्न संख्या 286

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्रसिंह।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

श्री चेतराम।

सवाई माधोपुर जिले में भूमिहीनों को आवंटित की गई भूमि

287. श्री चेतराम (टोडा भीम) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सवाई माधोपुर जिले में कितनी भूमि कितने भूमिहीनों को आवंटित की गई है तथा इसमें से कितनों को पट्टे दिये जा चुके हैं और कितनों को आवंटित भूमि पर कब्जा दिया जा चुका है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त आवंटित भूमि में से काफी भूमि ऐसी है जिस पर पहिले से ही लोगों का अनधिकृत कब्जा था और सरकार अभी तक उस अनधिकृत कब्जे को नहीं हटा पाई है ? यदि हां, तो ऐसी कितनी भूमि है, और इससे कितने लोग प्रभावित हैं ?

(3) सरकार ने ऐसे अनधिकृत कब्जों को हटाये जाने के लिये क्या कदम उठाये हैं और कितनी भूमि वापिस ले ली है ?

राजस्व मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : (1) ब्यौरा संलग्न सूची में अंकित है।

(2) जी हां, तहसील महुआ में 18 एकड़ अनधिकृत कब्जे में भूमि है। यह अनधिकृत चार मामले हैं। जिन पर कब्जा हटाने की कार्यवाही की जा रही है।

(3) नियमानुसार अनधिकृत कब्जा हटाने की कार्यवाही की जा रही है।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

श्री हरीशचन्द्र पालीवाल (गंगापुर) : कब्जा तो 1005 के लगभग आदमियों को नहीं मिला है इसका क्या कारण है ? 18 एकड़ में तो ये सब नहीं शामिल हो सकते ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : इसके कई कारण हैं। कुछ केसों में अदालत से स्टे ऑर्डर जारी हो गया है तो कुछ की जमीनों पर अतिक्रमण हो गया, कुछ आवंटी ने जमीनें पसन्द नहीं कीं।

श्री नत्थीसिंह (नदबई) : सवाई माधोपुर में ही नहीं, भरतपुर में भी यही हाल है। चार पांच हजार लोगों को अभी तक दखल नहीं मिला है।

Page No 7

(7)

श्री रामचन्द्र चौधरी: अलग से सवाला है।

श्री हरीशचन्द्र पालीवाल: वास्तविकता यह है कि जिन लोगों को कब्जा मिला है उनमें से अधिकतर को दूसरे लोग काश्त नहीं करने देते ? इस बारे में सरकार क्या विचार कर रही है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : ऐसे स्पेसिफिक केस हमारे सामने आवेंगे तो आवश्यक कार्यवाही की जावेगी और उनको कब्जा दिलाया जावेगा। वैसे काश्त करने के लिये ही तो उनको कब्जा दिया ही है। अब अगर वे काश्त दूसरे लोगों के रोकने के कारण नहीं कर सके हैं, तो जानकारी मिलने पर सरकार कार्यवाही करेगी।

श्री रोशनलाल शर्मा (सलूम्बर) : यह हाल सभी जगह है। हरिजनों को बड़े काश्तकार काश्त नहीं करने देते। मौके पर हल नहीं हांकने देते उनको। यह मतलब है उनके कहने का ?

श्री रामचन्द्र चौधरी: इस बारे में दफा 91 के नीचे कार्यवाही की जा सकती है।

श्री हरीशचन्द्र पालीवाल: थडीले ग्राम में हरिजन काश्तकारों को काश्त नहीं करने देते। राज्य सरकार को लिख कर भी दिया है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : लिखकर दिया है, तो जरूर कार्यवाही करेंगे।

श्री नत्थासिंह : यह सारे राजस्थान का प्रश्न है। आप यह बतावें कि किन किन जिलों में किन किन ऐसे लोगों को कब्जे मिल गये हैं और किनको नहीं मिले हैं और जिनको कब्जे मिल गये हैं उनमें से कितने लोग काश्त करते हैं और कितने नहीं ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : यह अलग से प्रश्न है।

श्री हरीशचन्द्र पालीवाल : शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स के लोगों को आवंटित भूमि पर जिन जिन लोगों ने अनधिकृत कब्जा कर रखा है और जिन जिन को कब्जा मिलने पर भी काश्त नहीं करने देते उन सबको रोकने और अनधिकृत कब्जा करने वालों को हटाने के लिये सरकारी कर्मचारी तहसीलदार और पटवारी एस. डी ओ. को क्या सरकार ने कार्यवाही करने के लिये हिदायत दी है ? और क्या इस तरह से उन्होंने काम किया है? अगर किया है तो ऐसे कितने मामलों में उन्होंने क्या कार्यवाही की है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी: जो कब्जा दिला देते हैं उसके बाद अगर कोई ट्रेसपास करता है तो उसको हटाने की कार्यवाही करते हैं और जिन्होंने नाजायज कब्जा कर रखा है उन पर दफा 91 के तहत कार्यवाही करते हैं।

श्री विट्ठल (पीपलखूंट) : तहसीलदार पटवारी कहीं भी कार्यवाही नहीं करते।

प्रश्न सं. 288

श्री अध्यक्ष : श्री रावतराम।

जयपुर उद्योग द्वारा श्रेष्ठ बिल्डिंग स्टोन से सीमेन्ट निर्माण व खनिज विभाग को सादा पत्थर की दर से भुगतान

289. श्री निरंजन नाथ आचार्य (मावली) : खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि जयपुर उद्योग में श्रेष्ठ श्रेणी का बिल्डिंग स्टोन सीमेन्ट बनाने के उपयोग में लिया जा रहा है जब कि जयपुर उद्योग द्वारा खनिज विभाग को सादा पत्थर की दरों से भुगतान किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि इन दोनों प्रकार के पत्थरों की दरों में काफी अन्तर है ? यदि हां, तो इस आधार पर अब तक जयपुर उद्योग से कितना कम रुपया वसूल किया गया है ?

(3) सरकार द्वारा इस रुपये की वसूली के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

राज्य मंत्री खनिज (श्री जुझारसिंह) : (1) मैसर्स जयपुर उद्योग प्राइवेट लिमिटेड, सवाई माधोपुर द्वारा लाइम स्टोन सीमेन्ट बनाने हेतु उपयोग में लाया जा रहा है। जयपुर उद्योग द्वारा काम में लिये गये लाइम स्टोन पर उसी दर से भुगतान कर रहा है जैसा कि उनको स्लेरी का विश्लेषण करने से श्रेणी आती है।

(2) लाइमस्टोन की दो श्रेणियों पर रायल्टी की दर अलग अलग है। 45 प्रतिशत सी. ए. ओ. से अधिक की श्रेणी की रायल्टी एक रुपया पच्चीस पैसा प्रति टन है जब कि 45 प्रतिशत सी.ए.ओ. तक की श्रेणी की रायल्टी पिचत्तर पैसा प्रति टन है। मैसर्स जयपुर उद्योग ने अब तक इस्तेमाल किये गये पत्थर की स्लेरी विश्लेषण के आधार पर समस्त रकम जमा करा दी है। पूरी रायल्टी इतनी ही है इस बात को विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है। पूरी जांच कराई जा रही है।

(3) रायल्टी निर्धारण की नियमित कार्यवाही की जा रही है वह फाईनल होने पर बकाया रकम का पता चलेगा व उस रकम की वसूली की जावेगी।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह तो मंत्री महोदय सही है कि श्रेष्ठ श्रेणी का पत्थर यह उद्योग काम में ले रहा है। श्रेष्ठ श्रेणी का पत्थर यह सीमेन्ट उद्योग काम में ले रहा है....

श्री जुझारसिंह : यह ठीक है, दो श्रेणी हैं.....

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपने कहने पर चलिये, यह केटेगराइजेशन श्रेष्ठ श्रेणी का है। राज्य स्तर पर यह ठीक है न ?

श्री जुझारसिंह : जी नहीं। इन दोनों श्रेणी का पत्थर काम में ले रहा है। कितना लो ग्रेड का काम में ले रहा है और कितना हाई ग्रेड का काम में ले रहा है। सीमेन्ट 45 पर्सेन्ट पर तो बनता ही है लेकिन अब यह ...

(9)

श्री निरंजननाथ आचार्य : कितने प्रपोर्शन में यह आप काम में ले रहा है ? राज्य सरकार की ओर से श्रेष्ठ श्रेणी का कितना परसेन्ट इसमें अब तक उपयोग में करते रहे हैं।

श्री जुझारसिंह : इसकी जांच करवाई जा रही है कितना हाई ग्रेड का पत्थर काम में लिया है और कितना लो ग्रेड का पत्थर काम में लिया है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपके नॉलिज में कब आया ? यह कार्यवाही कब से चल रही है ? आपने कब जांच आरम्भ की और अब जांच का अन्त कब हो जायेगा ?

श्री जुझारसिंह : राज्य सरकार ने सितम्बर, 72 में शुरू की और उस समय यह प्रश्न उठा था कि जो मेटेरियल काम में ले रहे हैं, उसमें हाई ग्रेड का कितना होना चाहिये और लो ग्रेड का कितना होना चाहिये उसका नतीजा अभी उपलब्ध नहीं हो पाया है इसलिये अभी निवेदन नहीं कर सकते हैं कि कितना हाई ग्रेड का निकलेगा और कितना लो ग्रेड का निकलेगा ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपके विचाराधीन है तस्फीया करने का और कितनी डिमान्ड के अन्तर्गत रुपया आपको चुकाना है।

श्री जुझारसिंह : रुपया हमें नहीं चुकाना है। रुपया बेसी निकलेगा, तो हमें लेना पड़ेगा।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह कुल कितनी रकम है जो रिकवर करता है ?

श्री जुझारसिंह : रकम तो अभी एस्टाब्लिश नहीं हो पाई है। कितना हाई ग्रेड का पत्थर काम में लिया और कितना लो ग्रेड का काम में लिया उस पर ही यह निर्भर करता है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मंत्री महोदय आप कह रहे हैं बहुत लम्बे समय से विचाराधीन है और जांच हो रही है। क्या आप अब सीमा में बान्ध सकते हैं—इतने दिनों में, इस महिने में जांच हो जायेगी और रिकवरी का काम भी इस सीमा में आरम्भ हो जायेगा—दोनों प्रश्न।

श्री जुझारसिंह : यह जांच पर निर्भर करता है, अध्यक्ष महोदय। मैं निवेदन कर चुका हूं जांच राज्य सरकार की तरफ से शुरू है। हम अभी इस मामले में कीन हैं कि कितना हाई ग्रेड का मेटेरियल काम में ले रहे हैं........

श्री मनोहर कोठारी (नाथद्वारा) : किस तरह जांच करेंगे? अभी आपने प्रश्न के उत्तर में बताया, हमारा ख्याल है कुछ हाई ग्रेड भी काम में लिया है। अभी तो आप स्वयं सरटेन नहीं हैं कि हाई ग्रेड का लिया है या लो ग्रेड का काम में लिया है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपने शायद तो नहीं कहा है। शायद के चक्कर में तो आप इन्हें मत डालिये। निश्चयात्मक कहा है। सरकारी तौर से जांच हो रही है। इसलिये इसमें विलम्ब होना आवश्यक है।

श्री जुझारसिंह : राज्य सरकार की मंशा विलम्ब करने की नहीं है। इसमें

(श्री जुझारसिंह)
जो क्वेश्चन एस्टाब्लिश करना है वह यह है कि कितना हाई ग्रेड का काम में लिया है और कितना लो ग्रेड का काम में लिया है ? कुछ पर्सेन्टेज तो आवश्यक काम में लिया है क्योंकि उस परसेन्टेज से तो सीमेन्ट बनती है। अब यह मुनस्सर करेंगे····

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह कब तक कर सकेंगे। इसका एनेलेसिस किसके माध्यम से कराया जा रहा है ? राज्य स्तर पर कराया जा रहा है ?

श्री जुझारसिंह : जी हां। डिपार्टमेंट कर रहा है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : जांच शुरू करने में क्या दिक्कत है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, इस उद्योग ने कई घपले किये हैं। इसका उत्तर तो आने दीजिये। लगातार यह उद्योग एक्सप्लॉइट कर रहा है और राज्य सरकार सो रही है।

श्री अध्यक्ष : दूसरा प्रश्न लिया जा चुका है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : यह जांच कब आरम्भ की गई थी ?

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, बता रहा हूं जहां तक जांच का सवाल है सितम्बर, 72 में जांच कराना शुरू किया है। राज्य सरकार ने हाई ग्रेड की रेट लगाई तो सभी सीमेन्ट उद्योग वाले सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में चले गये और यह कहा कि यह रेट रिवाईज नहीं की जा सकती है। हाई ग्रेड की रेट चार वर्ष बाद लग सकती है। चार वर्ष पहले लगने का कोई प्रश्न नहीं है। सीमेन्ट कम्पनी के सभी लोग कोर्ट में चले गये। इसका वहां से फैसला हो गया। राज्य सरकार ने डिमान्ड नोटिस पहले भी निकाले थे। राज्य सरकार कोशिश कर कर रही है। हाई कोर्ट के फैसले के कारण····

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : सितम्बर, 72 में जांच का ऐलान क्यों हुआ ? यह गड़बड़ी तो पहले से ही चल रही थी। राज्य सरकार ने डिमाण्ड नोटिस जारी किया था ?

श्री जुझारसिंह : कोर्ट में गये तब से कलेक्शन नहीं हो रहा है। 25 की जो रेट है उसको सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया। फिर यह प्रश्न आया कि कितना हाई ग्रेड का है और कितना लो ग्रेड का है ? उसके बाद यह प्रश्न उठा है। उसके पहले हम यह मान रहे थे कि सब हाई ग्रेड का है। इसके बाद ही जांच हुई है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह जांच की रिपोर्ट कब तक सम्पन्न हो जायेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा जो सितम्बर, 72 से जांच चल रही है वह कब तक पूर्ण हो जायेगी ? इस बारे में आश्वासन दें।

श्री जुझारसिंह : इसके सेम्पल्स भी लिये जा रहे हैं और एनेलेसिस भी किया जा रहा है। माइन्स में अलग अलग पत्थर निकलते हैं। एक ही खान में लो ग्रेड का

(श्री जुझारसिंह)
पत्थर भी निकलता है और हाई ग्रेड का पत्थर भी निकलता है। इसकी जांच करवाना है। कितना टाइम लगेगा, यह तो बताना मुश्किल है लेकिन जल्दी से जल्दी करवाने की कोशिश की जायेगी।

श्री अध्यक्ष : We have completed only four questions and already half an hour is past.

एक माननीय सदस्य : मंत्री महोदय, यह बताने का कष्ट करें कि अपने निर्वाचन क्षेत्र से····

श्री अध्यक्ष : मैंने अभी निवेदन किया था चार क्वेश्चन एक घण्टे में लिये हैं और भी बाकी के बहुत से लेने हैं।

एक माननीय सदस्य : माननीय मंत्री महोदय के निर्वाचन क्षेत्र में जो सीमेन्ट कम्पनीज हैं। क्या उसमें भी आप जांच करवा रहे हैं। उसमें भी आप लाइम स्टोन मानते हैं या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

नाथद्वारा जनाना अस्पताल की लेडी डॉक्टर का स्थानान्तरण

290. श्री मनोहर कोठारी (नाथद्वारा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नाथद्वारा जनाना अस्पताल में गत एक वर्ष में लेडी डॉक्टर का कितनी बार स्थानान्तरण किया गया व कितने समय तक वहां बिना लेडी डाक्टर के काम चला ?

(2) क्या यह सही है कि नाथद्वारा जनाना अस्पताल में गत वर्ष प्रसूतिगृह का एडीशन किया गया है तथा लेडी डॉक्टर के अभाव में जनता को काफी असुविधा होती है ?

(3) नाथद्वारा में क्या राज्य सरकार स्थायी तौर पर किसी लेडी डॉक्टर को रखने में असमर्थ है ? यदि ऐसा नहीं है तो उसका स्थायी प्रबन्ध कब तक हो जायेगा ?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री (श्री हरीदेव जोशी) : (1) केवल तीन बार। दिनांक 20-8-72 से 7-11-72 एवं 21-1-73 से अब तक।

(2) जो हां ? किन्तु महिला चिकित्सक के अभाव में गोवर्धन अस्पताल नाथद्वारा के चिकित्सा अधिकारी वहां के कार्य को समुचित रूप से देखभाल करते रहे हैं।

(3) जी नहीं। डॉ. (कुमारी) आशा अकाली का पोस्टिंग किया जा चुका है।

श्री मनोहर कोठारी : क्या आप यह समझते हैं कि नाथद्वारा जितनी बड़ी जगह पर गोवर्धन अस्पताल और लेडी हॉस्पिटल का भी काम एक ही डॉक्टर देख लेगा ? और····

श्री निरंजननाथ आचार्य : और महिलाओं की भी चिकित्सा कर सकेगा ?

श्री हरिदेव जोशी : यह कैसे सम्भव हो सकता है, दो जगह एक ही डॉक्टर देख लेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री सुरेशचन्द्र।

Page No 12

(12)

कोटपूतली तहसील के गांवों का विद्युतिकरण

291. श्री सुरेशचन्द्र (कोटपूतली) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) खेतड़ी से कोटपूतली को जोड़ने वाली विद्युत् लाईन का कार्य कहां तक किया गया है तथा उक्त कार्य को कब तक पूरा करने का लक्ष्य है ?

(2) उपरोक्त लाइन का कार्य पूरा होने पर कोटपूतली तहसील के कितने ग्रामों को बिजली दिए जाने की सम्भावना है ?

श्री विद्युत मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1) खेतड़ी से कोटपूतली को जोड़ने वाली 33 के. वी. लाईन पर खेतड़ी से नीहड़ा तक खम्बे खड़े किए गए हैं पूरा कार्य अगले वित्तीय वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य है।

(2) 33 के. वी. लाइन कोटपूतली पर अधिक पावर उपलब्ध कराने के लिए खेंची जा रही है।

श्री सुरेशचन्द्र : क्या लाइन खींचने का काम पूरा होने के बाद कोटपूतली के आस पास के गांवों को भी इससे बिजली देने का विचार राज्य सरकार रखती है क्या ?

श्री हरिदेव जोशी : 33 के. वी. लाइन से गांवों को बिजली देने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि उससे डाइरेक्ट कनेक्शन नहीं दिए जाते हैं। उसको तो एरिया में अधिक पावर बिजली का देने के लिए एक्सटेन्शन किया गया है।

श्री सुरेशचन्द्र : 'इस लाइन' को खींचने के लिये आपने जो रिपोर्ट बनाई है उसमें आपने ऐसा कोई प्रावधान तो किया होगा कि आस पास के 5-10 गांवों को बिजली दी जा सके।

श्री हरिदेव जोशी : आप मेरे कहने का तात्पर्य नहीं समझे। लाइन दी जाती है वह अलग हिसाब से दी जाती है। यह तो 11 के. वी. लाइन की जगह 33 के. वी. लाइन अधिक पावर के लिए खींची जा रही है। डाईरेक्ट कनेक्शन उससे नहीं दिए जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री मूलचन्द।

श्री लक्ष्मण जी के मन्दिर, भरतपुर के मैनेजर की गबन के मामले में सेवा निवृत्ति

292. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा अ.जा.) : क्या देवस्थान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मन्दिर श्री लक्ष्मण जी भरतपुर के मैनेजर श्री श्याम शरण शास्त्री को गबन के आरोप में सेवा से पृथक कर दिया गया था !

(2) यदि हां, तो कब किस गबन में, कितनी राशि का गबन था, कौनसी तारीख को गबन किया व कौनसी तारीख को सेवा मुक्त किया गया ?

Page No 13

(13)

(श्री मूलचन्द सामरिया):

(3) क्या उक्त राशि श्री श्यामशरण से वसूल करली गई अथवा क्या व्यवस्था की गई ?

(4) क्या उक्त मैनेजर पुनः उक्त मन्दिर में मैनेजर के पद पर नियुक्त कर दिये गये ?

(5) यदि हां, तो किस तिथि से ?

(6) उक्त गबन के मामले में क्या चालान दे दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

देवस्थान मन्त्री (श्री नारायणसिंह) : (1) जी हां। मन्दिर कमेटी ने श्री शास्त्री को सेवा मुक्त किया था, परन्तु राज्य सरकार ने उन्हें अपील का फैसला होने तक वापिस सेवा में रखने के आदेश दिये हैं।

(2) दिनांक 27-3-70 से सेवा मुक्त किया गया था। गबन की राशि 500/- रुपये बताई गई है और यह गबन सन् 1967-68 में होना बताया गया है।

(3) जांच के फैसले के पहिले वसूली का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(4) जी हां।

(5) दिनांक 24-2-1971 से।

(6) जांच पूरी न होने के कारण चालान पेश नहीं किया गया।

श्री मूलचन्द सामरिया : क्या राज्य सरकार ऐसे व्यक्ति को वापिस एपॉइन्टमेन्ट दे सकती है, जिसको कि गबन के मामले में सेवा निवृत्त किया गया हो। क्या यही राज्य सरकार का तरीका है भ्रष्टाचार विरोध का? क्या दोषी व्यक्ति को वापिस नौकरी में रख सकते हैं ?

श्री नारायणसिंह : सवाल तो यह है कि वह दोषी है या नहीं वह दोषी पाया ही कहां गया था ?

श्री मूलचन्द सामरिया : वह दोषी पाया गया था तब ही तो उसे नौकरी से हटाया गया था। उसके खिलाफ प्राइमाफेसी केस तो बन गया था। उसने सन् 67-68 में गबन किया था और राज्य सरकार ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति को वापिस एपॉइन्टमेन्ट देती है।

श्री नारायणसिंह : जिन्होंने अलग किया था वह अलग कर नहीं सकते थे क्योंकि उसे वहां की कार्य सलाहकार समिति ने उसे अलग किया था। लेकिन उसने राज्य सरकार से निवेदन किया कि वह अपराधी नहीं है यह आरोप उस पर झूंठा लगा हुआ है। वह तो साबित करना चाहता है कि वह दोषी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री झाबरमल सुन्डा।

सीकर जिले की खरीफ की फसलें

293. **श्री झाबरमल (फतेहपुर)** : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) सीकर जिले में तहसील वार खरीफ की फसल की उपज कितने प्रतिशत रही तथा इसका नापने का तरीका क्या है ?

Page No 14

(14)

(श्री झाबरमल)

(2) सीकर जिले में तहसील फतेहपुर में किन किन गांवों को अभाव ग्रस्त घोषित नहीं किया गया तथा इसके क्या कारण हैं ?

राजस्व मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न रिलीफ डिपार्टमेन्ट से ताल्लुक है। इसलिये उन्हें ट्रान्सफर कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल भार्गव।

श्री निरंजननाथ आचार्य।

भवन की अवाप्ति

294. **श्री गिरधारीलाल भार्गव** (हवा महल, जयपुर) **श्री निरंजननाथ आचार्य** (मावली) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सिरोही महाराज कुमार के आबू रोड स्थित भवन की मार्केटिंग को-ऑपरेटिव सोसायटी के हित में अवाप्त करने की कार्यवाही आरम्भ हुई थी ?

(2) क्या यह सही है कि डिप्टी टाऊन प्लानर ने इस अवाप्ति की कार्यवाही का अनुमोदन कर राज्य सरकार से इस सम्बन्ध में स्वीकृति चाही थी ?

(3) क्या यह सही है कि मुख्य मन्त्री द्वारा उक्त प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं दी गई ? यदि हां तो क्यों ?

राज्य मंत्री सहकारिता (श्री जुझार सिंह) : अध्यक्ष महोदय यह प्रश्न टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखता है, इसलिये इसे टाउन प्लानिंग मंत्री महोदय को हस्तांतरित कर दिया जाय।

श्री केदारनाथ : अध्यक्ष महोदय, अगर किसी मन्त्री से सम्बन्धित सवाल नहीं है तो उस प्रश्न को पहले ही ट्रान्सफर सम्बन्धित मन्त्री को कर दिया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री गुरदयालसिंह सन्धु।

गंग नहर क्षेत्र में आर. बी. लोअर, नहर से पानी के नियत दिन

295. **श्री केदारनाथ** (गंगानगर), **श्री गुरदयालसिंह सन्धु** (करणपुर) की अनुपस्थिति में : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) आर. बी. लोअर नहर दिनांक 15-10-72 से 18-12-72 तक कितने इतवार व कितने सोमवार बन्द रही ?

(ख) क्या यह सही है कि गंग नहर क्षेत्र में पानी की नहर की बारी दिनों पर पक्के तौर पर होती है और इस कारण से आर. बी. लोअर नहर पर इतवार व सोमवार को पानी की बारी वाले फसल बो नहीं सके। और खरीफ की फसल को हानि पहुंची है ? यदि हां, तो क्या सरकार इतवार, सोमवार को पानी की बारी वाले व्यक्तियों को मुआवजा देगी ?

Page No 15

(15)

सिंचाई मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : (1) आर. बी. लोअर नहर दिनांक 14-10-72 से 18-12-72 तक 5 इतवार व 5 सोमवार बन्द रही।

(2) गंग नहर क्षेत्र में बहुत से चकों में पानी की बारी हफ्तावार दिनों पर होती है लेकिन आर. बी. लोअर नहर पर इतवार व सोमवार बारी वालों ने भी बुआई की है और खरीफ की फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। क्योंकि इस विषय में राज्य सरकार को अभी तक कोई शिकायत नहीं आई है और सिंचाई के आंकड़ों से भी विदित होता है कि आर. बी. लोअर नहर पर रबी की बुआई ठीक हुई है। इसलिये यह कहना ठीक प्रतीत नहीं होता कि इतवार और सोमवार की बारी वाले रबी की बुआई नहीं कर सके। इसलिये मुआवजा देने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री केदारनाथ : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि गंग कैनाल की डिस्ट्रीब्यूटरीज में जो पानी दिया जाता है वह वाटर सप्लाई क्या रोटेशन से होती है? इसको पानी देने का अधिकार किसको है? कौनसा एस. ई. है? गंग कैनाल के एस. ई. के पास है यह पावर या गंगानगर के एस. ई. के पास?

श्री रामचन्द्र चौधरी : यह गंगानगर के इरिगेशन के एस. ई. के पास है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि उन्होंने पांच बारियां इतवार की, पांच बारियां सोमवार की बन्द कर दी पानी देने की क्या मंत्री महोदय यह उचित समझते हैं? इस प्रकार पानी नहीं मिलने के कारण उस किसान को खेती में नुकसान नहीं होगा?

श्री रामचन्द्र चौधरी : आपको यह पता नहीं है कि इसमें पांच बारी पानी दिया गया है और पांच बारी पानी नहीं दिया गया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, कपास की खेती है। पानी की जरूरत तो पूरी रहती है। आखिर कितना पानी दिया गया? कितनी बुआई हुई?

श्री रामचन्द्र चौधरी : अध्यक्ष महोदय, सन् 1970-71 में करीब 19120 एकड़ जमीन में रबी की फसल की बुवाई हुई।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इसमें एकड़ से क्या मतलब हुआ? इस साल कितनी हुई?

श्री रामचन्द्र चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इस साल करीब 18880 एकड़ जमीन में बुवाई हुई है। करीब 240 एकड़ बुवाई कम हुई है। इसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या 240 एकड़ भूमि कम है?

श्री रामचन्द्र चौधरी : 19 हजार में सिर्फ 240 एकड़ कम ही हुई, नहीं तो और क्या हुई?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : प्रश्न यह है कि पानी देने में विक्टेमाइजेशन हुआ है।

(श्री योगेन्द्र नाथ हांडा)

जो पानी लगना चाहिये था वह नहीं लगा पांच बार। ऐसी स्थिति में किसान को रबी की फसल में नुकसान होने की सूरत है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : मेरे ख्याल से तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको पूरा हिसाब बता देता हूं। इसमें आप जब जानते नहीं हैं तो कम से कम ऐसे सवाल पूछने से क्या फायदा? इसमें स्थिति यह है कि 14-10-72 से लेकर 18-12-72 के बीच टोटल दस इतवार और दस सोमवार आये कुल इसमें दस बारी आयी। इस दस बारी में से इतवार एक हफ्ते में पांच बार पानी दिया गया और पांच बार नहीं दिया गया। इसी प्रकार सोमवार को दस में से पांच बार पानी दिया गया और पांच बार नहीं दिया गया। मंगलवार को साढ़े पांच बार पानी नहीं दिया गया और साढ़े तीन बार पानी दिया गया। बुधवार को पांच बार पानी बन्द और चार दिन खुला। वृहस्पतिवार को पांच दिन पानी बन्द रहा और चार दिन खुला। शुक्रवार को साढ़े चार बार पानी बन्द और साढ़े चार बार पानी चला। शनिवार को साढ़े चार दिन पानी बन्द और साढ़े चार बार पानी दिया गया। तो इसमें ऐतराज की बात क्या है? मैं तो समझता हूं कि हफ्ते में सबसे ज्यादा दिन पानी इतवार और सोमवार को दिया गया।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, इसमें सबसे ज्यादा बार पानी देने का सवाल नहीं है। साहब जो पानी देना चाहिये था वह नहीं दिया गया, नहर क्लोज रही। इतवार और सोमवार को क्लॉज रहा पानी देना।

श्री रामचन्द्र चौधरी : बड़े दुःख की बात है कि जब आपके कम से कम कोई बात समझ में नहीं आवे तो पूछना नहीं चाहिये। केदारनाथ जी ने जो सवाल पूछा है उस सवाल में उसका जवाब आ चुका है। आपको भी बता दिया है। जब कि बात बिलकुल साफ है कि सोमवार और इतवार को पांच बार पानी खुला और पांच इतवार और सोमवार को बन्द रहा। इसी प्रकार मंगलवार को साढ़े पांच बन्द रहे और साढ़े तीन पानी चला। इस प्रकार कौनसा कम दिया गया? इस तरह से बुधवार को 5 दिन बन्द और चार दिन चला। बृहस्पतिवार को पांच दिन बन्द और चार दिन पानी चला। शुक्रवार को साढ़े चार दिन बन्द और साढ़े चार चला। शनिवार को साढ़े चार चला और साढ़े चार बन्द रहा पानी देना। अध्यक्ष महोदय, इसमें एतराज जैसी कोई बात नहीं। उल्टा पानी ज्यादा दिया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इसमें अध्यक्ष महोदय, विक्टेमाइजेशन हुआ है।

श्री केदारनाथ : मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि पानी जो दिया जाता है वह कोई खास प्रणाली से दिया जाता है या रोटेशन से दिया जाता है?

श्री रामचन्द्र चौधरी : पानी रोटेशन के मुताबिक दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री नाथूराम (बागीडोरा)।

बांसवाड़ा जिला परिवार नियोजन अधिकारी के विरुद्ध शिकायतें

296. श्री नाथूराम (बागीडोरा) : क्या स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बांसवाड़ा में जिला परिवार नियोजन अधिकारी के पद पर विगत तीन वर्षों में कौन कौन कब से कब तक पदासीन रहे ?

(2) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा में जिला परिवार नियोजन कार्यक्रम में लगे हुए कर्मचारियों में से अधिकांश जिले के बाहर के हैं उनके व्यहार से क्षेत्र में असन्तोष है और कार्यक्रम असफल हो रहा है ? यदि हां, तो सरकार कार्यक्रम को सफल बनाने के लिये क्या प्रयत्न कर रही है ? यदि नहीं तो कार्य कर रहे कर्मचारियों में कितने स्थानीय हैं और किस पद पर पदासीन हैं तथा कार्यक्रम की गत तीन वर्षों की उपलब्धियां क्या रही ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सत्य है कि जिला परिवार नियोजन अधिकारी डॉक्टर सब्बरवाल के दुर्व्यवहार के बारे में सरकार के पास शिकायतें आई थी किन्तु उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई ? यदि हां तो क्यों ? यदि नहीं, तो क्या कार्यवाही की गई ? जांच रिपोर्ट की एक प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(4) क्या यह सत्य है कि डॉक्टर सब्बरवाल को शिकायतों पर निलम्बित किया गया था ? यदि हां, तो कब से कब तक ? वर्तमान में उनकी पदस्थापना कहां है तथा पुरस्थापित उन्हें क्या दण्ड देकर किया गया ?

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मन्त्री (श्री हरिदेव जोशी) (1) सूची संलग्न है।

(2) जी हां किन्तु ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई हैं। स्थानीय अधिकारियों की संख्या व पद संलग्न सूची में दिया गया है। कार्यक्रम की गत तीन वर्षों में उपलब्धियों की तालिका संलग्न है।

(3) जी हां ! इनकी लम्बी बीमारी के कारण जांच नहीं की जा सकी किन्तु उन्हें जिला परिवार नियोजन अधिकारी के पद से हटाकर सी. ए. एस. बना दिया गया।

(4) जी हां। राज्य सरकार ने 9-5-72 को निलम्बित किया था परन्तु डॉ. सब्बरवाल दिनांक 24-2-72 से 22-10-72 तक बीमार होने के कारण अवकाश पर थे इस कारण निलम्बन के आदेश इन पर तामील नहीं किये गये। इनकी लम्बी बीमारी के कारण ये आदेश राज्य सरकार की आज्ञा दिनांक 26-2-73 को निरस्त कर दिये गये।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो सवाल पूछा है उसका जवाब मुझे सन्तोषजनक नहीं मिला। क्योंकि मेरा जो प्रश्न है उसके तीसरे सवाल में मैंने पूछा है कि जिला परिवार नियोजन अधिकारी डॉक्टर सब्बरवाल के दुर्व्यवहार के कारण राज्य सरकार के पास उनके खिलाफ में जो शिकायतें की गयी हैं उनके लिये क्या एक्शन लिया गया ? इस बारे में ....

Page No 18

(18)

श्री हरिदेव जोशी : मैंने निवेदन किया था कि डॉक्टर सब्बरवाल, जो कि डिस्ट्रिक्ट फेमिली प्लानिंग ऑफिसर थे को डीमोट कर दिया गया। उन्हें जिला परिवार नियोजन अधिकारी के पद से हटा कर सी. ए. एस. बना दिया गया है। जहां तक एक्शन लेने का सवाल है लिया गया है। चूंकि वे लम्बी बीमारी से पीड़ित थे इसलिये उन्हें सस्पेन्शन ऑर्डर नहीं दिये जा सके।

श्री नाथूराम : क्या अभी तक बीमार है ....

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री मीठालाल ।

जिलाधीश सवाई माधोपुर के पास वामनवास आदि तहसीलों की विचाराधीन पड़ी फाइलें

297. **श्री मीठालाल मीणा (लालसोट) :** क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिलाधीश सवाई माधोपुर के पास वामनवास आदि कई तहसीलों की सैंकड़ों फाइलें आपसी जमीन बंटवारा संबंधी कई महीनों से विचाराधीन पड़ी हुई है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त फाइलें किसानों द्वारा स्थानीय तहसीलों में सरकारी नियम के अन्तर्गत दी थीं ?

(3) यदि हां, तो अब तक उक्त फाइलों का निर्णय न करने का क्या कारण है ?

(4) अब कब तक उक्त फाइलों का निर्णय कर दिया जावेगा ?

राजस्व मन्त्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : (1) जिलाधीश, सवाई माधोपुर के समक्ष वामनवास आदि तहसीलों की भूमि के बंटवारे संबंधित कोई पत्रावली विचाराधीन नहीं है।

(2) जो नियमों के अन्तर्गत थीं उनके बटवारे के निर्णय बदस्तूर रखे गये हैं और जो अनियमित थीं उनका रेफरेन्स धारा 82 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत राजस्व मण्डल, अजमेर को जिलाधीश द्वारा किया जा चुका है।

(3) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(4) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

श्री मीठालाल : अध्यक्ष महोदय, यह जो फाइलें प्राप्त हुई वामनवास तहसीलदार से क्या यह सभी फाइलें समय पर प्राप्त हुई ? यह कुल कितनी फाइलें थीं और कितनी इनमें अनियमित हुई और कितनों को इसमें मान लिया गया ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : यह अलग से सवाल है।

श्री मीठालाल : मैं पूछना चाहता हूं कि कितनी फाइलें प्राप्त हुई और कितने दिनों से पेन्डिंग हैं ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : कोई फाइल पेन्डिंग नहीं है ?

श्री मीठालाल : आपने कहा कि जो अनियमित थीं उनको राजस्व बोर्ड, अजमेर भेज दिया, तो वह कितनी फाइलें थीं ?

Page No 19

(19)

श्री रामचन्द्र चौधरी : कितनी फाइलों की इन्फॉर्मेशन तो आपने पूछी नहीं है। इसलिए इसमें यह इन्फॉर्मेशन इकट्ठी नहीं की गयी।

श्री मीठालाल : अध्यक्ष महोदय, इसमें स्पष्ट है कि सैकड़ों फाइलें पेन्डिंग हैं।

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैंने निवेदन किया है कि एक भी पेन्डिंग नहीं है।

श्री मीठालाल : जो फाइलें नियमित बताई उनमें से कितनी दे दी और जो फाइलें अजमेर भिजवाई थी क्या वह बिलकुल अनियमित थीं? और इनको राजस्व मण्डल, अजमेर को किसलिए भेजा ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : उनको अनियमित माना इसलिए राजस्व बोर्ड को कहा गया कि इनको कैंसिल किया जाये।

श्री मीठालाल : जिनको अनियमित माना उसमें कानूनी खामियां क्या थीं ? तहसीलदार ने 4500 फाइलें ली थीं और उनको जिलाधीश ने सवाई माधोपुर मंगाली और उनको अजमेर भिजवा दीं तो जिनको अनियमित माना है उसमें क्या कानूनी खामियां थीं ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : यह अलग से सवाल है।

श्री मीठालाल : अलग से सवाल कैसे है ? आप तो यह बतावें कि जिनको अनियमित बताया उसमें क्या खामियां थीं ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : हर मिसल में अलग अलग खामियां हो सकती हैं।

श्री मीठालाल : जनरल क्या खामियां थीं और क्या वह समय पर प्राप्त हुईं ?

श्री हरिश्चन्द्र पालीवाल : अध्यक्ष महोदय, बामनवास तहसील की कोई फाइल पेन्डिंग नहीं है लेकिन किन किन तहसीलों की फाइलें पेन्डिंग हैं माननीय मन्त्री महोदय यह जानकारी दें ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : यह अलग से सवाल है।

श्री मीठालाल : अलग से प्रश्न कहां से आ गया ? बामनवास आदि कई तहसीलों में तो पूरा सवाई माधोपुर जिला सब आ जाता है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैंने निवेदन किया कि बामनवास आदि तहसीलों की कोई भी फाइल पेन्डिंग नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट; स्थगित प्रश्न

स्थगित प्रश्न
(दिनांक 19-2-73)

कुशलगढ़ रेन्ज में भूमि पर अनधिकृत कब्जा

18. **श्री जीथिंग (कुशलगढ़)** : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला बांसवाड़ा रेन्ज कुशलगढ़, डूंगरा छोटा, शेरगढ़ क्षेत्र के आदिवासी भूमिहीन किसानों ने वन भूमि पर अनधिकृत कब्जा कर, काश्त कर ली है ? यदि हां, तो कितने किसानों ने कब से कितनी एकड़ भूमि पर कब्जा किया है ? सूची सदन की मेज पर रखें ?

(श्री जोथिंग)

(2) क्या विभाग ने अतिक्रमण कारियों के विरुद्ध धारा 32 फोरेस्ट एक्ट के तहत अदालत में चालान दिये हैं? यदि हां, तो यह चालान कब, कितने किसानों के नाम किये हैं ? सूची नामवार व तारीख सहित सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार जिस वन भूमि पर वर्षों से वन उत्पादन नहीं हो रहा है ऐसी भूमि को कृषि विभाग में परिवर्तन करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वन मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1) जी हां, 2422 व्यक्तियों ने 2816 एकड़ भूमि पर अनाधिकृत कब्जा किया है। सूची 'क' संलग्न है।

(2) जी हां, 290 अतिक्रमणवादियों के विरुद्ध 120 केस चालान अदालत किये हैं। नामवार सूची 'ख' संलग्न है।

(3) इस संबंध में राज्य सरकार ने जिला स्तरीय कमेटी का गठन किया हुआ है जो स्थानीय स्थिति का पूर्ण अध्ययन करके वन भूमि के कृषि हेतु आवंटन का निर्णय लेती है। आवश्यकता होने पर यह समिति उक्त वन भूमि के संबंध में भी विचार कर सकती है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री जोथिंग : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जिन लोगों ने अतिक्रमण किया है उन्होंने जिला फोरेस्ट एडवाइजरी को अपने प्रार्थना-पत्र भेजे हैं ? यदि हां, तो उस पर जिला एडवाइजरी कमेटी ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री हरिदेव जोशी : यह प्रश्न इस विभाग के लिए उत्पन्न नहीं होता है। जहां तक इस विभाग का संबंध है जो भी अतिक्रमण करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

श्री विट्ठल : कानूनी कार्यवाही तो की है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब आदिवासियों को जमीन दूसरी नहीं मिल रही है और सरकार ने सिद्धान्त बना रखा है भूमिहीनों को जमीन देने का तो वन विभाग की भूमि को रेवेन्यू में करने में क्या दिक्कत है ?

श्री हरिदेव जोशी : यह रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट को देखना होगा और वह विचार करके फॉरेस्ट डिपार्टमेन्ट से रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट को रिलीज करवाने के लिए कहे।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : जिस जमीन के ऊपर कब्जा किया है वह उपजाऊ भूमि हो सकती है ?

श्री हरिदेव जोशी : जी नहीं। वहां अच्छे दरख्त थे और काफी लकड़ी काटी गयी है और केसेज कई पकड़े हैं और मैं निवेदन कर दूं कि माननीय सदस्य स्वयं भी अतिक्रमण कर चुके हैं और उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज है।

श्री जोथिंग : यह कोई नया अतिक्रमण नहीं है।

श्री हरिदेव जोशी : जी हां, नया अतिक्रमण। आपका केस बिलकुल ताजा है।

श्री जीयिंग : कई वर्षों से उस भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है और उस पर कोई वृक्ष नहीं है और खामखा किसानों को परेशान किया जाता है। खुले भ्रष्टाचार की छूट दे रखी है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंन्ट के आदमी लूटते हैं और गरीबों को रोजाना दण्ड दिया जाता है।

श्री हरिदेव जोशी : मैं यह चीज समझ सकता हूं कि अनपढ़ भी जो समझता नहीं हो वह गैरकानूनी कार्यवाही करे तो वह क्षम्य हो सकती है लेकिन विधान सभा के सदस्य अगर अतिक्रमण करें तो वह क्षम्य नहीं हो सकता।

श्री जीयिंग : यह बिलकुल गलत है।

श्री विट्ठल : कम से कम दो हजार से ऊपर लोगों ने कब्जे नाजायज कर रखे हैं तो यह सारे बांसवाड़े जिले का सवाल है।

श्री हरिदेव जोशी : रेवेन्यू मिनिस्टर साहब से पूछिये।

श्री विट्ठल : वहां पर पेड़ नहीं हैं तो वहां से जमीन निकालकर आदिवासियों को देना चाहिए। किसी भी माननीय सदस्य को नहीं दी जमीन।

श्री हरिदेव जोशी : मैंने निवेदन किया जहां तक इस डिपार्टमेन्ट का सवाल है यह डिपार्टमेन्ट अगर रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट यह मांग करे कि अमुक अमुक जमीन रिलीज कर दी जानी चाहिए तो उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगा।

श्री विट्ठल : तो इसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंन्ट करवाये।

श्री हरिदेव जोशी : फॉरेस्ट डिपार्टमेन्ट आगे होकर नहीं कहेगा कि इस जमीन को दे दो।

श्री विट्ठल : रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट ने इस अतिक्रमण के बारे में जांच की है और रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट ने मांग भी की है और उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। यह पक्षपातपूर्ण रवैया है।

श्री जीयिंग : कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : इन्होंने खुद ने अतिक्रमण किया उस पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री हरदेव जोशी : अदालत में कार्यवाही जारी है।

मैं और स्पष्ट कर दूं अध्यक्ष महोदय ब्लॉक लेवल की कमेटी के अन्दर प्रधान आपका है। आप उस ब्लॉक लेवल कमेटी की मीटिंग बुला लें और रिकमण्ड कर दीजिए।

श्री विट्ठल : एप्लाई हुआ है और आज तक कार्यवाही नहीं हुई।

श्री हरदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, थ्री टायर कमेटी है। ब्लॉक लेवल की

Page No 22

(22)

(श्री हरिदेव जोशी)
कमेटी है, जिला लेवल कमेटी है और एक स्टेट लेवल कमेटी है। ब्लॉक लेवल कमेटी ने भी यह रिकमण्ड नहीं किया है कि अमुक जमीन को कन्वर्ट किया जाना चाहिए। पंचायत समिति के अन्दर आप पदाधिकारी हैं तो कम से कम रिकमण्ड करके भेजिये ताकि गवर्नमेन्ट ऑफ राजस्थान हों या ना तो कह सके।

श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय सदस्य और मंत्री महोदय दोनों एक जिले के हैं और माननीय सदस्य आपसे अलग मिलें तो कोई रास्ता आप सहानुभूतिपूर्वक निकाल सकते हैं।

श्री हरिदेव जोशी : मैं और भी स्पष्ट कर दूं कि इस क्वेश्चन के पूछने के सिवाय मेरे से माननीय सदस्य कभी नहीं मिले। आज तक नहीं मिले। माननीय सदस्य ने कोई बात नहीं की। इनकी एज एम. एल. ए. ड्यूटी थी अपने कलेक्टोरेट के प्रति वह भी पूरी नहीं की और आज दिन तक राज्य सरकार को नहीं कहा कि कार्यवाही कीजिए। यह माननीय सदस्य से पूछ लिया जाये।

श्री लक्ष्मणसिंह : मैं माननीय सदस्य से भी निवेदन करूंगा कि वह मंत्री महोदय से स्वयं बात कर लें।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्रीमती उषा प्रकाश।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 23-2-73)

भरतपुर जिले के सार्वजनिक चरागाहों पर अनधिकृत कब्जे

91. श्रीमती उषा प्रकाश (वैर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) भरतपुर जिले में सन् 1967 से कितने सार्वजनिक चरागाहों को अनाधिकृत रूप से कब्जे में लिये जाने की घटनायें हुई हैं?

(2) इस प्रकार के अनाधिकृत कब्जों से संबंधित कितने मामलों में अतिरिक्त जिलाधीश द्वारा स्थगन आदेश जारी किये गये?

(3) अतिरिक्त जिलाधीश न्यायालय द्वारा कितने मामलों में चरागाहों को समाप्त करने के निर्णय दिये गये?

(4) इस प्रकार के अतिक्रमण के कितने मामलों में बेदखली की कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं वास्तव में कितनी बेदखलियां की गई?

(5) राज्य सरकार इन चरागाहों पर अनधिकृत रूप से काबिज व्यक्तियों को अविलम्ब बेदखल करने एवं बोई गई फसलों को कुर्क करने की कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक?

राजस्व मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : (1) जिला भरतपुर में सार्वजनिक चरागाहों पर अनधिकृत रूप से कब्जा करने की 6601 घटनायें हुई हैं।

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

(2) इस प्रकार के अनाधिकृत कब्जों से संबंधित मामलों में से 176 मामलों में अतिरिक्त जिलाधीश द्वारा स्थगन आदेश जारी किये गये।

(3) अतिरिक्त जिलाधीश के न्यायालय से 162 मामलों में चरागाह को समाप्त करने के निर्णय किये गये।

(4) 6381 मामलों में अतिक्रमियों के विरुद्ध बेदखली की कार्यवाही आरम्भ की गई जिसमें से 5434 मामलों में वास्तव में बेदखलियां की गई।

(5) चरागाहों पर अनधिकृत रूप से काबिज व्यक्तियों का नियमानुसार बेदखल करने एवं बोई गई फसलें जब्त करने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री मनोहरलाल : माननीय अध्यक्ष....

श्री नत्थासिह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह वापसी की कार्यवाही केवल कागजों पर ही हो चुकी है या अमल भी किया गया है?

श्री रामचन्द्र चौधरी : जैसा मैंने अभी निवेदन किया कि 6601 में से 5434 मामलों में बेदखली की कार्यवाही की गई है और उनको बेदखल कर दिया गया है।

श्री नत्थासिह : मैं मन्त्री महोदय को बताना चाहूं कि एक इंच भी जमीन अभी तक किसी ने छोड़ी नहीं है। उनको नोटिस दिए हैं लेकिन नोटिस का कोई असर नहीं है और जमींदारों ने उन पर कब्जा कर रखा है। उनका डिमार्केशन किया जाना चाहिये और डिमार्केशन करने के बाद चरागाहों पर जो कब्जा है उनको बेदखल किया जाना चाहिए।

श्री रामचन्द्र चौधरी : जो वास्तव में सूचना मिली है, वह तो मैंने आपके सामने रख दी है। अब आपको ऐसा मालुम हो कि एक इंच भी बेदखल नहीं की गई है तो किसी एक का भी उदाहरण आप रखेंगे तो हम कार्यवाही कर लेंगे।

श्रीमती उषा प्रकाश : इसमें वास्तव में दिक्कत जो आती है वह तभी आती है जबकि आपके जो रेवेन्यू अपीलेट अथोरिटी है और आपके एडीशनल कलेक्टर वगैरा बैठे हैं वे चरागाहों के मामलों को सार्वजनिक इन्टरेस्ट में नहीं देखते हुए उस पर चाहे जैसे, जब मर्जी आवे, बिना किसी वजह के स्टे दे देते हैं और यही सबसे बड़ी दिक्कत है। तो क्या इस दिक्कत को हल करने के लिए आप कोई रास्ता देख रहे हैं?

श्री रामचन्द्र चौधरी : वैसे तो 6601 मुकदमों में से 182 में स्थगन आदेश जारी हुए हैं जिन्हें बहुत ज्यादा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह अदालतों का काम है, हम किसी किस्म का इन्टरफियर कर नहीं सकते।

श्रीमती उषा प्रकाश : जैसा कि....

श्री रामानन्द अग्रवाल : टेलीफोन द्वारा नहीं लेकिन कानून बनाकर इण्टरफियर कर सकते हैं, रूल्स बनाकर कर

Page No 24

(24)

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
सकते हैं। वैसे कानाफूसी करके नहीं कर सकते, करते वैसे हो, लेकिन आप कानून बनाकर संशोधन करके और पावर्स लेकर इस हाउस से इण्टरफियर कर सकते हो।

श्री रामचन्द्र चौधरी : हमें जब तक कानून बने हुए हैं उसके अनुसार चलना पड़ेगा। आपकी सरकार हो तो ऐसा हो सकता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तब्दील कर सकते हैं।

श्री नत्थासिंह : एक उदाहरण देता हूँ आपको। आपने कहा था कि इसका कोई उदाहरण दो तो मैं आपको बताता हूँ कि झारकई में हजारों जमींदारों ने अनधिकृत कब्जा कर रखा है····

श्री अध्यक्ष : कोई महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो तो पूछें।

श्री नत्थासिंह : और हजारों बीघा जमीन चरागाह की जमींदारों के कब्जे में है।

श्रीमती उषा प्रकाश : चरागाहों के मामले में जहां तक बेदखली का मामला है इस पर बड़ी सख्ती से कानूनों का पालन, नियमों का पालन करना चाहिए। सवाल यह आता है कि थोड़े अर्से के बाद रेगुलराईजेशन करना पड़ेगा। आप कुछ समय बाद कह देते हैं कि इतने समय तक कब्जे में है तो रेगुलराईज करेंगे। यह सबसे दिक्कत की बात है····

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री नत्थासिंह : आपको मैं एक और उदाहरण बताता हूँ कि मलिकपुर के जमींदारों ने, 285 जमींदारों ने चरागाहों पर कब्जा कर रखा है, इसके बारे में मंत्री महोदय सदन को बतावें।

श्री मनोहरलाल : माननीय अध्यक्ष महोदय····

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : श्री यशवन्तसिंह नाहर।

श्री मनोहरलाल : मैं इस बारे में····

श्री अध्यक्ष : You can also ask the question.

श्री रामचन्द्र चौधरी : 5434 जो बेदखलियां की गई हैं यह काम काफी संतोषजनक है। और भी जितने मामले सामने आयेंगे इस प्रकार के अनधिकृत कब्जों के उनको जल्दी से हटा कर और उनको रेगुलराईज किया जावेगा।

श्रीमती उषा प्रकाश : मंत्री महोदय, यह देखा जाता है कि जिसमें गवर्नमेन्ट फील करती है उसमें भी सख्ती नहीं बरती जाती है। चरागाहों के अनधिकृत कब्जे के मामले में वर्षों पेंडिग रहते हैं। मंत्री महोदय, इस बारे में स्ट्रिक्ट आदेश होने चाहिए। चरागाहों के मामले हैं उनको जल्दी निपटाया जाय।

श्री मनोहरलाल : माननीय मंत्री महोदय····

श्री अध्यक्ष : श्री यशवन्तसिंह नाहर।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : क्वेश्चन नं. 93।

श्री लक्ष्मणसिंह : इस सब्लीमेंट्री के सम्बन्ध में एक प्रश्न पूछना चाहूंगा मन्त्री महोदय से। वह यह कि यह चरागाहों का मामला है यह बहुत महत्त्वपूर्ण है। इन पर नाजायज कब्जे होते हैं। मेरे खयाल में ग्रामीण अर्थ व्यवस्था के अन्दर चरागाहों को संरक्षण देना सरकार का प्रथम कर्त्तव्य है। अगर इस पर स्वार्थी तत्व आकर कब्जा करते हैं तो एक हद तक ग्रामीण लोगों के लिए आप ग्रामीण चरागाहों के वास्ते सुरक्षित करके रखें और मेरा यह अनुमान है कि यही सबकी भावना है लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है मन्त्री महोदय। मेरा यह व्यक्तिगत अनुभव है कि सारे राजस्थान में ऐसा है। जो स्पेसिफिक प्रश्न है तो इस स्पेसिफिक प्रश्न के सम्बन्ध में मन्त्री महोदय को भी गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। चरागाह नहीं रहेंगे तो मेरे खयाल में विलेज इकोनोमी सब अपसेट हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री यशवन्तसिंह नाहर।

श्री मनोहरलाल : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो बोनाफाईड भूमिहीन हैं, उन्होंने चरागाहों पर कब्जे कर रखे हैं, उन्हें आप कैसे बेदखल करेंगे। जहां तक जैसा कि महारावल साहब फर्मा रहे थे मैं भरतपुर जिले कि बात बता रहा हूं वह वहां के लोग चरागाहों के खिलाफ हैं, चरागाह नहीं रहने चाहियें और इसलिए सब लोगों ने तोड़ रखे हैं। तो जो बोनाफाईड भूमिहीन हैं उनको आप कैसे हटायेंगे ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : हम चाहते है कि चरागाह कायम रहें......

श्री अध्यक्ष : श्री यशवन्तसिंह नाहर।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : आई हैव ऑलरेडी आस्कड लास्ट क्वेश्चन नाईन्टी थ्री।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 23-2-73)

राजस्थान की फसलें

93. **श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा):** क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में शत प्रतिशत दो फसल कितनी भूमि में है ?

(2) क्या उसका जिलेवार विवरण राज्य सरकार के पास उपलब्ध है ?

(3) क्या यह शत प्रतिशत इन्टेन्सिटि या इससे कम इन्टेसिटि प्रत्येक खेत या उसके खण्ड पर भी लागू होगी ?

(4) क्या इस तरह के कुल विवरण काश्तकार के हिसाब से राज्य सरकार के पास उपलब्ध हैं ? यदि नहीं, तो इसको तैयार करने में कितना समय लगेगा ?

राजस्व मन्त्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : (1) मिलान खसरा वर्ष 1971-72 के अनुसार राजस्थान में 15,10,517 हैक्टेयर दो फसली भूमि है।

(2) जी हां, जिलेवार विवरण संलग्न है।

(3) पूरे खेत व खेत के खण्ड दोनों पर लागू होती है।

(4) जी हां, प्रश्न नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

श्री यशवन्तसिंह नाहर : यह सब आपके सीलिंग लॉं के पॉर्ट एक में आती हैं या दो में आती हैं, फिर कानून का प्रश्न आएगा ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : इर्रीगेटेड और फर्टीलाईज्ड लेंड आती है ?

श्री यशवन्तसिंह नाहर : कैसे आती है ?

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैंने बताया कि यह जो आंकड़े हैं वे इसमें ऐसे हैं कि जहां पर दो फसली जमीन होती है जैसे कि सावणी भी और ऊनालू भी होती है। दो फसली जो होती है उसके आंकड़े हैं। ऐसा है कि जैसे चूरू में दस हजार हैक्टर भूमि है उसमें कोई सिंचाई की भूमि एक इन्च भी नहीं है लेकिन दो फसली में आती है, राजगढ़ तहसील में भी ऐसी स्थिति है और वहां पर भी दो फसली दिखाई गई है। इर्रीगेशन के इलाके में इर्रीगेटेड एरिया में आती है। उसमें ऐसा भी होता है कि टाइट कमाण्ड में पानी नहीं मिलता है फिर भी अपनी ठीक सहूलियत से दो बार पानी लगा देते हैं।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : यह सीलिंग लॉं में तो नहीं है। यह उसके प्रभाव क्षेत्र से बाहर है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : इन्टेंसिटी की नहीं है.......

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपने पहले उत्तर दिया है कि शत प्रतिशत दो फसली जमीन 15 लाख एकड़ है तो क्या यह जो आपने पहले जवाब दिया है 15 लाख एकड़ का क्या यह 18 एकड़ की सीलिंग में आती है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : यह हैक्टर है जो 40 लाख के करीब बनती है। राजस्थान में जहां पर कुए हैं, प्रोजेक्ट हैं उन सबको मिला कर इर्रीगेटेड लेंड 25 लाख से ज्यादा बनती है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इर्रीगेटेड 60 लाख है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भी आज की तारीख में 60 लाख एकड़ बनती है सब तरह की मिला कर। नहरी भी आ गई है उसमें, कुए की भी आ गई, ट्यूबवेल की भी आ गई इस प्रकार सब मिला कर 60 लाख बनती है। उसके लिए आपने बताया है कि 15 लाख हैक्टर है। मेरा तो यह प्रश्न है कि यह जमीन जो सीलिंग एक्ट में आपने दो फसली जमीन 18 एकड़ की सीलिंग रखी है वह वाकई वही जमीन है जिसके ऊपर 18 एकड़ की सीलिंग लगी है या यह नहीं है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैंने आपसे यह अर्ज किया है कि यह जो आंकड़े हैं इस बात पर बेस्ड हैं कि इस जमीन में दो फसलें हुई हैं या इस जमीन में दो फसलें हो सकती हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हो सकती हैं या हुई हैं। पटवारी तो एक्चुअल क्रॉप हुई है उसके आधार पर यह लिखता है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : इसमें जो इसका बेसिस है वह इर्रीगेशन का नहीं है

Page No 27

(27)

(श्री रामचन्द्र चौधरी)
जैसे चूरू में 10,000 हैक्टेयर दो फसली है। परन्तु वहां इर्रीगेशन का साधन नहीं है। झुंझुनू जिले में 98 हजार 383 हैक्टेयर है यहां सिंचाई से दो फसलें होती हैं यह मेरी समझ में नहीं आता है। इसमें यह बताया गया है कि एक फसली है, दो फसली है यह इस तरह के आंकड़े हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : या तो ये आंकड़े गलत हैं। आप खुद उत्तर दे रहे हैं। आपने यहां पर यह बताया है कि जो जमीन आप बता रहे हैं वह दो फसली है, two crops possible, but crops which had been actualy sown उसको यह पता है। क्या यह सही है? और उस आधार पर रेवेन्यु रिकार्ड में, पटवारी ने गिरदावरी में जो एक्चुअल फसल होती है उसको दर्ज करता है। उसके बेसिस पर यह सावणी और हारी दोनों ही हैं और उसको दो फसली में दर्ज किया है? यह जो आंकड़े उसमें दर्ज किये हैं वे एचुअल के आधार पर किये गये हैं।

श्री रामचन्द्र चौधरी : इसमें इर्रीगेशन हुआ है या नहीं यह नहीं कहा जा सकता।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इर्रीगेशन के अलावा अनइर्रीगेटेड लैण्ड भी दो फसली राजस्थान में है। अनइर्रीगेटेड लैण्ड भी दो फसली है?

श्री रामचन्द्र चौधरी : बिना सिंचाई के भी होती है। झुंझुनू में ऐसा इलाका बताया है वहां पर कोई सिंचाई का साधन नहीं है। यह जो आंकड़े हैं यह हैं कि यहां पर दो फसलें हो सकती हैं, सावणी भी होती है और हारी भी होती है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : पटवारी फसल होने के बाद ही रिकार्ड में दर्ज करता है। ऐसा बहुत कम एरिया है जहां पर कि ड्राई रबी होती है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : झुंझुनू में जो खरीफ व रबी होती हैं वह ड्राई होती है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या पटवारी इकोनोमिक्स का प्रोफेसर होता है?

श्री मोहनलाल छंगाणी : पटवारी जो गिरदावरी करता है वह फसल होने के आधार पर करता है। दो फसलें होती हैं तो निश्चित तौर पर वह लिखता है कि दो फसलें हुई हैं। राजस्थान में अनइर्रीगेटेड एरिया तो नैग्लीजेबिल है।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न संख्या 311 महत्वपूर्ण है। यह हजारों व्यक्तियों से सम्बन्धित है। इसलिए इसको पोस्टपोन्ड किया जावे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने यह जो आंकड़े यहां पर दिये हैं यह एक्चुअल क्राप ग्रोन के हैं या पॉसिबल क्रॉप ग्रोन के हैं?

श्री अध्यक्ष : आप बार बार एक ही प्रश्न को रिपीट कर रहे हैं।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मंत्री महोदय को मालूम नहीं है तो मालूम कर लें।

Page No 28

(28)

श्री रामचन्द्र चौधरी : यह जो सूचना मिली है उसके आधार पर यह स्टेटमेन्ट है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 311 को स्थगित रखा जावे। यह हजारों व्यक्तियों से सम्बन्धित है।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से प्रश्न संख्या 302 है।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखिये।)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

पंजीकृत सहकारी समितियां

286. श्री राजेन्द्रसिंह (उनियारा) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में कितनी सहकारी समितियां पंजीकृत हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) जिला टोंक में कितनी ऐसी समितियां हैं जो डिफाल्टर हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सही है कि ऐसी समितियां डिफाल्टर होते हुए भी राज्य सरकार द्वारा उन पर प्रशासक नियुक्त नहीं किया गया है और वे बदस्तूर कार्य कर रही हैं ? यदि हां, तो राज्य **सरकार** उन पर तुरन्त प्रशासक नियुक्त करने की आज्ञा प्रदान करेगी ?

उत्तर

(1) राजस्थान में 18198 सहकारी समितियां 30-6-72 तक पंजीकृत हैं। सूची सदन की मेज पर रख सकना संभव नहीं है।

(2) टोंक जिले में 155 समितियां डिफाल्टर हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हां। समिति का केवल डिफाल्ट में रहने से ही प्रशासक की नियुक्ति नहीं की जाती।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

विद्युत् बोर्ड में जूनियर इन्जीनियरों की नियुक्तियां

288. श्री रावतराम (छापर) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि चालू वर्ष 1972-73 में राजस्थान विद्युत् बोर्ड से जूनियर इन्जीनियरों की नियुक्तियां हुई हैं ? यदि हां, तो कितनी संख्या में ?

(2) क्या यह सही है कि इन नियुक्तियों में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों का रिजर्वेशन पूरा किया गया है ? यदि हां, तो अनुसूचित जाति के चुने गये व्यक्तियों के नामों की सूची पेश करें।

29

(श्री रावतराम)

(3) अनुसूचित जाति के कितने उम्मीदवारों ने एप्लाई किया था और उनमें से कितनों को साक्षात्कार के लिए बुलाया और उनमें कितनों को चुना गया ?

(4) क्या यह सही है कि विद्युत् बोर्ड में अधिकारियों ने उक्त निर्वाचन में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को जानबूझकर इग्नोर किया है तथा सरकारी नियमों की अवहेलना की है ? यदि हां तो सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

(5) क्या सरकार इन नियुक्तियों को खारिज करके नियमानुसार पुनः नियुक्तियां करने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो जिन अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को अधिकारियों के पक्षपात से नुकसान हुआ है उनके बारे में सरकार क्या फैसला करेगी ?

(स्थगित किया गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

ग्राम सेवा सहकारी समिति धीरदेसर द्वारा नाजायज रकम की वसूली

135. **श्री गुरदयालसिंह संधु (करणपुर):** क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सेवा सहकारी समिति, धीरदेसर तहसील सूरतगढ़ में श्री जगजीत सिंह व श्री गुरुदेवसिंह पिसरान आलासिह व श्री आलासिंह पुत्र श्री सोनसिंह साकिन पीलीबंगा के जुम्मे 5,800 रुपये की रकम की वसूली के नोटिस जारी किये गये ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त तीनों व्यक्तियों ने जिनमें से श्री आलासिंह का स्वर्गवास हो चुका है, ता. 11-12-72 को उप रजिस्ट्रार, बीकानेर के कार्यालय में प्राप्त पत्र में यह अंकित किया है कि यह धनराशि नाजायज है व उनके जिम्मे कोई बकाया नहीं है ?

(3) क्या यह सही है कि सहकारी समितियों में इस प्रकार की धान्धलेबाजी आम है और विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है ?

(4) क्या सरकार उपरोक्त मामले में जांच करवा कर रिपोर्ट सदन की मेज पर रखेगी और दोषी को सजा देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां,

(2) जी हां,

(3) जी नहीं,

(4) जांच कराई जा चुकी है, जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखदी गई है।

(जांच प्रतिवेदन विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बीकानेर-तारानगर बस मार्ग का राष्ट्रीयकरण

136. श्री लूनाराम (डूंगरगढ़): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि बीकानेर सादुलपुर बस मार्ग वाया श्री डूंगरगढ़, सरदार शहर, तारानगर का राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

इस मार्ग के राष्ट्रीयकरण की योजना निगम के विचाराधीन है।

गंगा नदी के पानी का उपयोग

137. श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि गंगा नदी के पानी को रोकने अथवा उसका पंजाब व हरियाणा में उपयोग करने की राज्य सरकार ने अपनी ओर से स्वीकृति प्रदान करदी है यदि हां, तो क्यों और कब ?

उतर

जी नहीं।

कडाना बांध की ऊंचाई

138. श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—क्या यह सही है कि कडाना डेम की ऊंचाई को कम करने के लिये राजस्थान सरकार के आग्रह को गुजरात सरकार ने स्वीकार नहीं किया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा किस प्रकार की कार्यवाही प्रस्तावित है ?

उत्तर

यह सही है कि कडाना बांध की ऊंचाई को कम करने के लिये राजस्थान सरकार के आग्रह को गुजरात सरकार ने स्वीकार नहीं किया है।

राज्य सरकार इस विषय पर पुनः विचार करने की सोच रही है।

भूमि के नामान्तरकरण के मामले

139. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर: क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राज्य के विभिन्न जिलों में भूमि के नामान्तरकरण (म्यूटेशन) के गत पांच सालों में कितने मामले प्रस्तुत हुए और उनमें से कितनों का निर्णय लिया गया और कितने कब से पेण्डिग हैं ? प्रत्येक जिले का अलग से वार्षिक आंकड़े देते हुए विवरण सदन में प्रस्तुत करने की कृपा करें।

उत्तर

राज्य के विभिन्न जिलों में कृषि भूमि के नामान्तरकरण (म्यूटेशन) के गत पांच सालों में कुल 13,29,687 मामले प्रस्तुत हुए और उनमें से 11,22,942 का निर्णय लिया गया और 2,06,745 मामले पेण्डिग हैं। जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये।)

Page No 31

(31)

डी. डी. माइनर को नया बनाने की स्वीकृति

140. श्री गुरदयालसिंह संधु (करणपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

डी. डी. माइनर को नया बनाने की स्वीकृति कब हुई है और उसके नहीं बनाये जाने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

डी. डी. माइनर को नया बनाने की स्वीकृति और धनाभाव के कारण यह काम अभी नहीं किया जा सका है।

चक 47 जी. जी. में भूमि का आवण्टन

141. श्री गुरदयालसिंह संधु (करणपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि श्री गुरचरणसिंह पुत्र श्री मुखत्यारसिंह को चक 47 जी. जी. में आदेश संख्या 2601, दिनांक 30-6-72 द्वारा 10) बीघे नहरी भूमि दी गई ? यदि हां, तो यह किस आधार पर तथा कितनी किश्तों पर दी गई ?

(ख) श्री गुरचरणसिंह कितनी भूमि का मालिक है और जो उपरोक्त भूमि से आवंटित की गई है वह कब से उसके कब्जे में चली आ रही है ?

उत्तर

(1) जी हां। 9 बीघा 19 बिस्वा नहरी भूमि सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार आवंटित की गई है। 15 किश्तों पर।

(2) 11 बीघा 9 बिस्वा खातेदारी का मालिक है। उक्त आवंटित शुदा भूमि 1970-71 से कब्जे में है।

हैल्थ सर्विसेज के पद

142. श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवा महल, जयपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग में डिप्टी डाइरेक्टर एवं एडिशनल डाइरेक्टर हेल्थ सर्विसेज के पद पर कौन कौन व्यक्ति कब कब से काम कर रहे हैं ?

(2) क्या यह सही है कि डिपार्टमेन्ट प्रोमोशन कमेटी के सामने इसके मामले नहीं रखे गये ? यदि हां, तो क्यों ? तथा उक्त अधिकारियों की योग्यता क्या है ?

उत्तर

1. स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग में अतिरिक्त निदेशक एवं उप-निदेशक के पद पर कार्य करने वाले अधिकारियों का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

क्र.सं.	पद	नाम	योग्यता	कार्यरत दिनांक
1.	अतिरिक्त निदेशक	—	—	स्वीकृति के दिनांक 13-10-72 से रिक्त
2.	उप-निदेशक (चिकित्सा)	डॉ. (श्रीमती) तारा भारद्वाज	एम.बी.,बी.एस., डी.पी.एच.	7-12-71
3.	उप-निदेशक (स्वास्थ्य)	डॉ. डी. के. जगदेव	एम.बी.,बी.एस., डी.पी.एच.	1-9-69
4.	उप-निदेशक (मलेरिया)	डॉ. रूपराज पुरोहित	एम.बी.,बी.एस., डी.पी.एच.	28-3-69
5.	उप-निदेशक (सी. डी.)	डॉ. एम.एल. अग्रवाल	एल.टी.एम., एल.एम.एफ., डी.पी.एच.	11-1-72
6.	उप-निदेशक (ई.एस आई.)	डॉ. आर एल. चोपड़ा	एम.बी.,बी.एस.	5-6-71

2. जी नहीं। शेष प्रश्न ही नहीं उठता।

विभिन्न अस्पतालों में मशीनों का प्रयोग

143. **श्री निरंजननाथ आचार्य** (मावली) : क्या स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान के किस-किस अस्पताल में कौन कौन सी मशीन, ऐपरेट्स और एप्लान्सेज कब कब से उपयोग में नहीं आ रहे हैं और क्यों ? कृपया उनकी एक तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उपरोक्त मशीनों की मरम्मत एवं इनको सुधारने की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की गई ?

(स्थगित किया गया)

(स्थगित प्रश्न)

दिनांक 19-2-73

झामर-कोटड़ा से ट्रकों द्वारा रॉक-फॉस्फेट का ट्रान्सपोर्टेशन

5. श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : क्या खनिज मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे:—

झामर-कोटड़ा से निम्नलिखित रजिस्ट्रेशन नम्बर के ट्रक्स द्वारा अब तक किस किस माह में कितने कितने टन रॉक-फॉस्फेट का ट्रान्सपोर्टेशन किया गया है:—

(1) आर. जे. वाई. 4538
(2) आर. जे. वाई. 372
(3) आर. आर. एल. 2355
(4) आर. आर. एल. 4449
(5) आर. आर. एल. 2898
(6) आर. आर. एल. 1661
(7) आर. आर. एल. 4811

कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(स्थगित किया गया)

(स्थगित प्रश्न)

दिनांक 19-2-73

12. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) 1 मार्च, 1972 से आज तक सार्वजनिक निर्माण विभाग के कितने ओवरसियर, असिस्टेंट इन्जोनियर व एक्स. ई. एन. और एस. ईज. के तबादले जिनकी नौकरी का काल दो वर्ष से कम था, जिनकी नौकरी का एक स्थान पर दो वर्ष से अधिक था, तीन वर्ष से अधिक, चार वर्ष से अधिक तथा, क्रमशः सात वर्ष तक के आंकड़े जिलेवार दें।

(2) इन तबादलों में सैद्धान्तिक आधार क्या रखा गया ?

उत्तर

(1) सूची (अ) प्रस्तुत है।

जोधपुर वृत्त 2 तथा अजमेर वृत्त से अधिदर्शकों के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त नहीं हुई है जिसे एकत्रित कर प्रेषित कर दी जावेगी।

(2) प्रशासनिक कारण।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

(स्थगित प्रश्न)

दिनांक 20-2-73

पचायत समितियों व स्वायत्त शासन संस्थाओं में बकाया राशि

14. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या पंचायत मंत्री यह बनाने की कृपा करेंगे:—

राज्य की कुल पंचायत समितियों एवं स्वायत्त शासन संस्थाओं में 31 दिसम्बर, 1972 तक कितनी राशि बकाया थी और अब कितनी बकाया है ? प्रत्येक के अलग से विभिन्न जिलों के आंकड़े प्रस्तुत करें।

उत्तर

राज्य की कुल पंचायत समितियों एवं स्वायत्त शासन संस्थाओं में दिनांक 31-12-72 तक बकाया की राशि की सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि सर्व श्री मीठालाल, मूलचंद सामरिया, रामानन्द अग्रवाल, योगेन्द्रनाथ हाण्डा, निरंजननाथ आचार्य, केदारनाथ, गुमानमल लोढा व भानुकुमार शास्त्री, सदस्य, विधान सभा ने राजस्थान में बाहर से प्राप्त माइलों नामक खाद्यान्न में धतूरा मिला हुआ है, इस विषय में पांच स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी है। मैं चाहूंगा कि माननीय खाद्य मंत्री इस विषय में सदन में एक वक्तव्य दें। अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

2. सर्व श्री गुमानमल लोढ़ा, भानुकुमार शास्त्री, निरंजननाथ आचार्य और केदारनाथ, सदस्य, विधान सभा ने 'ब्लैक दिसम्बर' नामक संगठन की गतिविधियों से राजस्थान में होने वाले खतरे के सम्बन्ध में 2 स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी है।

3. सर्व श्री गुमानमल लोढ़ा और भानुकुमार शास्त्री, सदस्य, विधान सभा ने सराड़ा तहसील की पोलादर पंचायत में गत 23 जनवरी को गोकुली नामक महिला के भूख से मर जाने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : क्या इन चारों माननीय सदस्यों को 'ब्लैक दिसम्बर' से खतरा है ?

श्री अध्यक्ष : इन तीनों स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

4. श्री केशरीमल, सदस्य, विधान सभा ने राजस्थान में बिजली की कटौती के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इस सम्बन्ध में पहले भी कुछ स्थगन प्रस्तावों आदि की सूचना प्राप्त हुई है। अतः मैं चाहूंगा कि इस विषय में माननीय विद्युत मन्त्री कल दिनांक 7 मार्च, 1973 को सदन में एक वक्तव्य दें। स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में मैं असमर्थ हूं।

5. सर्व श्री भानुकुमार शास्त्री तथा झावरमल सूंडा, सदस्य, विधान सभा ने जयपुर स्थित सीकर हाऊस और खेतड़ी हाऊस के बीच में जाने वाले रास्ते पर एक व्यक्ति द्वारा अनधिकृत कब्जा करने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

6. सर्व श्री केदारनाथ, निरंजननाथ आचार्य, सदस्य, विधान सभा ने भरतपुर के डी वाई एस पी. द्वारा वहां के कुछ व्यक्तियों को कोलाहल नियन्त्रण

(38)

(श्री अध्यक्ष)
कानून के अन्तर्गत गिरफ्तार किये जाने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

7. श्री भंवरमल सूंडा, सदस्य, विधान सभा ने सीकर जिले के अधिकारियों द्वारा किसानों से बिजली के बिलों की भारी राशि वसूल किए जाने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

8. दिनांक 23-2-73 को श्री केशरीमल, सदस्य, विधान सभा ने किशनगढ़ में मिल मजदूरों पर पुलिस द्वारा किए गए लाठी चार्ज के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी।

9. दिनांक 26-2-73 को श्री मनोहरलाल और श्री गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य, विधान सभा ने नीम-का-थाना में 7 बावरी परिवारों के घर जला दिए जाने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

10. दिनांक 1-3-73 को श्री केशरीमल और श्री मोहम्मद गफ्फारअली, सदस्य, विधान सभा ने जोधपुर मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थी श्री रामावतार को डॉक्टर टी. पी. भारद्वाज द्वारा पीटे जाने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। इसी सम्बन्ध में श्री योगेन्द्रनाथ हांडा, सदस्य, विधान सभा ने भी एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

11. दिनांक 1-3-73 को श्री गुमानमल लोढ़ा और श्री गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य, विधान सभा ने जिला कोटा की तहसील लाडपुरा की भूमि आवंटन समिति द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के व्यक्तियों को भूमि आवंटन न करने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी।

ये सब विषय अविलम्बनीय लोकमहत्व के नहीं हैं और माननीय सदस्य यदि चाहें तो बजट पर बहस के समय इनको उठा सकते हैं। अतः मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

श्री मोहनलाल छंगानी : अध्यक्ष महोदय.......

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, ब्लेक दिसम्बर के बारे में गुजरात और महाराष्ट्र में और सभी स्थानों के ऊपर राज्य सरकारों की ओर से वहां पर जो आवश्यक, अनिवार्य जन जीवन के लिये जैसे बिजली और पानी के स्थान हैं, उन पर सतर्कता बर्ती जा रही है। हमारा राजस्थान पाकिस्तान की सीमा से लगा हुआ है.......

श्री अध्यक्ष : इस विषय पर मैंने जानकारी चाही है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : जानकारी चाहने के समय, उसके अन्दर मैं यह चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य....

श्री यशवन्तसिंह नाहर : पॉइंट ऑफ ऑर्डर, माननीय अध्यक्ष।

श्री अध्यक्ष : There is a point of order.

श्री यशवन्तसिंह नाहर : अध्यक्ष महोदय, एडजोर्नमेंट मोशन आप नामन्जूर करते रहे हैं और हमेशा नामन्जूर करते रहे हैं और उसके बाद में एक घन्टा इस बारे में डिबेट में एब्जार्व हो जाता है।

श्री अध्यक्ष : मैं इतना ही इस सम्बन्ध में हाऊस को बता सकता हूं कि बिजनेस एडवाइजरी की मीटिंग अभी हाल में ही होने वाली है उस समय मैं माननीय सदस्यों से बातचीत कर लूंगा।

श्री गुमानमल लोढा : मैं निवेदन कर रहा था, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि पाकिस्तान के जिन व्यक्तियों ने लन्दन में भारतीय हाई कमीशन पर हमला किया था उन लोगों के जब शव आये तो उनको हीरों का वेलकम दिया गया, उनके साथियों का जुलूस निकाला गया, और जिस प्रकार का वातावरण वहां पर बना हुआ है और चूंकि राजस्थान और पाकिस्तान की सीमा काफी दूर तक मिली हुई है ब्लैक दिसम्बर की गतिविधियों से भयंकर खतरा पैदा हो गया है। माननीय अध्यक्ष, मै चाहूंगा कि जब तक राज्य सरकार इसके बारे में जानकारी उपलब्ध करे और यहां पर सूचना दे या इस पर विचार किया जाय तब तक राजस्थान में सुरक्षा के लिए जो वाटर इन्स्टालेशन्स हैं या इलेक्ट्रिसिटी के बड़े बड़े सेंन्टर्स हैं हमारे यहां कोटा के अन्दर एटम पॉवर हाउस जैसे महत्वपूर्ण स्थान हैं जिससे देश को हम योगदान देने वाले हैं उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध किया जाय।

श्री भानुकुमार शास्त्री : एक निवेदन मैं यह करना चाहता हूँ कि अकाल के कारण बड़ी भयंकर स्थिति बन रही है उदयपुर जिले में। 18 लाख की जनसंख्या के लिए दो हजार टन भी नाज वहां पर नहीं मिलता है। लोगों के मरने के समाचार वहां से आ रहे हैं। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वह अपना वक्तव्य देते समय वक्तव्य के साथ साथ अनाज उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी करायेंगे। पशुओं के बचने के समाचार तो दूर अब तो लोगों के मरने के समाचार आ रहे हैं। उनको बचाने की बड़ी आवश्यकता है।

श्री मूलचन्द सामरिया : अध्यक्ष महोदय, माइलों में धतूरे के बीज मिलने.......

श्री अध्यक्ष : मैंने इस बारे में वक्तव्य देने के लिए कह दिया है। जिस समय वक्तव्य दें उस समय आप प्रश्न पूछ लें।

श्री नत्थासिंह : अध्यक्ष महोदय, भरतपुर जिले में दिनांक 28 को.......

श्री अध्यक्ष : आप कौन से एडजोर्नमेंट मोशन पर बोल रहे हैं ?

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास (मालपुरा) : अध्यक्ष महोदय, एक मेरे प्रस्ताव को आपने राज्य सरकार के पास जानकारी के लिए भेजा था कोटा हिज हाईनेस की जमीन के बारे में.......

श्री अध्यक्ष : अभी जवाब नहीं आया है।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधीनगर): अध्यक्ष महोदय, ऐसे प्रश्नों का जवाब तो सरकार देती नहीं है और सरकार टालने को....

Page No 37

(37)

श्री अध्यक्ष : आप चेम्बर में मिल लीजिये आकर।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया (बूंदी) : चार लाख की स्टाम्प ड्यूटी का सरकार का नुकसान किया है, उसके बारे में एक वक्तव्य आपने दिलाने के लिए कहा था। यह बहुत महत्वपूर्ण एजोर्नमेंट मोशन आपके सामने रखा गया था कोटा हिज हाईनेस के रेन्ट डीड के बारे में ···

श्री अध्यक्ष : जो कुछ मैंने अभी माननीय सदस्य के लिए कहा है वह क्या आपके लिए काफी नहीं है। जो उनका प्रश्न है वही आपका प्रश्न है और उसके लिए मैंने कहा है कि उत्तर आने वाला है।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मेरा अलग से प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : आप चेम्बर में मिल लें।

श्री झाबरमल : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्थगन प्रस्ताव था कि सीकर जिले के एक सब-डिवीजन में 400 कनेक्शन बिजली के काट दिये गये हैं, और एक एक किसान से 3-3, 4-4, और 2-2 हजार रुपयों की रिकवरी के नोटिसेज निकाले गये हैं, और उनके कनेक्शन काटे गये हैं। एक ही सब डिवीजन में तीन लाख की एक्स्ट्रा रिकवरी हो रही है जब कि आजकल वह स्थगित है ······

श्री अध्यक्ष : आज ही बजट पर वाद-विवाद में आप बात कर सकते हैं।

श्री मनोहरलाल (कामां) : भरतपुर जिले में ······

श्री अध्यक्ष : आपका एजोर्नमेंट मोशन नहीं था।

श्री मनोहरलाल : कोलाहल कानून के बारे में है। भ्रष्टाचार के खिलाफ, मंहगाई के खिलाफ और मजदूरों के हितों के लिए जुलूस निकाले जाते हैं और मीटिंगें की जाती हैं तो वहां पर कलेक्टर साहब हल्लागुल्ला कानून के तहत मीटिंग रोकते हैं और मुकद्में बनाते हैं। इस तरह का कानून जयपुर में भी लागू कर दिया गया है कि कोई आप मीटिंग नहीं कर सकते हैं। कोई आदमी घूम फिर नहीं सकता है। कई लोगों के खिलाफ झूठे मुकद्में बनाये गये हैं। कर्मचारी यह साजिश करते हैं कि उनके खिलाफ कोई मीटिंग नहीं की जाय। जनता की मांगें रखते हैं और जनता के आन्दोलन चलाते हैं और सही बात कहने जाते हैं तो अधिकारी बोलने नहीं देते हैं लाउड स्पीकर से। तो, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि कोलाहल कानून बनाया गया था किसी और ही उद्देश्य से। वह विद्यार्थियों की मदद के लिए और मरीजों की मदद के लिए बनाया गया था ताकि मरीजों के आस-पास कोई हल्ला गुल्ला न हो और विद्यार्थियों के पढ़ने के समय हल्ला गुल्ला न हो, लेकिन इसका इस्तेमाल किया जा रहा है जनता की आवाज को दबाने के लिए···

श्री अध्यक्ष : वह सब को मालूम है।

श्री मनोहरलाल : मैं अर्ज कर रहा था कि जो इस तरह से यह कानून भरतपुर में और यहां पर लागू किया गया है उसको वापिस लिया जाय।

Page No 38

(38)

श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, जब यह बिल पास हो रहा था तो बहस के दौरान यह आश्वासन सरकार के द्वारा दिया गया था कि इस कानून को पोलिटिकल पार्टीज पर लागू नहीं किया जायेगा। पोलिटिकल पार्टीज के जुलूसों पर पाबन्दी नहीं लगायेंगे, लेकिन अब यह कानून उन पर भी लागू कर दिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : उसमें शायद यह एक्सेप्शन होगा कि परमिशन लेकर कर सकते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, यह परम्परा रही है कि पोलिटिकल पार्टीज के जो जलसे होते हैं उनके लिए किसी की परमीशन नहीं ली जाती है और केवल वहां पर परमीशन ली जाती है जहां पर हॉस्पिटल हो, या होस्टल हो लड़कों का और वह भी परीक्षा के दिनों में ताकि विद्यार्थियों को परीक्षा के अन्दर डिस्टरबेंन्स न हो।

एक माननीय सदस्य (कांग्रेस) : परीक्षाएं पास आ गई हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अगर वह स्थान जहां पर कि लाउडस्पीकर का प्रयोग किया जा रहा है वह विद्यार्थियों के होस्टल से दूर हो या हॉस्पिटल से दूर हो और वहां पर रोका जाता है तो यह निश्चित रूप से पोलिटिकल विक्टेमाइजेशन है।

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

श्री मनोहरलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि इस संबंध में....

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले ...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : श्री जी. पी. भारद्वाज के संबंध में अर्ज करना था....

श्री अध्यक्ष : मैंने उस प्रश्न को बन्द कर दिया। आप पहले कह सकते थे। आई हैव टेकन अनादर क्वेश्चन।

सदन पर रखने वाले पत्र

प्रतिवेदन

श्रीमती कमला बेनीवाल (राज्य मन्त्री, गृह) : माननीय अध्यक्ष, मैं राजस्थान सतर्कता आयोग का सप्तम् वार्षिक प्रतिवेदन, (अप्रेल, 1971 से मार्च, 1972) सदन की मेज पर रखती हूँ।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद के लिए समय का विभाजन

श्री अध्यक्ष : बजट पर सामान्य वाद-विवाद के सम्बन्ध में एक सूचना देना चाहता हूं। जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है कि आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद हेतु कार्य सलाहकार समिति ने चार दिन का समय नियत किया है कि चार दिनों में माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त कर दें। इसमें लगभग 18 घन्टों का समय उपलब्ध होगा। इस समय का विभिन्न दलों में इस प्रकार विभाजन किया गया है:—

कांग्रेस	13 घन्टे
स्वतंत्र पार्टी	1 घन्टा 15 मिनिट
जनसंघ	1 घन्टा

(श्री अध्यक्ष)

संसोपा	35 मिनिट
साम्यवादी दल	35 मिनिट
संगठन कांग्रेस	15 मिनिट
निर्दलीय	1 घन्टा 20 मिनिट

श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल को कुछ और समय देना चाहिए। डेमोक्रेसी में विरोधी पक्ष की शासनारूढ़ दल सुने इसलिए उनको कुछ और समय दिया जाय।

श्री मोहम्मदगफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर) : हमारी पार्टी को 35 मिनिट दिये गये हैं वह बहुत कम है। मेरी गुजारिश है कि····

श्री अध्यक्ष : मेरी बात सुन लें। यह समय का जो विभाजन किया गया है वह कई दफा जो अलग अलग दलों की मिटिंग हुई थी उसमें जो समय का निर्धारण किया गया था उसी प्रपोर्शन के अन्दर यह समय का बटवारा किया गया है। डिस्कशन के समय इसको और देख लेंगे। उसी सिद्धान्त पर मैंने समय को विभाजित किया है इस प्रकार जब डिसकशन होंगे उस वक्त और कन्सीडर कर लेंगे।

श्री लमक्ष्णसिंह : संख्या के अनुपात से जो आपका निर्णय है वह तो सर्वमान्य है, लेकिन सचेतक महोदय से····

अध्यक्ष : We will have a liberal view.

श्री लक्ष्मणसिंह : मेरा निवेदन है कि आप प्रचुर मात्रा में विराजमान हैं तो कुछ उदारता का प्रदर्शन करेंगे कि हमको कुछ मौका दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : नार्मली जो प्रोसीजर था उसके ही मुताबिक मैंने यह किया है।

श्री केदारनाथ : नम्बर 13 तो ठीक नहीं है। 11 कर दें, 11 घन्टे।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : असली नम्बर तो 10 है जो कि करना चाहिए।

श्री गुमानमल लोढ़ा : असलियत का अब पता लगा क्या आपको ?

आय-व्ययक 1973-74 पर सामान्य वाद-विवाद

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, आय-व्ययक, 1973-74 के संबंध में मेरा निवेदन करना है····

श्री अध्यक्ष : एक मिनिट, कृपया सूचियां भेज दें बोलने वाले सदस्यों की।

श्री लक्ष्मणसिंह : मेरा निवेदन करना है, अध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान की आर्थिक और वित्तीय स्थिति अत्यन्त शोचनीय है। यह स्थिति जो उत्पन्न हुई है उसका उत्तरदायित्व पूर्णतया शासनारूढ़ दल पर है। निरन्तर 2४ वर्ष से कांग्रेस का शासन इस राजस्थान में रहा है। तदुपरान्त, अध्यक्ष महोदय, बहुत से सम्माननीय मंत्री जो आज मंत्री-मडल में विद्यमान हैं वह पहले भी राजस्थान की सरकारों में मौजूद रहे हैं, और आज जो स्थिति उत्पन्न हुई है वह कई एक सरकारों की

(श्री लक्ष्मण सिंह)

गलत नीतियों के कारण है। वह विरासत में आज की सरकार को भी मिली है। आर्थिक पतन उसके अन्दर निहित है। इसके साथ साथ मेरा विश्वास है कि राजनैतिक पतन की पराकाष्ठा हो गई है। इस सम्बन्ध में आगे चल कर मैं कुछ चर्चा करूंगा। यदि आप की आज्ञा से मैं कह सकता हूँ तो यही कह सकता हूं कि यह बजट निराशाजनक है। आंकड़ों का मायाजाल है। ये आंकड़े जो सरकार ने प्रस्तुत किये हैं, वह सरकार को भी यह निश्चित ज्ञान नहीं है कि ये आंकड़े वास्तविक हैं अथवा नहीं। जो बजट के बारे में वित्त मन्त्री जी ने घाटे का संकेत किया है, वह भी मेरा ख्याल है कि अवास्तविक है। गत वर्ष भी मैंने बजट पर कहा था, आज भी कहूंगा कि 24 करोड़ रुपये के बजाय यह 55-60 करोड़ रुपये का घाटा साबित होगा। आगे आने वाला समय मेरे इस कथन को सही सिद्ध करेगा। वास्तविक रूप में बजट सन्तुलित रूप में होना चाहिये। मैं नहीं कह रहा हूं कि घाटा हो रहा है पर सन्तुलित होना आवश्यक है। अगर घाटा है तो घाटा इस रूप में होना चाहिये कि जैसे आटे में नमक है।

(12.22 म. प)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

पर आज यह परिस्थिति हो गई है कि नमक आटे के बराबर हो गया है। हर साल यह घाटा होना राजस्थान सरकार की परम्परा हो गई है। इस बजट के अन्दर उत्पीड़न और जनता का शोषण निहित है। इस उत्पीड़न और शोषण में सरकार की कमियां और भ्रष्टाचार निश्चित रूप से है।

उपाध्यक्ष महोदय, सन् 73 में पूंजी खाते में जो आंकड़े वित्त मन्त्री महोदय ने पेश किये हैं, वह भी असेट्स नहीं हैं, पूंजी नहीं है। यह निर्विवादित बात है कि यह पूंजी नहीं है। अधिकांश असेट्स नहीं है। यह ऋण है। चाहे जो कुछ करें आप उनको असेट्स कह सकते हैं, मैं उनको असेट्स कहने में विवश हूं। 60 करोड़ ऋण जिस में 6 मेमोरण्डम में सरकार ने जो आंकड़े दिये हैं, उसमें यह उल्लेख किया गया है कि 69 में यह 862 करोड़ हो जायेगा। कल ही बजट के वृत्तान्त में 56 पैराग्राफ में 825.54 करोड़ ऋण का उल्लेख किया है। इन आंकड़ों में मैं समझता हूं कि असमानता है। इस कर्ज के उपरान्त निजी क्षेत्र में पब्लिक लोन्स के रूप में जो कुछ रुपया लगे, जो कुछ कर्ज लेंगे वह सब मिलकर मैं अनुमान करता हूं पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में यह कर्ज की रकम एक हजार करोड़ हो जायेगी। पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 565 करोड़ किश्तों के रूप में आप को चुकाना है। इस प्रकार से करीब 1600 करोड़ रुपया राजस्थान सरकार पर ऋण के रूप में चढ़ चुका है। और चढ़ने वाला है। मेरा मानना है कि छोटी मोटी ईकाइयों को एक करके राजस्थान बनाया गया है। उस समय उत्तरदायित्व में विरासत में 16 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ था। उस 16 करोड़ रुपया प्राप्त होने के बाद आज 1600 करोड़ का ऋण चढ़ चुका है। मेरा निवेदन है उपाध्यक्ष महोदय राजस्थान

(श्री लक्ष्मण सिंह)

एक बहुत ही प्रवीन भारतवर्ष का भू-भाग रहा है। उसके अन्दर दुष्काल भी आये हैं, लड़ाइयां भी हुई हैं, और तरह तरह की आपत्तियां, महामारियां आदि जो घटनायें होती हैं, हुई हैं। लेकिन जैसी वर्तमान आर्थिक परिस्थिति है ऐसी शायद पहले कभी नहीं हुई है। कम से कम एक हजार वर्ष पहले तो नहीं थी, यह मैं दावे से कह सकता हूं। उस समय जंगल थे। दुष्काल पड़ता था तो मेरे क्षेत्र में नाना प्रकार के जंगली फलों में, महुआ, टीमरू, रेणा, करोंदे, जामुन, आम ये जैसा जैसा मौसम होता था वैसे वैसे लोग अपना जीवन-उपार्जन कर सकते थे। अन्न पर ही निर्भर नहीं थे। उस समय राजस्थान में कम से कम मेरे क्षेत्र में हजारों हिरन होते थे। गरीब आदमी इन्हीं को मारकर खा सकते थे। उस समय बकरी दो रुपये तीन रुपये में मिलती थी। अब तो 50-100 रुपये कीमत हो गई है। वह भी मिलना मुश्किल हो गया है, क्योंकि बड़े शहरों में ले जाकर लोगों ने अपने पशु-धन को बेचा है। अहमदाबाद आदि शहरों में गये हैं। उसके बदले में कागज का टुकड़ा एक रुपये का मिला है। यह कागज का एक रुपया है। मगर इससे क्रय शक्ति का ह्रास हो जाता है। आज यह सेठ नामा नहीं है। यह नकली नामा, कागजी नामा कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। डिफॉरेस्टेशन से हमारी अर्थ-व्यवस्था बिल्कुल असन्तुलित हो गई है। इसका उत्तरदायित्व, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा आरोप लगाते हुये करूंगा, शतप्रतिशत राजस्थान सरकार पर है। अतएव राजस्थान स्वावलम्बी राज्य नहीं। हम केन्द्र की भीख पर निर्भर रहते हैं। यह गौरवहीन राज्य है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के दौरान, मुख्यमन्त्री महोदय ने कहा था, हम मर जायेंगे। हम मर-जाना मन्जूर करेंगे, पर भीख नहीं मागेंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उनका यह कहना हास्यास्पद है, अवास्तविक है। आज कम से कम 15 वर्ष से राजस्थान के लोगों को केन्द्र पाल रहा है। हम भीख मांग रहे हैं। अगर भीख नहीं मागेंगे तो हमारा जीना मुश्किल पड़ जायेगा। भविष्य में कोई उपाय प्रतीत नहीं होता है। सिवाय इसके कि राज्य सरकार केन्द्र से भीख मांगे और भीख मांग कर येनकेनप्रकारेण शासन की व्यवस्था करे। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान का हर एक बच्चा जब जन्म लेता है तो वह अपने ऊपर 272 रुपये का कर्ज लेकर जन्म लेता है। यह एक दुर्दान्त राजस्थान की दशा है। आर्थिक व्यवस्था के सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि औसत भारतीय का कर्ज जब 161 रुपये है, राजस्थान का 272 अर्थात समस्त देश से सत्तर पर्सेन्ट हम ऋणी विशेष हैं।

अकाल राहत कार्य के सम्बन्ध में माननीय वित्त मन्त्री महोदय ने अपने 56वें पैरे में यह सुझाव रखा कि अकाल राहत के सम्बन्ध में जो व्यय हुआ है वह अनप्रोडक्टिव खर्च है। यह एक हद तक मैं मानने को तैयार हूं, यह अनप्रोडक्टिव खर्च है। आखिरकार इतना बड़ा ऋण भार लेकर हम कितने दिन तक लोडेड डंकी के माफिक जीवित रह सकते हैं। अच्छा होगा, यह सुझाव भारत सरकार मान ले और यह करोड़ों रुपये का ऋण

(श्री लक्ष्मणसिंह)

है, जो अकाल राहत के सम्बन्ध में जो ऋण की धन राशि बताई गई है--इसको यदि राइट ऑफ करे तो केन्द्र के हम सब आभारी होंगे। इस सुझाव का मैं समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, सन् 1963 से लगा कर 1972 तक, दस वर्षों में 162 करोड़ रुपये प्राप्त किये गये अकाल के सम्बन्ध में इसका भी दुरुपयोग हुआ है, और मैं इस सदन का बहुमूल्य बहुत समय नहीं लेते हुए यही कहूंगा कि विरोधी पक्ष के द्वारा बार बार इस सदन में यह चर्चा की गई। हमारी बिल्कुल उचित मांग थी कि इस सम्बन्ध में निष्पक्ष जांच कराई जाय, मस्टर रॉल फार्म नकली बनाया जाना, भ्रष्टाचार करना, करोड़ों रुपये का इस सम्बन्ध में गबन होना—लेकिन इस सम्बन्ध में जो भी मांग की गई, जांच कराने के सम्बन्ध में वह सरकार के बहरे कानों में पड़ी और मैं समझता हूं कि सरकार का यह एक बड़ा भारी दोष है, सरकार की एक बड़ी भारी कमजोरी है, और मैं यह आरोप लगाऊँगा कि सरकार इस सम्बन्ध में कुछ कदम नहीं उठाती है—यह इस बात का द्योतक है कि सरकार स्वयं भ्रष्टाचार को पनपाना चाहती है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर इतनी प्रचुर धनराशि का दुरुपयोग होता है तो कुछ न कुछ हम परमानेन्ट रूप से सुधार के लिए दूरदर्शिता को काम में लेते हुए इसका हल निकाल सकते थे।

आज पेय जल की समस्या वही की वही है। जो 25 वर्ष पहले थी, वही की वही आज बनी हुई है। यदि यह सरकार कहे कि पेय जल की समस्या को भी हम सुधार पाये हैं तो मैं इस कथन को अवास्तविक और असत्य कहूंगा। पेय जल की समस्या, सड़कों की समस्या—सड़कों के सम्बन्ध में सरकार की उपलब्धियां हैं किन्तु उनके उपरान्त करोड़ों रुपये मिट्टी फेंक फेंक कर खर्च किये गये, वह मिट्टी भी रुक नदियों में बह कर अरेबियन सी में पहुंच गई। इस तरह के खर्च, जिसमें आपा-धापी निहित है, मैं यह कहता हूं, सरकार इस तरह की फिजूल खर्ची के सम्बन्ध में ध्यान रखे और मितव्ययता की ओर ध्यान रखे। मुझे यह कहना पड़ेगा साथ-साथ, माननीय वित्त मन्त्री महोदय ने अपने बजट के ब्यौरे में इतना कर्ज होते हुए भी एक भी शब्द मितव्ययता के सम्बन्ध में नहीं कहा। मितव्ययता, मेरे ख्याल में, बजट के सिद्धान्त का परमावश्यक बजेटरी का अंग है। इस सम्बन्ध में अगर सरकार लापरवाही करती है तो उसका विरोध किये बिना हम लोग नहीं रह सकते हैं।

मेरा यह निवेदन करना है, उपाध्यक्ष महोदय, कि पच्चीस वर्ष में गरीब ज्यादा गरीब होता गया, गरीबी में दबता गया और अब वह गरीबी की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। यह अवश्य मैं कहूंगा—गरीबी हटी है, कांग्रेस-जन की गरीबी हटी है, और साथ साथ कांग्रेस-जन के जो साथ हैं, जो पिछलग्गू हैं और जो खुशामदखोर हैं, उनकी भी गरीबी हटी है। वह टैक्स नहीं देते, उनका महिला वर्ग सोने के जेवरों के अन्दर लदी हुई है और आपा-धापी मौज कर रहे हैं, और उनको राजस्थान सरकार का प्रश्रय मिला हुआ है, जो कुछ भी हो, विरोधी पक्ष चाहे कितनी बकवास करे, कितने ही सत्य और

(श्री लक्ष्मणसिंह)

तथ्य रखे—इस सम्बन्ध में राजस्थान सरकार उन्हें प्रश्रय देगी और बकरी के माफिक उसका पोषण करेगी और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचने देगी।

इस धन के दुरुपयोग का लाभ भी दलबदलुओं को मिला। आज भी मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता, जो राजस्थान में कुछ समय पहले हुआ था, वह का वह आज उड़ीसा में हो रहा है। केन्द्र को यह अधिकार है, और समर्थ को कोई दोष नहीं दे सकता, लेकिन हर वक्त अगर शासनारूढ़ दल का अल्पमत होता है तो गवर्नर का प्रयोग किया जाता है और राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। लेकिन जब कभी भी शासनारूढ़ दल को लाभ पहुंचाने की समस्या पैदा होती है तो व्यवस्था तब नहीं ऐसी की जाती है और यह कह दिया जाता है कि हम विवश हैं, क्योंकि अधिकांशतः अल्पमत और बहुमत का निर्णय सदन में हुआ करता है, जो नितान्त सत्य है, अल्पमत और बहुमत का निर्णय गवर्नर को करना क्यों आवश्यक हो, आखिरकार वह सदन करता है। लेकिन कांग्रेस को लाभ पहुंचाने के वक्त तो सदन करे लेकिन जब कांग्रेस गिर जाय तो उसको खड़ा रखने के लिए, येन-केन-प्रकारेण खड़ा रखने के लिए, फिर कांग्रेस की सरकार को पुनःस्थापित करने के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया जाय—यह महान् निन्दनीय व्यवस्था है। इसकी भर्त्सना किये बिना मैं कभी नहीं रह सकता।

श्री रामनारायण चौधरी : कांग्रेस और देश एक ही बात है।

श्रीमती सुमित्रासिंह : राजस्थान के बजट से इसका क्या लिंक है?

श्री लक्ष्मणसिंह : माननीय सदस्या जो कुछ कहती हैं, मैं सुन नहीं पाता हूं। मैं जो कुछ कहता हूं, वह मेरी बुद्धि के अनुसार नितान्त सत्य है।

श्री गुमानमल लोढा : राजस्थान के बजट से क्या सम्बन्ध है, यह कहा है।

श्री केदारनाथ : आपको नहीं सुनना चाहिए।

श्री लक्ष्मणसिंह : आपको नहीं सुनना।

श्रीमती सुमित्रासिंह : मैंने यह निवेदन किया था....

श्री लक्ष्मणसिंह : माननीय सदस्या, राजस्थान के बजट से इसका सम्बन्ध यह है, मैं कह रहा था, अकाल के समय बहुत आपा-धापी हुई है, फिर अकाल के अन्दर यह आपा-धापी करके चुनाव का कोष स्थापित किया गया, फिर चुनाव के कोष का दुरुपयोग किया गया, बेईमान दल बदलुओं को आपके पास बैठाना, उनको मन्त्री पद से पुरस्कृत करना, जो जनता के द्वारा बहुमत बना हुआ था उसको भंग करके एक कृत्रिम बहुमत बनाकर, नकली रूप से नकली जामा पहनाकर राजस्थान के अन्दर उसको शासनारूढ़ करना इसका परिणाम क्या है यह आप देख रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहने जा रहा था, माननीय खाद्य मन्त्री ने स्पष्टतया

(श्री लक्ष्मणसिंह)
आज कह दिया है राजस्थान के राज्य में अन्न भी नहीं है, जल भी नहीं है, और घास भी नहीं है। तो अन्न भी जब नहीं है, घास भी नहीं है और जल भी नहीं है तो सरकार को यह कहना चाहूंगा कि अच्छा तो यह है कि आप चुल्लू भर पानी में डूब मरें। आपने क्या किया, 25 वर्ष के अन्दर ? आज यह दिवालियापन....

श्री गुमानमल लोढ़ा : डूबने को पानी नहीं है।

श्री लक्ष्मणसिंह : चुल्लू भर पानी में डूबना मुश्किल है। लेकिन आंख मींचकर सो तो जायं थोड़ी देर को जो गुनाह हैं उनको भी स्वीकार कर लें....

श्री गुमानमल लोढ़ा : पाप का प्रायश्चित करें।

श्री लक्ष्मणसिंह : यह सब हमारे कुकृत्य हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान की आधी से ज्यादा जनता भूखी और प्यासी बैठी हुई है, उनके पास न मकान है न पहनने को वस्त्र। कोई शादी ब्याह का समय आता है तो मुंह मीठा करने के लिए भी उन गरीब किसानों के पास शक्कर भी नहीं है। मन्त्री महोदय से मैं यह निवेदन करूंगा कि मेरे क्षेत्र में ही नहीं बल्कि सारे राजस्थान में मैंने 4-6 जगह घूमकर देखा है कि जितना शक्कर का कोटा है वह जहां शक्कर आनी चाहिए उससे 100 मील दूर शहरों में जाकर बिक जाती है और गांवों में गरीबों के पास वितरण करने का नाम ही नहीं। यह तो आपकी वितरण व्यवस्था है।

इस ओर बैठने वाले माननीय सदस्य अगर यह कह सकते हैं कि भूख से लोग मर रहे हैं तब तो आप यह कहते हैं कि भूख से एक भी नहीं मरा। किसी के भूख से मरने का नाम लेते हैं तो आप बौखला जाते हैं। येनकेनप्रकारेण आप यह सिद्ध करना चाहते हैं कि चाहे जो कुछ भी हो जाये। हम किसी को भूख से नहीं मरने देंगे। इस सम्बन्ध में मन्त्री महोदय राज्यपाल महोदय का नाम भी सदन में घसीट लाये जो कि बहुत अशोभनीय व्यवस्था है और अगर ऐसा सरकार अपनी प्रतिष्ठा को कायम रखने के लिए करती है तो वह वैधानिक दृष्टिकोण से भी बहुत बुरी चीज है।

अभी, उपाध्यक्ष महोदय, 27 या 28 फरवरी को एक वाका हुआ। सलूम्बर तहसील में मेरे ही निर्वाचन क्षेत्र में एक व्यापारी मक्की खरीदकर ले जा रहा था। रास्ते में नीथा गांव में वहां की जनता ने उसकी मोटर रोक ली और मोटर रोक कर जो मक्की थी उसको पकड़ लिया। वहां के एस. डी. ओ. ने उस मक्की को लोगों में वितरित कर दिया और उस मक्की की कीमत एक रुपया किलो निर्धारित की। आखिरकार यह जनता की सरकार है और यहां एक रूल ऑफ लॉ है। अगर कोई व्यापारी भ्रष्ट है और अनियमितता से काला धन संचय करता है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाये, लेकिन एक छोटे से व्यापारी को जो छोटे छोटे गांवों में बीस-तीस घरों में जाकर मक्की वितरण करता

(श्री लक्ष्मणसिंह)

है और गरीब काश्तकारों को अन्न उधार देता है, क्या सरकार खाद्यान्न का वितरण अपने हाथ में लेकर, उसको रिलेक्स कर सकती है, और यह सब व्यवस्था खुद कर सकती है ? मैंने इसके बारे में माननीय खाद्य मन्त्री जी से भी कहा। उन्होंने सहृदयतापूर्वक विचार व्यक्त करते हुए कहा कि इसके बारे में वह प्रबन्ध करेंगे। तो उपाध्यक्ष महोदय, यह एक पृष्ठभूमि बन रही है फुड राइट्स के लिये। राजस्थान में ही अगर उदयपुर और बांसवाड़ा जिलों में एक जगह से दूसरी जगह अनाज जाता है और एस. डी. ओ. जैसा रेस्पॉन्सीबिल ऑफिसर कानून को हाथ में लेकर इस तरह मक्की का वितरण करे, तो मैं यह अच्छा नहीं समझता। जो भी कुछ हो वह कानूनी और वैधानिक दृष्टि से उचित होना चाहिये, यह मेरा निवेदन है।

उपाध्यक्ष महोदय, डेढ और दो किलो अनाज अगर रोज दिया जाये तो वह लोग कितने दिनों तक जीवित रह सकते हैं ? क्या वह फांका मस्ती कर जीयेंगे या हवा खाकर जीयेंगे ? इसलिये मैं माननीय खाद्य मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि आपका जो आश्वासन है, उस आश्वासन से पेट नहीं भरता और वह आश्वासन बिल्कुल अव्यवहारिक और झूठा है। आप कितने दिन तक लोगों को भ्रमा कर आश्वासन देते रहेंगे ? मेरे जिले के माननीय सदस्य यहां नहीं हैं, यदि वह होते तो मेरा अन्दाज है कि वह भी यही कहते कि किस हद तक यह ठीक है। आज यह स्थिति है कि जो लोग मजदूरी पर लगाये जाते हैं, उनके लिये आपने यह व्यवस्था कर रखी है कि उनको टास्क बेसिस पर, तथा अमुक काम करने पर अमुक पैसा मिलेगा, यह कर रखा है। इस सम्बन्ध में भी आपको उदारतापूर्वक व्यवस्था करनी चाहिये क्योंकि भूखे पेट अगर लोग मजदूरी भी करें तो उनको चक्कर आ जाते हैं और वह गिर पड़ते हैं। ऐसे भी कई उदाहरण हैं। ऐसी परिस्थितियों में सरकार को उदारता बरतनी चाहिए।

माइलो के सम्बन्ध में आज ही इस सदन में चर्चा हुई कि उसमें धतूरा मिलाया जाता है। इस सम्बन्ध में आज ही एक समाचार पत्र में जो न्यूज आइटम निकला है वह मैं आपकी आज्ञा से पढ़ कर सुनाऊंगा माइलो मिल जाना चाहिये, फिर चाहे उसमें धतूरे के बीज भी क्यों नहीं मिले हुए हों। ऐसा माइलो भी सरकार हर कीमत पर लेने को तैयार है और उसको लोगों में वितरित करने को तैयार है। हमारे मंत्री महोदय कहते हैं कि एक किलो माइलो में अगर दो चार बीज धतूरे के भी हो तो उससे केवल थोड़े से चक्कर आयेंगे और गला खुश्क रहेगा, बाकी आदमी मरेगा नहीं। यह हिन्दुस्तान टाइम्स है छः तारीख का, उससे मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं।

"Consumption of poisonous 'Dhatura' seeds mixed in imported milo might cause only giddiness or dryness in mouth and would not be fatal. Mr. H. G. Vartak, Maharashtra's Minister for Food and Civil Supplies, told the State Assembly today.

(श्री लक्ष्मणसिंह)

Making a statement in the House at the request of the Speaker, Mr. S.K. Wankhede, he said that this information was given to him by the Director of the Haffkine Institute, according to which even if there were two or three dhatura seeds in milo weighing one kilo, it would not have any adverse effect on the people consuming it".

इसका मतलब यह हुआ कि अगर माइलो में धतूरे के बीज भी हों तो भी हम विवश हैं उसके खरीदने के लिये और वितरण करने के लिये, और इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी : यह तो महाराष्ट्र का है। राजस्थान का इससे क्या ताल्लुक है? राजस्थान के खाद्य मंत्री ने तो यह नहीं कहा।

श्री लक्ष्मणसिंह : आप जब बजट पर बहस करें तो आप भी कहें। इस सम्बन्ध में तो मैं मुख्य सचेतक महोदय को भी कहूंगा कि इस में ह्विप देने का प्रश्न नहीं है। आपको और हमको मिलकर सरकार को यह कहना चाहिये कि इस सम्बन्ध में कोई न कोई ठोस कदम उठायें। मजदूरों को पूरी मजदूरी मिलनी चाहिये।

मेरा इस सदन में बराबर आरोप रहा है कि हमारे जिले से मक्का गुजरात जा रहा है और बड़े भारे पूंजीपति अहमदाबाद में बैठे हुए हैं जो रिश्वत देकर मक्का रतनपुर और सरकुना की तरफ से गुजरात में मंगवाते हैं। गुजरात को मक्का जाता है और रंगे हाथ पकड़े हुए लोगों को भी छोड़ दिया जाता है। यह कई बार मैं सदन में आरोप लगा चुका हूं और आज भी वह हो हो रहा है। क्या सरकार इस सम्बन्ध में जनता के खातिर, लोक हित के खातिर, कोई ठोस व्यवस्था नहीं करेगी? स्टेट ट्रेडिंग, चावल और गेहूं के सम्बन्ध में आपने निर्णय कर लिया है। आपका निर्णय बहुत दूर जा चुका है और आप किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जब आप शक्कर के वितरण की भी पूरी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं तो आप छोटे छोटे गांवों में चावल और गेहूं का वितरण कैसे कर पायेंगे? और अब तो फिर आप मोटा अनाज लेने का भी विचार कर रहे हैं। मैंने तो यह अनुभव किया है कि जिस चीज का भी राष्ट्रीयकरण किया जाता है, राशनिंग किया जाता है, वह चीज अन्डरग्राउन्ड चली जाती है और फिर वह ऐसी महंगी हो जाती है कि मिलना ही मुश्किल हो जाता है। तो राष्ट्रीयकरण का विरोध मैं नहीं करता लेकिन एक स्वस्थ प्रतियोगिता की बात को मद्दे नजर रखते हुए अगर राज्य भी व्यापारी के साथ कम्पीटीशन करता है, तब तो बात समझ में आ सकती है। अन्यथा तो यह स्टेट ट्रेडिंग करके दुष्काल के समय सरकार लोगों का अहित ही करेगी, यह मेरा निश्चित अभिमत है।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर मोटे कपड़े की व्यवस्था के बारे में कहा गया

(श्री लक्ष्मणसिंह)

है। मैं आपसे निवेदन करूंगा उपाध्यक्ष महोदय कि आज मोटा कपड़ा है यहाँ? आज तो स्थिति ऐसी बन गई है कि मोटे कपड़े के दर्शन करने दुर्लभ हो गये हैं। मैं आपको एक बात खास तौर से निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, यह देखा गया है हमेशा से कि जब जब गवर्नमेण्ट किसी भी चीज का राष्ट्रीयकरण करने जाती है तो वह चीज बाजार से अण्डर ग्राउण्ड हो जाती है। और फिर उस चीज की शोर्टेज होती है जिससे कि बाद में उस चीज का ब्लैक मार्केट होता है जिससे कि करप्शन फैलता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यह कहना चाहूंगा कि हमारे देश के लोगों में ह्यूमन फीलिंग नहीं है और न ही हमारे देश के लोगों का कोई करक्टर ही है। मुझे यह बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि सरकार की इस नीति के कारण इस नेशनलाइज़ेशन की नीति के कारण, हर चीज का राष्ट्रीयकरण करने की नीति के कारण ही आज राजस्थान का ही प्रान्त नहीं यहां की जनता ही नहीं बल्कि हमारी सारे देश की जनता ही इससे त्रसित है।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर बजट स्पीच में कुछ आदिवासियों के बारे में भी कहा गया है इसके बारे में भी कुछ निवेदन करना चाहूंगा। हमारे प्रान्त में और हमारे देश में जनहित के लिए भारत सरकार व राज्य सरकार दोनों ही हजारों करोड़ रुपये खर्च करती है। लेकिन राजस्थान के अन्दर हमारे इलाके में जहां पर कि अधिक संख्या में आदिवासी लोग जो कि बहुत ही पिछड़े हुए हैं उनके जनहित के लिये राजस्थान सरकार ने सिर्फ 8.35 करोड़ रुपये खर्च किये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह 8.35 करोड़ रुपया है वह आदिवासियों के हित के लिए नहीं के समान है। आज हमारे प्रान्त के जो आदिवासी हैं उनकी हालत बद से बदतर हो गयी है। वैसे कहने को तो आपने उनके लिये नौकरी में रिज़र्वेशन्स भी किये हैं विधान सभा की सीटों के लिये भी रिजर्वेशन किये हैं एम. पीज में भी हैं लेकिन आज उनके लिये रहने को कोई मकान नहीं है और न ही उनके जीवन के लिये और दूसरी सम्मानपूर्वक रहने की व्यवस्था ही है। सिर्फ नौकरियों में अनुपात रखना ही काफी नहीं है। उनकी और भी बहुत सी समस्या हैं वे उन्हें प्राप्त नहीं हो रही हैं जिससे वे लोग आज पिछड़े के पिछड़े रह गये हैं। मुझे कहना तो नहीं चाहिये लेकिन फिर भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि आदिवासी क्षेत्र के जो नेता बने हुए हैं उन्होंने इन पिछले बीस वर्षों में उतना धन कमा लिया है कि जितने मेरे पूर्वज 800 साल तक राज्य करने पर भी नहीं कमा सके। उन्होंने क्या क्या काम किये, वो क्या थे और क्या हो गये इसकी कहीं पर भी जांच नहीं की गयी। कोई जांच उनके खिलाफ में नहीं की गयी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिये यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन आदिवासी लोगों को ठीक हालत में लाने के लिए। मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि आप इन आदिवासी लोगों के लिए इनके डवलपमेन्ट के लिये आर्थिक बोर्ड बनाइये जो कि आदिवासी लोगों के विकास के लिये कार्य करे। एक बोर्ड की स्थापना कीजिये जो इनके बारे में गम्भीरता से विचार

Page No 48

(48)

(श्री लक्ष्मणसिंह)

करके फिर राज्य सरकार को अपने विचार प्रस्तुत करे और बाद में उनके बताये हुए सुझावों पर राज्य सरकार को चाहिए कि उनको क्रियान्वित करें।

उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार अपने आपको बहुत ही प्रगतिशील मानती है। अगर हम प्रति व्यक्ति आय हिन्दुस्तान के दूसरे प्रान्तों के लोगों के अनुपात में देखें तो हमें पता लगेगा कि हमारे देश में प्रति व्यक्ति आय 643 रुपये है जबकि राजस्थान में प्रति व्यक्ति औसतन आय सिर्फ 302 रुपया ही है। राजस्थान आज हिन्दुस्तान के सभी प्रान्तों के लोगों की जो औसतन आय है उन सबसे बहुत ही पिछड़ा हुआ है। इसके अलावा सड़कों के बारे में भी कहा गया है। राजस्थान में, उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर प्रति सौ किलोमीटर में सिर्फ 5 किलो मीटर सड़कें ही हैं। जबकि मध्यप्रदेश में 8 किलो मीटर है प्रति 100 किलो मीटर के पीछे और गुजरात में भी 8 किलोमीटर है। इस प्रकार हमारा प्रदेश बहुत ही पिछड़ा हुआ है। केरला में तो 50 किलो मीटर सड़कें प्रति हण्ड्रेड किलो मीटर सड़कें मिलेंगी। यही हाल महाराष्ट्र का है वहां पर भी एवरेज 50 किलो मीटर का है। तामिलनाडू में 33 किलो मीटर सड़कें प्रति हण्ड्रेड बनी हुई हैं। तो मेरा निवेदन यह है कि जो आज हम हिन्दुस्तान में दूसरे प्रान्तों में जो सड़कें हैं उनसे काफी कम हैं। इस पिछड़ेपन को हमें विश्वास करने की जरूरत है।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर विद्युत् के बारे में भी कुछ कहा गया है। विद्युत् के बारे में भी आपसे निवेदन कर दूं कि हम लास्ट इन दी लैण्ड हैं। सबसे नीचे हैं हम विद्युत् की प्रगति के बारे में। आज हरियाणा में गांव-गांव में बिजली पहुंच गयी है। लेकिन राजस्थान के अन्दर हमें गांवों में अन्धेरा ही मिलेगा। राजस्थान के अन्दर हजारों मील तक अन्धेरा है। इसी प्रकार, उपाध्यक्ष महोदय, हम शिक्षा के मामले में भी सिवाय जम्मू कश्मीर को छोड़कर सबसे पिछड़े हुए हैं।

सिंचाई के बारे में भी मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर सिंचाई सिर्फ औसतन 12 प्रतिशत ही है। जब कि राजस्थान में दो लाख वर्गमील जमीन है इसमें भी काफी पिछड़ा हुआ हमारा प्रान्त है। इसी प्रकार इन्डस्ट्रियलाइजेशन के बारे में हम काफी पिछड़े हुए हैं। भारत भर के अन्दर 69.4 प्रतिशत है तो हमारे राजस्थान के अन्दर सिर्फ 8.2 प्रतिशत ही इन्डस्ट्रिलाइजेशन आज तक हुआ है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। यहां पर इन्डस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो रहा है उसका कारण यह है कि राज्य सरकार इन्डस्ट्रियलिस्टों के लिये किसी प्रकार सहूलियत देने को तैयार नहीं है न खुद राज्य सरकार इन्डस्ट्रियलाइजेशन अपने प्रान्त का कर रही है न लोगों को ही प्रोत्साहन देती है। उपाध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करूंगा कि हमारे यहां पर मिनरल डेवलपमेन्ट का काम होना चाहिये अगर हमने मिनरल डेवलपमेन्ट का काम नहीं किया तो हम पिछड़े के पिछड़े रह जायेंगे। और हमारे यहां का डवलपमेन्ट रुक जायेगा। आज हमें इसीलिये मिनरल डवलपमेन्ट के कार्य को राज्य में प्राथमिकता देनी चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय हमारे प्रान्त में बहुत

(श्री लक्ष्मनसिंह)

सारे शिक्षित बेरोजगार बैठे हैं उनके लिए हमारी राज्य सरकार ने नौकरी देने के लिये एम्प्लोयमेन्ट एक्सचेन्ज के दफ्तर खोल रखे हैं । इसके लिये मैं आपके मार्फत राज्य सरकार को निवेदन करना चाहूंगा कि कोई भी आदमी अगर एम्प्लोयमेन्ट के ऑफिस में जाकर अपना नाम लिखाता है तो उसकी नाम लिखाने के दिन जो तारीख थी वो ही तारीख मान लेनी चाहिये । वरना स्थिति यह होती है कि उनकी उम्र निकल जाती है और उन्हें नौकरी नहीं मिलती है ओवर एज होने के कारण अतः मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि उन्हें क्षम्यता देकर माफ किया जाय और उनके जो कार्ड बनाये हुए हैं वे जिस तारीख को बने थे वह सही एज मानी जानी चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय यहां पर पैरा 31 में यह कहा गया है कि राज्य सरकार ने 60 गजेटेड ऑफिसर्स को नौकरी से अनिवार्य हटा दिया है। जिन्हें नौकरी से हटाया उसके विरुद्ध तो मैं नहीं हूँ लेकिन इतना निवेदन जरूर करूंगा कि पहले जिनके खिलाफ आपने एक्शन लिया उसके लिये कोई जांच तो निष्पक्ष होनी चाहिये थी वैसे यह एक स्तुत्य कदम है। पर अगर आप इस तरह किसी का विक्टेमाइजेशन करें तो ठीक नहीं है। आपको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये जिससे कि यह साबित हो जाय कि इनका विक्टेमाइजेशन नहीं किया गया है। राज्य सरकार का पुनीत और प्रथम कर्त्तव्य मानता हूँ कि राज्य सरकार किसी का विक्टेमाइजेशन नहीं करे। इसके अलावा वित्त मन्त्री ने जो खंडसारी शक्कर व अनप्रोसेसड रेयन तथा कृत्रिम रेशमी वस्त्रों पर 3 प्रतिशत टैक्स लगाया है वह गलत लगाया आपने कच्चे माल को भी नहीं छोड़ा। वैसे अच्छा कपड़ा और अच्छी शक्कर तो देश के बाहर जाती है विदेशी मुद्रा कमाने के लिये। लेकिन आप यहां के लोगों को सैकेन्ड स्टेण्डर्ड या सब स्टेंडर्ड का माल तो मत दो। क्या इसी प्रकार आप यहां पर सोशिलिज्म लाते हैं। मैं यह नहीं कहता कि आप बाहर अच्छी चीज मत भेजो लेकिन जिस चीज को आप बाहर भेजते हैं उसे अपने देश वासी भी तो काम में लेने चाहिये। इसी प्रकार वित्त मन्त्री जी ने मकानात पर टैक्स के बारे में भी कहा है। इसके बारे में मैं आपको यह कह देना चाहता हूँ कि टैक्स विधेयक हमेशा देश में इनफ्लेशन लाता है। इसमें आपने टैक्स लगाया उसका कोई कारण नहीं बताया मेरे ख्याल से आपने अपनी नीति का विश्लेषण नहीं किया। मगर मैं इतना जरूर निवेदन कर देना चाहता हूँ कि ज्यों ज्यों इनफ्लेशन होता है त्यों त्यों रुपये की क्रय शक्ति घटती जाती है। जब किसी चीज की बहुतायत होती है तो वहां पर इनफ्लेशन होता है आपने सारे देश में रुपये का फ्लड कर दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें जो वित्त मन्त्री जी ने .5 प्रतिशत टैक्स लगाने का जो प्रावधान किया है उसमें आपने 50,000 हजार तक के मकान तक तो एग्जेम्पट कर दिया है। लेकिन हो सकता है आज आपने 50 हजार तक के कीमत के मकान के ऊपर टैक्स पॉइन्ट पांच प्रतिशत टैक्स लगाया है वह आप हो सकता है 5,000 के मकान पर भी टैक्स लगा सकते हैं। आज स्थिति यह है कि आबादी के अनुपात में

(श्री लक्ष्मनसिंह)

मकान लोगों के पास बहुत कम हैं राज्य सरकार तो मकान की व्यवस्था कर नहीं रही है और जिन्होंने मकान बना लिये हैं उन पर आप टैक्स लगा रहे हैं तो फिर ऐसी अवस्था में कौन मकान बनायेगा, आबादी ज्यों ज्यों बढ़ती जायेगी त्यों त्यों मकान की कमी पड़ती जायेगी। इसलिये आपने इसका निराकरण यही निकाला कि जिनके पास अच्छे मकान हैं उनका राष्ट्रीयकरण करके मकान छीन लिये जांय। यह कदम आपका अनुचित है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन का बहुत समय नहीं लूंगा। थोड़ी सी बातें मैं और निवेदन करना चाहूंगा। माननीय वित्त मन्त्री जी ने डेरीज के सम्बन्ध में अपने बजट भाषण में जिक्र किया। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि डूंगरपुर जिला एक पिछड़ा हुआ जिला है। उसमें भी डेयरी के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था करने के बारे में, आशा है, सरकार विचार करेगी।

तालाबों में जो बारे रखे जाते हैं उपाध्यक्ष महोदय, वे ऊंचे रखे जाते हैं। केवल मात्र उसमें भ्रष्टाचार का सिद्धान्त निहित है अगर जनता पैसा देती है तो वहां उसको नीचा कर दिया जाता है वरना वह ऊंचा ही रहता है।

लिफ्ट इर्रीगेशन के बारे में भी मैंने बार बार पंचायत समितियों में और जिला परिषदों में भी कहा है और सब डूंगरपुर की पंचायत समितियों के प्रधान, जिला प्रमुख और कलेक्टर ने भी राजस्थान सरकार को आवेदन दिये हैं कि सरकार लिफ्ट इर्रीगेशन के विषय में विचार करे। माही और सोम नदी जहां दरें हैं वहां हजारों वर्षों से पानी है, वहां पर कुए भी खुदवाये जायं और लिफ्ट इर्रीगेशन की व्यवस्था की जाय तो उन पर जो पड़त जमीनें हैं, उसको सरकार स्वयं न करे तो आदिवासियों को वह दे दी जावे जिससे वे खेती करें या चारा उगाएं। इतना होते हुए भी इन्जीनियर कहते हैं कि तकनीकी कारणों से यह योजना उचित नहीं है। यह तो स्पष्ट दिखायी देता है कि जन प्रतिनिधियों की बात न मानना और कलेक्टर की भी बात न मानना और जहां छोटे मोटे भ्रष्टाचार की बातें हैं तो बड़ी बड़ी नहरी योजनाएं हों तो उनको तो तकनीकी दृष्टि से ठीक कह देते हैं और छोटी योजनाओं के लिये कह देते हैं कि यह उचित नहीं है और वे लोग उनका विरोध करते हैं। मुझे आशंका है कि व्यक्तिगत हितों के लिये भ्रष्टाचार के कारणों से सिंचाई विभाग कोई न कोई रहस्य को लिये हुए है।

कडाना के सम्बन्ध में भी यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो विस्थापित हों उनको कम से कम जमीन तो दें और उनको कहीं न कहीं बसाने की व्यवस्था तो करें। यह निश्चित आशंका है कि जुलाई के महीने में जब पानी भर जावेगा और गरीबों के गांव डूब जावेंगे तब क्या फिर सोचेंगे कि उनको कहां बसायें ? आप किम्कर्त्तव्य विमूढ़ होकर विराजमान हैं और आप कुछ नहीं करते हैं। आदिवासियों के गांव इस बांध में डूबे उससे पहले ही उन विस्थापितों को कहीं न कहीं बसाने की व्यवस्था अवश्य करें।

(श्री लक्ष्मनसिंह)

सलूम्बर और आसपुर की तहसीलों में कमला आवा बांध की योजना है। वह बंधता है तो उससे पचास गांव हमेशा के लिये फेमीन से दूर हो जावेंगे। उनमें दुष्काल नहीं पड़ सकता। केचमेन्ट नदी का एरिया है। बांध बन जावेगा तो उससे सलूम्बर और आसपुर की तहसीलों को काफी लाभ पहुंचेगा।

आपने आदर्श गांव की घोषणा तो की है। आदर्श गांव क्या है आपकी घोषणा के अनुसार। न सिर और न पैर का कहीं पता है। आपने आदर्श गांव तो घोषित कर दिया। लीलवा गांव है। वहां पर पीने का पानी तक नहीं। वह आदर्श गांव क्या है? आपने संज्ञा तो उसको आदर्श गांव की दे दी।

माननीय सदस्य ने स्थगन प्रस्ताव के रूप में किशनगढ़ के सम्बन्ध में चर्चा उठायी। किशनगढ़ एक 45 हजार की आबादी का कस्बा है। वहां पर पेय जल की व्यवस्था नहीं है। संकटापन्न स्थिति है। लोग घंटों तक खड़े रहते हैं घड़े लेकर। पानी का वहां पर्याप्त रूप से प्रबन्ध न होने के कारण मैं सरकार का इस ओर ध्यान दिलाता हूं।

डेली अलाउन्स के बारे में 30 लाख का प्रावधान किया और पुलिस को मेस अलाउन्स दिया। उसका मैं स्वागत करता हूं। कर्मचारियों का आप अलाउन्स बढ़ाते हैं, डी. ए. बढ़ाते हैं मैं उसका विरोध कैसे कर सकता हूं। कर्मचारी संतुष्ट नहीं हुए तो आपका शासन नहीं चल सकेगा। दो पर्सेन्ट तबका है उसको आप हर प्रकार राजी रखते हैं लेकिन 98 पर्सेन्ट गरीब जनता राजस्थान की है उसके लिये क्या है? सिवाय मंहगाई, भ्रष्टाचार और जलालत के उनको क्या मिला है?

मैंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान भी निवेदन किया कि पेन्शनर्स का सेल भी यहां होना चाहिये। छोटा सा उदाहरण दूंगा।

मैं सदन का समय अधिक नहीं नष्ट करना चाहूंगा। मुमताज नामके रोड रोलर ड्राईवर हैं। 65 वर्ष की उम्र है मेरी उम्र के आदमी हैं। उनको 15/17 वर्ष हो गये रिटायर हुए। उनकी पेन्शन तक नहीं मिली। नवाब साहब जब मंत्री थे मैंने स्वयम ने चिट्ठी लिखा और उनसे स्वयम मिला भी। उन्होंने आश्वासन दिया कि जरूर हो जायेगी। रिटायर हुआ। उससे पहले भी आश्वासन दिया। लेकिन कुछ नहीं हुआ। माननीय मंत्रीजी हरिदेव जी जोशी से भी मिला। उन्होंने भी दो दफा चिट्ठी लिख कर दी और कहा कि तुरन्त हो जावेगा, पेन्शन मिल जायेगी। लेकिन अब तक उसको पेन्शन मिली नहीं। मुझे यह आशंका है कि कलेक्टर के आदेश को कर्मचारी न माने और मंत्रियों के आदेशों की भी क्रियान्विति नहीं करते हैं, तो यह सरकार नहीं है। वी आर हैडिंग फोर क्योस। दिस इज नौकरशाही। मैं आपको निवेदन करूंगा मंत्री महोदय। नवाब साहब लोहारू सज्जन पुरुष हैं मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं कहना चाहता और न ही माननीय हरिदेवजी जोशी के खिलाफ भी कुछ कहना चाहता हूं। वे क्या करें जैसा देखते हैं उनको कहते हैं। लेकिन 15 वर्ष तक पेन्शन न मिले यह शोचनीय समस्या है। यह एक एडमिनिस्ट्रेटिव

(श्री लक्ष्मनसिंह)

समस्या है। उसकी क्रियान्विति नहीं की जाय तो मुझे कह दिया जाय मैं चुपचाप बैठ जाऊं। आखिरकार सरकार का निर्णय सर्वोपरि है। आपका कहना है कि कर देंगे, कर देंगे। कब कर देंगे? इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये।

राशन लेने के लिये तीन तीन घंटे ठहरना पड़ता है क्यू में। पानी लेने के लिये घंटे दो घंटे घड़े लेकर खड़ा रहना पड़ता है। यह बड़ी दुर्दशा है। यह सरकार नहीं। यह तो भ्रष्ट अधिनायक वाद का स्वरूप है। गेहूं 150 रुपया क्विन्टल मिले, मक्का और बाजरा भी 125) 125) रुपये क्विन्टल मिले। गरीबी हटेगी। कांग्रेस वालों की भले ही गरीबी हट गयी हो, नहीं हटी तो मैं विरोध नहीं करता। लेकिन गरीबी हटाने का नारा बिलकुल थोथा है। यह बजट अस्वाभाविक है। इतना ही निवेदन कर अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भानुकुमार शास्त्री।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान का बजट जो कल सदन में प्रस्तुत हुआ, मैं उसके बारे में संक्षेप में अपने विचार आपके सम्मुख प्रस्तुत करूंगा।

जनता ने जिन आशाओं, आकांक्षाओं और भावनाओं को लेकर अपने प्रदेश में कांग्रेस सरकार को वोट देकर शासनारूढ़ किया है वे आशाएं पूरी ही नहीं हुई सो तो नहीं हुई वरन जिन ऊंची आशाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति चाहती थी उतनी ही गहरी निराशा और विक्षोभ इस बजट को देखकर उसे हुई है।

इसका कारण स्पष्ट है। आज देश में गरीबी है, महंगाई है भयंकर भ्रष्टाचार का बोलबाला है उनको कम करना दूर बल्कि दिनों दिन वे बढ़ती ही गई हैं। उनको रोकने में यह सरकार नितान्त असफल सिद्ध हुई है। समय समय पर सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी कई तरह के बहाने गढ़ते रही हैं इसके लिये। कभी सी. आई. ए. पर अपना सारा दोष थोपने का प्रयास किया तो कभी विरक्षी दलों पर। कभी बंगला देश के कारण आई विपत्ति की आड़ में अपने गलत कारनामे और गलत नीतियों के परिणाम छिपाने की भी कोशिश की। मुझे आश्चर्य है कि कांग्रेस के प्रधान ने भी गत दिसम्बर के कलकत्ता अधिवेशन में इन सारी बातों को दोहराया और सारा दोष दूसरों पर डालने का प्रयास किया।

रहा प्रश्न बंगला देश के कारण का। मैं समझता हूं कि जितना पैसा टैक्सों के रूप में वसूल कर लिया गया है उससे जो खर्चा बंगला देश के कारण हमारा हुआ उससे अधिक की वसूली हो गई है। इस कारण यह बहाना चल नहीं सकता।

सही बात तो यह है कि इस सरकार की नीतियां स्पष्ट और समयानुकूल नहीं हैं। इन गलत नीतियों के कारण महंगाई और भ्रष्टाचार बढ़ा है जो कम नहीं हो सकते। राजनैतिक मोर्चे पर प्राप्त सफलता आर्थिक मोर्चे पर असफल सिद्ध हुई है। केन्द्रीय सरकार के प्रवक्ता कह रहे हैं

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

स्पष्ट रूप से कि बढ़ती हुई महंगाई यह सरकार नहीं रोक सकती। इसके बूते का यह रोग नहीं है।

यह स्पष्ट है कि इस सरकार की गलत नीतियों से आज हमारी विकास की दरें कितनी नीचे गिर गई हैं। ये स्वयं उनके ही दिये हुए आंकड़ों से स्वत: सिद्ध है। औद्योगिक विकास की दर 1969-70 में 7.1 थी जब कि 70-71 में वह 4.8 रह गई है। 71-72 में वही 2.9 प्रतिशत ही बची। कृषि विकास के अन्दर भी यही हाल है। इसमें हमारी विकास की दर 70-71 में 7.1 से गिर कर आज 1.3 रह गई है।

रासायनिक खाद, कोयला और बिजली के उत्पादन में भी भारी गिरावट आई है। इनके उत्पादन का क्रम भी यह सरकार स्थिर नहीं रख पाई है। वृद्धि करना तो दूर रहा।

इसके साथ साथ घाटे की अर्थ व्यवस्था ब्लैक मार्केट, काला धन, मुद्रा स्फीति और मंहगाई के कारण देश की जनता की हालत बड़ी दयनीय बन गई है। हमारी आर्थिक स्थिति आज अत्यन्त खराब और शोचनीय स्थिति में पहुंच गई है। मंहगाई जिस तेजी से बढ़ती जा रही है, उसे यह सरकार रोक पाने में अपने को सर्वथा असमर्थ पा रही है।

अपने वित्तीय भाषण में हमारे वित्त मन्त्री ने एक बात कही है अपने पुराने ऋण को राइट ऑफ कराने की। पहला प्रश्न तो यह है कि विद्वान मन्त्री महोदय ने अपने भाषण में यह कहीं नहीं बताया कि यह सारा ऋण जो लिया उसे किस काम में लगाया, उससे क्या उत्पादन किया। अब साधारणतया लिए हुए ऋण को नहीं चुकाने की बात और राइट ऑफ करने की बात वही करता है जिसने ऋण लेकर खा लिया, उससे उत्पादन कुछ नहीं किया और अपनी स्थिति दिवालिया जैसी बना ली और अब चुकाने के लिए उसके पास कुछ रहा नहीं। दूसरी ऋण चुकाने में असमर्थता की बात भिखारी करता है। अब मैं इस राज्य सरकार को किस संज्ञा से सम्बोधित करूं, यह कह नहीं सकता।

पर यह स्थिति अवश्य है कि यह राज्य के दिवालियापन की द्योतक है।

इस बारे में मेरा सुझाव एक यह भी है राज्य सरकार को कि यह जो महंगाई बढ़ी है और उस महगांई के कारण उसे अपने राज्य कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी तो यह मंहगाई केन्द्रीय सरकार की गलत नीतियों का परिणाम है और इस केन्द्र सरकार की गलत नीतियों का बुरा असर राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति पर पड़ रहा है तो ऐसी हालत में अपने कर्मचारियों को जो उसे अधिक महंगाई भत्ता बढ़ाना पड़ रहा है उसकी मांग वे केन्द्रीय सरकार से करे कि चूंकि आपकी गलत नीतियों के परिणामस्वरूप यह महंगाई बढ़ी है और इस कारण मंहगाई भत्ता बढाना पड़ रहा है तो अब उसकी पूर्ति भी केन्द्र ही करे। मंहगाई बढाने का और वेतन बढाने का यह सारा पैसा राज्य सरकार केन्द्र से ले।

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

दूसरी बात वित मन्त्री महोदय ने यह बताई अपने बजट भाषण के पैरा नम्बर दो मे कि :

"हमारी अर्थ व्यवस्था पूर्णतया इन्द्र भगवान पर निर्भर है।"

मुझे पढ कर आश्चर्य हुआ। आखिर कांग्रेस के राजस्थान में लगातार बने रहे 25 सालों के प्रशासन काल में इस कांग्रेस ने क्या किया राजस्थान के लिये। यहां के उद्योग धन्धों के लिये, यहां को पानी की समस्या के हल लिये। यहां की कृषि की उन्नति के लिये। लोगों की खाने पीने और पहनने की मूल समस्याओं के हल के लिये। आज भी हम इन्द्र की कृपा पर ही निर्भर हैं। आज के वैज्ञानिक युग में लोग आसमान को पार कर चन्द्र लोक तक पहुंच गये हैं। छोटे से इजराइल ने सारे रेगिस्तान को हरे भरे प्रदेश में बदल दिया और हम आज भी उसी पुरातन इन्द्र भगवान की कृपा पर ही निर्भर हैं। हम राजस्थान को आत्म निर्भर स्वावलम्बी प्रदेश नहीं बना पाये इन 25 वर्षो में भी। और आज भी इन्द्र भगवान की कृपा का बहाना बनाकर अपनी अकर्मण्यता से छुटकारा पाने का प्रयास कर रहे हैं। यह हमारी अकर्मण्यता का और अयोग्यता का द्योतक है। मैंने गत वर्षका बजट भाव पढ़ा उसमें यह कहा गया कि हम अपनी प्रधान मन्त्री इन्दिरा गांधी की कृपा से वित्तीय कठिनाइयों को पार पा सके हैं।

एक माननीय सदस्य : कोरम नहीं है।

श्रीमती सुमित्रासिंह : हां, नहीं।

गणाभाव सूचक घन्टी

(गणपूर्ति के पश्चात्)

श्री भानुकुमार शास्त्री : तो यह राज्य कभी इन्द्र भगवान की कृपा पर निर्भर रहता है तो कभी इन्दिरा देवी को कृपा पर।

मैं राज्य सरकार को सुझाव दूंगा कि अगर इन्द्र की कृपा प्राप्त करनी है तो वे जंगलों में आसन जमावें, वहां आश्रम बनाकर जप तप आराधना करें। यज्ञ और हवन करें और इन्द्र भगवान की माला जपें या फिर इन्दिरा जी की कृपा पर चलें। इन दोनों ही अर्थो मे हमारा यह आज का शासन घटिया किस्म का शासन है।

आचार्य चाणक्य ने अपने अर्थ शास्त्र में कहा है कि जो राज देव कृपा पर निर्भर रहता है वह देवमात्रिक है, कमजोर राज्य है। पर जो राज्य अपने स्वय के साधनों पर अपनी धरती पर के साधनों पर अपने पानी के स्रोतों पर और अपने स्वयं के बनाये गये वित्तीय साधनों पर निर्भर रहता है वह भूमि मात्रज है और बलवान राज्य कहलाता है। चाणक्य के अर्थ शास्त्र में उसकी अर्थनीति में यह स्पष्ट लिखा है। अपने साधनों और अपनी भूमि के बल पर जो राज्य चलेगा वह निश्चय ही दृढ राज्य होगा। तो मुझे समझ में नहीं आता कि विगत 25 वर्षो के अपने शासन काल में इस कांग्रेस ने क्या किया। एक छत्र राज्य उनका रहा, करोड़ों रुपया उन्होंने अपने पर खर्च

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

किया। अपनी नीतियों पर अमल करने में उनको खुली छूट थी। फिर भी प्रदेश स्वावलम्बी नहीं बन पाया। आर्थिक दृष्टि से सबल नहीं बन सका। इसका अर्थ स्पष्ट है कि इस कांग्रेस की नीतियां दूषित हैं। उसका रास्ता गलत है। आज हमारा प्रदेश अन्य राज्यों से हर मामले में पिछड़ा हुआ है। इस कांग्रेस की नीतियों से भ्रष्टाचार बढा, मंहगाई बढी। फिर किस बात के लिये इस राज को धन्यवाद दूं? इसलिए आज इस प्रकार का विचार करना गलत होगा। जैसे आज उन्होंने बजट में यह बात कह दी है कि जरूरतमन्द इलाकों में अनाज पहुँचाया जा रहा है अकाल राहत कार्यों पर लगे व्यक्तियों की संख्या अब 5 लाख तक पहुँच गई है। अनाज के सार्वजनिक वितरण की प्रणाली का भी बहुत प्रसार कर दिया गया है, जिसके द्वारा अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है। पीने के पानी एवं चारे की सप्लाई की उचित व्यवस्था की गई है। अब राजस्थान में अकाल नहीं रहा। पानी की व्यवस्था हो गई, अनाज की व्यवस्था हो गई, चारे की व्यवस्था हो गई, सब व्यवस्था हो गई। कागजी पुलन्दों में सब मामला हो गया। मेरा निवेदन है कि अकाल क्षेत्रों में अभी भी न पानी है, न चारा है, न अनाज है लोग अनाज के अभाव में भूखों मर रहे हैं। मैं भूखों मरने के कारणों पर तो नहीं जाना चाहता हूं। मरने के बाद डॉक्टर से राय ली जाती है और डॉक्टर कह देता है इसका हार्ट फेल हो गया। मरे हुए व्यक्तियों का अनाज के अभाव में हार्ट फेल नहीं होगा तो क्या होगा। मरने के बाद उसका कुछ भी करें। आज भूख से तड़प तड़प कर आदमी मर रहा है और इसके साथ ही यह कहें कि सारी व्यवस्थायें कर दी हैं, मैं समझता हूं, गलत है।

अनाज की तो क्या आज चारे की व्यवस्था भी नहीं है। उदयपुर जिले में जिलाधीश महोदय ने कहा चारे को तो आप छोड़ दीजिये पशु तो मरेंगे सो मरेंगे ही मरेंगे, अनाज के अभाव में सैकड़ों आदमी मर रहे हैं। अनाज की कोई व्यवस्था नहीं की तो मवेशियों के साथ साथ आदमी भी मर जायेंगे। 18 लाख की जहां जनसंख्या रहती है उसके लिए दो हजार मन अनाज नहीं मिलता है। मरेंगे नहीं तो क्या होगा और मैं समझता हूँ वास्तविक स्थिति को देखते हुए यह निर्धारित करना होगा कि हमारे पास अनाज नहीं है और केवल इस प्रकार से किताबों में, कागजों में उपलब्धि प्राप्त करने के लिए घोषणायें करते रहें, वह कम से कम बन्द करें और व्यवहारिकता के धरातल पर उतर कर हम इसको देखना शुरू करें।

आगे पैरा नम्बर 6 में लिखा है पहले जो मुफ्त सहायता दी जाती थी, उसे बढ़ाकर अब एक रुपया प्रतिदिन कर दिया गया है। एक रुपये से होता क्या है। मैं माननीय वित्त मन्त्री जी से कहूँगा एक रुपये से क्या होगा और उसके साथ कहा गया है उन कार्यों को प्राथमिकता देने का निश्चय किया गया है, जोकि रोजगार तो प्रदान करते ही हों, साथ ही उनसे उत्पादकता में भी वृद्धि होती हो तथा उनका स्वरूप स्थाई प्रकृति का हो। क्या सरकार ने

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

ऐसा कोई उदाहरण पेश किया है जिसमें स्थाई रूप से एक रुपये में वृद्धि होती हो ऐसा कोई उदाहरण रखा है क्या ? केवल कोरे किताबों में लिख देना और एक रुपये के लिए अपनी प्रशंसा की बात कह देना अपनी वास्तविक स्थिति से, सही स्थिति से दूर है।

दूसरी चीज आपने बजट भाषण में लिखते समय, मैं समझता हूँ संयत भाषा का उपयोग करना चाहिये था। पेज तीन पर लिखा है मैं यह बात खुशी के साथ कह सकता हूँ कि केन्द्रीय सरकार के नेताओं ने हमारी जनता की संकटापन्न स्थिति को तथा उससे राज्य के वित्तीय साधनों पर पड़ने वाले भार को समझा है। मैं समझता हूँ केन्द्रीय सरकार के नेताओं ने लिखने के बजाय केन्द्र सरकार ही लिख देना पर्याप्त था। केन्द्र सरकार के नेताओं के लिखने की कोई जरूरत ही नहीं थी।

पैरा नम्बर 8 में आर्थिक मामलों के बारे में कहा है और पैरा नम्बर 9 में गरीबी हटाओं के साथ न्यायोचित समान वितरण की बात कही है मुझे यह कहना पड़ता है कि आंकड़ों के हिसाब से देखा जाय जो राज्य ने आधार माना है उसके अन्दर दो करोड़ 57 लाख की प्रदेश की जन संख्या के सर्वेक्षण के आधार पर 20 रुपया मासिक प्रति व्यक्ति की कम से कम आय आंकी गई है और 20) रुपया प्रति व्यक्ति की आय में हमारी नगरीय जन सख्या 50.26 प्रति व्यक्ति और ग्रामीण जन संख्या में 7.82 प्रति व्यक्ति ऐसे है जिनके पास निजी उपभोग की आवश्यकताओं की पूर्ति न्यूनतम 7 प्रतिशत भी नहीं है जो गरीबी का कम से कम रखा है और नगर में हमने उस संख्या को 50.26 तक माना है जिनको 20) रुपया मासिक तक नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति में लोग जीवन यापन कैसे करेंगे इस प्रकार का इसमें कोई उल्लेख नहीं हैं। यह बात हृदय शून्य और व्यवहारिकता से दूर है। आज गरीबी कैसे मिटेगी, न्यायोचित वितरण कैसे होगा, इसका कोई जिक्र इसमें नहीं है। इनके पांच लक्ष्यों में नगरीय जन संख्या के समाधान के लिए कोई जिक्र नहीं किया गया है, किस प्रकार के साधन ये ग्रामीण और शहरी जनसंख्या को उपलब्ध करायेंगे। इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

अब राजस्थान देखा जाय एक तो सबसे गरीब पिछड़ा हुआ प्रदेश फिर भी हम यह कहें हमने राजस्थान में गरीबी हटाओ को क्रियान्वित करने के लिए आगे कदम उठाया है, यह बात ताज्जुब के परे है। टैक्सेशन लगाते समय हर कदम पर हर बात पर हमारे सत्ताधारी दल और सरकार की आदत भी हो गई है कि यह अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के नाम पर यह कह दें उनके विकास करने में रुपया लगाया जा रहा है और आर्थिक विकास किया जा रहा है और जो टैक्सेसन में मिलेगा उससे विकास किया जायगा लेकिन वास्तविकता देखी जाय करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद वन वासियों की स्थिति देखे तो पता लगेगा 51 से 72 तक दो शताब्दी समाप्त हो गई और इन दो शताब्दियों में सामाजिक और आर्थिक जन जाति का विकास कितना हुआ यह सबके सामने है।

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

आज हमारी राज्य सरकार ने 929.07 लाख रुपया इन जन-जातियों पर व्यय किया है। उनकी शिक्षा पर 387.86 लाख खर्च किया है। आर्थिक विकास पर 440 लाख का खर्च किया है, उनके स्वास्थ्य और मकानात आदि पर 130 लाख खर्च किया है। उनके क्षेत्र को विकसित करने के लिए 790 लाख खर्च किया है। अब यह देखा जाये कि उनके अन्दर इतना खर्चा करने के बाद आज क्या परिवर्तन आया, उनको वास्तव में क्या मिला। आज सही स्थिति देखें तो मालूम होगा कि उनके पास खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, रहने को मकान नहीं है और यह कहें कि नौकरियों में 28 प्रतिशत कर देंगे शिड्यूल कास्ट्स और शिड्यूल ट्राइब्स का इतना रिजर्वेशन रखा है, कान्स्टीट्यूशनल हमने प्रोटेक्शन दिया है. लेकिन सही अर्थों में कितना फायदा मिला है, इसके वास्तविक आंकड़े देखे जायं तो उन वनवासियों की गरीबी का सही चित्र सामने आ जाय।

सरकारी विभागों में राज्य कर्मचारियों की कुल संख्या 58,620 है जिनमें वन वासियों की संख्या नगण्य है। प्रथम श्रेणी को छोड़कर जिसमें वन वासियों की संख्या केवल 82 है, द्वितीय श्रेणी में 32,646 हैं जिसमें वे 1284 हैं, तृतीय श्रेणी में 10021 है इसमें वनवासी केवल 3388 हैं चार प्रतिशत हैं और चतुर्थ श्रेणी में 12,375 हैं जिसमें वनवासी 1450 हैं जो केवल 12 प्रतिशत है। अब कहने को तो शिड्यूल कास्ट्स और शिड्यूल ट्राइब्स इन दोनों के लिए हमने 28 प्रतिशत स्थान सुरक्षित रखे हैं लेकिन आज उनके स्थान रिक्त पड़े हैं। उनको स्थान मिलते नहीं है और एस्टाब्लिशमेंट पर हमारा खर्चा हो जाता है और केवल 5-6 प्रतिशत के आधार पर सर्विसेज में लगे हुये हैं बाकी सब ठोकरें खाते फिरते हैं। शिक्षा पर हमने कितना व्यय किया ? 1961 के सेन्सस के आधार पर उनमें शिक्षा प्राप्त करने वालों पर 851 लाख खर्च किये हैं। अब इन 10 सालों में वृद्धि भी कर लें तो उसका अन्दाज लगाया जा सकता है।

स्त्रियां केवल 13 हैं। इसके भी मैं दो भाग करता हूं कि एक तो वह कि जो शहरी क्षेत्रों में रहते हैं और दूसरे वह कि जो गांवों में रहते हैं। जो नगरों में रहते हैं उनकी संख्या 45, 240 है उसमें मैट्रिक और उसके ऊपर जितने शिक्षा प्राप्त करने वाले लोग हैं उनकी संख्या 348 है। अब ऐसी परिस्थिति में हम केवल यह ढिंढोरा पीटना शुरु कर दें कि हमने वनवासियों के लिए यह किया और जो टैक्स बढ़ेगा उस पैसे को हम उनके उत्थान में लगा देंगे, सही माने में देखें तो आज वनवासी उनसे कोसों दूर हटे हुए हैं। उनका कोई विकास नहीं, उनके मकान नहीं, कपड़ा नहीं, रोजगार नहीं और खेती के लिए भूमि नहीं। सब प्रकार की कठिनाइयों से कोई लिप्त हैं तो वे लोग हैं। जमीन उनको मिलती है कि जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं, जो राजनीतिक लोग हैं और ऑफिशियल्स भी हो सकते हैं लेकिन गरीब को कुछ नहीं मिलता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऐसे गांवों में भी गया हूं कि जहां महिलाओं को अंग रक्षा करने के लिए भी वस्त्र नहीं हैं। आज उनकी ऐसी दयनीय स्थिति है। मैं निवेदन करूंगा कि बजट बनाते समय जो गरीबी हटाओ

58

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

का नारा लगाया जाता है, अनुसूचित जाति और जन जाति का नाम लिया जाता है वह केवल नाम न लेकर उनका सही उत्थान करने में पैसा लगाया जाये तो उनका कुछ भला हो सकता है अन्यथा नहीं।

दूसरी बात सिंचाई के बारे में है। सिंचाई के मामले में भारतवर्ष में राजस्थान सबसे निम्नतम है। अखिल भारतीय औसत 20 पर्सेन्ट है और हमारे राजस्थान का औसत 1.4 प्रतिशत है। मैं यह कहना चाहूंगा कि कोई भी विषय ले लीजिए किसी भी विषय के अन्दर राजस्थान किसी से भी आगे नहीं है। एक दो प्रदेशों को छोड़कर आसाम, नागालैण्ड और जम्मू—इनको छोड़कर राजस्थान हर बात में सबसे पिछड़ा हुआ है। ऐसी परिस्थिति में सही तथ्यों के आधार पर हमको अपना बजट बनाना चाहिए।

पैरा 15 में मवेशियों एवं भेड़ों से होने वाले उत्पादन को उपयोग में लाने के कार्यक्रमों को विशेष रूप से बढ़ाया गया है। नेशनल को-आपरेटिव डवलपमेन्ट कार्पोरेशन व इण्डियन डेयरी कार्पोरेशन की सहायता से 8 दुग्धशाला परियोजनायें—अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, अलवर, भरतपुर, कोटा, भीलवाड़ा एवं उदयपुर में प्रारम्भ की जा रही हैं। जोधपुर, बीकानेर एवं अजमेर में डेयरी प्लान्ट लगाए जाने का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वह दुग्धशालायें खोल रहे हैं, दूध किसको मिलेगा? यह होने के बजाय तो पशुओं की नसल का सुधार हो—इसमें कोई विवाद का विषय नहीं है लेकिन आज सबसे बड़ा संकट यह है कि राजस्थान के अन्दर जो सबसे बड़ा पशुधन है, हमारा कृषि प्रधान राज्य है और वह पशुधन अकाल के कारण नष्ट हो रहा है। पहले भी पशु लाखों की संख्या में नष्ट हो गए और आज जो हमारे सामने अकाल उपस्थित है इसमें भी लाखों की तादाद में पशुओं के मरने की आशंका है। कई पशु तो बाहर चले गए, कई मर गए और कई मरने वाले होंगे। उनको बचाने के लिए चारे की व्यवस्था की जाये। मैंने महाराष्ट्र में देखा कि महाराष्ट्र सरकार ने पशुओं के लिए अलग अलग शहरों में और अलग अलग गांवों में सरकारी चारे की डिपो खोल रखी हैं और जिस प्रकार से हमारे यहां व्यक्तियों के राशन कार्ड बने हुए हैं उसी प्रकार से मवेशियों की तादाद कार्ड में उल्लिखित है और राशन कार्ड के आधार पर मवेशियों के लिए चारा मिलता है। राजस्थान सरकार भी पहल करे और चारे की व्यवस्था करे। मैं कहता हूं कि पहले पशुधन की रक्षा होगी फिर चरागाह के लिए, नसल सुधारने के लिए, उद्योग धंधे लगाने के लिए कोई योजना बनायें। अगर पशुधन ही हमारा नष्ट हो गया तो आगे चलकर के क्या कर पायेंगे।

दूसरे मुझे कहना है कि मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, प्रश्नों के माध्यम से भी कहता हूं और आज बजट का भी अवसर है इसलिए मैं यह बात फिर से दोहराऊंगा कि मुझे यह समझ में नहीं आता कि राज्य सरकार को जो करना चाहिए वह करती नहीं और जो नहीं करना चाहिए उसमें कदम आगे रखती है। जैसे छोटे छोटे व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण के

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

नाम से, समाजवाद के नाम से, राष्ट्रीयकरण की होड़ लगाकर सारे धंधों को सरकार अपने हाथ में ले रही है। एक साधारण आदमी भी वह काम कर सकता है। अजमेर से यदि जयपुर तक बस चलानी है तो एक व्यक्ति चला सकता है। थोक के अन्दर भी अनाज का व्यापार करना है तो छोटा व्यापारी कर सकता है। राजकीय व्यापार उसमें हो मैं उससे सहमत नहीं हूं क्योंकि राष्ट्रीयकरण के बाद जो राज्य की व्यवस्था होगी उसमें कुप्रबन्ध होंगे, कोई उसको रोक नहीं सकता। आज मिल ओनर्स से 70 प्रतिशत शक्कर लेने के पश्चात् भी सरकार प्रत्येक व्यक्ति को 500 ग्राम भी शक्कर नहीं दे सकती....

श्री योगेन्द्रनाथ हाड़ा : आन ए पाइन्ट ऑफ क्लेरीफिकेशन सर, 70 रुपये में हमने अनाज बेचा और आज 140 रुपये में खरीद रहे हैं। पूरे 70 का कुप्रबन्ध हो गया तो क्या राजकीय व्यवस्था में इससे भी भयंकर कुप्रबन्ध होंगे ?

श्री भानुकुमार शास्त्री : इसमें मुझे यह कहना है कि 70 परसेन्ट शक्कर लेकर भी हम प्रत्येक व्यक्ति को 500 ग्राम भी शक्कर नहीं दे सकते और 30 परसेन्ट जिनके पास है वह सारे बाजारों में जितनी आपको शक्कर चाहिए वह दे देते हैं। अगर मैं इसको कुप्रबन्ध नहीं कहूं तो और क्या कहूं।

दूसरी बात राजकीय व्यापार की रही। तो अब राजकीय व्यापार के अन्दर क्या औचित्य है कि सरकार ने गेहूं का एक भाव तय कर रखा है। आज का भाव 140 हो सकता है, 150 हो सकता है, 160 हो सकता है—यह महगाई कहां तक जायेगी इसका ठिकाना नहीं लेकिन राज्य की ओर से एक निर्धारित राशि है कि हम 74 रुपये में किसानों से गेहूं खरीदेंगे। इसमें क्या औचित्य है कि इतनी मंहगाई होने के बाद भी राज्य सरकार किसानों से 74 रुपये में गेहूं खरीदे और हमको ज्यादा भाव में दे। मैं समझता हूं कि आज सरकार भी इस धंधे में पड़ी हुई है। आज जो हमें अनाज दिखाई देता है आगे जाकर ऐसी व्यवस्था होगी कि जैसी शक्कर की हुई है। धान कहीं दिखाई नहीं देगा। मैं निवेदन करूंगा कि सरकार इसमें जल्दी नहीं करे, विचार करे और फिर कदम उठाये तो मैं समझ सकूंगा कि वह ठीक कदम होगा। नहीं तो यह अदूरदर्शिता का कदम होगा। हम ऐसे गड्ढे में जाकर गिरेंगे कि जहां से निकल नहीं पायेंगे।

जो व्यापार राज्य को करना चाहिए वह नहीं करती। राजस्थान में भू-सम्पदा है। प्रकृति की सम्पदा है। आज राजस्थान में रॉक फॉस्फेट कितना होता है और रॉक फॉस्फेट को हम कितना उपयोग में ला सकते है। रॉक फॉस्फेट का यदि सरकार राष्ट्रीयकरण करे जिसका कि कच्चा माल हमारे राजस्थान में पैदा होता है वह बाहर जाता है। इसके सारे उद्योग राज्य के अन्दर ही लगाये जायें। यह धन्धा यदि राज्य सरकार करे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज हमारे वित्त मन्त्री जी 2 करोड़ रुपये के लिए या बाकी पैसों के लिए केन्द्र के अधीन बनकर जो भिक्षा मांगने की प्रवृत्ति बनी हुई है और जो दीवालियापन हमारा निकला हुआ है वह दीवालिया बजट न बनाकर उस में से

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

8-9 करोड़ रुपया सिर्फ खनिज सम्पदा से हमारी आय हो सकती है लेकिन यह तभी हो सकती है जब हम इसका सरकारी स्तर पर खनिजों का राष्ट्रीयकरण करें, हम उसका उत्पादन बढ़ायें। आज उत्पादन जितना होता है। हमारे बजट में बताया गया है कि 222 हजार टन। अब क्या होता है इससे ? मुझे यह कहते हुए कोई शक नहीं है, मैं इसकी गहराई में नहीं जाता। एक बात मैं जरूर जानता हूँ कि हमारे माननीय मन्त्री श्री हरिदेवजी की कृपा से वह बी. एन. जे. कम्पनी वहां पर जमी हुई है। उससे दो हजार टन का प्रतिदिन उत्पादन करने का एग्रीमेंट है और दो हजार टन यदि प्रतिदिन उत्पादन हो तो आज 365 दिन से गुणा करें तो क्या यह 222 टन होगा यह तो करोड़ों में होगा और उसमें भी जो हम 130) रु., 135) या 140) रुपये में बाहर अन्य राज्यों में रॉक फॉस्फेट को बेचते हैं उसमें भी हमें कितना मुनाफा मिल सकता है। लेकिन हम इस लिए नहीं करते, कारण कि मन्त्री महोदय की कृपा है। घाटे में चलेंगे, संकट हमारे ऊपर खड़ा है, मैं यह पूछना चाहूंगा कि यह सब गड़बड़ इसलिए होती है कि जो राज्य के नेता हैं उनकी जिम्मेदारी है किसको दें या न दें, मेरा उससे सम्बन्ध नहीं है लेकिन उसमें राज्य का हित निहित होना चाहिए, व्यक्तिगत हित से ऊपर उठ कर आगे आना चाहिए। आज मैं यह कहते हुए कोई संकोच नहीं करता कि हमारे माननीय मन्त्री जी जिनकी कृपा से बी एन. जो. कम्पनी जमी हुई है उनको ट्रकें जिनका नम्बर आर. आर. एल. 4449 है दूसरा आर. आर. एल. 2355 है, तीसरे का नम्बर आर. आर. एल. 2898 है, चौथे का नम्बर आर. आर. एल. 1661 और पांचवें का नम्बर आर. आर. एल. 4811 है। मुझे बताइए अगर मन्त्रियों की ट्रकें वहां चलें उनके साथ साझा हो जावे और राज्य का नुकसान हो तो मैं समझता हूं कि फिर यह खांडसारी पर टैक्स लगा दें, हाफ परसेन्ट हाउस टैक्स लगा दें तो यह शोचनीय बात है। मैं माननीय वित्त मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह अपने मन्त्री महोदय से, अपने सहयोगियों से प्रार्थना करें, निवेदन करें राज्य सरकार से ऊपर उठ कर, क्यों कि अगर वह ऐसा करते हैं तो गलत नहीं करते इस स्थिति से हट कर। और जिस ठेकेदार को यह दिया गया है उन्होंने उस खान की क्या दुर्गति की है। उसका थोडा सा उदाहरण देना चाहूंगा कि आज उस बीकानेर जिप्सम वालों ने उदयपुर झामड़कोटड़ा के अन्दर अपनी सुविधानुसार रॉक फॉस्फेट निकाल कर और राक फास्फेट निकालने के बाद उनका मलवा जहां उन्हें फेंकना चाहिए वहां नहीं फेंक कर जिस जगह डाल रखा है, उसके लिए आज मुझे खनिज मन्त्री उत्तर दें, मन्त्री जी कहते हैं कि उसको उठाने के लिए उन्हें एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा, यह बीकानेर जिप्सम वालों की जिम्मेदारी है, लेकिन भले ही उनकी जिम्मेदारी हो लेकिन इससे उत्पादन तो कम होगा। आज कई वर्षों तक, कई महीनों तक वह मलबा उठा कर फेंकेंगे तो उसका जिम्मेदार कौन ? यह नेग्लीजेंस किसकी, इसका उत्तरदायी कौन, इसका कौन उत्तर देगा ? इसका कोई उत्तर देने वाला नहीं। आज अगर इस खनिज

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

सम्पदा के धन्धे को ही ले लें तो फिर यह टैक्सेशन की जरूरत न पड़े। राज्य में खुशहाली हो, अन्य राज्यों से समृद्ध बनें। अन्य राज्य समृद्ध बन गए लेकिन राजस्थान हमारा पिछड़ा हुआ है। उसकी परम्परा है कि राजस्थान के अन्दर हमारे सत्ताधारियों में वह नैतिक बल जो होना चाहिए वह नहीं है, जो सदाचार होना चाहिए वह नहीं रहा।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

मैं मेरा नम्बर आठ पर आता हूं। पन्द्रह मिनिट और।

श्री उपाध्यक्ष : आपके दल से आप ही बोलेंगे या और भी बोलेंगे।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मुझे थोड़ा समय दें।

शिक्षा के मामले में स्तर की दृष्टि से राजस्थान सबसे पिछड़ा हुआ है। मैं गांवों में जाता हूं। बच्चे बैठते हैं तो बैठने की जगह नहीं, दरियां नहीं, अध्यापक नहीं, अध्यापक हैं तो विद्यार्थी नहीं। अध्यापक घूम रहे हैं उनको नौकरियां नहीं मिलती हैं और विद्यार्थी हैं उनको अध्यापक नहीं मिलते। पढ़ाई के स्तर को देख लीजिए। यदि संख्या के अनुपात को लें तो जिस संख्या का अनुपात शिक्षा के अन्तर बताते हैं उसको देख लीजिए। तो मैं यह निवेदन करता हूं कि साक्षरता में जम्मू और कश्मीर को छोड़कर राजस्थान सबसे पिछड़ा हुआ प्रदेश रहा है। यह स्थिति क्यों बनी। हमने आज तक शिक्षा को कभी इस ढंग से, जिस ढंग से हमें सोचना चाहिए था सोचा नहीं। राजस्थान में एक से 5 वीं तक की भर्ती के बारे में भी राजस्थान सारे भारतवर्ष के प्रान्तों में एक प्रान्त को छोड़कर सब प्रान्तों में पिछड़ा हुआ है। और राजस्थान का जो प्रतिशत है वह 57.3 है। राजस्थान सरकार ने शिक्षा के बारे में कभी नहीं सोचा। हर बात में राजनैतिक कन्सीडरेशन हो जाते हैं इस कारण से शिक्षा का विस्तार नहीं होता। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो एम्प्लायमेंट ओरियेंटेड हो। जैसा जापान में है। जापान में कॉलेजों में जो शिक्षा ग्रहण करवाई जाती है, तो कॉलेज में शिक्षा ग्रहण करने के बाद कॉलेज का विद्यार्थी उद्योगों में काम करता है। वहां पर उद्योगों से सम्बन्धित शिक्षा विद्यार्थियों को दी जाती है और उद्योगों को किस प्रकार के व्यक्ति चाहिए, टैक्नीशियन चाहिए? अकाउन्ट्स एक्सपर्ट चाहिए, उन उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार कॉलेजों में शिक्षा दी जाती है और उन कॉलेजों का व्यय भार वहां के उद्योग उठाते हैं, सरकार नहीं उठाती। फिर उन विश्वविद्यालयों से निकले हुए विद्यार्थी उन उद्योगों में जाकर काम करते हैं। इसी तरह से एम्प्लायमेंट ओरियेंटेड अगर हमारी एजूकेशन हो तो यह सारी दुविधा चली जाय। राजनीति का इससे कोई सम्बन्ध नहीं होना चाहिए। शिक्षा एक ऐसी पवित्र पुनीत है कि इसमें राजनीति का प्रवेश हो गया तो वह समाप्त हो जाएगी। लेकिन इसमें भी राजनीति आती है। मैं इसके लिए एक उदाहरण देकर इस शिक्षा के अध्याय को समाप्त करूंगा।

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

साहित्य अकादमी के हमारे जनार्दनरायजी नागर जो साहित्यकार हैं, अध्यक्ष थे, उनका अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त हो गया तो उसके बाद श्री लक्ष्मीनारायण कौशिक इसके अध्यक्ष बने। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष पद पर किसी भी साहित्यकार को नियुक्त करते तो मुझे आपत्ति नहीं होती। हमारे माननीय सदस्य मनोहर जी कोठारी अच्छे साहित्यकार हैं, उनको करते, किसी भी साहित्यकार को करते मुझे आपत्ति नहीं होती। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि इनका साहित्य सृजन में क्या उपयोग रहा है, क्या इनका सहयोग रहा है। क्या जीवन में कभी इन्होंने साहित्य गोष्ठियों में हिस्सा लिया है, क्या कभी जीवन में पाठ्यक्रम में कभी हिन्दी सब्जेक्ट रहा है। इनका कोई हिन्दी में सहयोग रहा है। एक ही सहयोग रह सकता है और वह है प्रधान मन्त्री के प्राईवेट सेक्रेट्री थे रहे हैं और मोरारजी भाई के प्राईवेट सेक्रेट्री थे। आप सेक्रेट्री थे तो थे। मुझे इसमें आपत्ति नहीं है, वे विद्वान होंगे, शिक्षित होंगे, लेकिन हम जिस प्रकार साहित्य का विकास करना चाहते हैं और उसमें साहित्य अकादमी में भी यदि हम राजनीति के आधार पर नियुक्तियां करते हैं, हमने राजनीति के आधार पर चयन किया तो, मैं समझता हूं कि फिर असफलता ही हमारे सामने आएगी। खर्चा होगा लेकिन सफलता हमारे सामने नहीं आएगी। राज्य का पालन नहीं होगा कुटुम्ब का पालन होगा।

लोकआयुक्त और उप लोक आयुक्त की जो बात बजट में कही गई है मैं समझता हूं कि बजट में इसका प्रसंग देना आवश्यक नहीं था और मैं इसमें विस्तार में भी नहीं जाना चाहता लेकिन मुझे एक बात अवश्य खटकती है। हमने इसका स्वागत किया है कि भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए एक कदम सरकार ने उठाया है लेकिन आश्चर्य की बात है कि जो कम्प्लेन्ट करेगा और कम्प्लेन्ट करने वाली की भावना दुर्भावनापूर्ण सिद्ध हो तो उसको तीन साल की कड़ी कैद की सजा होगी और जिसके विरुद्ध शिकायत की गई है उनको यदि केस की अनुमति मिली तो उस केस को करने का, केस को प्रोसीक्यूट करने का सारा भार राज्य सरकार वहन करेगी लेकिन जिसके खिलाफ शिकायत की वह कम्प्लेंट अगर सही सिद्ध हो जाती है तो उसको क्या सजा मिलेगी, किस तरह की सजा मिलेगी। जैसा तामिलनाडू ने रखा है कि किसी मंत्री के ऊपर, किसी एम. एल. ए. या किसी चुने हुए निर्वाचित व्यक्ति के विरुद्ध यह साबित हो गया, उसका अपराध सिद्ध हो गया तो उसका आठ साल, दस साल की कड़ी कैद की सजा होगी —आपने क्या किया है इसमें उनको तो कोई सजा नहीं। अगर मामला प्रमाणित हो जावे और उसके बाद यदि लोकआयुक्त या उप लोकआयुक्त रिकमण्डेशन करे तो उसके लिए सरकार बाइंडिंग नहीं और जो कम्पलेंट करेगा उसको तीन साल की कैद और जुर्माना। मैं समझता हूं कि यह जनता की आंखों में धूल झोंकना है। जिस प्रकार एक पांच सौ वाट का लट्टू रख दिया जावे जिससे कि उसके प्रकाश में दूर की चीज दिखाई न दे, इसी प्रकार का यह लट्टू लगा दिया गया है कि हम भ्रष्टाचार मिटाने के लिए कदम आगे रख रहे हैं लेकिन यह कभी सफल सिद्ध नहीं होगा।

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

उपाध्यक्ष महोदय, विद्युत् के बारे में भी हम सबसे पिछड़े हुए हैं। आसाम, नागालैंड को छोड़कर राजस्थान में प्रति व्यक्ति उपभोग न्यूनतम रहा है। औद्योगीकरण में भी हम पीछे रहे हैं। प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग 30 किलोवाट राजस्थान में है।

पैरा 40 में टौंक स्थित लैदर टैनरी के लिए फ्रांस की कम्पनी से करार किये जाने की बात यहां पर कही गई है। यह भी कहा गया है कि आवश्यक मशीनरी और मेटेरियल लाई जा रही है। टौंक में टैनेरी खुले इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन मुझे एक बात कहना है। हर बात को राजनैतिक स्तर से नहीं देखा जाना चाहिये। राज्य के वेल्फेयर के नाम पर काम किया जाना चाहिये। इस टैनेरी का चेयरमैन अब आपने प्रदेश कांग्रेस के मंत्री श्री ओंकारसिंह को बना दिया है। वे फाइनेन्स कार्पोरेशन के भी चेयरमैन है। एक ही व्यक्ति दो कार्पोरेशन का चेयरमेन है। क्यों? क्या वे टैनेरी के एक्सपर्ट हैं? इसलिए बना दिया है। परन्तु यह नहीं है। अगर आपने ऐसी ही व्यवस्था चालू रखी तो यह व्यवस्थाएं राज्य को ले डूबेगी। इसी तरह से पी एन काटजू को आपने मिनरल डवलपमेन्ट कार्पोरेशन का चेयरमैन बना दिया है, जो कि बुड्ढा है, जिसे सुनाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है तो भी आप उसको कार्पोरेशन का चेयरमैन बना देते है। इसलिए कि वह किसी का सम्बन्धी है, रिश्तेदार है। यह कन्सीडरेशन करके इसका अपाइन्टमेन्ट हुआ है तो हमारी विकास के लिए जो मूल धारणा है वह समाप्त हो जाएगी। मैं यह भी निवेदन करना चाहूँगा कि इसी प्रकार राजनैतिक भ्रष्टाचार की उत्पत्ति होती है। इसलिये इसको यहीं पर चेक किया जाय ताकि आगे से भ्रष्टाचार नहीं पनपे। इसी प्रकार से को-ऑपरेटिव फाइनेन्स हाउसिंग कार्पोरेशन के चेयरमैन श्री रामदेवसिंह को बनाया गया है। इसलिये कि वे मुख्य मंत्री के मित्र हैं और चुनाव में हार गये हैं। हारना और जीतना एक खिलाड़ी मैदान में आता है तो होता ही है। परन्तु राजनैतिक स्तर पर इस तरह की सौदेबाजी करके इस विभाग का सत्यानाश नहीं किया जाना चाहिये। परन्तु यह सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं। यह तो कुटुम्ब पालन की योजना है और किसी तरह से इसको राज्य पालन की योजना नहीं कहा जा सकता है।

पैरा 48 में आपने आवास की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में भी कहा है। आवास के लिये चाहे किसी को भी भू-खण्ड दिया जाए ठीक है। आज राज्य के अन्दर कितने लोग बेघरबार हैं। कितने ऐसे परिवार हैं जिनके घरों पर छत नहीं है। आंकड़ों के आधार पर मैं यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान में एक करोड़ 32 हजार ऐसे परिवार हैं जिनके पास भवन नहीं है। तो उनके लिए आपने क्या व्यवस्था की है। हम गरीबी को दूर करना चाहते हैं। परन्तु इस गरीबी का मापदण्ड क्या है। ऐसे परिवार इस राज्य और देश में हैं जिनकी आमदनी 30 रु. मासिक से भी कम है। इस प्रकार उनके पास मकान बनाने के लिए साधन नहीं है। अगर उनको भू-खण्ड दिया जाय तो वे मकान भी नहीं बना पायेंगे। वे मकान बनाना तो दूर रहा उनके लिए पीने के पानी की

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

व्यवस्था और खाने के लिए अनाज की व्यवस्था भी हम नहीं कर पाये हैं। इस प्रकार जब व्यवस्था करने की बातें इस बजट में नहीं है तो मैं इस बजट को प्रगतिशील बजट मानने के लिए कदापि तैयार नहीं हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारी जो को-ऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उनके अन्दर कितना पैसा लगा हुआ है। यह करीब दस करोड़ रुपया है। यह दस करोड़ रुपया हमने को-ऑपरेटिव सोसाइटीज के अन्दर इनवेस्ट कर रखा है और उसका रिजल्ट क्या है 0.1 पर्सेन्ट याने कोई लाभ नहीं हो रहा है। मुझे तो ऐसी समितियां भी देखने को मिली हैं जो कि एग्जिस्टेन्स में नहीं हैं। कुछ महापुरुष ऐसी समितियों को लोन दिला देते हैं। ऐसी ही एक उदयपुर में क्रय-विक्रय सहकारी समिति है उसको लोन दिया गया। इन्स्पेक्टर रिपोर्ट कर देता है और उस समिति को राज्य सरकार से लोन मिल जाता है और उसके बाद उस समिति का कोई काम नहीं होता है वह नजर नहीं आती है और वह पैसा वसूल करने के लिए भी सरकार की ओर से कोई कार्यवाही नहीं होती है। यह सिर्फ अपने लोगों के पालन करने के लिये ही समितियां बनाई गई हैं। ऐसी समितियों में दस करोड़ की धनराशि का इनवेस्टमेन्ट करने से क्या लाभ होगा? अब आप कहते हैं कि राज्य सरकार के पास पैसा नहीं है? पैसा कहां से आयेगा और फिर आप केन्द्रीय सरकार से कहेंगे कि हमारी कर्जा चुकाने की स्थिति नहीं है। अगर इस प्रकार से इन्वेस्टमेन्ट होगा तो यही रिजल्ट आयेगा। हमारे वित्त मंत्री कहते हैं कि इन्द्र भगवान की हमारे पर कृपा नहीं है। कृपा होगी कैसे हमारे वित्त मंत्री धर्म पुरुष हैं और अगर वे भगवान की कृपा लेना चाहते हैं तो जंगल में जाकर यज्ञ करें, जटा धारण करें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ये तो ऐसों के चेले हैं कि उनके भी बाल साफ कर दें।

श्री भानुकुमार शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, बंगला देश नामका कर लगा। हमारे देश पर एक तरफ से आक्रमण हुआ और दूसरी ओर से हजारों लाखों लोग शरणार्थी के रूप में हमारे देश के अन्दर आ गये। ऐसी परिस्थिति के अन्दर भारत की जनता ने राजस्थान की जनता ने दिल खोलकर सहायता की और सरकार ने जो टैक्स लगाया उस पर जनता कुछ नहीं बोली, वह कर भार जनता ने सहर्ष वहन कर लिया। परन्तु अब इस कर भार को किसी और बहाने से कन्टीन्यू कर दिया गया। इससे जनता का मनोबल टूट जायेगा और वह इसकी इम्पारटेन्स को नहीं समझेगी। वह यह समझेगी कि सरकार एक बार टैक्स लगा देती है तो वापिस नहीं हटाती है वह चालू रहता है। परन्तु टैक्स लगाते समय हमारे वित्त मंत्री महोदय को जूते की याद आ गई। उन्होंने सोचा होगा रोज जुलूस निकलते हैं और जूता सिर पर न आ जावे इसलिए इसको मुक्त रख दिया।

श्री शंकरलाल : जूता नहीं जूता बनाने वालों को कर मुक्त रखा है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : वह एक ही बात है। मैं इसके लिये उनको धन्यवाद दूंगा। टैक्स लगाते समय उनको जूतों का स्मरण जरूर रहा।

श्री केदारनाथ : यह किसी एजीटेशन का एक्सपीरियन्स है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : इन सारी परिस्थितियों के अन्दर आज कांग्रेस का शासन है। वह आम जनता से मैनडेट लेकर आयी है और जनता ने जय जयकार करके उसे इस सिंहासन पर बिठाया है तो मैं उनको कहना चाहूंगा चेतावनी के रूप में कि जब जनता की आशाओं पर तुषारापात होगा, जब उसकी सारी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, विषमता बढ़ जाएगी और इसको दूर करने के लिए आपने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जनता की गरीबी को दूर नहीं किया, विषमता को नहीं पाटा और आप अपने ऐशो आराम में रहे तो आखिर में एक दिन वह भी आएगा कि यही जनता जिसने आपको जय जयकार कर के सिंहासन पर बिठाया है वह हाहाकार के साथ आप लोगों को इस सिंहासन से उतार धरती पर बैठा देगी।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ, उपाध्यक्ष महोदय, यह कहना चाहता हूं कि मैं इस बजट को किसी भी प्रकार से प्रगतिशील मानने के लिए तैयार नहीं हूं।

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा का भूमि बेचान आरोप सम्बन्धी व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरलाल (पाली)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ऑन ए पाइन्ट ऑफ ऑर्डर सर।

उपाध्यक्ष महोदय 28 फरवरी को राजस्व मन्त्री महोदय ने मुझे पर चार्ज लगाया था कि मैंने 22 मुरब्बा जमीन सीलिंग लॉ से बचने के लिये बेच दी है।

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर राजस्व मंत्री के सामने ही दिया जाना चाहिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं प्रोसीडिंग्स को देख कर आया हूं 28 फरवरी की राजस्व मंत्री का कथन वहां पर मौजूद है कि मैंने 22 मुरब्बा जमीन सीलिंग से बचने के लिए बेच दी है और इसलिये मेरा अधिकार है कि मैं इस सम्बन्ध में अपना पर्सनल एक्सप्लेनेशन दूं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं यह निवेदन कर दूं कि इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यह आपका अधिकार है कि आप पर्सनल एक्सप्लेनेशन दें। परन्तु यह उचित होगा कि यह आप जब राजस्व मंत्री उपस्थित हों तब कहें।

श्री शंकरलाल : कल प्रश्नोत्तर के बाद दे दें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कल मैं बाहर जाना चाहता हूं। इसलिए आज ही उत्तर देना चाहता हूं।

श्री शंकरलाल : मंत्री महोदय की अनुपस्थिति में आप कैसे कह सकते हैं?

श्री उपाध्यक्ष : आप फर्मा दें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कहीं चेम्बर में हों तो बुला लीजिये। एक्सप्लेनेशन को सुन कर कुछ कहना चाहेंगे तो कह सकेंगे।

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

22मुरब्बा तो उपाध्यक्ष महोदय, मेरे बाप के पास ही जमीन कभी नहीं थी और आज तक 22 मुरब्बा नहीं रही। 25 जुलाई, 53 को जब वे मरे थे तो वे 9-10 मुरब्बा छोड़कर मरे थे, तो 22 मुरब्बा मुझे पता नहीं कहां से बेच दी जो कि मंत्री महोदय ने कहा है....

श्री रामनारायण चौधरी : यह नहीं कहा।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : बड़े गैर जिम्मेवाराना तरीके से मंत्री महोदय ने यह चार्ज मेरे पर लगाया है। 62 तक तो, उपाध्यक्ष, महोदय, मैं एक भी मुरब्बे का मालिक न रहा क्योंकि मेरे पिताजी वसीयत मेरी माताजी के नाम कर गये थे और हम भाइयों ने उन्हीं से जमीन प्राप्त की है। मेरे पास व्यक्तिगत रूप से 25 बीघा से ज्यादा जमीन नहीं है। मेरे पास 25 बीघे से ज्यादा जमीन मेरे पर्सनल कब्जे में कभी नहीं रही। इन मुरब्बों से कोई राशि मुझे प्राप्त भी हुई है तो मैंने वह सीलिंग को लागू करने के लिए खर्च की है। 62-63 में सदन में सीलिंग कानून को लागू कराने के लिए पूरा संघर्ष किया है और अब भी पूरा संघर्ष कर रहा हूं। इस राशि का हिसाब किताब देखा जा सकता है। वह पैसा या तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कामों में खर्च हुआ है या जनहित में खर्च हुआ है और सीलिंग लागू कराने के प्रोग्राम के लिए सारी रकम खर्च हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय के पास 18 बीघा जमीन थी जो कि द्रौपदी के चीर की तरह बढ़ते हुए आज 275 बीघा हो गई है....

श्री उपाध्यक्ष : इसके लिए मैं अनुमति देने में असमर्थ रहूंगा, क्योंकि मंत्री महोदय अनुपस्थित हैं। इसीलिए मैं अनुमति नहीं दे रहा था। आप पर्सनल एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं यदि आज ही आप जरूरी समझें देना तो। इसलिए मैंने अनुमति दी थी। मंत्रीजी अनुपस्थित हैं इसलिए मैं इस संबंध में मजबूर हूं।

श्री शंकरलाल : इसीलिए मैंने कहा था कि उनके सामने देते तो ठीक रहता।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया : आप अपना एक्सप्लेनेशन रेडीमेड क्यों रखते हैं?

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा : वे खिसक गये और मैं उनको पूंछ भी नहीं पकड़ सका।

एक माननीय सदस्य : कल आप नहीं और आज वे नहीं हैं। दोनों मौजूद हों...

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मंत्री महोदय हर बात में झूठ बोलते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, विजिलेन्स कमीशन के सेक्रेटरी राजराजेश्वर जैन रिटायर नहीं हुए हैं और मंत्री महोदय ने एक प्रश्न के उत्तर में रिटायर कर दिया।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि इस संबंध में कुछ न कहें। पुनः आपको अवसर होगा। नियम के मुताबिक अपने अवसर के लिए याचना करके उस समय इस पर विचार रख सकते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मैं चैलेन्ज के रूप में उपाध्यक्ष महोदय, कहना चाहता हूँ कि कभी भी एक बीघा जमीन मैंने या मेरे भाई ने सीलिंग से बचने के लिए नहीं बेची। सुखाड़ियाजी ने भी यह बात सदन में 64-65 में कहा था कि आपने जमीन बेची है तो मैंने कहा था कि वह जमीन आप लोगों के कफन के लिए बेची है और जो थोड़ी सी बची है वह आज भी बेचने को तैयार बैठा हूँ। कानून को आपने बरसों तक लागू नहीं होने दिया। जिनके कानून से आज गंगानगर जिले की कई तहसीलें डेजर्ट बन गई हैं या सेमी-डेजर्ट बन गई हैं। दो तहसीलें तो डेजर्ट हो गई हैं और दो सेमीडेजर्ट हो गई हैं, जिनके कानून के अन्दर राजस्थान नहर के ऊपर सीलिंग नहीं है। जहां 5-5, 6-6 मुरब्बे जमीन बागड़, मालपाणी और जोधपुर की राजकुमारी के पास हों, ऐसे कानून के विरुद्ध लड़ने के लिए जमीन बेची है, उसके पैसे का उपयोग उसमें किया है। चौधरी रामचन्द्रजी ने इस कानून में गंगानगर के लैण्डलार्डस् को प्रोटेक्शन दिया है। एक्सप्लेनेशन तो वे दें कि 18 बीघा जमीन से उनके पास 275 बीघा जमीन किस प्रकार हो गई, कैसे उन्होंने प्राप्त की। (घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : आप तशरीफ रखिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : बंजर जमीन की जगह बेजोड़ हो गई। जो खाते के अन्दर बन्जर दर्ज थी वह 15 एकड़ जमीन भट्टे की बन गई है (घंटी)। उन्होंने उन जमीनों को कन्वर्ट करा लिया, उनके भाई ने कन्वर्ट करा लिया और उनके रिश्तेदारों ने कन्वर्ट करा ली।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने प्रारम्भ में ही नम्र निवेदन किया था कि आप अपना पर्सनल एक्सप्लेनेशन दें। मंत्री महोदय के संबंध में कोई आरोप लगाना हो तो मैंने नम्र-निवेदन किया था कि उनकी प्रजेन्स में लगायें। इस संबंध में आसन ने अनुमति नहीं दी। मैं पुन: निवेदन करूंगा कि आप आसन ग्रहण करें।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : प्रश्न यह है कि मैं उपस्थित नहीं था तब मंत्री महोदय चार्ज लगा रहे थे। हमने तो चार्ज लगाने से पहले लिखकर अध्यक्ष को दिया था कि मंत्री महोदय पर यह चार्ज लगा रहे हैं और मंत्री महोदय को भी लिखकर भेजा कि यह चार्ज आप पर लगाये जायेंगे। मेरे पर चार्ज लगाने का प्रश्न आया तो मंत्री महोदय ने यह लिखना मुनासिब नहीं समझा। क्या यह प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम केवल मेरे ही लिए बने हैं और मंत्रीजी के लिए नहीं बने हैं। मंत्रीजी को यह याद नहीं था जिस समय उन्होंने बेगली मेरे पर चार्ज लगाये थे। क्या यह उनका कर्तव्य नहीं था कि वे पहले मुझे इसकी इत्तिला देते कि मैं इस प्रकार के चार्ज लगाने जा रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं फिर भी कहना चाहता हूं कि दावे के साथ कि एक बीघा भी जमीन मैंने सीलिंग से बचने के लिए नहीं बेची है। अगर सीलिंग से बचने के लिए बेची हो तो मैं सदन से इस्तीफा देकर जाने को तैयार हूं, लेकिन मैं यह साबित कर सकता हूं कि 18 एकड़ (बीघे) धरती से मंत्री महोदय की 275 बीघा धरती हो गई है

Page No 68

(68)

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
वह किस प्रकार से प्राप्त हो गई है, किन हथकण्डों से धरती प्राप्त की कि द्रौपदी के चीर की तरह वह बढ़ती ही चली गई (व्यवस्था-सूचक-घण्टी) मन्त्री महोदय इसका एक्सप्लेनेशन दें।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप तशरीफ रखिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उन्होंने सूरतगढ़ के अन्दर भट्टे बनाये हैं, उनके भाई के भट्टे रानवाल में चल रहे हैं, उनके चाचा के भट्टे चल रहे हैं····

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। आप तशरीफ रखिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एग्रीकलचर लैण्ड को भट्टों की लैण्ड में कन्वर्ट करा लिया····

श्री उपाध्यक्ष : मैं आप से इस सम्बन्ध में पहिले भी निवेदन कर चुका हूं कि आप केवल अपना व्यक्तिगत स्पष्टीकरण करें क्योंकि मन्त्री जी उपस्थित नहीं है। आपने उसको मन्जूर किया इसलिए मैंने अनुमति दी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : लेकिन इस आसन के द्वारा उस वक्त मन्त्री महोदय को रोका जाना चाहिए था जबकि वह बेगली चार्ज मेरे ऊपर लगा रहे थे····

श्री उपाध्यक्ष : (श्री शंकरलाल, पाली) आप तशरीफ रखिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं एक बात और कहना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि क्या मन्त्री महोदय इसका भी जवाब देंगे कि श्रीमती इमरती देवी ने जमीन कहां से हासिल की है····

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। Have your seat please !

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं अन्त में यह कहूंगा कि जो चार्ज मन्त्री महोदय ने मेरे पर लगाये हैं और उनकी जिस प्रकार की स्थिति है और जिस प्रकार के वे जिम्मेदार आदमी हैं, लेकिन उन्होंने गैर जिम्मेवाराना काम किया है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरलाल (पाली)।

श्री जगमोहनसिंह (छबड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मन्त्री महोदय हाउस में नहीं हैं और जो भी उन पर चार्ज उनकी ऐबसेन्स में लगाये गये हैं उनको कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय, बाद में भी जवाब दे सकते हैं इसलिए कार्यवाही से निकालने का प्रश्न पैदा नहीं होता है।

आय-व्ययक 1973-74 पर अग्रेत्तर सामान्य वाद-विवाद

श्री शंकरलाल (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की जिन परिस्थितियों में राजस्थान के वित्त मन्त्री ने सन् 1973-74 का जो बजट सदन के समक्ष रखा है उसके लिए मैं उनको धन्यवाद दिए बिना रह नहीं सकता। उपाध्यक्ष महोदय, बजट जिस प्रकार का भी हो, लेकिन उससे समाजवाद की झलक स्पष्ट झलकती है। उपाध्यक्ष महोदय, जो कई बार ऐसा कहते हैं कि राजस्थान का वित्त मन्त्री एक ऐसे वर्ग से आ रहा है जो कि व्यापारी वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, और वह किसानों के विरुद्ध है। ऐसा चार्ज लगाने वालों की आशंका और उनका चार्ज बिल्कुल निर्मूल सिद्ध हुए हैं।

इस बजट के पेश होने पर, उपाध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी चीज जो हम इस बजट में देखते हैं वह यह है कि हमारे वित्त मन्त्री जी द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, इस बजट के माध्यम से कोई भी कर, कोई भी टैक्स किसानों के खिलाफ नहीं लगाया गया है। यह पहला बजट है राजस्थान के अन्दर कि जिसमें किसानों के ऊपर किसी प्रकार का कोई कर नहीं लगाया गया है। इसके लिए मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और उन्हें बधाई देता हूं कि उन्होंने राजस्थान की इस विषम परिस्थिति में, अकाल की परिस्थिति में जहां ग्रामीण जनता अकाल के कारण दुखी है, वहां उन्होंने किसानों पर टैक्स नहीं लगाकर कांग्रेस की समाजवादी नीति का स्पष्ट उदाहरण पेश किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, यही नहीं, यह भी कहना होगा कि राजस्थान के अन्दर जो कुछ भी उन्होंने टैक्सों की घोषणा की है उस टैक्स में हमें एक समाजवादी नीति की झलक दिखाई देती है। जो शहरी सम्पत्ति के अन्दर, जिन मकानों की कीमतें 50 हजार से ऊपर हैं, उन पर टैक्स लगाई है, तो उपाध्यक्ष महोदय, कोई बेजा नहीं है। इन टैक्सों से होने वाली आय का किस प्रकार से खर्च का प्रावधान रखा गया है। उन्होंने इसका इस बजट में प्रावधान रखा है। जो भी मकानों के टैक्स से प्राप्त होगा, उसका बताया है। उससे पिछड़ी हुई जातियों की बस्तियों में बिजली, सार्वजनिक नलों, नगरीय जन समाज की योजनाओं के लिए, इतना ही हमारे जो फैमिन के कार्य चल रहे हैं, उसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा। वहां इस बात की दिक्कत आती है, वहां जो सड़कों पर मैटीरियल लगाया जाता है, उसके लिए राज्य सरकार स्वीकार नहीं करती है। कई योजनायें इसलिए अस्वीकार होती हैं कि मैटीरियल कम्पोनेण्ट जितना लगना चाहिए, उससे ज्यादा खर्चा होता है। पाली जिले के लिए 35% कम्पोनेण्ट रखा है। इससे सड़कों का काम पूरा नहीं हो सकता है। न कोई एनीकट बन सकता है। उन्होंने जो 80 लाख का प्रावधान रखा है। एक तरफ से पैसा लिया है, जिसके लिए खर्च की आवश्यकता थी। यही तो समाजवाद है। पुलिस के लिए भी 20) लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान रखा है। उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने जो बजट के अन्दर प्रावधान रखा है, उसके लिए मैं अपने विचार रखना चाहता हूं। उन्होंने यह जरूर कहा है कि 66.13

(श्री शंकरलाल)

करोड़ रुपया खर्च करेंगे। यह भी कहा गया है कि जितने भी काम करने वाले थे, उनको मजदूरी दुगनी कर दी गई है। उनके अन्दर शत प्रतिशत काम न हो कर 20% कम काम होगा, उसमें भी छूट दी गई है। उन्होंने यह लक्ष्य रखा है कि कितने मजदूर किस काम में लगायेंगे। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट रूप से निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य की नीति स्पष्ट है, अच्छी है, समाजवादी है। लेकिन उसकी क्रियान्विति करने वाली मशीनरी जो है, वह उन नीतियों का पालन नहीं कर पाती है। गांवों में इसी प्रकार की धारणा फैल रही है। यहां से चलने वाली योजनायें वहां नहीं पहुंचती हैं। उदाहरण के लिए 30% काम कम होने का जो आदेश है मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के गांव में गया था, वहां वह ऑर्डर नहीं पहुँचा है। वहां पहुंचा नहीं है वह ऑर्डर। इतना ही नहीं, पाली जिले के डूडली गांव में, जहां प्रधान मन्त्री के जाने का प्रोग्राम रखा गया था और फिर कैंसिल कर दिया गया था, वहां जनवरी मास में चालू किए गए काम का पेमेण्ट अब किया गया है। दो महिने के बाद पेमेन्ट करें। अकाल के क्षेत्र में, जो लोग अकाल से पीड़ित हैं, उनको इतने दिनों बाद पेमेन्ट किया जाये। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सरकार को कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। सरकार को इस प्रकार के आदेश निकालना चाहिए कि एक सप्ताह के बाद अगर पेमेन्ट होता है तो उनको 15 दिन की मजदूरी मिलनी चाहिए। मजदूरों को उन्हीं साहूकारों के पास कर्ज लेने के लिए जाना पड़ता है। साहूकार उनको कर्ज देकर उनका गला काटते हैं। उनसे वसूल करने के लिए उनको दुगना अनाज देते हैं। डूडली में मजदूरों की मजदूरी काट ली गई है। क्योंकि 30% वाला ऑर्डर अभी वहां पहुँचा नहीं है। जहां पर चरागाह हैं, जोड़ हैं, वहां पर निःशुल्क चराई का निर्णय हमारी सरकार ने लिया था, लेकिन पाली के जिलाधीश के पास अभी भी ऑर्डर नहीं पहुँचा है। इसलिए मेरा निवेदन है, उपाध्यक्ष महोदय, सरकार जो निर्णय लेती है, वह निर्णय लेने के बाद उनका इम्प्लीमेन्टेशन होना चाहिए। यह किस प्रकार की विडम्बना है कि आप निर्णय लें और वह निर्णय अधिकारियों के पास नहीं पहुँचे, वह पालन नहीं करें। इसके अलावा मैं निवेदन करूंगा, अकाल पीड़ित क्षेत्र में जनता जो परिचय-पत्र दिये गए हैं, इसलिए कि उस कुटुम्ब में से 5 में से 2 आदमी काम में रखे जाते हैं। लेकिन जो परिचय पत्र दिये गये हैं—वह भिन्न हैं। एक महिला भूरिया जो कि शिड्यूल्ड कास्ट्स महिला है, जिसके दो बच्चे हैं, यह आंखों देखी है, उस महिला का नाम बच्ची में लिखा गया है। क्या यह उचित है कि एक महिला को बच्ची में लिखा जाये? उसको मजदूरी बच्चों में मिले? आज हमने मजदूरी दुगनी की है, पर मौके पर मेट और मिस्तरी पालन नहीं करते हैं। उनके हाथों में आंटने पड़ गई हैं। इसके साथ साथ जिस प्रकार से नाप लिया जाता है, 10 दिन में नाप लिया जाता है। अगर कम होता है। तो सबकी मजदूरी काटी जाती है। जो काम करे उसकी भी मजदूरी काटी जाती है। चाहे कोई निठुला बैठा रहे। वह सब

(श्री शंकरलाल)

कहते हैं कि मेजरमेन्ट करो, मौके पर जिस दिन काम दिया गया है, कितने व्यक्तियों ने कितना काम किया है, उपाध्यक्ष महोदय, यह मौके की बातें हैं। स्पाट की बातें हैं। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा फेमिन के अन्दर जो अभी काम है, वह राज्य की आज्ञा के अनुसार हो। राज्य के आदेशों का पालन हो, बहुत से ऐसे काम हैं जो कि अस्वीकृत हो जाते हैं, पाली जिले का एक काम 6 जनवरी को मंजूर हुआ लेकिन अभी तक चालू नहीं हुआ है। यह कहा गया था कि मेड़बन्दी का काम पाली जिले के लिए उपयुक्त है, उपयोगी है। खेतों का उत्पादन बढ़ाने के लिए यह कार्य आवश्यक है। लेकिन आज जब हम मेड़बन्दी के कार्य को लेना चाहते हैं तो कहते हैं कि हमारे पास स्टाफ नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार से कहना चाहूंगा, जो भी वह आज्ञा दे, उसका पालन होना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, जलप्रदाय मन्त्री ने जल प्रदाय योजना को कार्यान्वित करने की घोषणा की है कि जवाई बांध से 80 गांवों को पानी मिलता था। उनको टेंक बनाकर नहर से पानी दिया जायेगा। लेकिन वह इस साल नहीं होगी। इसीलिए जो नजदीक गांव हैं, उन्हीं को पानी देना होगा, जिनको पानी देने की आवश्यकता है। गत सत्र में इसी सवाल को लेकर मेरा विवाद हुआ था। मैं उनसे क्षमा चाहूंगा, इस साल भी जहां ऐसे गांव हैं जिनके अन्दर पीने के पानी के मीठे कुए नहीं हैं, जो तालाब पर निर्भर रहते हैं, जब तालाब का पानी सूख जाता है तो मनुष्य के लिए पानी नहीं मिलता तो मवेशियों के लिए पानी कैसे मिलेगा। इसलिए उनको जवाई नहर से पानी तालाबों में देना पड़ेगा। आप कहते हैं कि हम टंकियों से पानी पहुँचायेंगे। टंकियों से पानी पहुंचाना है तो वह पूरी पापूलेशन के लिए पानी नहीं पहुँचा सकते, फिर मवेशियों के लिए किस प्रकार पानी पहुँचाना सम्भव है। हमें विवश होकर मवेशियों का निष्क्रमण करना पड़ेगा। यह गम्भीर समस्या है, इसे मैं वित्त मंत्री जी और उनके द्वारा अकाल मंत्री के समक्ष रखना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, हमें इस बात की खुशी है, जिस प्रकार हाउस के ऊपर टैक्स लगाने की बात कही गई है, उसी प्रकार बंगला देश के जो शरणार्थी थे, उनकी सहायता के लिए जो भी राज्य सरकार ने सरचार्ज लगाया, मनोरंजन कर पर सरचार्ज लगाया या जो पैसेन्जर टैक्स पर सरचार्ज लगाया था, उसको लागू रखने की कोशिश की है। इसका क्रिटिसिज्म भी हो सकता है, साथ ही इस कर के लागू होने से जो भी हमें आमदनी होगी वह आमदनी हम अकाल राहत कार्यों के अन्दर काम में लायेंगे, इसके लिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कारीगरी के साथ, कुशलता के साथ जो भी टैक्स रखे हैं, वह, उपाध्यक्ष महोदय, समाजवादी नीति के अनुसार रखे हैं और कांग्रेस पार्टी का जो घोषणा-पत्र है और नीति है उसके अनुसार रखे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं निवेदन करना चाहूँ कि शिक्षा के मामले के अन्दर जहां एक हजार नई प्राथमिक

(श्री शंकरलाल)

शालायें और पन्द्रह सौ मिडिल स्कूल खोलने का प्रावधान रखा है, उसी के साथ यह भी घोषणा की है कि चौरासी लाख उन प्राइमरी और मिडिल स्कूलों के भवन के लिए दिये जायें, जहां मकान बनाने की जरूरत है। मैं सुझाव देना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो चौरासी लाख रुपये पूरे राजस्थान के स्कूलों के भवनों के लिए पर्याप्त नहीं होते हैं लेकिन वित्तीय स्थिति ऐसी है कि राज्य सरकार इस चौरासी लाख के प्रावधान को बढ़ाने में असमर्थ है, इसलिए इस रुपये को पूरे जिलों के अन्दर अनुपात से न बांट कर उन स्थानों, उन जगहों पर लगाये जहां गरीब जनता और शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की बस्ती है, जो अपने स्कूल भवनों के लिए किसी प्रकार पैसा खर्च करने में असमर्थ है, इसलिए आप प्राथमिकता ऐसे स्थानों पर दें जहां भवन बनाने में वहां की जनता, वहां के लोग पैसा नहीं लगा सकते। साथ ही, उपाध्यक्ष महोदय, जहां हाउसिंग, गृह निर्माण का प्रश्न आया, गृह निर्माण हमारे लिए बहुत जरूरी है और गरीबी हटाने के अन्दर जो हमारा कार्यक्रम है, गरीबों के लिए मकान की सुविधा हो, और उनके मकान बनाने का प्रावधान हो— उसके अन्तर्गत यह बात कही गई है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों के लिए चार हजार रुपये बिना ब्याज देने का प्रावधान है, जिसके अन्दर सौ रुपये व्यक्ति को देने पड़ेंगे और तीन सौ रुपये राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दिये जाते हैं। उनमें बताया है, इस वर्ष इस योजना के अन्तर्गत लगभग 3,289 व्यक्तियों को लाभ हुआ है, यानि गत वर्ष। उपाध्यक्ष महोदय, यह ठीक है, लेकिन मैं निवेदन करना चाहूं, आपकी यह योजना है, इसका शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग सहकारी समितियां बना कर बहुत ज्यादा तादाद में फायदा उठाना चाहते हैं। यह योजना बढ़िया है, इससे लोगों को फायदा मिलने वाला है। लेकिन समाज कल्याण विभाग के तहत पाली जिले के लिए एक लाख रुपये का प्रावधान रखा है, इसमें से सीमित लोगों को, सीमित सहकारी समितियों को पैसा दिया जा सकता है। मैं निवेदन करना चाहूं, जहां एक तरफ अपेक्स हाउसिंग सोसाइटी के पास प्रावधान है, उसी प्रकार समाज कल्याण विभाग के पास यह रकम अधिक मात्रा में हो जिससे सहकारी समितियों को गरीबों की सहकारी समितियों को अनुदान के रूप में आवश्यकता के अनुसार रुपया दिया जा सके। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा जो हाउसिंग बोर्ड है जिसके जरिये, यह बात कही गई है, चार करोड़ का प्रावधान रखा है, उससे यह समस्या हल होगी। इस सम्बन्ध में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूं कि शहरों के अन्दर, अधिकतर जहां शहरों के आस पास एग्रीकल्चर लैण्ड, कृषि भूमि आई हुई है, उसको अवाप्त कर मकान बनाने का जो मौजूदा नियम है, उससे भारी अड़चन आती है। ऐसी योजनाओं की क्रियान्विति में इण्डिविजुअल व्यक्ति अपनी भूमि को आबादी में परिणत नहीं करा सकता है, यदि अरबन एरिया में करानी है तो वह म्यूनीसिपल बोर्ड के माध्यम से करायें, जबकि म्यूनीसिपल बोर्ड इसमें दिलचस्पी नहीं लेते हैं।

(श्री शंकरलाल)
मुआवजा देने और एक्जीवीशन में इतना लम्बा समय लगेगा, उपाध्यक्ष महोदय, तो इस योजना को जितनी शीघ्र क्रियान्विति करना चाहते हैं उतनी शीघ्र नहीं कर पायेंगे। मैं निवेदन करना चाहूं जिस प्रकार गुजरात राज्य में सहकारी समितियों के मार्फत जिस प्रकार एग्रीकल्चर लेण्ड, कृषि भूमि को जल्दी आबादी भूमि में परिवर्तित करके उस पर मकान बनाने का जो प्रावधान रखा गया है, जो योजना रखी गई है, उसी प्रकार की योजना रखें जिससे इसका फायदा उठाने की बात हो और हाउसिंग बोर्ड के जरिये जितना फायदा ले सकते हैं और जो लक्ष्य रखा है उस लक्ष्य की पूर्ति हो सके और फायदा हमें हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाहूँ, वह यह है कि जहां तक बेरोजगारी को हटाने का प्रश्न है, मुझे कम से कम इस बजट से जितनी आशा और जितना विश्वास होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, वैसे जो गत वर्ष, 1972-73 निकला है, उसका जो हमें इकॉनामिक रिव्यू, आय-व्ययक का ब्यौरा दिया गया है, डाईरेक्टोरेट ऑफ इकॉनामिक्स एण्ड स्टेटिसटिक्स द्वारा, उससे ऐसा लगता है कि बेरोजगार आदमियों की संख्या में वृद्धि हुई है। उसमें जो रेलेवेन्ट पोर्शन है, वह सदन के समक्ष मैं रखना चाहूँगा। पंजीकरण की संख्या बतायी है, नियोजन, रिक्त स्थान विज्ञापित किये गये, नियोजन प्राप्ति के इच्छुक व्यक्तियों की संख्या बतायी है, उसके नीचे कहा है–

"इससे ज्ञात होगा कि बेरोजगारी की समस्या प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है। रोजगार पाने वाले इच्छुक व्यक्तियों की संख्या में वर्ष 1971 में 9.16 प्रतिशत एवं 1972 में 22.81 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। साथ में व्यक्तियों को रोजगार, बेकार व्यक्तियों की प्रतिशत संख्या में वृद्धि के अनुरूप नहीं दिया गया। नियोजित व्यक्तियों की पंजीकृत व्यक्तियों से प्रतिशत संख्या जो कि वर्ष 1971 में 10.2 थी कम होकर वर्ष 1972 में 8.8 हो गई, जो कि वर्ष 1970 की 8.1 प्रतिशत से भी कम थी। बेकार इच्छुक व्यक्तियों की संख्या में भी 1972 में 11.85 प्रतिशत की वृद्धि हुई।"

तो इस प्रकार, उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बेरोजगारी की समस्या है जिसको हटाने के लिए कुछ बातें हमारे इस बजट में गई हैं, मैं सर्व प्रथम तो ग्रामीण बेरोजगारी की तरफ ध्यान दिलाना चाहूँगा। उपाध्यक्ष महोदय, एक तो क्रेश योजना जो भारत सरकार की है, जिसके जरिये कहा गया है कि प्रत्येक जिले में एक हजार बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलेगा, यानि छब्बीस हजार बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी से हटाने का प्रावधान रखा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसे बेरोजगारी हटाने का प्रावधान नहीं कहूँगा, यह तो मजदूरी देने का प्रावधान है क्योंकि जो ही कार्य बन्द हुआ त्यों ही वह लोग बेरोजगार हुए। बेरोजगारी मिटाने का तात्पर्य यह है कि ग्रामीणों को इस प्रकार का रोजगार दें जिससे स्थायी तौर पर स्वयं अपने पैरों पर खड़े होकर रोजी कमाने लग जायें। उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिए मैं कुछ सुझाव प्रस्तुत करना चाहूं। राज्य सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि

Page No 74

74

(श्री शंकरलाल)

वह भारत सरकार से इस बारे में निवेदन करे। वह यह कह कर नहीं टाल सकती कि यह भारत सरकार की योजना है। भारत सरकार की योजना ग्रामीण बेरोजगारी को मिटाने की है, लेकिन मजदूरी का काम जिस प्रकार अकाल राहत कार्यों में दिया जाता है, उसी प्रकार दिया जाय तो बेरोजगारी नहीं मिट सकती। बेरोजगारी आपको गांवों के अन्दर मिटानी है तो गांवों के लोगों को ऐसे रोजगार करने के लिए प्रोत्साहन देना पड़ेगा, जो रोजगार वह पहले करते थे और अब जिनका ह्रास हो चुका है। जो गांव का खाती है, गांव का कारपेन्टर है, गांव का बढ़ई है, उसका किस प्रकार से रोजगार चले, उसके लिए ऋण दीजिये, उनको अनुदान दीजिये तो एक स्टेज आयेगी वह राज्य पर निर्भर नही रहेंगे। इसी प्रकार जो गांव में चमड़ा बनाने वाला मोची है जो लुहार है, और गांवों के अन्दर एक बड़ा धन्धा है, बुनकर का, उनको ऋण व अनुदान दीजिये, जिससे गांवों के अन्दर रोजगार लोगों को मिल सके और जो गांवों को स्वावलम्बी बनाने की बात महात्मा गांधी ने कही थी, गांवों को उस प्रकार स्वावलम्बी बनाने के लिए आप इन रोजगारों को प्रोत्साहन दें, जिससे गांवों के बेरोजगार लोगों के लिए जो आपने क्रेश प्रोग्राम बनाया है, वह बन्द भी हो जाय तो उसके बाद भी वे बेरोजगार नहीं रहें। आप की जो इसमें बेरोजगारी मिटाने की योजना है, वह मजदूरी देने की योजना है इसलिए यह बात मैने कही। वैसे माननीय मंत्री जी ने जो ग्रामीण बेरोजगारी को हटाने के लिए पैसा देने की बात कही है उससे ग्रामीण बेरोजगारी नहीं मिटेगी।

इसी संदर्भ में जो भूमिहीन किसान हैं, बेरोजगार हैं गांव के अन्दर उनकी समस्या सदन के समक्ष रखना चाहता हूं और राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, एक आशा बंधी कि भूमिहीन लोगों को बैंकों से पैसा मिलेगा, उससे उनको साहूकार के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सब आशायें धूमिल हो गई। आज भी इन राष्ट्रीयकृत बैंकों से गरीब लोगों को ऋण नहीं मिल पा रहा है जिनको इसकी जरूरत है। राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण लेने का जो प्रोसीजर है वह बड़ा ही पेचीदा है। उससे एक साधारण आदमी को लाभ नहीं मिल सकता। क्या सरकार इस बात के आंकड़े प्रस्तुत कर सकती है कि कितने ऐसे लोगों को ऋण दिया गया बैंकों से जिनको जरूरत थी ? आप बड़े किसानों के आंकड़े बता देंगे जो दूसरी जगहों से भी पैसा प्राप्त कर सकते हैं। जागीरदारों और भूतपूर्व जागीरदारों के आप आंकड़े बता सकेंगे जिनको और जगह से भी पैसा मिल सकता था लेकिन जिन लोगों के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, उनको नहीं मिला। मैं राज्य सरकार के द्वारा भारत सरकार से इस संबंध में निवेदन करना चाहता हूं और राज्य सरकार से अपील करूंगा कि वह पुरजोर शब्दों में इस बात को भारत सरकार के समक्ष रखे। हमारा अनुभव है कि राजस्थान में राष्ट्रीयकृत बैंकों से चाहनेवाले लोगों को ऋण का फायदा नहीं मिलता है। इसलिए इसके प्रोसीजर में सुधार किया जाए और एक ऐसा प्रोसीजर अपनाया जाए जिससे कि लोगों को ऋण मिले

(श्री शंकरलाल)
यह हुआ गांवों में बेरोजगारी मिटाने की बात।

दूसरे शिक्षित बेरोजगारों की बेरोजगारी मिटाने की बात कही गई। भारत सरकार ने इस साल 5 लाख बेरोजगार पढ़े लिखे व्यक्तियों को रोजगार देने की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने भी इस बजट में कहा है कि हम इस संबंध में विचार कर रहे हैं योजना बनाने का। अभी योजना नहीं बनी हुई है। मैं चाहूंगा कि राज्य सरकार इस संबंध में जल्दी योजना बनाए क्योंकि कभी कभी ऐसा अनुभव हुआ है कि जो राज्य अपनी योजना पहले ही बना लेता है उसको पहले ही पैसा मिल जाता है। इसलिए जो भारत सरकार की घोषणा है उसका फायदा उठाने के लिए राज्य सरकार को जल्दी अपनी योजना बनानी चाहिए और बेरोजगारों को फायदा पहुंचाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए।

इतना ही नहीं उन्होंने इस बात को कहा है कि जो डिप्लोमा होल्डर्स, डिग्री होल्डर्स, शिड्यूल्ड कास्ट्स व शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं, उनको हम स्टाइपेंड देते हैं वह इस साल भी चालू रखेंगे। स्टाइपेंड चालू रखने का मैं विरोध नहीं करता लेकिन मुझे जो अनुभव हो रहा है, जो सुनता हूं, मैं समझता हूं इससे बेरोजगारी मिटने में कोई लाभ नहीं होगा। ऐसे लोगों का एक उदाहरण भी सामने आया है जो लोग स्टाइपेंड लेते हैं और दूसरा धंधा भी करते हैं, धंधे से पैसा कमाते हैं, राज्य को पता नहीं, उनको स्टाइपेंड चालू है। आप जिनको स्टाइपेंड दें उन लोगों से काम लें। राष्ट्र के अन्दर काम किए बिना घर बैठे पैसा देना; क्या यह अच्छी व्यवस्था है? यह उसी हालत में अच्छा हो सकता है जब उन लोगों से काम लिया जाए। उसके बाद जब रोजगार मिल जाय तो बंद किया जाए। इसमें कुछ सुधार करना पड़ेगा।

बेरोजगारी के अलावा जो शहरों में छोटे मोटे धंधे करने वाले हैं जैसे शहरों के अन्दर रिक्शा चालक हो तांगे वाला हो, चाहे खुमचे वाला हो, छोटा मोटा व्यापारी हो, उनका भी यह अनुभव है कि जो धंधा करना चाहते हैं, उनको भी राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण नहीं मिलता। तो उनके लिए भी जो बैंक से ऋण लेने की बात है उसमें राज्य सरकार को पहल करके बड़े बड़े शहरों में जहां पर भी लोग अपना धंधा करना चाहते हैं उनको किस प्रकार से पैसा दिलाया जाए, उसके लिए विशेष मशीनरी कायम की जाए। बेरोजगारी मिटाने का प्रश्न आसानी से हल नहीं होगा। इस संबंध में और निवेदन करना चाहता हूं, वह यह कि राजस्थान के अन्दर जयपुर में और जगह जगह यह बात दिखाई देती है कि राजस्थान के पढ़े लिखे लोग कई सालों तक बेकार पड़े रहते हैं और बाहर से आने वाले कई व्यक्ति चाहे यू. पी. के हों, चाहे महाराष्ट्र; चाहे पंजाब के हों, उनको नौकरी जल्दी मिल जाती है। मैं नहीं कहता कि उनको रोजगार नहीं मिले लेकिन आज किसी पंजाब वाले का कोई रिश्तेदार यहां काम कर रहा है, तो वह अपना पता यहां का दे देता है केयर ऑफ सो एण्ड सो। जहां कहीं इन्टरव्यू हुआ चाहने वाला व्यक्ति इन्टरव्यू में आ गया और राजस्थानी काफी समय से एम्प्लायमेंट एक्सचेंज के चक्कर लगा रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिलता।

(श्री शंकरलाल)

राज्य सरकार को सोचना पड़ेगा। मैं यह बात प्रांतीय भावना से नहीं कहता। मैं उस भावना से कहता हूँ कि राज्य सरकार का प्रथम कर्त्तव्य राज्य में रहने वाले बेरोजगारों के लिए है, जिनको रोजगार देना है। आप राजस्थान के बेरोजगारों को रोजगार देने के बजाय दूसरे लोगों को भी दें लेकिन कुछ विशेष केसेज में जैसे लोकपाल की बात हुई? विशेषज्ञ लाने की बात है, वह बाहर से लाया जाए, कोई ऐतराज नहीं लेकिन यहां के लोगों को रोजगार न मिले और बाहर के लोगों को मिले, इससे लोगों के अन्दर असन्तोष की भावना पैदा होती है। इस बात पर भी गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए।

वित मन्त्री जी ने समाजवाद की दिशा में उठाये गये कदमों का हवाला दिया। जो सीलिंग कानून जमीन व शहरी सम्पत्ति का इस सदन में हमने स्वीकृत किया, इसके लिए ट्रांसफर्स पर रोक लगाई ठीक है, हवाला दिया जाए लेकिन प्रश्न यह है कि मैं उन विधेयकों की आलोचना करूं, यह उचित नहीं होगा लेकिन एक बात अवश्य कहना चाहूंगा, जैसे कोई कानून अपन पास करते हैं, कम से कम उसका इम्प्लीमेन्टेशन पूरी तरह से होना चाहिए। कानून पास होते हैं उनका इम्प्लीमेन्टेशन नहीं होता है, यह हमारा कटु अनुभव है। जो सीलिंग कानून आपने पास किया है, वैसे आज मेरा प्रश्नोत्तर काल में एक प्रश्न था जिसके अन्दर मैंने नए कानून बनने के पहले राजस्थान के जिलों में पुराने कानून के तहत हम कितनी भूमि ले सके हैं और बाद में कितनी ले सकेंगे, दोनों के आंकड़े मांगे थे। लेकिन समयाभाव के कारण वह प्रश्न नहीं आ सका। जो सूची मुझे मिली है उसमें कानून के बाद में कितनी भूमि मिलेगी वह आंकड़े नहीं हैं लेकिन उससे पहले कितनी भूमि ले सके उसके कुछ आंकड़े बताता हूं। सबसे अधिक भूमि बीकानेर जिले में 36,679 एकड़, बाड़मेर में 30,996 एकड़, तीसरा नम्बर पाली 12,368 एकड़। ऐसे भी जिले हैं जहां एक इंच भूमि पुराने कानून के तहत प्राप्त नहीं हुई। झुंझुनूं के अन्दर बिल्कुल नहीं, सीकर में बिल्कुल नहीं, कोटा में केवल 23 एकड़ प्राप्त हुई। हमें डर है कि नए कानून का भी इम्प्लीमेन्टेशन नहीं हो सकेगा। अलवर में 137 एकड़, गंगानगर में 2130। तो जहां हम भूमि लेने की बात करते हैं, वहां मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इसका क्रियान्वयन हो वरना आपका कानून कुछ भी वकत नहीं रखेगा। इसके लिए आप स्पेशल मशीनरी स्थापित करें, जल्दी रूल्स बनाएं।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे थोड़ा समय दिया जाय—मैं बहुत जरूरी बात निवेदन कर रहा हूं। वैसे भी हमारे दल को 13 घन्टे का समय दिया गया है।

तो मेरा निवेदन यह है कि जो भी बिल हमने पास किये हैं जो भी कानून हमने बनाये हैं उन सबका जल्दी से इम्प्लीमेन्टेशन होना बहुत ही आवश्यक है। अगर उनका प्रोपर इम्प्लीमेन्टेशन नहीं होता है तो चाहे हम सीलिंग कानून बनायें, चाहे कुछ भी करें वह सब बेकार होगा। आज हमें इसलिये

(श्री शंकरलाल)
यह ध्यान रखना जरूरी है उस कानून की क्रियान्विति में प्रशासन द्वारा कोई ढिले तो नहीं हो रही है।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात आपको और निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि बजट में ऐसी घोषणा की कि एम. एल. एज. की एडवाइजरी कमेटी बनाई गई है जिस प्रकार की पार्लियामेन्ट में एम. पीज. की कमेटी है जो कि राज्य सरकार को अपने सुझाव देगी। इसके लिये मुझे यह निवेदन करना है कि अगर राज्य सरकार ने कोई कमेटी बनाई है तो कम से कम उसकी मीटिंग जरूर होनी चाहिये। अगर उसकी कोई मीटिंग ही नहीं होगी तो वह कमेटी अपने क्या सुझाव देगी ? एक ऐसी एम. एल. एज. की कमेटी पहले बनी थी जो कि नगर परिषदों के बारे में बनाई गई थी जिसमें एक मेम्बर मैं था दूसरे मेम्बर श्री श्रीराम गोटेवाला थे और एक बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य थे लेकिन मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि उसकी एक भी मीटिंग नहीं हुई।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आपके मन्त्री महोदय तो कहते हैं मीटिंग हुई।

श्री शंकरलाल : इस बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा है........

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मीटिंग नहीं हुई है तो झूठ बोलते हैं क्या ? झूठे हैं क्या ?

श्री शंकरलाल : मैं जानता हूं वे कम से कम आपसे कम झूठे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अजी साहब कहीं पहाड़ से चूहे का मुकाबला हुआ है क्या ? वे तो झूठ के पहाड़ है।

श्री शंकरलाल : आप झूठ के पहाड़ हैं मैं जानता हूं। आप जाने दीजिये। तो मैं निवेदन कर रहा था, उपाध्यक्ष महोदय, जिन एम. एल. एज की राज्य सरकार ने कमेटी बनाई है उनकी मीटिंग बराबर होनी चाहिये और जो वह कमेटी अपने सुझाव दे उनकी पालना राज्य सरकार द्वारा जरूर की जानी चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, यह जो राज्य सरकार ने कमेटी बनाई है उसके लिये मैं राज्य सरकार को बधाई देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं जो निवेदन करना चाहता हूं वह है प्रशासन के बारे में। जहां तक प्रशासन का प्रश्न है, जहां तक एडमिनिस्ट्रेशन का प्रश्न है उसके द्वारा वास्तव में सरकार को अपने घोषणाओं की क्रियान्विति के लिए कुछ बड़े कदम उठाने चाहिए और वैसे कुछ बड़े कदम सरकार ने उठाये भी हैं। जैसे राज्य सरकार ने राजस्थान के 60 राज-पत्रित अधिकारियों को कम्पलसरी सेवा से निवृत्त कर दिया गया है। इसके लिए मैं राज्य सरकार को बधाई देना चाहूंगा। यह वास्तव में एक सुदृढ़ प्रशासन के लिए अच्छा कार्य है। ऐसा करने से दूसरे अधिकारियों के ऊपर भी इस बात का प्रभाव पड़ेगा और मैं समझता हूं कि इससे राज्य सरकार की जो भ्रष्टाचार समाप्त करने की नीति है उसमें प्रगति होगी। इसके अलावा राज्य सरकार ने ऊंचे लेवल पर भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए लोकायुक्त

(श्री शंकरलाल)
और उपलोकायुक्त की नियुक्ति करने की घोषणा भी की है जिससे भी भ्रष्टाचार समाप्त होगा। यह राज्य सरकार का एक सराहनीय कदम है।

(2.43 म. प)

(श्री भानुकुमार शास्त्री, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, इसके अलावा मैं एक बात जो महत्वपूर्ण है निवेदन करना चाहता हूं वह है ढिले के बारे मे। आज हमारे प्रशासन हर काम में ढिले बहुत होता है, आज हमारे ऑफिसेज में रेड-टेपिज्म बहुत है इसको तो सरकार को चाहिए कि जल्दी से जल्दी खत्म करे। क्योंकि इससे जनता बहुत परेशान है। आज जो भी कानून हम पास करते हैं उसके ऊपर एक्शन नहीं होता है। उसका कारण ही यह ढिले है रेडटेपिज्म है। जब तक हम इसे समाप्त नहीं करते तब तक मैं समझता हूं आप चाहे जैसी योजनायें बनालें हमें किसी प्रकार का फायदा देने वाली नहीं है। इसके लिए मेरा सुझाव यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी काम के लिए एप्लीकेशन देता है तो राज्य सरकार को कम से कम उस प्रार्थी को जवाब देना चाहिए कि आपकी अर्जी पर यह कार्यवाही होगी अथवा नहीं होगी। आज हमारे यहां पर लोग प्रार्थना-पत्र देते हैं पर उन्हें जवाब नहीं मिलता है। उन्हें जवाब मिलना चाहिए चाहे जो भी जवाब हो वह उसे दिया जाय। आज हम समाजवाद की नीति पर चल रहे हैं तो लोग कम से कम यह तो अपेक्षा कर सकते हैं। आज गांवों की जनता इस चीज के लिए बहुत परेशान है कि उन्हें जवाब नहीं मिलता। आज गांवों के अन्दर लोग कानून नहीं जानते हैं क्योंकि पढ़े लिखे कम हैं उनके लिए आपको यह तो चाहिए कि जिस चीज के लिए वे प्रार्थना-पत्र दे उसका उन्हें जवाब मिलना चाहिए। उस जवाब में राज्य सरकार के कार्यालयों में से यह स्थिति भी जानी चाहिए कि आपके अमुक काम का क्या होगा और वह किस प्रकार हो सकता है। यह राज्य सरकार का कर्त्तव्य है कि वह इसके लिए जनता को जवाब दे। इसके लिए मेरा सुझाव है कि किसी भी प्रार्थना-पत्र के जवाब के लिए एक निश्चत समय फिक्स होना चाहिए कि इतने दिन में जवाब मिलेगा—चाहे 5 दिन 10 दिन कुछ भी हो ताकि वह बेचारा अर्जी देने वाला यह तो समझे कि मुझे इतने दिन बाद जवाब मिल जायेगा वरना आज जिला स्तर पर व तहसील हैडक्वार्टर्स व दूसरे ऑफिसेज में बहुत ही धांधली है। लोगों को 6 महीने साल भर तक जवाब नहीं मिलता। आफिसर लिख देता है ऑफिस टू रिपोर्ट और वह कागज ऑफिस में पड़ा रहता है। कोई एक्शन उस पर होता नहीं है क्योंकि आज सभी जगह ऑफिसेज में रेड-टेपिज्म बहुत है। तो जो ऑफिसर लिखे ऑफिस टू रिपोर्ट इसमें यह लिखा जाना चाहिए कि ऑफिस टू रिपोर्ट ऑन सच एण्ड सच डेट, ताकि गरीब एप्लीकेन्ट को उस कार्यालय में चक्कर नहीं लगाना पड़े। नहीं तो पता नहीं ऑफिस कब रिपोर्ट करेगा। इससे ढिले होती है।

(श्री शंकरलाल)

वह बन्द होनी चाहिए और जो व्यक्ति इसके लिए लापरवाही बरते उसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। इसके अलावा आपके जो सेक्रेट्री और डिप्टी सेक्रेट्री और एसिस्टेन्ट सेक्रेट्री और सुपरिन्टेन्डेन्ट जितने भी हैं उसमें मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार को चाहिए कि डिप्टी सेक्रेट्री की पोस्ट को समाप्त कर देना चाहिए। यह पोस्ट, सभापति महोदय, बिलकुल सुपरफुलअस है। अनावश्यक है। इसे बीच में से हटा देना चाहिए ताकि डिले कम हो। इसी प्रकार आपके पुलिस डिपार्टमेन्ट में जो डी. आई. जी. पी की पोस्ट है वह बिल्कुल बेकार है। इस पोस्ट को रखने का मैं कोई औचित्य नहीं समझता हूं। इसमें आपके आई.जी.पी. से सीधा सम्बन्ध सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस और थानेदार होना चाहिए वरना यह डी.आई.जी.पी. एक इन्टरमीडियरी की तरह काम करता है। इसका कोई फंक्शन नहीं है सिवाय डिले करने के। इससे रेड टेपिज्म बढ़ता है और खर्च भी बढ़ता है। यह उसी प्रकार है कि जिस प्रकार सेक्रेटेरियट में सेक्रेट्री के नीचे डिप्टी सेक्रेट्री। इसकी कोई जरूरत नहीं है····

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मालूम होता है डिप्टी सेक्रेट्रीज से काफी सताये हुए हो।

श्री शंकरलाल : मुझे तो कोई सताने की बात नहीं है। मैं तो अपने सुझाव पेश कर रहा हूँ ताकि जनता को राहत पहुंचे। आप अपना ध्यान रखें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं तो मेरा ध्यान रखता हूं साथ में आपका भी ध्यान रखता हूँ।

श्री शंकरलाल : तो, सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि इस प्रकार जो इन्टरमीडियरी पोस्ट हैं उन्हें समाप्त किया जाय। इसके अलावा मैं जो निवेदन करूंगा वह कि बजट में इण्डस्ट्रीयलाइजेशन की बात कही गई है। यह बात ठीक है उसमें कहा है कि अलवर में स्कूटर बनाने का कारखाना खोल रहे हैं। टोंक में टेनेरी का कारखाना खोल रहे हैं। यह भी बात बिलकुल ठीक है। सभापति महोदय, मैं यह नहीं कहता कि कहीं कारखाना मत खोलो पर आप इसमें पाली का नाम कैसे भूल गये।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : सभापति महोदय ट्रेजरी बेन्चेज में कोई मिनिस्टर साहब नहीं है। एक बैठे हैं जो 3/4 मिनिस्टर हैं। यह किसे सुना रहे हैं?

श्री शंकरलाल : कोई बात नहीं आप फिक्र नहीं करें। यह काफी है।

श्री सभापति : आप समय का ध्यान रखें।

श्री शंकरलाल : सभापति महोदय, समय का ध्यान है हमारे दल को 13 घन्टे मिले हैं। मैं ध्यान रख रहा हूं।

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि पाली में इन्डस्ट्रीयलाइजेशन का क्या हुआ? जोधपुर में जो ट्रेक्टर का कारखाना खुलने वाला था उसका तो इस बजट में उल्लेख नहीं है, उसका क्या

(श्री शंकरलाल)

हुआ ? वह जोधपुर में खुलेगा या नहीं ? इसके अलावा सभापति महोदय, राजस्थान के अन्दर बजट भाषण में 16 जिलों को इन्डस्ट्रीयलाइजेशन के लिये घोषित किया है। वहां पर औद्योगिक विकास के लिये सहायता दी जायेगी। आपने राजस्थान में जो इन्डस्ट्रीयलाइजेशन के लिये बैकवर्ड घोषित किये उसमें जिला अलवर, जिला जोधपुर, जिला भीलवाड़ा को रखा है लेकिन बहुत ही दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आपने उन बैकवर्ड जिलों में पाली का नाम क्यों नहीं रखा ? पाली जिला इन्डस्ट्रियली बैकवर्ड घोषित होना चाहिये। वहां पर छोटे मोटे उद्योग पनपने की काफी गुन्जाइश है। फालना, राणी, सादड़ी में लोग नये इन्डस्ट्रियल एस्टेट खोलने के लिए लोग काफी जागरूक हैं। आपको इन्डस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाने के लिये पाली जिले और अन्य जिलों को इन्डस्ट्रियली बैकवर्ड घोषित करना चाहिये और उसके लिये आपको विचार करना पड़ेगा।

मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, सभापति महोदय, लेकिन इस बात के लिये वित्त मन्त्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि फुट वीयर को कर से मुक्त रखा है। हाथ से जो जूते बनाने वाले हैं उन पर आपने टैक्स नहीं रखा है। बड़ी अच्छी बात है। पाली और बालोतरा में हैंड प्रोसेसिंग का धन्धा करने वाले लोग हैं। मुख्य मन्त्रीजी ने आंखों से देखा है। मुख्य मन्त्रीजी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस प्रोसेसिंग के धन्धे को आंखों से देखा है। राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रश्न को वे भारत सरकार के सामने उठाये, सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट की ओर से हाथ से धन्धा करने वाले पर टैक्स लगाया गया है, उनको इससे माफ करना चाहिये और जोरों से इस प्रश्न को भारत सरकार के सामने उठायें और इसको माफ कराने की कोशिश करें। हम यह चाहते हैं और हमारी यह नीति भी है कि हाथ से जो धन्धा करने वाले हैं, हैंड प्रोसेसिंग धन्धा है उन पर टैक्स न लगायें। कपड़े की मिल वाले यह देखते हैं कि ये लोग हमारे कम्पीटिशन में न आ जायं इसलिये इस पर किसी प्रकार भारत सरकार टैक्स लगाये। भारत सरकार ने जो टैक्स लगाया है उसको हटाने की कोशिश की जा रही है। राज्य सरकार ने कोशिश की है उसके लिये भी उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। चाहे यह बालोतरा में हो, पाली में हो चाहे, राजस्थान के किसी भी कोने में हो हैंड प्रोसेसिंग के धन्धे पर, हाथ से काम करने वालों के धन्धे पर किसी प्रकार का टैक्स न लगाया जाय और जो लगाया है उसको भी माफ किया जाय जाय।

सभापति महोदय, एक बात और निवेदन करना चाहूंगा और वह यह है कि हमारे वित्त मन्त्रीजी ने बहुत सी बातें इसमें कही हैं लेकिन एक निवेदन करना चाहूंगा और वह यह है कि जहां राजस्थान में चाहे विधान सभा के बाहर हो, चाहे जयपुर शहर में हो, चाहे राजस्थान के किसी कोने में हो, चाहे नीरोज होटल के बाहर हो या और कहीं हो, जहां लोग निकलते हैं वहां पर भिखमंगे पीछे पड़ जाते हैं। जब भिखमंगों की

81

(श्री शंकरलाल)
दुर्दशा को देखते हैं तो एक बात मालूम होती है कि आजादी के अन्दर भी क्या भिखमंगों को इस प्रकार से रहने देंगे। प्रश्नोत्तर काल के समय, भिखमंगों के लिये जो प्रावधान किया है, उसके सम्बन्ध में प्रश्न आया था और उसका जवाब भी आया था। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस भिक्षावृत्ति को, भीख मांगने की प्रथा को समूल नष्ट करने के लिये एक प्रावधान लाया जाना चाहिये जिससे भीख मांगने वालों को किसी प्रकार से रिहेबिलिटेट किया जाय, उनको रोजगार से लगाया जाय। मैं समझता हूं कि समाजवाद पर चलने वाली सरकार का यह पहला कर्त्तव्य है। सबसे पहिले तो लोग भीख मांगकर जो धन्धा कमाते हैं हमारे लिये भी शर्म की बात है। इसलिये राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि भीख मांगने की प्रथा को मिटा कर उनके लिये पुनर्वास की व्यवस्था करें।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

सभापति महोदय, एक बात और निवेदन करना चाहूंगा। शराबबन्दी की बात चलती है। शराबबन्दी के लिये राज्य सरकार ने कहा कि इससे वित्तीय स्थिति पर असर पड़ता है इसलिये इसको करने में दिक्कत आती है। हमारे पुराने वयोवृद्ध नेता गोकुल भाई भट्ट ने एक सुझाव दिया और उसको लिखकर भी पेश किया और उन्होंने बताया कि यहां के फाइनेन्स पर बिना भार पड़े भी शराबबन्दी की जा सकती है। अगर ऐसा सुझाव है और संभव है तो उसको जरूरी मानना और अपनाना चाहिये। कांग्रेस की मूल नीति है, जब से कांग्रेस जन्मी है, जब से हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इसके लिये कहा है और आज भी कहते हैं कि शराबबन्दी हो, कांग्रेस की यह घोषित नीति है। जब फाइनेन्स पर भार पड़े बिना शराबबन्दी करते हैं तो उसको अवश्य ही करना चाहिये।

सभापति महोदय, केवल एक बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। हमारे पर डेट्स बढ़ रहे हैं। वित्त मन्त्री जी समाजवादी नीति लेकर चलते हैं उसके लिये वे धन्यवाद के पात्र हैं। डवलपमेन्ट के लिये, राज्य की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिये किसी प्रकार घाटा कम हो, डेट्स कम हों उस ओर कम ध्यान दिया गया है। हमारे यहां फाइनेन्स कमीशन आया था। उस समय हमारे मुख्य मन्त्री जी ने जो बात कही थी वह यह कही थी कि

I shall begin with our debt burden, as this is the problem which has been eating into financial health of the State and causing us the deepest concern.

और यही की यही बात वित्त मन्त्री जी ने अपने भाषण में कही है। उन्होंने एक नेशनल कैलेमिटी फन्ड कायम करने की बात कही है। इस सम्बन्ध में सब ही माननीय सदस्यों को, जो बोलने वाले हैं, उनको पुरजोर शब्दों में मांग उठानी चाहिये कि भारत सरकार को चाहिये कि डेट्स से हम दबे हुए हैं, वित्तीय स्थिति खराब है इस कारण इन डेट्स को राइट ऑफ करें। फेमीन और दूसरे अनप्रोडक्टिव

(श्री शंकरलाल)

रीजन्स के कारण जो डेट्स 800 करोड़ तक पहुँच गये हैं उनको राइट ऑफ करने के लिये जो आवाज वित्त मन्त्री जी ने और मुख्य मन्त्री जी ने उठायी है उसको मैं समझता हूं, बिना दलबन्दी के और पार्टीबाजी के राजस्थान के हित में सदन के प्रत्येक माननीय सदस्य को उठानी चाहिये कि इन डेट्स को राइट ऑफ किया जाय जिससे राजस्थान की वित्तीय स्थिति को सुधारने की कोशिश की जाय।

सभापति महोदय, अन्त में यह कहते हुए कि यहां पर जो बजट पेश हुआ है वह वास्तव में एक समाजवादी बजट है जिससे हमारी नीतियों की कुछ हद तक पूर्ति होती है। साथ ही साथ मैंने जो सुझाव दिये हैं उनको ओर भी राज्य सरकार ध्यान देगी और इस प्रकार निवेदन करते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री नन्दलाल बैरवा।

श्री नन्दलाल बैरवा (राटन) : सभापति महोदय, वित्त मन्त्री जी ने सन् 73-74 का बजट भाषण पेश किया है वह बहुत ही अच्छी तरह से आपने रखा है उसके लिये मैं अपनी ओर से उनको बधाई देता हूं कि राजस्थान की जनता के लिये आपने जो बजट पेश किया है वह सराहनीय है।

उसी के साथ साथ जिस प्रकार से कई बातें बजट में रह गयी हैं उनकी ओर भी मैं माननीय वित्त मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहूंगा।

हम समाजवाद लाना चाहते हैं लेकिन समाजवाद लाने के लिये सबसे पहले हमको गरीब लोगों के लिये सोचना चाहिये। आज शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लिये भारत सरकार और राजस्थान सरकार ने करोड़ों रुपये खर्च किये हैं। उस रुपये का जिस प्रकार से व्यय करना चाहिये, नहीं किया जाता। पंचायत समितियां, जिला परिषद् या नगरपालिकाओं को समाज कल्याण के लिये पैसा दिया जाता है हरिजन और आदिवासी निवासियों के मोहल्लों में नल, बिजली आदि की सुविधाएं प्रदान करने लिये पर वे ठीक तरह से उसी काम के लिये उनकी सुविधा को देखकर खर्च नहीं किया जाता। कहीं अन्य जगह पर वह खर्च कर दिया जाता है। नल लगावेंगे तो नाली नहीं बनावेंगे, पानी वहीं इकट्ठा होकर मक्खी मच्छर और बदबू पैदा करेगा, और बीमारियां फैलेगी। कचरे-कूड़े का ढेर वहां रहेगा। जो लोग सारे शहर की सफाई करने के लिये पांच बजे सवेरे से अपने घरों से निकल जाते हैं उनकी बस्तियां गन्दगी के ढेर बनी हुई हैं। उस ओर सफाई के लिये पैसा खर्च नहीं किया जाता। इसलिये वित्त मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि प्रावधान तो वे अच्छे रखते हैं उससे हरिजनों का सुधार हो सकता है, पर वह पैसा सही ढंग से उनके हित के लिये उनकी बस्तियों में ही खर्च होता है या नहीं, इसकी सही देख-रेख की जानी चाहिये।

इसके बाद बेरोजगारों के बारे में थोड़ा निवेदन करूंगा। बेरोजगार गांव और शहर दोनों जगह पर हैं। शहरों में एक ऐसा वर्ग भी है जो 12 और 20 घंटे दिन में काम करता है होटल या दूसरी ऐसी ही जगहों पर। पर उसको पूरा पैसा उनका नहीं दिया जाता।

(श्री नन्दलाल बैरवा)

गांवों में हाली लोग हैं। साल भर मेहनत करते हैं, सारा परिवार मेहनत करता है, पर उनको साल भर में पांच सौ रुपया ही दिया जाता है। अगर इसमें भी वह एक दो दिन कहीं छुट्टी चला गया तो पांच रुपया रोज के हिसाब मे काट लेते हैं। पांच सौ रुपया साल के हिसाब से एक दिन का जितना होता है उससे कहीं अधिक काट लेते हैं। यह दुर्दशा है हाली की वहां। खेतिहर मजदूर यह कहलाता है। वह मवेशियों को भी चरावेगा, सभी खेत के काम करेगा। शहरों में मिलों में और कारखानों के लिये फिर भी कानून कायदे हैं और वहां उनकी दशा भी ठीक है। पर गांव में इन खेतीहर मजदूरों की हालत बहुत खराब है। सरकार को इनके भले के लिये भी कुछ करना चाहिये।

हम देश में समाजवाद लाना चाहते हैं लेकिन असली समाजवाद का लाभ जिनको मिलना चाहिये खेतीहर मजदूरों को या रात दिन शहरों में काम करने वाले छोटे मजदूरों को उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता।

अब अगर गांवों में इस खेतीहर मजदूर ने अपने किसी लड़के, लड़की की शादी के लिये कर्ज ले लिया तो वह उम्र भर कर्ज में डूबा रहेगा। सरकार को इन लोगों को इस कर्ज के बोझ से छुटकारा दिलाने के लिये राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण दिलाने की व्यवस्था करनी चाहिये।

खेतीहर मजदूरों की या ऋण ले कर खेती करने वालों की कभी सोसायटी बनेगी तो असल मजदूर को इसका लाभ नहीं मिल सकता क्योंकि उसके पास जमीन अपनी खुद की नहीं है। वह खुदकाश्त की श्रेणी में नहीं आता। इसलिये उसको ऋण भी नहीं मिलेगा। तो आप समाजवाद जिन गरीब लोगों के लिये लाना चाहते हैं तो उसका लाभ इन गरीब खेतीहर मजदूर किसानों को भी मिलना चाहिये। सरकार ने उन गरीब मजदूर हालियों की हालत के बारे में कभी नहीं सोचा कि उनको कितना पैसा मिलना चाहिये।

एक बात और निवेदन करूंगा, सभापति महोदय, आपके माध्यम से कि सरकार द्वारा इन खेतीहर मजदूर लोगों का, जो रात दिन काम करते हैं पर फिर भी उदरपूर्ति लायक भी उनको पैसा नहीं मिलता, उनका सर्वे कराया जाय कि ऐसे कितने लोग हैं, और उनके लाभ के लिये क्या किया जा सकता है। उन लोगों को कर्जा भी राष्ट्रीयकृत बैंकों से दिलवाया जाना चाहिये ताकि उनकी हालत सुधरे और उनके परिवार भी खुशहाल हो सकें।

भले ही हम जयपुर, जोधपुर या बड़े बड़े नगरों की बातें करें पर जब तक नीचे का गरीब तबका खुशहाल नहीं होगा तब तक सही माने में समाजवाद देश में नहीं आ सकेगा। इसलिये मैं जोरदार शब्दों में सरकार से निवेदन करूंगा कि जो शहरों में दैनिक वेतन पर काम करने वाले छोटे छोटे मजदूर हैं और गांवों में जो खेतीहर मजदूर हैं उनको उन्नति की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिये।

दूसरी बात प्राइमरी स्कूलों के बारे में निवेदन करूंगा। इसमें उसको ही रोजगार

(श्री नन्दलाल बैरवा)

मिलेगा जो पढ़ा लिखा होगा। आप 1500 प्राइमरी स्कूलें खोलने जा रहे हैं यह अच्छी बात है। पर इसमें जिलों में भेदभाव बरता गया है। इसमें कई जिलों में एस. टी. सी. ट्रेनिंग के लिये स्कूल नहीं हैं। इसके अभाव में वे जिले अपने बेरोजगार पढ़े लिखों को ट्रेण्ड करके इन स्कूलों में नहीं भेज सकते। कोटा डिविजन को इस मामले में अपने उदयपुर डिविजन से जोड़ दिया है अब कोटा डिविजन में सौ डेढ़ सौ प्राइमरी स्कूल खुलेंगे। पर आज की तारीख में कोटा डिविजन में ऐसे अध्यापक नहीं जो ट्रेनिंग लेकर बैठे हों और इन स्कूलों में नौकरियां पा सकते हों। आज से दो महीने बाद ये स्कूल खुलेंगे तब हमारे यहां एस. टी. सी. पास अध्यापक नहीं मिलेंगे। अब डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जोधपुर आदि दूर जगहों के एस. टी. सी. पास अध्यापक कोटा डिविजन में आने को तैयार नहीं हैं।

इसलिये मेरा निवेदन है कि हर जिले में या जिस प्रकार सरकार उचित समझे जिलवाइज सर्वे कराकर एस. टी. सी. स्कूलें खोलें ताकि आगे स्थानीय पढ़े लिखे अध्यापक इन स्कूलों में जा सकें। इसलिये मेरा निवेदन है कि कोटा डिविजन में भी जहां उचित समझा जाय वहां एस.टी.सी. स्कूल खोलना जरूरी है। ताकि शिक्षित वर्ग ट्रेनिंग लेकर नौकरी पा सके।

तीसरी बात सबसे पहले अकाल के मामले में है। सारे राजस्थान में अकाल है-एक दो जिलों को छोड़ कर लेकिन जहां जहां इस समय काम चलना चाहिये, कई स्थान हैं वहां काम शुरू नहीं हो पाया है। इस राजस्थान के कई जिलों से हजारों आदमी बाहर जा रहे हैं। मालवा, इन्दौर, उज्जैन, रतलाम जा रहे हैं। कई लोग, गांव के गांव छोड़कर चले जाते हैं तब जिलाधीश से रिपोर्ट आती है कि फलां गांव में अकाल है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा अकाल के लिए जहां जहां इस समय परेशानियां हैं वहां वहां जल्दी से जल्दी काम खोले जाने चाहिये।

मैं अपने जिले के लिये निवेदन करूं, आज बून्दी जिले में 219 गांव अकाल में हैं लेकिन अभी तक कई स्थानों पर काम चलना चाहिये वहां अभी तक काम चालू नहीं किया गया है। इसलिये जहां जहां आवश्यकता हो, वहां वहां काम किया जाना चाहिये।

कृषि के मामले में आज चम्बल कमाण्ड एरिया है वहां नहर आई है। करोड़ों रुपया सरकार ने खर्च किया है और करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद इस वर्ष जितनी खाद की समस्या चम्बल कमाण्ड एरिया में हो रही है उसका मैं निवेदन करूंगा। को-ऑपरेटिव सोसायटी के द्वारा खाद के वितरण की व्यवस्था हुई है लेकिन यूरिया खाद हमारी मार्केटिंग सोसायटी में न आ कर जितना यूरिया खाद दिया गया है वह अन्य जिलों को दे दिया गया है। आज हम चाहते हैं किसान ज्यादा खाद लेकर ज्यादा उत्पादन करें। वहां पर खाद के एक एक कट्टे की कीमत 70-70, 80-80 रुपया है और उतने में ही अन्य जगहों पर दिया गया है....

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

इसलिये आज हमारा काश्तकार अपने खेत में डालने में असमर्थ है। लाखों की जो फसल होनी चाहिये थी वह नहीं हो पा रही है।

(श्री नन्दलाल बैरवा)

इसी प्रकार सिंचाई विभाग के सम्बन्ध में निवेदन करूंगा। कोटा डिवीजन में चम्बल नहर निकली है। एक तरफ राजस्थान में अकाल है, दूसरी तरफ कई जगह खुदाई नहीं होने से और ज्यादा पैसा खर्च नहीं करने की वजह से हजारों एकड़ जमीन बिना सिंचाई के रह गई है। सभापति महोदय, मैं वित्त मंत्रीजी से निवेदन करूंगा सिंचाई विभाग के अन्दर अधिक से अधिक राशि प्रदान करें ताकि जो सिंचाई विभाग की अधूरी चीजें हैं वह पूरी हो जायं। इसलिये ज्यादा पैसे देकर उन माइनरों को आगे बढ़ाया जाना चाहिये।

इसी प्रकार सीलिंग कानून पास किया गया। उसके लिये राज्य सरकार बधाई की पात्र है। लेकिन अभी माननीय शंकरलाल जी ने कहा सीलिंग की जमीन जितनी आनी चाहिये थी वह जमीन शायद उन भूमिहीन लोगों को नहीं मिल सकेगी। इसलिये मेरा निवेदन है जो भी जमीन अब तक सीलिंग से निकाली गई है या निकल गई है उसको हरिजनों को ही बांटना चाहिये। भूमिहीनों की परिभाषा में चाहे कोई भी आता हो दुकानदार आता हो, बड़े अफसर आते हों.......

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

वह भूमिहीनों की परिभाषा में आते हैं लेकिन भूमिहीन वह है जो स्वयं काश्त करता हो और जिसके पास जमीन नहीं हो इसलिये, सभापति महोदय, एक निवेदन और करना चाहूंगा, जितने कारखाने हैं, राजस्थान के अन्दर वहां पर मजदूरों का भविष्य निधि काटा जाता है और प्रोविडेन्ट फण्ड काटने के बाद जो मजदूर किसी कारखाने में काम करता है—इससे पहले यह नियम था कि उसका प्रोविडेन्ट फण्ड उसके मर जाने के बाद मजिस्ट्रेट के प्रमाण-पत्र आने के बाद चाहे महिला हो, चाहे बच्चा हो बिना किसी रुकावट के दे दिया जाता था। लेकिन आज राजस्थान के अन्दर भविष्य निधि कटाने वालों का देहान्त हो जाता है उनके लिये प्रमाण-पत्र जब तक जयपुर आकर नहीं लिया जाता है तब पैसा नहीं मिल पाता है। कोई भी महिला पढ़ी लिखी हो, कोई भी पढ़ा लिखा बच्चा हो और वह चितौड़ में, लाखेरी में, बूंदी में कहीं भी रहता हो उसको यह प्रमाण-पत्र जयपुर आकर ही लेना होगा। और दो रुपये का हल्फनामा लिखवा कर वह दें तब उसको भविष्य निधि वाले पैसा देंगे। ऐसी कठिनाइयां सारी जगह पर हैं। जो मजदूर अपना पैसा कटवाते हैं और उसके मरने के बाद उसके उत्तराधिकारी उस निधि को पाने के लिये कितनी कठिनाई से गुजरते हैं.......

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

सभापति महोदय, दो मिनिट।

जिस प्रकार राज्य कर्मचारी बीमा योजना के अंतर्गत जिले जिले में शाखा स्थापित कर रखी हैं उसी प्रकार भविष्य निधि से पैसा लेने में हर एक जगह कारखानों में कोई इन्सपेक्टर की नियुक्ति कर देनी चाहिये जिससे पैसे लेने में कोई असुविधा न हो।

मैं ज्यादा न कहते हुये इतना ही निवेदन करूंगा अकाल ग्रस्त क्षेत्रों में जहां नगरपालिका है वहां तो गेहूं, ज्वार, मक्का

(श्री नन्दलाल बैरवा)

सब भेजने का प्रावधान कर रखा है लेकिन जहां नगरपालिका क्षेत्र नहीं है या जिन अकाल में गांव आया हुआ है उसमें राशन व्यवस्था नहीं है। इसलिये मेरा निवेदन है बूंदी जिले में नगरपालिका क्षेत्र में अनाज भेजने का प्रावधान रखा है लेकिन अकाल में काम करने वाले लोगों को राशन नहीं मिलता है। जो गांव अकाल में आये हुये हैं उनमें ही सस्ते गल्ले की दुकान रखने की व्यवस्था करनी चाहिये।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

साथ ही साथ, सभापति महोदय, मैं ज्यादा नहीं बोला हूं.........

श्री सभापति : आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री नन्दलाल बैरवा : मेरा समय तो बहुत है। अभी चार साल बाकी है।

श्री सभापति : बहुत से अन्य माननीय सदस्य बोलने वाले हैं। आपका जो निर्धारित समय था उससे पांच मिनिट ज्यादा हो गये हैं।

श्री नन्दलाल बैरवा : दूसरी बात कही गई जो बाहर से अनाज मंगाया जाता है वह बहुत खराब आता है और उसमें अन्य चीजें मिली हुई होती हैं। इसलिये मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा उस अनाज को देखा जाय और जो उसमें कमियां हैं उनको निकालना चाहिये। जिस प्रकार अभी महारावल साहब ने कहा उसमें धतूरे के बीज निकले हैं। अगर यह सही है तो मैं मानकर चलता हूं उसको देखना चाहिये। आज हम समाजवाद की बात करते हैं और अगर अकाल में गरीब लोगों को ज्वार माइलों में इस प्रकार की कोई चीज खिलाई जाती है तो यह बहुत ही अशोभनीय बात है। उसमें धतूरा है या नहीं है, यह देखना चाहिये। बाहर जो अनाज इन्सान नहीं खाते हैं उसको अगर वे भेजते हैं तो उसको देखकर हमें उपयोग में लाना चाहिये।

इतना ही कहते हुये वित्त मन्त्री जी ने जो 73-74 का बजट पेश किया है, उसका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं।

श्री जीथिग (कुशलगढ़) : माननीय सभापति जी, मैं सर्व प्रथम तो बांसवाड़े जिले और खासकर मेरे क्षेत्र की अकाल की समस्या है, उनको और और सरकार की व्यवस्था की ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बांसवाड़ा जिले में कुशलगढ़ क्षेत्र एक पहाड़ी क्षेत्र है और इस क्षेत्र में सिचाई का कोई साधन नहीं है। यहां पर सिर्फ एक ही फसली जमीन वाला क्षेत्र है और यह क्षेत्र करीब पिछले 5-6 वर्षों से लगातार अकाल से पीड़ित है और इस वर्ष तो भयंकर दुष्काल पड़ चुका है। वहां के मजदूरों को, अकाल पीड़ित लोगों को राज्य सरकार ने अब तक पर्याप्त मात्रा में न तो मजदूरी दी है और न पर्याप्त मात्रा में अनाज ही पहुंचाया है। कहने के लिए राहत कार्य काफी तादाद में बता दिए जाते हैं लेकिन मैं अभी 26 तारीख से लेकर 2 तारीख तक पूरे अपने क्षेत्र में घूम कर आया हूं और हर राहत कार्य पर पहुंचा हूं। वहां पर लोग हजारों की तादाद में आते हैं और उनको निराश होकर जाना पड़ता है और उनको काम पर नहीं लगाया जाता

(श्री जोशिग)

है। कारण यह है कि हर एजेन्सी के माध्यम से जो राहत कार्य चलाये जाते हैं उनमें सीमित मजदूर लगाए जाते हैं। जैसे कि अमुक कार्य स्थल पर 100, अमुक पर 200 और अमुक पर 300 और उसमें भी जैसे कि परिचय-पत्र के हिसाब से एक परिवार में से एक या दो मजदूर को लेने का निर्णय लिया है। इस स्थिति में मैं राज्य सरकार से यह निवेदन करूंगा, सभापति महोदय, कि हमारे क्षेत्र में यह प्रतिबन्ध लगाया है यह बिल्कुल ही गलत है क्योंकि वहां पर 90 पर्सेन्ट आदिवासी किसान हैं और उनका कोई धन्धा नहीं है, कोई रोजगार नहीं है और वह बेकार हैं और पांच छः वर्षों से अकाल से पीड़ित लोग हैं। उस इलाके में परिचय-पत्र बांट कर मजदूरों पर सीलिंग लगाई है वह बहुत ही गलत है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि जितने भी अकाल पीड़ित लोग काम पर आने के इच्छुक हों, उनको मजदूरी पर लगाने की व्यवस्था की जाये। यही मैं राज्य सरकार से मांग करूंगा।

दूसरी बात अनाज के बारे में है। अभी तक सरकार ने 4 किलो और 2 किलो की व्यवस्था की थी। जैसे 4 किलो मक्का और 2 किलो गेहूं। अभी इस महीने में जनवरी का कोटा उन्होंने आवंटित किया उसमें 6 और 8 किलो का अरेन्जमेन्ट किया है लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वहां के व्यापारी वर्ग के पास मोटा अनाज आज भी उपलब्ध नहीं है और वह भी बाहर से लाते हैं और ढुलाई की वजह से काफी महंगा पड़ता है जो कि किसान नहीं खरीद सकते हैं। इसलिए 8 किलो के बजाय 10 किलो का प्रावधान रखा जाना चाहिए और 10 किलो की व्यवस्था राहत कार्यों पर लगे मजदूरों के लिए होनी चाहिए।

दूसरे मैं आपसे, सभापति महोदय, यह निवेदन करूंगा कि माननीय वित्त मन्त्री महोदय ने जो 1973-74 का बजट पेश किया और उन्होंने अकाल की चपेट में आये क्षेत्रों का भी जिक्र किया लेकिन इस पर उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि हमेशा के लिए जो अकाल की चपेट में क्षेत्र आते हैं उन क्षेत्रों को हमेशा के लिए अकाल से मुक्त कराने के लिए किस प्रकार की योजना बनाई जानी चाहिए और उनको अकाल से मुक्त कराना चाहिए। ऐसी कोई योजना अब तक न तो तैयार की है और न इसमें कुछ बताया गया है। जैसा कि मैं आपको बताऊँ हमारे बांसवाड़ा जिले में कुशलगढ़ और पीपलखूंट क्षेत्र हैं वह पहाड़ी इलाके हैं। वहां पर बड़े बन्ध बांधने से कोई लाभ नहीं होगा। छोटे छोटे बांध, एनीकट्स और ग्रामीण विद्युतिकरण—यह कार्य और हाथ में लिए जायें और उनको तेजी से चलाया जाय तो मैं समझता हूं कि अकाल की छाया हमारे इलाके पर कम रहेगी और हमारे क्षेत्र अकाल मुक्त हो सकते हैं। लेकिन क्या किया जाये, हर कार्य के अन्दर यह दो क्षेत्र हमारे जोशीजी के बिल्कुल ही ध्यान से परे रहते हैं और साथ ही साथ राज्य सरकार के भी ध्यान से ये क्षेत्र बहुत ही परे हैं। मैं तो निवेदन करूंगा सभापति महोदय, कि सरकार को इस ओर ध्यान

(श्री जीथिंग)

देना चाहिए और मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे कुशलगढ़ और पीपलखुंट क्षेत्रों में बड़ी स्कीमों के बजाय छोटे छोटे तालाब, बड़े बांध की जगह छोटे बांध और ज्यादा से ज्यादा एनीकट्स और लिफ्ट इर्रीगेशन का प्रावधान रखा जाए और उसी से हर खेत में पानी पहुंचाया जाये। आपका नारा है कि आप समाजवाद लाना चाहते हैं। मैं तो समझता हूं कि आपका समाजवाद खाली कागजों में है, खाली भाषणों में है, कार्य रूप में नहीं है। आप नारा देते हैं "जय जवान जय किसान" लेकिन वहां के किसानों की क्या स्थिति है ? आज तक किसी मन्त्री महोदय ने जाकर उस क्षेत्र का अध्ययन नहीं किया और जितने भी केन्द्रीय अध्ययन दल आते हैं वह सब बड़े बड़े शहरों में और डाक बंगलों में जाकर और घूम फिरकर वापिस चले जाते हैं लेकिन उस पहाड़ी इलाके मे, गरीब इलाके में, आदिवासियों का जो समूह है उस इलाके में आज दिन तक कोई मंत्री नहीं गया। तो मैं चाहता हूं कि राज्य सरकार ऐसे इलाके के लिए विशेष रूप से ध्यान दे और उस इलाके का विशेष रूप से कार्यक्रम बनाने की कोई योजना तैयार करे।

तीसरी बात है आप जैसे अनाज का राष्ट्रीयकरण करने जा रहे हैं उससे मुझे बड़ी खुशी है लेकिन अनाज के उत्पादन के लिए हमें और साधन सामग्री जुटाना अत्यन्त अनिवार्य है तभी आपका राष्ट्रीयकरण सफल हो सकता है। जब तक हम साधनहीन किसानों को, गरीब तबके को, गरीब और अमीर की खाई को पाटना है तो जो साधनहीन लोग हैं उनके लिए साधन जुटाने होंगे। जैसे खेती के काम में आने वाले जो भी यंत्र हैं वह सरकार की ओर से उनको उचित मूल्य पर वितरित किये जायें ताकि हमारे किसानों को साधन उपलब्ध हो सकें और अधिक उत्पादन वह कर सकें। तभी जाकर अनाज का राष्ट्रीयकरण सफल हो सकता है। इसलिए मैं, सभापति महोदय, सरकार से यह मांग करूंगा कि हमारे इलाके की स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमारे वहां जो साधनों की कमी है उसमें जैसे हल, बक्खर इत्यादि जो खेती संबंधी साधन हैं उनको स्वयं सरकार उचित मूल्य पर किसानों को उपलब्ध कराये ताकि वह साधन सम्पन्न हो सकें।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में मैं आपसे निवेदन करूंगा। बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्या किया एक खुल्ला भ्रष्टाचार चालू कर दिया। जैसा कि मैं आपको बता दूं उदाहरण के तौर पर, हमारे कुशलगढ़ में भूमि बन्धक बैंक से ऋण लिया। किसानों ने भूमि बन्धक बैंकों का ऋण लिया। एक किसान को एक हजार रुपया मंजूर हुआ जिसमें से तीन सौ रुपया तो भ्रष्टाचार में ही चला गया और सात सौ रुपये उसके पल्ले पड़े। इनकी शिकायतें हमने कलेक्टर लेवल पर और सम्बन्धित अधिकारियों के पास कीं पर कहीं से आज तक कोई स्पष्टीकरण नहीं है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ऐसे राष्ट्रीयकरण से कौनसा फायदा किसानों को, गरीब तबके के लोगों को हो सकता है, वह भी सरकार ध्यान में रखे।

दूसरी बात मैं आपसे अर्ज करूं कि हमारे इलाके के लिए जैसे पहले पांच सात वर्षों में, पांच सात वर्ष पहले अकाल

(श्री जी थिंग)

रिलीफ वर्क चलाए गए और ज्यादा से ज्यादा सड़कों पर धूल डाली गई जो एक बारिस से ही धुल पुंछ कर चली गई। उस काम का नामोनिशान नहीं है। हमारी पार्टी ने, सोशलिस्ट पार्टी ने सम्बन्धित अधिकारियों को सुझाव दिया कि यह सड़कों पर धूल डालने के साथ साथ छोटे-छोटे बांध और पुराने निर्माण कार्य जो अधूरे पड़े हुए हैं उनको विशेष तौर पर प्राथमिकता दी जाय। तो यह बात तो ठीक है कि फिलहाल जो कार्य चल रहे हैं वह पुराने निर्माण कार्यों पर चालू किये जाते हैं और विशेष कर छोटे बांधों इत्यादि के काम चल रहे हैं लेकिन अभी जो फेमिन में 30 पर्सेंट मेटिरियल कम्पोनेंट रखा है उससे यह कार्य पूरे होने की सम्भावना नहीं है। इसलिए मैं सरकार से मांग करूंगा कि 30 पर्सेंट के बजाय 50 पर्सेंट मेटिरियल कम्पोनेंट कर दिया जाय ताकि यह कार्य पूरे हो सकें।

दूसरी बात माननीय वित्त मंत्री महोदय ने पुलिस कांस्टेबल्स के लिए पांच रुपया मैस अलाउन्स में वृद्धि कर दी है लेकिन एक बात यह है कि जिसको ध्यान में रखना जरूरी है कि आज मेहगवाड़ी के हिसाब से जैसे कि पुलिस कस्टडी में जो लोग रखे जाते हैं, पुलिस के लिए पांच रुपया बढ़ा दिया तो मुझे उसके लिए तो कोई ऐतराज नहीं है, पांच रुपये की बजाय दस रुपये भी हों तो भी कोई बात नहीं है लेकिन पुलिस कस्टडी में जो व्यक्ति रहते हैं उनको 36 पैसे की डाईट दी जाती है। आप स्वयं ही सोचें कि 36 पैसे में पेट भर सकता है या नहीं? तो मैं यह राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि उसमें भी कुछ बढ़ाने के लिए प्रावधान रखा जाय ताकि उसका कम से कम पेट भर सके। तो यह 36 पैसों को आप ध्यान में रखें।

दूसरी बात है, सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में ईसाइयों के माध्यम से कुछ राहत कार्य चलाये जा रहे हैं उनके ऊपर भी मैं थोड़ा प्रकाश डाल दूं। वह यह है कि अभी ईसाइयों के माध्यम से हमारे क्षेत्र में प्रत्येक ग्राम को चुन लिया गया है और उस ग्राम में से दस कुए और दस मकान उन्होंने सलेक्ट किए और प्रत्येक कार्य के लिए दस लेबर दिए हैं और 10 लेबर का चुकारा वे अपने हिसाब से अपनी संस्था के माध्यम से वे करते हैं। दस लेबर का चुकारा उनकी संस्था के द्वारा होता है और उनके कार्य के लिए मियाद दी जाती है जैसे कि मकान के लिए एक महीने की मियाद, कुए के लिए तीन महीने की मियाद। इस प्रकार के हर गांव में कम से कम बीसों काम इस प्रकार के चल रहे हैं और हजारों लोग उन कामों में लगे हुए हैं। सरकार की आंखें मिची हुई हैं और उस तरफ कोई ध्यान नहीं है। इस प्रकार मैं तो समझता हूं, मुझे मतलब नहीं है लेकिन हमारी सरकार यह सोचे कि उन बुद्धिमानों ने इस प्रकार से हमारे क्षेत्र के गरीब लोगों को व्यवस्थित रूप से राहत पहुंचाने के लिए और उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए जो काम हाथ में लिए हैं और जो आज काम हो रहे हैं, उसमें लोग दौड़ कर जाते हैं तो उसी प्रकार सरकार को कोई कदम उठाना चाहिए। गृह

(श्री जोशिग)

निर्माण के लिए रुपया बांट दिया, हमने यह योजना बना दी, इस प्रकार यह काम कर दिया लेकिन आज भी हमारे यहां न कोई गृह निर्माण हुआ न सोसाइटियां बनीं।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

न समाज कल्याण अधिकारी द्वारा इस प्रकार का प्रचार हुआ है। आपको सोचना चाहिए कि किस प्रकार के दूसरी विदेशी एजेंसियां किस प्रकार का काम कर रही हैं अपनी तुलना उनसे करनी चाहिए।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ में बजट भाषण के लिए धन्यवाद देना चाहता था लेकिन यह समाजवादी ढंग का कहने का तो जरूर है लेकिन क्रियान्विति में शायद असफल रहेंगे इसलिए मैं विरोध करता हूं।

श्री सभापति : श्री श्रीनिवास शारदा।

श्री श्रीनिवास शारदा (निम्बाहेड़ा) : सभापति महोदय, 73-74 के बजट पर वाद विवाद के संदर्भ में मैं भी कुछ निवेदन किया चाहता हूं। मुझे बड़ी खुशी है कि राजस्थान के विद्वान वित्त मंत्रीजी ने एक ऐसा संतुलित बजट इस बार सदन में प्रस्तुत किया। आम तौर पर हर वर्ष बजट के आने के मौके पर आशंका हुआ करती है, आम लोगों में एक धारणा सी होती है कि नए टैक्सेज आयेंगे, नई सुविधाएं आ सकती हैं लेकिन इस बार यह वास्तविक स्थिति रही कि अकाल की विभीषिका में, मंहगाई को मद्देनजर रखते हुए, प्रदेश की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए एक संतुलित बजट इस सदन में आगामी वर्ष के लिए प्रस्तुत किया गया।

कुछ गत वर्ष की उपलब्धियों का भी जिक्र इस बजट में किया है और आगामी वर्ष के कार्यक्रम का भी कांग्रेस के समाजवादी कार्यक्रम की चैन में एक कड़ी है इस में में फोर्टिंग हुआ चाहती है, उसका भी संकेत किया है। सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि 25 पर्सेंट रोडवेज का राष्ट्रीयकरण करने का उल्लेख किया है।

मैं समझता हूं कि राजस्थान में अब तो काफी सड़कें हो जाने के बाद में राष्ट्रीयकरण के लिए स्कोप काफी बढ़ गया है। अगर हमारी वित्तीय स्थिति या वित्तीय साधन इजाजत दे सकें तो मैं समझता हूं कि हम राजस्थान में पचास प्रतिशत रोड ट्रान्सपोर्ट का राष्ट्रीयकरण करने में सफल हो सकेंगे। लेकिन फिर भी मेरी ऐसी मान्यता है कि लगभग तिगुना राष्ट्रीयकरण आज की स्थिति से हम कर सकते हैं। इस दिशा में तीन गुनी प्रगति हम कर पायेंगे।

दूसरा संकेत जो बजट भाषण में दिया गया है वह है, आधा प्रतिशत पचास हजार की कीमत से ऊपर की कीमत की प्रॉपर्टी पर टैक्स लगाना। यह एक तरह से म्युनिसिपल बोर्ड या लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट को सशक्त बनाने की बात होगी। एक जमाने में हम हाउस टैक्स लगाने की बात करते थे और म्युनिसिपल बोर्ड चाहते हुए भी यह टैक्स नहीं लगा पाये। सभापति महोदय, क्यों नहीं कर पाये इसके कारणों में आज जाने की कोई आवश्यकता नहीं

(श्री श्रीनिवास शारदा)

है और भी कई कारण रहे हैं और वे सारे कारण आप और हमसे कोई छिपे नहीं हैं। लेकिन फिर भी इस सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है और मैं समझता हूँ कि इससे लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट को शक्ति मिलेगी। यह भार बड़े कहलाने वाले लोगों पर ही होगा।

एक बात स्कूल खोलने के लिए भी कही गई है वह है प्राईमरी और मिडिल स्कूलों के लिए। यह भी उपयुक्त हो है। आज भी राजस्थान में कई इलाके ऐसे हैं जहां पाईमरी स्कूलों को अपग्रेट करने की आवश्यकता है तो कहीं कहीं पर प्राईमरी स्कूलों को खोलने की आवश्यकता है। लेकिन इस साल के बजट प्रावधानों से मेरी ऐसी धारणा है कि आगामी वर्षों तक शायद मिडिल तक की एजूकेशन हम सारे राजस्थान को सुविधापूर्वक उपलब्ध कर पायेंगे और आगामी वर्षों में बहुत कम स्कोप नई प्राथमिक पाठशालाओं अथवा माध्यमिक स्कूलों को खोलने के लिए रह जायेगा।

इसी प्रकार कुछ मकानात बनाने के लिए कहा गया है। शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिडयूल्ड ट्राइब्स के लिए हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से ये मकानात बनाए जाएंगे। कुछ डिस्पेन्सरीज कायम करने की भी बात कही गयी है। ये सारी बातें ऐसी हैं जिनके लिए हम हर साल कुछ न कुछ करते ही हैं। मैं समझता हूँ कि जो बजट प्रावधान है इस वर्ष के लिए आज की स्थिति में वित्तीय साधनों को देखते हुए, अकाल की विभीषिका को देखते हुए, जब कि राजस्थान एक बहुत बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है, उसमें भी प्रगति का ध्यान रखते हुए इस बजट में प्रावधान किया गया है और मैं समझता हूं कि यह सराहनीय है और वास्तव में यह बजट सराहनीय है।

मुझे कुछ कमियां जो नजर आती हैं, जो मेरी धारणा है, मेरी मान्यता है उनके बारे में भी निवेदन करना चाहता हूं। गत वर्ष हमने कुछ उपलब्धियां की हैं और अगले साल भी उपलब्धि करेंगे लेकिन मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी ये उपलब्धियां क्वान्टिटी के साथ साथ क्वालिटी में भी आवें। एजूकेशन में काफी तादाद में विद्यार्थी बढ़े हैं। कहीं कहीं ऐसे स्कूल भी नजर आते हैं जहां कि 50/60 और 70/75 और यहां तक कि 100 तक छात्र हैं फिर भी एक सिंगल टीचर पर वह प्राईमरी स्कूल चलता है। परिणाम यह होता है कि क्वान्टिटी तो बढ़ रही है लेकिन क्वालिटी के दृष्टिकोण से हम कुछ भी उपलब्धि नहीं कर पाते हैं। मैं इसलिए स्ट्रेस किया चाहता हूँ कि कुछ क्वालिटी की दिशा में भी सोचा जाए। इससे जो एचीवमेंट हम करना चाहते हैं वह हो सकेगा।

सभापति महोदय, मुझे बड़े खेद के साथ निवेदन करना पड़ रहा है कि को-आपरेशन, जिसको हम डेमोक्रेसी का बेस मानते हैं, को दिशा में हम क्या कर रहे हैं या हमारा अगले वर्ष के लिए इसकी ओर क्या कार्यक्रम होगा? इसका इस वर्ष के बजट प्रावधानों में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। मैं समझता हूं आज जहां कहीं भी को-ऑपरेटिव सेक्टर की बात करते हैं, पंचायत की बात करते हैं,

(श्री श्रीनिवास शारदा)

लोगों में उदासीनता पाई जाती है। इस उदासीनता को दूर करने में या इन ईकाइयों का शुद्धिकरण करने के लिए राज्य सरकार ने अपनी ओर से क्या कदम उठाये हैं और विफलता मिलने के क्या कारण हैं और उसे दूर करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं, इसका मुझे एक भी उदाहरण यहां देखने को नहीं मिला है जब कि को-ऑपरेशन हमारी डेमोक्रेसी का बेस है। कोऑपरेशन की बात मैं खास तौर से इसलिये नहीं कह रहा हूं कि लोन दिया जाए और वह वसूल कर लिया जाए। यह बात मैं कोई को-ऑपरेटिव मूवमेन्ट से नहीं जोड़ना चाहता हूँ। को-ऑपरेशन एक सिद्धान्त है और हमें इसका प्रचार-प्रसार करना पड़ेगा और मैं तो इस मत का हूँ कि इस विषय को हम स्कूलों, विशेषकर एग्रीकल्चर के स्कूलों में एक विषय के रूप में लागू करें। को-ऑपरेटिव को भी एक सब्जेक्ट के रूप में स्कूलों में लागू किया जाना चाहिए। आज के दिन जब हम देखते हैं कि कॉलेज एजूकेशन के जरिए से जो शिक्षा हम दे पाते हैं वह बेकारी को बढ़ा रही है। कॉलेज एजूकेशन आज छात्रों के हित में नहीं है। वह एक भार स्वरूप बन गयी है और आये दिन सरकार को हड़तालों आदि का सामना करना पड़ रहा है। मैं समझता हूं कि विद्यार्थियों को सही दिशा देने के लिए अगर को-ऑपरेशन को एक सब्जेक्ट के रूप में इन्ट्रोड्यूज किया जाए तो किसी सीमा तक इस बेकारी की समस्या में कमी आएगी। जहां को-ऑपरेटिव्ज को हमने प्रोडक्शन के प्रोग्राम के साथ जोड़ा है, वहां डिफाल्टर्स की वजह से, कुछ पदाधिकारियों की आंख मिचौनी की वजह से को-ऑपरेटिव मूवमेंट को जिस आधार पर सरकार ने अपने हाथ में लिया था, जिस सीमा तक सरकार ने इसको चलाया, उसके कारण ही आज कुछ उदासीनता का सा वातावरण बन गया है और कुछ विफलता भी रही है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि उन सभी विफलताओं को सफलता में बदलने के लिए कार्यक्रम भी सरकार को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। अगर कानून बदलना पड़े तो बदला जाना चाहिए। अगर डिफाल्टर्स सोसाइटीज पर हावी हो जाते हैं, को-ऑपरेटिव मूवमेन्ट में वीरगत करने वाले लोग इन्टेगल हो जाते हैं, अगर डिफाल्टर्स को-ऑपरेटिव्ज के पदाधिकारी बन जाते हैं तो कानून में इस प्रकार का संशोधन करना पड़ेगा और इसके लिए ईमानदारी से एक पॉलिसी को अख्तियार करना पड़ेगा।

गवर्नमेन्ट डिफाल्टर को न सुने। डिफाल्टर को नहीं सुनने के कारण आज भी को-ऑपरेटिव डिपार्टमेन्ट में कई ऐसी अपीलें खामोशी के बस्ते में पड़ी हुई हैं। लोगों में रिकवरीज हैं। लेंड मोर्टगेज बैंक की सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक्स की, को-ऑपरेटिव्ज की, और उन पर स्टे पड़ा हुआ है। तो कानून में आखिर हमें ऐसा प्रावधान करना पड़ेगा कि ऐसी अपीलें जिस तरह से टैक्सेशन डिपार्टमेंट की होती हैं कि पहले पैसा अदा करो, पहले पैसे का कुछ अंश अदा करो उसके बाद में अपील की सुनाई की जायगी, इसी प्रकार का प्रावधान हमें करना पड़ेगा, अन्यथा जहां तक जिस आदमी का पुल है, जैक है वह इवेड करेगा, चाहे वह सोसाइटी के

(श्री श्रीनिवास शारदा)
पदाधिकारी के स्तर पर हो, चाहे राज्य सरकार के स्तर पर हो, उसका इवेजन होगा, और वह किसी दिन जाकर बड़ा खतरनाक साबित होगा। तो मैं निवेदन यह कर रहा था कि जिस को-ऑपरेशन को, जिस कोआपरेटिव मूवमेंट को हमने अपनी डेमोक्रेसी की नींव माना है उसको काफी मजबूत करने की आवश्यकता है, और इस सम्बन्ध में सतत प्रयत्न और मनन करने की आवश्यकता है। अगर को-ऑपरेशन हमारे देश में फेल्योर रहा तो मैं समझता हूं कि यह डेमोक्रेसी को एक चुनौती होगी।

प्रोहीबिशन के बारे में मैं कुछ निवेदन किया चाहता हूं। प्रोहीबिशन अगर हम सब लोग ईमानदारी से याद करते हैं और नहीं भूलते हैं तो जिस महान् व्यक्ति के संरक्षण में देश की आजादी की लड़ाई हमने लड़ी और आजादी हांसिल की, उनका सबसे पहला कथन यह था कि देश में दारू बन्दी कर दी जाय। लेकिन आजादी के 25 वर्ष गुजर जाने के बाद में भी हम दारू बन्दी की दिशा में सोच ही नहीं सके। करना धरना तो अलग बात है लेकिन कुछ सोच ही नहीं सके। आप यह कहकर इसको नहीं टाल सकते हैं कि हमारे प्रदेश में 7-8 करोड़ की आमदनी तो दारू के जरिये से होती है। मैं समझता हूं कि 7-8 करोड़ के अनावश्यक खर्चे सामयिक और असामयिक राज्य के बजट के ऊपर कमी भी करने पड़ते हैं, और उसको हम वहन करते हैं। तो आखिर यह क्या कमजोरी की बात है? या तो मैं यह कहूँ कि एक जमाना था जब शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग अपनी थकान दूर करने के लिए दारू पीकर आराम की नींद लेते थे, उन्हें पता नहीं पड़ता था कि बारिस में भीज रहे हैं, सर्दी में सिसक रहे हैं या गर्मी में तड़प रहे हैं। (समय-समाप्ति सूचक घन्टी)

सभापति महोदय, मैं बहुत ही कम बोलता हूं।

श्री सभापति : बोलिये । आपका समय पूरा हो रहा था इसलिए ...

श्री श्रीनिवास शारदा : मैं निवेदन यह कर रहा था कि जो दबे हुए तबके थे पहले उनमें आमतौर से मैं यह नहीं कहता कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग सेन्टपर्सेन्ट जो हैं दारू पिया करते थे, बहुत से नहीं भी पिया करते थे, लेकिन उनकी दयनीय अवस्था को देख कर हर यही सोचेगा कि यह जिनको अपने आपका भान नहीं है, जो शिक्षित हैं, इस वर्ग में अगर इस दारू बन्दी को पूरा कर दें। मैं समझता हूं अगर इस दिशा में हम लक्ष्य को पूरा कर दें तो गरीबी हटाओ कार्यक्रम का यह भी एक अंग बन सकता है। ठीक है कि जिन लोगों के पास खूब पैसा है उन्हें इजाजत दें कि खूब पियो, लेकिन जो आज भी गरीब नजर आते हैं, उनके लिये तो भगवान के लिए मैं आपसे निवेदन किया चाहता हूँ कि उन्हें तो आप इससे मुक्ति दिला दीजिये। आज भी उन्हें आवश्यकता है हमारे मार्गदर्शन की, आज भी उन्हें आवश्यकता है हमारे निर्देशन की। इसकी आज भी आवश्यकता है क्योंकि वह अपने आपके लिए नहीं सोच सकते, हम उनके लिए सोचें, और अगर हम ऐसा करें तो आपका "गरीबी हटाओ" कार्यक्रम का यह भी एक पार्ट हो सकता है। आप बड़ों के लिए कर दें। अगर राज्य की रेवेन्यू का सवाल है, तो भगवान के लिए आप इतना

(श्री श्रीनिवास शारदा)

ही करें कि आपके प्रदेश में कितने दारू पीने वाले हैं उनके लिए लाइसेन्स कर दें ताकि आपके स्टेटिस्टिक्स तैयार हों, उससे आप यह तय कर पायें कि मेजोरिटी दारू पीने वालों को है तब तो मुझे कुछ नहीं कहना है। और अगर माइनोरिटीज में हैं तब तो आप सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लीजिए। क्या तुक है कि हम इसको राजकोष आय का साधन बनायें ? सवाल यह है कि जो बड़े बड़े आदमी हैं, जो कि क्लब माइन्डेड हैं, जो बड़े बड़े होटलों में ठहरने के आदी हैं, और आमतौर पर ऐसे लोग जिनका सत्ता में काफी हाथ है, वे लोग न चाहें, लेकिन नेतृत्व करने वालों को या नेतृत्व का दावा करने वालों को लोगों में स्पष्ट होना पड़ेगा, साफ होना पड़ेगा ताकि हम अपने कार्यक्रम को गति के साथ आगे ले जायं। मैंने देखा है कि दारूबन्दी के बजाय आज तो डोअर टू डोअर फोर्सीबली दारू सप्लाई हो रही है। बीच में गारन्टी सिस्टम लागू करके उस सिस्टम से इतना भ्रष्ट किया कि जबरदस्ती आदिवासी लोगों के घरों में जाकर बोतलें छोड़ आते थे और बाद में ठेकेदार उनसे पैसा मांगते थे। वह देखता है कि पैसा तो चुकाना पड़ेगा तो चख ही लो। तो इस दिशा में आखिर हमें सोचना पड़ेगा कि क्या करें। दारूबन्दी का मैं हामी हूँ, दारूबन्दी के हामी आप भी हैं और आपको भी होना चाहिये या इससे इन्कार कर देना चाहिए कि हम दारूबन्दी के हामी नहीं हैं। हमारे कार्यक्रम में से इसको निकाल देना चाहिए, खत्म हो गया। लेकिन एक लम्बे टाइम तक प्रोलांग करें जिससे कि डिप्रेस्ड कहलाने वाली सोसाइटी उसका शिकार ज्यादातर होगा आज इसका बुरा असर गरीब पर पड़ रहा है, शिड्यूल्ड कास्टस के आदमी पर पड़ रहा है, पिछड़े हुए आदमी पर पड़ रहा है, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के आदमी पर पड़ रहा है।

एक संकेत के द्वारा, सभापति महोदय आपके माध्यम से सरकार को यह निवेदन करना चाहता था कि आपने रेवेन्यू लाज में लैन्डलेस की बड़ी व्यापक परिभाषा कर दी है। कौन लैन्डलेस ? एक शहर में बसने वाला आदमी अगर भूमिहीन है तो वह भी लैन्डलैस है। तो कहीं आपकी यह गरीबी की परिभाषा इतनी व्यापक न हो जाय कि हमें यह गरीबी ही नजर आती रहे और गरीबी दूर न हो। सही मायने में इसको निर्धारित करना पड़ेगा। आप गरीब को परिभाषा क्या करते वह स्पष्ट हो जाय, आप लैन्डलैस की परिभाषा क्या करते हैं वह स्पष्ट हो जाय। कौन गरीब है और कौन अमीर है ? मैं भी अपने आपको गरीब मानता हूँ इसलिए कि आपने कोई परिभाषा नहीं बनाई। पर-केपिटा इन्कम किस परिवार की कितनी है उस इन्कम से कम जिसकी इन्कम हो उसको गरीब शुमार किया जाय। अन्यथा जिस तरीके से हमने आज से 3 साल पहले लैण्डलेस को परिभाषा की तो उसका परिणाम यह हुआ कि दुनिया के सारे लोग एलॉटमेन्ट करा गये और जब यह देखा कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स बाकी रह गये तो सरकुलर निकाले गये कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को प्रायोरिटी दी जाये। मैं तो यहां तक कहता हूं कि अगर शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स में पैसे वाला है तो

(श्री श्री निवास शारदा)

उसको इससे निकाल दिया जाये। इसका मतलब यह होगा कि उसी समाज का जो दूसरा गरीब आदमी होगा, उसको मौका मिलेगा। यह गरीबी की बात इसी प्रकार से चलती रहेगी। जब तक कि हम इसको स्पेसिफाई नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। जिन गरीबों के लिए आप मकान बनायेंगे, जिनको कि अपने अधिकारों का भान नहीं है वह अधिकारों से वंचित रहेंगे।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

एक बात मैं और निवेदन कर देना चाहता था सभापति महोदय, आपके माध्यम से, सरकार से, आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म करना चाहते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को साफ सुथरा बनाना चाहते हैं। बड़ी अच्छी बात है। हम भी चाहते हैं लेकिन आप यह तो याद कर लीजिये कि सर्विसेज से आम जनता कितनी दबी हुई है। कौन सा तबका कितना ज्यादा त्रस्त है और उसके लिए आप क्या इलाज किया चाहते हैं। सब इन्सपेक्टर की इमेज डैमेज है। पटवारी की इमेज डैमेज है। गरीब से गरीब आदमी का वास्ता इनसे पड़ता है। आज 20 वर्ष के बाद भी जब कि हमारा लक्ष्य साइण्टीफिक रिकवरी का इस देश में था आज भी कितना मैन्युपुलेशन पुलिस में होता है। ठीक है, आपके कहने को मान लिया जाये कि इतने डाकू समाप्त कर दिये। लेकिन जेबकट कितने पैदा किये? दलाल कितने पैदा किये हैं? आप उनको भी दुरुस्त कीजिये। इन्सपेक्टर का नाम सुनते हैं।

श्री मूलचन्द सामरिया : दलाल किन को आप कह रहे हैं, स्पष्ट कर दें।

श्री श्रीनिवास शारदा : मैं फिर बता दूंगा। इतना समय अभी नहीं मिलेगा।

श्री मूलचन्द सामरिया : दलाली करते हैं, उनको दलाल कहते हैं।

श्री श्रीनिवास शारदा : मैं जहां चुप हो गया हूं, वहां आप सफाई कर लें।

श्री मूलचन्द सामरिया : मुझे पता नहीं है, आप कौन से दलाल के लिए कह रहे हैं।

श्री श्रीनिवास शारदा : सभापति महोदय, मुझे मिलकर लोग कहते हैं, मुझे ट्रांसपोर्ट इन्सपेक्टर बनवा दीजिये। कोई कहता है, फूड इन्सपेक्टर बनवा दीजिये। चैरिटी इन्सपेक्टर बनवा दीजिये। टैक्स इन्सपेक्टर बनवा दीजिये। एक्साइज इन्सपेक्टर बनना चाहते हैं। फिर इनके ऊपर पेट्रोलिंग पार्टी है। मैं कहता हूं, इनके बारे में सी. आइ. डी. से व्यूज लिये होंगे। इसमें कहां गलती है। एक सब-इन्सपेक्टर की 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। कितने ही उसको कैंसिल करा लेते हैं। 6 महीने के लिए यह होता है। फिर ज्यादा प्रगतिशील और प्रगतिवादी नीति बनाने के लिए मैं आप को राय दूंगा। इसी सदन में एक प्रश्न आया था कि एक कलेक्टर ने अपनी पत्नी के नाम जमीन एलॉट करा ली। जवाब दिया गया कि वह नौकरी से रिटायर हो गया। वह नौकरी से चला गया। ठीक है, नौकरी से चला गया तो क्या हुआ। है तो यहां। जब 5 वर्ष के बाद एक मिनिस्टर को रिटायर होने के बाद, लोकायुक्त के पास जाना पड़ता है तो कोई अधिकारी गलती करता है तो रिटायरमेन्ट के बाद भी He must be

(श्री श्रीनिवास शारदा)
punished हमें उनको पनिश करना पड़ेगा।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

अपने आप को समाजवादी सिद्ध करने के लिए मैं समझता हूं किसी भी कांग्रेस मैंने को किसी भी पार्टी वाले को हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं, क्योंकि सभापति महोदय समय नहीं देना चाहते हैं, वैसे मैंने एक जन्मपत्री तैयार की हुई है, ठीक है, मैं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री मोहनराज।

श्री मोहनराज (पाली) : सभापति महोदय, आमतौर पर बजट की दो दृष्टियां होती हैं और बैलेन्स्ड बजट और सन्तुलित बजट की आमतौर पर प्रशंसा की जाती है। लेकिन मैं समझता हूं जहां तक बैलेन्स्ड समाज है, सन्तुलित समाज है, जहां तक गरीब अमीर की खाई जोड़ने वाली व्यवस्था है, तो तारीफ की जानी चाहिए। लेकिन हमारे यहां सामाजिक विषमतायें हैं वह इतनी भयंकर हैं कि उनके अनुरूप ही उन असमानताओं को दूर करना चाहिए। उन्हीं के अनुरूप बजट बनाया जाये। उसकी हम तारीफ कर सकते हैं। बजट के जो कई उद्देश्य हैं, उनमें से मैं दो उद्देश्य मानता हूं। एक तो राज्य के जो वित्तीय साधन हैं, उनके अनुरूप, हमारे समाज की जो तात्कालिक आवश्यकतायें हैं उनकी पूर्ति करना और साथ ही समाज का जो कमजोर और पीड़ित वर्ग है, उसको सहारा देकर ऐसा सक्षम बनाना कि पीड़ा से उनको सम्भाल सकें, उनको सहारा दे सकें। दूसरे अमीर और गरीब के बीच में जो बहुत बड़ी खाई है, उसको पाटने के लिए ऐसे करारोपण करना जिससे कि अमीर आदमी अपनी कमाई का विशेष हिस्सा पिछड़े और गरीब लोगों को दे और व्यवस्था को ठीक करें। तो मैं चाहता हूं ये दो महान तात्कालिक उद्देश्य हैं, इनकी पूर्ति करने में कितना खरा कसौटी पर उतरता है।

सबसे पहले तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी जो तात्कालिक आवश्यकतायें हैं अकाल से सम्बन्धित, गरीब वर्गों को राहत पहुँचाने से सम्बन्धित, उनके लिए कुछ हद तक हमारे इस बजट में प्रावधान किया गया है। मैं वित्त मंत्री को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कुछ विकास की योजनायें, पीड़ित वर्गों को सहारा देने को ऐसी योजनायें बनाई हैं जिनके आधार पर हम उनको कुछ सहारा दे सकते हैं। लेकिन जहां तक अमीर और गरीब के बीच में खाई को पाटने का सवाल है, मै सोचता हूं कि इसमें जो कुछ भी हमने कर का प्रावधान किया है, उसके आधार पर अभी बहुत लम्बा अरसा लगेगा कि जब हम उस रास्ते पर आगे बढ़ने के लायक होंगे। मैं सोचता हूं, और भी कई ऐसे कर हैं, जो ऊपर के वर्ग के लोग हैं, जो उच्च वर्ग के, अपर क्लास के लोग हैं उन पर लगाये जा सकते थे और इस ढंग से अमीर गरीब के बीच जो बड़ी भयंकर खाई है उसको पाटने की ओर कुछ कदम आगे बढ़ा सकते थे। वित्त मंत्री जी ने उनको अभी अछूता छोड़ा है और एक ही कर का प्रावधान किया

(श्री मोहनराज)

है। मैं सोचता हूं, वह किसी वक्त ऊंचे दर्जे के लोगों पर कर लगाने के लिए बिना किसी तरह की घबराहट, बिना किसी तरह की परवाह किये आगे आयेंगे और हिम्मत करके ऊंचे दर्जे के जो लोग हैं, उन पर इस तरह के कर लगायें जिससे हम समाज के निर्बल लोगों की मदद करने के लिए और धनराशि दे सकें। मैं सोचता हूँ कि जो कार्यक्रम हाथ में लिये हैं, वह सब अच्छे हैं और मैं पहले ही धन्यवाद दे चुका हूँ; लेकिन मुख्य तौर पर कुछ बातें, मैं जिस जिले से आ रहा हूं, उस जिले से सम्बन्धित हैं, उनकी ओर मैं वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित करूंगा।

अपने बजट भाषण में उन्होंने राजस्थान के आठ जिलों में पशुधन की तरक्की के लिए और पशु से जो उत्पन्न होता है दूध वगैरह उसकी बिक्री के लिए डेअरी खोलने का इन्तजाम किया है। उन आठ जिलों में पाली जिले का नम्बर नहीं है। अगर वित्त मंत्रालय, जो पशु संख्या है जिलेवार और जो दुधारू पशु हैं उनकी संख्या है, उस पर नजर डालता तो सारे राजस्थान के अन्दर पाली जिले का दूसरा स्थान है, जहां पर उत्तम किस्म के पशु हैं, खासतौर से दुधारू पशु, गाय, भैंस, भेड़, बकरी-यह मिलती हैं और इस तरीके से आठ जिलों में पाली का स्थान न आने से एक तरह से भयंकर उपेक्षा वृत्ति प्रकट होती है। मैं सोचता हूँ, राज्य सरकार इस सम्बन्ध में शीघ्र ही पाली जिले के अन्दर भी डेअरी की व्यवस्था करे। इससे जो गरीब काश्तकारों को रोजगार देने की बात है और जो पशुपालन पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं, उनको सहारा मिलेगा और बार बार अकाल की चपेट में आने के कारण वहां का जो पशुधन निर्बल होता जा रहा है, और अच्छी नस्ल गायब होती जा रही है, उनको उन मवेशियों की हालत सुधारने में बड़ी मदद मिलेगी।

दूसरी चीज मैं उद्योग के विषय में निवेदन करना चाहता हूँ। जैसा पाली जिले से आने वाले माननीय सदस्य ने, सभापति महोदय, आपके मार्फत सदन का ध्यान आकर्षित किया, मैं दोहराना नहीं चाहता लेकिन मैं इतना जरूर निवेदन करना चाहता हूँ कि आज पाली जिले में जो कुछ भी छोटे मोटे उद्योग राजकीय प्रोत्साहन से आज से दस वर्ष पूर्व लगे थे, धीरे धीरे वह हमारे पड़ौसी राज्य; गुजरात में जा रहे हैं, पालनपुर और पालनपुर से, फालना से, रानी से, अभी अभी पिछले आठ महीने के अन्दर पांच उद्योग वहां पर गये हैं। अगर इस प्रकार उपेक्षा वृत्ति रखी गई और इसे भी पिछड़े जिले में शामिल नहीं किया गया तो जो मन्शा राज्य के अन्दर दूसरे लोगों की उद्योग लगाने की थी, वह खत्म हो जायेगी। मैं सोचता हूँ, शीघ्रातिशीघ्र राज्य सरकार को पाली जिले को पिछड़ा हुआ जिला घोषित करना चाहिए और वह सारी का सारा प्रोत्साहन, जो एक व्यक्ति को दिया था, और जिनकी वजह से उद्योग लगे थे, वह और अधिक पनपे और अधिक आगे आवें, इसके लिए मैं उद्योग विभाग का ध्यान आकर्षित करूंगा।

उद्योग-विभाग ने एक परामर्शदात्री समिति कायम की थी। हम सोचते थे,

Page No 98

98

(श्री मोहनराज)

मैं सदस्य होने के नाते सोचता था, एक दो महिने के अर्से में एक आध बार हमारी बात सुनेंगे और हम जो भी सुझाव देंगे, उन पर गौर करेंगे। यह बात तो दूर रही, लेकिन अभी पिछली दिसम्बर में जोधपुर में एक सेमीनार उद्योग विभाग ने आयोजित किया था। मैं सोचता था, जब जोधपुर नगर में बड़े पैमाने पर सेमीनार आयोजित किया जा रहा है, उसके अन्दर दो तीन दिन तक गम्भीर विचार और मंत्रणा होगी। उसमें भी विधान सभा के सदस्य, जो परामर्शदात्री समिति के सदस्य थे, उनको वंचित रख दिया, उनको निमन्त्रण भी नहीं दिया गया। यह उपेक्षा वृत्ति हमारी समझ में नहीं आती है। हो सकता है, यह ध्यान में नहीं आया हो, लेकिन यह मसला ऐसा है, अगर भूल हुई है, तो मैं इसे गम्भीर मानता हूँ, इस कदर उपेक्षा वृत्ति। सदस्य वहां जायें या न जायें, इस ओर मैं उद्योग विभाग का ध्यान आकर्षित नहीं करता मेरे ख्याल में जो सदस्यों को जानकारी अपने इलाके की दिक्कतों की है और उनके जो सुझाव हो सकते थे, वहां पर उपस्थित लोग उनसे लाभान्वित होते, वह लाभान्वित होने से वंचित—रह गये ऐसा मान कर मैं यह बात कहना चाहता हूँ।

दूसरी बात, जो जल प्रदाय योजना के लिए राशि रखी गई है, मैं उसे बहुत बड़ी राशि रखने के बावजूद बहुत कम मानता हूं क्योंकि राजस्थान में पीने के पानी की समस्या बहुत ही गम्भीर बनी हुई है। अभी भी गांवों में लोगों को पीने को अच्छा पानी नहीं मिलता। और मेरे जिले पाली में जो बाली का सब डिविजन है, जो मारवाड़ का हरा भरा इलाका माना जाता था, कहीं भी पानी छूट जाय, लेकिन मारवाड़ का जो बाली क्षेत्र है, वहां पानी की कमी नहीं आयेगी। आज गांवों के गांवों में पीने के पानी के कुए सूखे पड़े हैं, उनकी हालत गम्भीर हो गई है। मैं सोचता हूं कि पीने के पानी की योजना पर हम अधिक से अधिक धन खर्च करें और जो वित्तीय दूसरी संस्थायें हैं, बैंक है, एल. आई. सी. है या दूसरे कार्पोरेशन वगैरह हैं, उनसे अधिक से अधिक धन प्राप्त करके जल प्रदाय योजना का कार्य शीघ्र पूरा किया जाय तो यह बहुत अच्छा कार्य होगा, यह मैं मानता हूं।

दूसरी चीज, जो भी योजनायें हैं, गरीब तबके के लिए, खास तौर से पिछड़े वर्ग के लिए, जो भी इसके अन्दर राहत देने के लिए, पानी के लिए सहायता देने के रूप में, दूसरे अनेक कई तरह के अनुदान देने की बात इसके अन्दर कही गई है, उनमें एक मुख्य बात रह गई है, जिसकी ओर मैं वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हमने पिछले चार पांच वर्ष के अन्दर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों में जो भूमि का वितरण किया है, किसी को पांच बीघा जमीन मिली है, किसी को दस बीघा जमीन मिली है, किसी को सात बीघा जमीन मिली है—हमने इस उम्मीद से जमीन दी थी कि जमीन देने के बाद वह स्थाई जीवन निर्वाह का हल निकाल लेंगे और वह जमीन पर काश्त करने लगेंगे और काबिज हो जायेगा। लेकिन पिछले वर्ष में मैं अपने क्षेत्र पाली जिले के दूसरे गांवो में गया और पिछले पांच वर्ष में

(श्री मोहनराज)

जिनको भूमि दी गई है उनकी सूची लेकर गांवों में गया, गांव गांव में सूची के आधार पर मालूम किया, जिन लोगों को पिछले पांच वर्ष में भूमि दी गई है, वह वास्तव में भूमि पर काबिज हैं, काश्त करते हैं या नहीं, किन्तु, सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत यह स्पष्ट निवेदन करना चाहता हूं, जिन लोगों को भूमि वितरित की गई, उनमें से पचास प्रतिशत लोगों ने भूमि पर कतई काश्त नहीं की। जब पूछा, भई, आपको जमीन दी थी, उस पर काश्त क्यों नहीं कर पाये ? उन्होंने कहा, हमारे पास हल नहीं है। हमारे पास बैल को किराये पर लेने के लिए पैसा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो भूमि उनको देते हैं, लेकिन उनको छोटा सा साधन, हल या बैल किराये पर लेने का भाड़ा मुहैया नहीं होता है, बीज भी वक्त पर नहीं मिलता है और इस तरह जमीन देना बेकार रहता है। इसलिए, मैं वित्त मंत्री से निवेदन करूंगा कि मौजूदा वित्तीय वर्ष में, 1973-74 में वह पचास लाख रुपये का प्रावधान रखें ऐसे लोगों के लिए जिनको भूमि वितरित की गई है। लेकिन जिनके पास किसी भी तरह काश्त करने का साधन नहीं है उसमें से प्रत्येक व्यक्ति को सौ रुपये, दो सौ रुपये को तकावी या अनुदान के रूप में ऐसे लोगों को, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों को दिये जायें इससे वास्तव में, जिस उद्देश्य के लिए हमने उनको जमीन दी थी, उस उद्देश्य की पूर्ति होगी और स्थाई तौर पर जमीन पर बसायेंगे, और उनके जीवन के निर्वाह का स्थाई हल निकालने का उद्देश्य भी पूरा होगा।

दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहूंगा, वित्त मंत्री ने अपने भाषण में एक चीज कही है, सूखाग्रस्त इलाकों के लिए वह मई 1973 के अन्दर योजना और कार्यक्रम बनायेंगे कि जिससे वहां पर सूखाग्रस्त इलाके जो हैं, उनमें जो बार बार सूखा पड़ता है, उस समस्या का वह निदान कर सकेंगे। मई तो अभी आने वाला है और वह कार्यक्रम मई महीने तक तैयार हो जायेगा, लेकिन मैं जानना चाहता हूं, वह अपने इस भाषण में यह जाहिर करते कि उन्होंने ऐसी कौनसी मशीनरी, कौनसी कमेटी का किस तरह का कार्यक्रम बनाने के लिए संयोजन किया है—इसमें उसका हवाला नहीं है। मैं सोचता हूं अगर स्थानीय ऑफिसर्स से या यहां बैठे हुए कुछ ऑफिसर्स से उन्होंने इस तरह का आयोजन बनाने की, कार्यक्रम बनाने की बात सोची होगी तो आखिर में भूल होगी क्योंकि प्रेक्टिकल कार्यक्रम कभी नहीं बनेगा। मैं समझता हूं, ऐसे इलाकों के लिए जो वहां के जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, प्रधान हैं, प्रमुख हैं या जो काश्तकारों के प्रतिनिधि हैं, ऐसे लोगों को भी इस तरह के आयोजन में सम्मिलित करना चाहिए और उनकी राय लेकर कार्यक्रमों को निर्धारित करने चाहिए तभी जाकर वह सफल हो पाएगा और हम किसी समस्या का समाधान कर सकेंगे। मैं समझता हूं इस ओर भी सोचेंगे और कार्यक्रम को अन्तिम रूप देने से पहले, वह इस तरह की राय जानने की चेष्टा करेंगे।

वित्त मंत्रीजी ने अपने भाषण में पृष्ठ तीन व चार पर कहा है कि आर्थिक विकास की गतिशीलता में वृद्धि हो और

(श्री मोहनराज)

प्रशासन व्यवस्था को कुशलतापूर्वक एवं ईमानदारी के साथ विकास के इन उद्देश्यों को पूरा करने की दिशा में सक्षम तथा इन्हीं के अनुरूप साधन-सम्पन्न बनाया जाए। मेरे खयाल में साधन-सम्पन्न की जो बात कही है उससे उनका क्या प्रयोजन हैं, वह स्पष्ट नहीं है। क्या अभी भी प्रशासन मशीनरी की संख्या कम है, वह उसकी पूर्ति करना चाहते हैं, अभी भी ऊंचे से ऊंचे जो प्रशासन अधिकारी है, उनकी तनख्वाहें कम हैं, उनको और अधिक साधन सम्पन्न बनाना चाहते है? यह उनका खयाल और भावना नहीं हो सकती।

मैं जो मतलब निकाल सका हूं वह यही हो सकता है कि जो भी हमारे उद्देश्य हैं, उनकी पूर्ति के लिए जैसा प्रशिक्षण होना चाहिए, उनमें वैसी भावना जागृत होनी चाहिए कि समाजवाद के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अधिकारियों के दिल में कैसा प्रशिक्षण हो, गरीबों के प्रति कैसी अनुभूति हो, यह उनका खयाल है। इसके लिए उनको तत्काल व्यवस्था करनी चाहिए। उनकी क्या योजना है, वह मैं जानना आवश्यक नहीं समझता लेकिन इस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए जल्दी से जल्दी कदम उठाये जायं तो बहुत सेवा का कार्य होगा। कोई भी हम काम करते हैं, अगर प्रशासन ईमानदार है और कुशल है तो उस कार्यक्रम का फायदा गरीब से गरीब आदमी तक पहुंचता है वरना नहीं। हम कई विकास योजनायें बना रहे हैं, यह सोच कर कि गरीब आदमी का जीवन स्तर ऊंचा होगा, उसके घर में 5 पैसे की बचत होगी, विकास कार्यक्रमों से पैदा होने वाला धन उसको मिलेगा। इसके लिए गरीब आदमी में ताकत पैदा करनी पड़ेगी कि वह धन, जो उसके पास आ रहा है वह उसके पास रह सके। इसके लिए दो बातें जरूरी हैं प्रशासन का सक्षम और ईमानदार होना, दूसरे गरीब आदमी में सद्गुण और संस्कृति पैदा करना जिससे उनके यहां बचा हुआ धन का वह रक्षण कर सके।

राज्य सरकार को आगे आकर, जो उन्होंने शराबबंदी की घोषणा की है तत्काल उसको लागू करे। अगर शराबबन्दी नहीं होगी और आम गरीब आदमी, पिछड़ा हुआ आदमी उसको धन दिया जाए लेकिन उसका रक्षण नहीं होगा, तो छलने के अन्दर जो अमृत है वह छनकर रेत में जाकर गिरेगा, मिट्टी में मिल जाएगा इसके लिए पेंदा (Bottom) ठीक होना चाहिए। हम बढ़ी हुई आय का स्रोत गरीबों के लिए दे रहे हैं मगर उसका उपयोग शराब में करते जायेंगे तो मुश्किल होगा। इसलिए कांग्रेस ने 1928 के अन्दर, आजादी से 20 पहले, कलकत्ता के अधिवेशन में प्रस्ताव पास करके निर्देश दिया था कि भारत में सारी गरीबी को देखते हुए तत्काल शराबबंदी होनी चाहिए और जो पहला कांग्रेसी मंत्रीमंडल 1937 में बना, उन्होंने शराबबंदी लागू की। हमारे संविधान बनाने वालों ने, जो महान् नेतागण थे, उन्होंने संविधान के जो डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, उसके अन्दर दो वाक्य लिखे हैं, वह मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं:

"**भारत का संविधान-धारा 47**: राज्य अपनी जनता के पोषक भोजन और जीवन निर्वाह के स्तर को ऊंचा करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के

Page No 101

101

(श्री मोहनराज)

अपने प्रारम्भिक कर्त्तव्यों को मुख्य समझेगा और विशेषतः यह प्रयत्न करेगा कि नशीले पेय और नशीली दवाइयां, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, का प्रयोग बंद हो सिवा उनके कि जो चिकित्सा के काम की हों।"

साथ ही मैं यहां पर हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने शराबबंदी के मुतल्लिक स्पष्ट निर्देश दिए थे उनकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं:

"आप ऊपर से सत्य देने वाले इस तर्क के धोखे में न आइये कि भारत को जबरन संयमी न बनाया जाए और जो शराब पीना चाहें उन्हें पीने की सुविधायें दी जायें। राज्य का कार्य लोगों की बुराइयों के लिए सहूलियत पैदा करना नहीं है। हम व्यभिचार के अड्डों का संचालन नहीं करते और न ही उनके परवाने देते हैं। हम चोरों को उनकी चोरी की वासना पूरी करने के लिए सुविधा नहीं देते। मैं शराबखोरी को चोरी और शायद व्यभिचार से भी अधिक निन्दनीय समझता हूं। क्या यह अक्सर दोनों की जननी नहीं होती ?"

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

मैं जल्दी ही समाप्त कर रहा हूं। आम तौर पर देखना यह है कि हमारी वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं है कि हम इस शराबबन्दी को लागू कर सकेंगे। भारत के प्रमुख अर्थ शास्त्री श्री श्रीमन्नारायण ने जो विचार व्यक्त किए हैं वह मैं पढ़कर सुनाता हूं:—

"यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि एक राज्य के बाद दूसरे राज्य मद्य निषेध की राष्ट्रीय नीति को रद्द करते जा रहे हैं। उनका ख्याल है कि नशाबन्दी के हटाने से उन्हें आर्थिक व सामाजिक विकास के विभिन्न कार्य-क्रमों के लिए अधिक धन राशियां प्राप्त हो सकेंगी। किन्तु यह उनका केवल भ्रम है। वे यह तथ्य भूल जाते हैं कि राज्य को आबकारी की आय का एक रुपया दिलाने के लिए गरीब जनता को कम से कम तीन रुपया शराब पीने में बर्बाद करने पड़ते हैं। यह भी एक बिलकुल गलत विचार है कि गैर कानूनी शराब प्रोहिबिशन क्षेत्रों में ही बनाई व बेची जाती है। अनुभव से यह सिद्ध हो चुका है कि जिन राज्यों में शराबबन्दी नहीं है वहां भी बड़े परिमाण में गैर कानूनी नशीली वस्तुओं का उपयोग जारी है। मद्य निषेध के साथ साथ जनता का व्यापक शिक्षण भी बहुत आवश्यक है। किन्तु तत्सम्बन्धी कानून के बिना यह शिक्षण कार्य-क्रम संभव नहीं होगा। जिन देशों में शराबबन्दी के बिना सिर्फ 'टेम्परेंस' आन्दोलन संचालित किए जा रहे हैं, वहां का भी यह तजुर्बा है।"

हमारे यहां भी यही दलील दी जाती रही है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमारे मुख्य मन्त्री और वित्त मन्त्री दिल से और आत्मा से चाहते हैं कि शराब बुरी चीज है। अभी भी फालना में राजस्थान प्रदेश शराबबन्दी सम्मेलन हुआ था, उस अवसर पर मुख्य मन्त्री का संदेश प्राप्त हुआ था। उसमें उन्होंने स्पष्टतः अपनी आत्मा की पुकार का प्रदर्शन किया था। उन्होंने संदेश में कहा था कि शराब बहुत बुरी चीज है, मैं शराबबन्दी चाहता हूं और शराबबन्दी का जो अभियान चल रहा है उसकी सफलता की कामना करता

(श्री मोहनराज)

हूँ। वित्त मन्त्री के भी इस बारे में विचार स्पष्ट है। मेरी उनसे बात हुई है, वह भी इस बात को जानते हैं कि शराब खराब चीज है, बन्द होनी चाहिए। लेकिन वह जिन परिस्थितियों में अपने आपको घिरा हुआ मानते हैं, मुझे उसके लिए भी बड़ा दुःख है और मैं वित्त मन्त्री से कहूँगा कि कुर्सी पर बैठने से पहले जो विचार होते हैं उनको लागू करने के लिए कुर्सी पर बिठाया जाता है हमारी कांग्रेस का विचार था। लेकिन कुर्सी पर बैठने के बाद कुर्सी जब हावी हो जाती है तो रूप दूसरे हो जाते हैं। इस धर्म संकट से निकलने के लिए दूरदर्शिता से सोचना चाहिए और जो वित्त मन्त्री की आत्मा की आवाज है, उसको पूरा करने के लिए कदम उठाये जायेंगे तभी जाकर सफलता मिलेगी। सभापति महोदय, इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जो गत 16 मई को वित्त मन्त्री द्वारा परिपत्र जारी किया था उसमें यह कहा गया था कि शराब की दुकानें ऐसे स्थानों पर नहीं होनी चाहिए जो कि कॉलेजों के नजदीक हों, जहां श्रमिकों के कार्यालय नजदीक हों अथवा मजदूरों की बस्ती के नजदीक हों।

श्री भीमसेन : यह तो पहले राज्य सरकार द्वारा आदेश किए हुये हैं।

श्री मोहनराज : आदेश तो पहले ही राज्य सरकार के किए हुये हैं लेकिन उनकी अनुपालना नहीं हुई है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बावजूद वित्त मन्त्री जी के परिपत्र जारी करने के मैं आपसे निवेदन करूंगा कि फालना स्टेशन के पास जो जैन मन्दिर है उसके दरवाजे के ठीक पास एक शराब की दुकान खोली हुई है। इसके लिए फालना पंचायत समिति ने एक प्रस्ताव भी पास करके इस बारे में भेजा है कि इस शराब की दुकान को वहां से हटाई जाय। परन्तु बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अभी तक वह दुकान वहीं की वहीं है। इसके अलावा यह भी मुझे अत्यन्त खेद के साथ कहना पड़ता है कि वहां पर जो एक्साइज डिपार्टमेंट का सर्किल इन्सपेक्टर है उसने यह कहा कि साहब क्या हर्ज है बेचने दीजिये बेचारे को। यह आप लोगों को थोड़े ही परेशान करता है। तो, सभापति महोदय, यह है राज्य सरकार के आदेशों की अनुपालना, जो कि एक्साइज डिपार्टमेंट के स्टाफ वाले करते हैं। मैं आपके माध्यम से, सभापति महोदय, राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि उस दुकान को वहां से तुरन्त हटाया जाय। और 16 मई का जो परिपत्र निकला हुआ है उसके अनुसार कार्यवाही होनी चाहिये। इसके अलावा मैं तो आपको यह भी निवेदन करूंगा कि राजस्थान सरकार जिस तरह राजस्थान के कुछ जिलों में पूर्ण नशाबन्दी लागू कर रखी है उसे हमारे पाली जिले के अन्दर भी लागू किया जाना चाहिये। उसे भी पूर्ण शराबबन्दी ऐरिया घोषित किया जाय। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप हमारे यहां पर शराबबन्दी लागू कर देंगे तो हम आपको पूर्ण सहयोग देंगे और मैं समझता हूँ कि राज्य सरकार को जो नीति है शराबबन्दी की उसकी भी प्रगति होती रहेगी बस इतना ही कहकर मैं मेरा स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री सभापति : श्री नत्थासिंह ?

(अनुपस्थित)

श्री हरिसिंह।

श्री हरिसिंह (बैगू): माननीय सभापति महोदय, जो 1973-74 का बजट माननीय वित्त मन्त्री महोदय द्वारा सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है उसके सम्बन्ध में मैं भी अपने कुछ विचार संक्षिप्त में आपके सामने व्यक्त करना चाहता हूं। अगर हम सन् 1972-73 के बजट का अवलोकन करें और उसके साथ सन् 73-74 के बजट को देखें तो हमें तुलनात्मक दृष्टिकोण से यह विदित होगा कि जहां तक बजट में विभिन्न प्रावधानों का प्रश्न है उसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिखायी देता है पहले का बजट

(समय 4.33 म. प.)

श्री रामसिंह यादव : (उपाध्यक्ष, पीठासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, 67.23 करोड़ रुपये का था तो अब जो बजट पेश हुआ है वह 75.10 करोड़ रुपये का है। अत: विशेष अन्तर नहीं है। इस प्रकार एक तरह से सन्तुलित बजट रखा गया है। उपाध्यक्ष महोदय, सन् 72-73 तक पावर एवं इरिगेशन के लिए 39.62 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया था और इस बजट में इसके लिए 40.43 करोड़ रुपये रखा गया है तो इस प्रकार से बराबर के आंकडे ही दिखायी दे रहे हैं। और पूरे बजट का जब हम तुलनात्मक दृष्टिकोण अपनायें तो 7-8 करोड़ रुपये का ही फर्क है। मैं इसे सन्तुलित बजट मानते हुए इसका समर्थन करना पसन्द करूंगा।

इस बजट में जिस प्रकार से प्रावधान किया गया है वह इस प्रकार से किया गया है कि इसमें किसी को भी विशेष शिकायत नहीं हो सकती। जहां तक बजट के नीति निर्धारण का प्रश्न है इसमें नॉन-प्लान एक्सपेन्डीचर के हैड़ में कम खर्च बताया गया है। और इसमें माननीय वित्त मंत्रीजी जितनी कमी कर सकते थे उतनी की। और वेस्टफुल खर्चा जो भी होता है उसे नहीं किया गया है। उन्होंने ऐसा प्रयास किया है कि प्रोडेक्टिव परपजेज के लिए विशेष ध्यान रखा जाय। अनुत्पादक, अनप्रोडेक्टिव परपजेज के अन्दर कमी है। यह स्थिति हम अगर बजट के डिटेल विवरणों को देखें तो हमें ऐसा दिखायी देता है कि बजट में नॉन-प्लान एक्सपेन्डीचर को कम करके बजट को इस प्रकार से बनाया गया है कि यह बजट एक प्रकार से नेशनल बेसिस के आधार पर तैयार किया गया माना जाय।

यह बजट एक प्रकार किसी हद तक सेल्फ जनरेटिंग बजट है इसलिए यह किसी हद तक सराहनीय है। उदाहरणत: इस बजट में, जो डिस्ट्रिक्ट वाइज एलोकेशन ऑफ फण्डस् किया गया है जिला स्तर पर, चाहे वह सिंचाई के लिये हो या पावर के बारे में हो, सभी समस्याओं के समाधान करने का प्रावधान रखा गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक बात निवेदन करना चाहूंगा कि जैसे रोड सेक्टर के बारे में, जो जिलों में प्रावधान रखा गया है वह प्रति जिले में 8-10 सड़कों का रखा गया है। इस बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि एक माइल सड़क के लिए मेटल्ड रोड बनाने के लिये 60-70 हजार रुपये तक चाहिये इस प्रकार पूरे जिले में 7·8 लाख का जो

(श्री हरिसिंह बेगू)

अनुमानत: प्रावधान रखा जाता है उससे तो 15-16 माइल तक की ही सड़क बन सकती है, जो कि एक जिले के लिए अपर्याप्त है। तो इस प्रकार सड़कों की प्रगति बहुत ही धीमी होगी।

इसके अलावा विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में भी मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा उसमें भी राजस्थान का एवरेज प्रति गांव विद्युतिकरण हेतु करीब एक लाख रुपया तक पड़ेगा, जबकि आल इण्डिया एवरेज प्रति विलेज सिर्फ 55 हजार से अधिक नहीं है। लेकिन हमारे राजस्थान में बिजली प्रसार के बारे में परिस्थितियां कुछ अलग हैं। इसलिए खर्च भी अधिक आयेगा। इस प्रकार जो बजट में प्रावधान रखा गया है उसके अनुसार हम एक जिले में 5-6 गांव या हद से हद केवल दस गांवों में हर साल बिजली दे सकेंगे। तो यह भी एक प्रकार से बहुत ही धीमी प्रगति हुई इससे हम गांवों के लोगों को किस प्रकार से सन्तुष्ट करें यह हमारे लिये एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। गांव में जाते हैं तो लोग हमें गांवों में जल्दी से जल्दी बिजली पहुंचाने की बात कहते हैं और हम उन्हें आश्वासन भी देते हैं। लेकिन इस प्रकार से अगर एक साल में प्रति जिले में 8-10 गांव में ही बिजली पहुँचायी जा सकी तो मैं समझता हूँ कि पूरे राजस्थान के अन्दर जो करीब 32 हजार गांव हैं उसमें करीब 100 वर्ष से भी ज्यादा समय लग जायेगा। यह एक विचारणीय प्रश्न है। इसके लिये मैं यह निवेदन करूंगा कि ग्रामों के विद्युतिकरण के लिए हमे नेशनल लेवल पर रूरल फाइनेंसिंग कार्पोरेशन से या कृषि पुनर्वित निगम से अथवा एल. आई. सी. से लोन लेकर एक बहुत बड़े पैमाने पर इस विषय को लेकर पूरा किया जाना चाहिये।

आज बिजली गांवों के लिए बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा जो 11 के. वी. ट्रान्समिशन लाईन कुछ क्षेत्रों के अन्दर लगायी है उसके बदले में आपको चाहिये कि आप 33 के. वी. हाईटेन्शन लाइन लगावें ताकि कृषि के लिये ज्यादा पावर लोड़ मिल सके एवं ये योजनाएं कार्यान्वित की जा सके। दूसरे हमारे यहां हाईड्रोलोजिकल सर्वे भी राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में कराया गया है, लेकिन दुर्भाग्य से आज 6-6 8-8 महीने से ज्यादा हो गये हैं पर बहुत सी जगह अभी तक उसकी डिटेल रिपोर्ट तक नहीं आयी है और न ही जो सर्वे किया गया है उसका कम्पाईलेशन ही हुआ है। उस सबका जिस्ट यह हुआ कि या तो वह योजना ऊपर के लेवल से सस्वीकृत हो जाती है या दूसरे जो कागकात पड़े रहते है, जो कि महत्वपूर्ण नहीं होते हैं उनमें वह जाकर पड़ जाती है या यों कहिये कि कोल्डस्टोरेज में पड़ जाती है। उसका प्रत्येक का उदाहरण मैं उस क्षेत्र में देखता हूं जहां से मैं निर्वाचित होकर आया हूँ, वह है बेगूं। वहां पर हाइड्रोलोजिकल सर्वे तो मैंने कोशिश करके कराया। चार पांच महीने लगाकर किया गया वह स्कीम अब बाम्बे पहुँची है जहां कृषि पुनर्वित निगम का मुख्यालय है। हमारे क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिये यह एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण योजना हैं परन्तु खेद है कि यह स्कीम बिना किसी कारण के वहां लम्बे समय से पड़ी हुई है। जहां जो पोटेन्शियल है उसका ठीक तरह से उपयोग कर सकें इस सम्बन्ध में जो कमी है, उसके लिये चाहे प्रशासनिक कहें या ऊपर के

(श्री हरिसिंह बेहू)

लेवल की जिम्मेदारी कहें, उसको हम को दूर करना होगा। राजस्थान के बजट से हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वह बहुत बड़ी योजनाएं अपने साधनों से हाथ में ले सके और उसके लिये कोई आश्वासन ही दे सके। अतः इस प्रकार की नेशनल लेवल की संस्थाओं से ही लोन प्राप्त करके कार्य किया जा सकता है।

एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह भी आता है कि जो कुछ धनराशि का व्यय होता है, वहां कुछ ड्युरेबल असेट्स कुछ ऐसे असेट्स प्राप्त होते हैं जिससे आगे जाकर उस कार्य में और क्षमता लायी जा सके। खास तौर पर जहां पर अकाल के समय काम हुए हैं वहां पर यह प्रश्न आया कि जो करोड़ों रुपया इन्वेस्ट हुआ है वहां पर, ड्युरेबल असेट्स कितने बने हैं और उनसे आगे आने वाले वर्षों में क्या मदद मिल सकती है। अगर इसको वेल्युएट करते हैं तो एक निराशाजनक तस्वीर हमारे सामने आती है। चाहे किसी को इसके लिये दोषी ठहरायें केन्द्र को यदि संपूर्ण दोषी ठहराते हैं कि वह हम को आवश्यकतानुसार रकम नहीं देती है, तो यह दृष्टिकोण अनुचित होगा वर्तमान संदर्भ में। पांच लाख व्यक्तियों को रोजगार मिल रहा है अकाल में हालांकि, वैसे अभी तक आवश्यकता इससे तिगुनी है। परन्तु जो कुछ धनराशि आज प्राप्त की है उसका हमने किस प्रकार से उपयोग किया है, किस प्रकार से नियोजन किया है यह भी एक महत्वपूर्ण मसला है। और उस स्थिति में यदि केन्द्र को यह कहा जाय कि वहां हमें पूर्ण आर्थिक सहयोग नहीं मिला तो मैं उस संबंध में भिन्न राय रखता हूं। पहले जो ड्युरेबल असेट्स हमने कायम किये हैं उसी के आधार पर आगे मांग करना उचित होगा।

एक बहुत ही महत्वपूर्ण मसला जो, मैं समझता हूं इस सन्दर्भ में, मैं निवेदन करना चाहता हूं, वह यह है कि हमारे प्लानिंग का जो कन्सेप्ट है वह तो जनतन्त्रीय कन्सेप्ट है। हमारा जो संविधान बना हुआ है उसके द्वारा हम डेमोक्रेटिक तरीके से प्लानिंग करते हैं। परन्तु जिस डेमोक्रेटिक तरीके से हम सोचते हैं एवं उसके लिए कानूनों के अन्दर विभिन्न प्रावधान करते हैं, परन्तु जब उसका क्रियान्वयन करते हैं तो उसके अन्दर जो बॉटलनेक या जो दिक्कतें आती हैं, लिमिटेशन्स आते हैं उससे एक अनुभूति यह होती है कि कहीं हम दिशा भंग तो नहीं हो गए। डेमोक्रेटिक वे का प्लानिंग सोचते हैं पर उसका परिणाम क्या निकलता है? चाहे उसको पंचवर्षीय योजनाओं से सम्बद्ध कर दिया हो। योजनाओं को पांच साल में बांध देना तो डेमोक्रेटिक वे से सम्बंधित नहीं है। एक प्रकार से तो कम्युनिस्टिक कन्ट्रीज चाहे रसिया हो या दूसरे कन्ट्रीज हों, उनसे एक प्रकार का एक विचार हमने लिया है। परन्तु मैं समझता हूं कि उसके लिये हम भारतीय तरीके से हमारी सर्विसेज को कमिट करा सकें। सर्विसेज कमिटेड हों यह बहुत ही आवश्यक है। परन्तु आज जो स्थिति बन रही है वह बहुत ही विषम स्थिति है। हम दोष देते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को। एडमिनिस्ट्रेशन वाले कहते हैं कि पोलिटिशियन्स प्रशासन में इण्टरफियर करते हैं। वे हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं और

(श्री हरिसिंह बेगूं)

हम उन पर आरोप लगाते हैं कि वे कमिटेड नहीं है। हम एक दूसरे पर दोषारोपण करते जावेंगे उससे कोई फायदा हो नहीं सकता है। देश का नुकसान हो रहा है।

जैसा मैंने निवेदन किया उसमें आमूलचूल परिवर्तन को आवश्यकता है। क्रियान्विति किस प्रकार हो ? भारतीय ढंग से हो या दूसरे तरीके से ? उत्तरदायी हम किसी को ठहरा सकें इसकी आवश्यकता है। वरना तो होगा यह कि प्लानिंग करते जावेंगे और योजनायें असफल होती जावेंगी। केन्द्र से लोन लेते जावेंगे और दुरुपयोग होता जावेगा। यह एक महत्वपूर्ण नीति का प्रश्न है। मैंने विचार आपके सम्मुख रखा है इस पर मननशील और विचारशील व्यक्ति विचार करें कि किस प्रकार से योजनाओं का क्रियान्वयन करके हमारी परिस्थितियों में उसको किस प्रकार उतार सकते हैं। यह बहुत ही आवश्यक है।

कुछ माननीय सदस्यों ने राजस्थान की आर्थिक स्थिति को लेकर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया एवं राजस्थान के बजट को दिवालियापन की संज्ञा दी इससे मुझे दुःख हुआ। हम आर्थिक स्थिति का बिना मूल्यांकन किये दिवालियेपन की संज्ञा दें यह अनुचित होगा।

जो डैट बर्डन राजस्थान की जनता पर है वह तीन पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल के अन्दर 152.64 करोड़ हो गया है। पांचवी पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ तक 825.54 करोड़ के करीब पहुँच जाता है। वैसे देखा जाय तो डैट बर्डन का भार भारत वर्ष में सर्वाधिक कहीं कहा जाय तो राजस्थान पर है। यह स्वभाविक तथ्य है और इसमें किसी प्रकार की विशेष अतिशयोक्ति नहीं है। जहां तक पापुलेशन का सवाल है सब स्टेट्स के मुकाबले में 4.8 प्रतिशत हमारे यहां की है और जो रेवेन्यू है वह 4 प्रतिशत के करीब है, दूसरी स्टेट्स की तुलना के अन्दर और उस अनुपात के अन्दर जो कर भार राजस्थान पर है वह करीब 8 प्रतिशत पड़ता है। यह नेशनल इन्कम की दृष्टि से सर्वाधिक पड़ता है जहां तक स्टेट्स की तुलना का सम्बन्ध है। डैट बर्डन, जो प्रति व्यक्ति पड़ता है वह 47 रुपया है और जो ऑल इन्डिया बेसिस पर है वह 21 रुपया है। हमारी एक यह विषम स्थिति है। ये वास्तविक आंकड़े हैं। यह क्यों है ? इसको केवल दिवालियापन कह देना नितान्त गलत होगा। उसके कारणों में हमें जाना है। प्रोब्लेम क्या है उसकी जड़ में पहुंचें तब ही ज्यादा अच्छा होगा। समस्या को समस्या के लेवल पर ही टेकल करेंगे तो कहीं नहीं पहुँच पायेंगे। उसको जड़ तक पहुँचना होगा। अगर हमें किसी वृक्ष पर रसायन देना है तो उसकी जड़ में रसायन देनी होगी तब ही पत्ता हरा होगा। केवल ऊपरी पत्तों में दिया तो यह हल नहीं होने वाला है। आज विषम आर्थिक परिस्थिति क्यों है ? क्या कारण हैं ? उन परिस्थितियों में गये बगैर इसका केवल राजनैतिक लाभ उठाने के नाते हम यह कहें और दिवालियापन की बात कहें तो मैं समझता हूं कि यह तो फिर मानसिक दिवालियापन होगा। राजस्थान के लिए दिवालियापन

(श्री हरिसिंह बेगू)

कहना यह शोभा नहीं देता। राजस्थान की अकाल की कितनी गंभीर परिस्थिति है, इसका अन्दाज हमको होना चाहिये। वैसे केन्द्र से जितनी धनराशि प्राप्त होनी थी नहीं हुई, अब तक राजस्थान को कुल 343 करोड़ रुपया केन्द्र से उनतीस योजनाओं में कर्ज मिला जिसमें से केवल 48 करोड़ रुपया केन्द्र से सहायता के रूप में मिला, बाकी सारा रुपया ऋण के रूप में था और उसी रुपये को राइट ऑफ करने की बात कही गई है। उस रकम पर 4॥। पर्सेन्ट ब्याज लग रहा है दस साल की मियाद के लिये।

अब इस धनराशि का उपयोग किस तरह से हुआ, इससे उत्पादन बढ़ा या नहीं यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका अधिकतर हिस्सा फेमीन के अन्दर लगा और उसमें भी अनुत्पादक कामों में अधिक खर्च हुआ जैसे सड़कें बनाना, जहां अधिक वर्षा हुई वहां पुल आदि फिर से ठीक करना आदि आदि।

राजस्थान में दुर्भाग्य से एक साल काश्त ठीक होती है तो तीन साल फसल खराब जाती है। यहां पर 63, 65, 68 69, 71, 72 में जो रेन फाल का ट्रेन्ड था उसे देखें तो मालूम होगा कि वह बहुत ही इरेटिक था। कहीं बहुत कम तो कहीं बहुत अधिक एक ओर चित्तोड़ एवं भरतपुर में फ्लड आ गया तो बाड़मेर के कुछ हिस्सों में 1/10 इन्च वर्षा भी नहीं हुई। वैसे 55 प्रतिशत क्षेत्र रेगिस्तान या अर्ध-रेगिस्तान है। अतः बाढ़ के प्रकोप से पीड़ितों की और सूखा से ग्रस्त लोगों की सहायता के लिए हमें काफी धनराशि खर्च करनी पड़ी। तो इस सूखे से और अतिवृष्टि से गम्भीर समस्याएं हमारे सामने उपस्थित हुईं। इन समस्याओं के हल के लिए केन्द्र से हमें 63 से लेकर 72 तक करीब 121 करोड़ रुपया मिला। इसमें से करीब 99.83 करोड़ रुपया लोन के रूप में और बाकी अनुदान के रूप में था। अब इस राशि से प्रोडक्टिव नेचर के काम ही हों यह सम्भव नहीं है, असम्भव है। यह भी असम्भव है कि ये सभी खर्चे ड्यूरेबल असेट्स पैदा कर सकते थे। हालांकि हमारा यह उद्देश्य रहा कि कुछ वास्तव में ड्यूरेबल असेट्स पैदा हों, इसके लिए हम पूंजी का सही नियोजन करें और एक डेजर्ट डवलपमेन्ट के लिए नेशनल पॉलिसी निश्चित रूप से होनी चाहिए।

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि सदन का समय छः बजे तक के लिए बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है?

(स्वीकृत)

सदन का समय छः बजे तक के लिए बढ़ाया गया।

श्री हरिसिंह बेगू : मैं तो वैसे कम ही समय लूंगा उपाध्यक्ष महोदय। तो उपाध्यक्ष महोदय, जहां इस तरह की फेमीन की एक्यूट कन्डीशन्स रही हों वहां इस तरह से अनुत्पादक मदों पर खर्च होने अनिवार्य हैं। इसके लिये यह सही बात है कि हमें कोई स्थायी हल निकालना होगा और इस काम में केन्द्र सरकार को भी एप्रोच करना होगा।

(श्री हरिसिंह बेगू)

मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि हमें इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना होगा। हम इतने दिनों तक क्वान्टिटेटिवली काम को अधिक महत्व देते थे अमुक सड़कें बनवा दीं, या बान्ध बनवा दिये, या पुराने कुओं और बान्धों की मरम्मत करवा दी आदि आदि इससे हमारी यह फेमीन की समस्या स्थायी रूप से हल नहीं हो सकती। इसके लिये हमें क्वालिटेटिव दृष्टिकोण के आधार पर हल ढूंढना होगा।

पश्चिमी राजस्थान के लिये करीब 250 ट्यूब वैल की स्कीम भारत सरकार ने सेंक्शन की थी। एक्सप्लोरेटरी ट्यूब वैल ओर्गेनाइजेशन के द्वारा यह काम भी किया गया। काफी दिक्कतें भी आई, पहली बार तो पर्याप्त जल नहीं मिला, मिला भी तो कहीं पर खारा पानी मिल गया। मनुष्य तो क्या जानवर भी जिसे पी नहीं सकते थे। मुझे आश्चर्य है हमारे यहां के किसी वैज्ञानिक ने यह प्रयत्न नहीं किया कि इस खारे पानी को कैसे मीठा बनाया जा सकता है। आज एडवान्सड साइन्स ने जब समुद्र के खारे पानी को मीठा बनाने में सफलता प्राप्त की है तो हम इस ओर कुछ क्यों नहीं कर सकते? अगर हम इस तथ्य को स्वीकार नहीं करते हैं, तो मैं समझता हूं, कि हमारी जानकारी की कमी है।

मैंने पहले भी निवेदन किया था कि यूनीर्सिटीज में आज जो बड़े बड़े विद्वान् शास्त्री डी लिट्, फिलासफर और डॉक्टरेट किये हुए बैठे हैं उन लोगों को यह रिसर्च का काम सौंपा जाना चाहिये। आज खेद का विषय है कि इतने विद्वान् लोग जहां जन-हितकारी काम में लगने चाहियें वहां आज वे अपनी इनर्जी और विद्वत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। वे चींटी के सिर पर कितने बाल उग रहे हैं, इसकी गिनती करने में लग रहे हैं उसका बारीकी से अध्ययन करने में बिता रहे हैं। आज उनकी विद्वत्ता का और इनर्जी का जनहित में कोई उपयोग नहीं हो रहा है, आज के समाजवादी समाज की रचना में उनका आउट लुक भी बदलना चाहिये। तो रहा सवाल ऐसी सूक्ष्म बातों को लेकर समय नष्ट किया जा रहा है। जबकि जटिल समस्यायें हमारे समक्ष हैं। दूसरी ओर सूक्ष्म समस्याओं के लिये पेपर पब्लिश करते हैं।

अत: राजस्थान की जो ज्वलन्त समस्यायें हैं उनको सोल्व करने को विश्वविद्यालयों को दी जाय।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

दो मिनिट। ऐसी समस्यायें जो राजस्थान से सम्बन्ध रखती हैं और जिनका महत्वपूर्ण स्थान है उनको हल करने के लिए दी जानी चाहिये। हमें विद्वानों को इनकारपोरेट करना चाहिये तो उनका जितना ज्ञान है, जितना उनके पास लिट्रेचर है उसका सदुपयोग हो सके।

जहां तक और मुद्दे हैं बजट के मैं डिटेल में इस समय जाना उचित नहीं समझूंगा। केवल यही निवेदन करूंगा कि जो हमारा दृष्टिकोण है वह परिमार्जित एवं वैज्ञानिक हो कृषि के अन्दर हम एक हरित क्रान्ति अनुभव कर रहे हैं जहां प्रति एकड़ के अन्दर 10-15 मन खाद्यान्न होता था वहां आज 80 मन हो सकता है तो वह किस से, वैज्ञानिक आधार पर जो काम हुआ और

(श्री हरिसिंह बेगू)

जो हिन्दुस्तान के अन्दर इस ओर रिसर्च हुए हैं उसके परिणामस्वरूप आज हम क्रान्ति देख रहे हैं। इसी प्रकार कृषि के ओर क्षेत्रों में भी हम क्रान्ति अनुभव कर रहे हैं। यह क्रान्ति गवेषणा का ही सीधा परिणाम है। जो बजट में प्रावधान हैं उसमें भी हम उसका उपयोग समुचित कर सकें तो यह महत्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिये। सामान्य ऐडमिनिस्ट्रेशन के लिये मैं थोड़ा सा निवेदन करूंगा कि हमारे यहां पर जो अभी तक ट्रेन्ड रहा है, जहां पर इम्प्रूमेंट की बात करते हैं किसी न किसी रूप में रि-आरगैनाइजेशन की बात कही जाती है, कहीं वेतन वृद्धि या कोई सिनियोरिटि के आधार पर या कार्य क्षमता के आधार पर ऊंचा-नीचा एडजस्टमेंट करने लगते हैं। परन्तु जो माडर्न मैनेजेरियल प्रेक्टिसेज हैं जिसके द्वारा इनसेन्टिव बढ़ाया जाता है उसकी तरफ हमने कोई ज्यादा सोचा नहीं है और हम इन्स्टीट्यूशन्स ऑफ मैनेजमेंट के माध्यम से आवश्यक जानकारी और एक्सपर्टस के नालेज के आधार पर इसके अन्दर परिवर्तन करें तो बहुत कुछ प्रशासन के अन्दर ऐफिसियेन्सी बढ़ाई जा सकती है और जो हमारा उद्देश्य है, उसकी पूर्ति की जा सकती है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री देवीलाल !

श्री देवीलाल (सराड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी का भाषण का समर्थन करते हुये अपने क्षेत्र की ओर ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, बजट भाषण मैंने सुना और देखा भी सही लेकिन उसमें अपने क्षेत्र की ओर मैंने ध्यान लगाया कि बजट भाषण में हमारे आदिवासी क्षेत्र में......

श्री लूणा राम : उपाध्यक्ष महोदय बजट को पास मान लिया जाय, क्योंकि विरोधी पक्ष तो है नहीं। हम सब हाँ पक्ष के ही हैं इसलिये....

श्री उपाध्यक्ष : बजट पास नहीं होता है, डिमान्ड पास होती है। बजट पर जनरल डिसकसन होता है।

श्री देवीलाल : ....आदिवासी क्षेत्र में कुछ ऐसे कार्यक्रम होंगे, कुछ ऐसी योजनायें होंगी जिससे आदिवासी एरिया को फायदा होगा लेकिन ऐसा नहीं माना गया, काफी कुछ आपने रखा भी है। अकाल को समस्या का मुकाबला करने के लिये आपने प्रावधान रखा है लेकिन इस वक्त देखा जाता है, नहीं के बराबर है। आज हम इस अकाल की समस्या लेकर चलते हैं। जब सारे राजस्थान में कई इलाकों में बड़ी भारी समस्या उत्पन्न हो रही है—अकाल का मुकाबला करने के लिये। राज्य सरकार के अकाल सहायता मंत्री जी इसमें लगे हुए हैं। हमारे मुख्य मन्त्रीजी भी चिन्तित हैं इस मामले में लेकिन चिन्तित होते हुये यह समस्या सारे राजस्थान में अकाल पीड़ित लोगों की हल नहीं होगी।

मैं अपने क्षेत्र की ओर राज्य सरकार या माननीय वित्त मंत्री जी, अकाल सहायता मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। आज हम देखते हैं—जब अकाल-एरिया में घूमे हैं, फिरे हैं काफी भारी संख्या में कई लोग अकाल पीड़ित हैं,

(श्री देवीलाल)

जिनको आज एक टाइम से दूसरे टाइम खाने को नहीं मिलता है। जो अनाज राज्य सरकार देती है वह भी उनके लिये बराबर पूरा नहीं होता है। जब एक परिवार में 10 सदस्य हैं और महिने का तीन किलो अनाज दिया जाता है तो वह कोई गुजारा नहीं कर सकता है। दूसरे बाजार में अनाज भी नहीं मिलता है और मिलता है तो कहीं से आदिवासी लकड़ी बेचकर खा सकता है, लेकिन ऐसी समस्या भी नहीं है। जब कई लोगों को अनाज भी देते हैं तो मेरे क्षेत्र में सराड़ा तहसील में पांच हजार बोरी अनाज हो तब जाकर महिने का काम चल सकता है। वहां एक हजार, 1500, 2000 बोरी आये तब वहां की जनता को अनाज मिल सकता है। कई लोग पिछले महिने में अनाज के बिना रह गये। दो दो रोज के भूखे बड़ी मुश्किल से किसी महाजन के यहां अपने चांदी के जेवर रखकर या अपनी लकड़ी बेचकर बड़ी मुश्किल से गुजारा किया करते हैं। अभी भी बड़ी मुश्किल समस्या चल रही है।

ऐसी स्थिति में मैं राज्य सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि लोग भूख से मरने वाले हैं और मरते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार अकाल का मुकाबला तेजी से करे। मैं यही समझ रहा हूँ कि राज्य सरकार प्रयत्न कर रही है लेकिन जितना होना चाहिये, उतना नहीं है। आज मेरे क्षेत्र मे 20-25 हजार लोगों को रोजगार मिलना चाहिए लेकिन आज रोजगार नहीं मिल रहा है। कुछ तो डिपार्टमैंट की समस्या बताते हैं। इधर पी. डबल्यू. डी. वाले कहते हैं हमारी टेक्निकल सेंक्शन नहीं आई, इसलिए नहीं चलाया जा सकता है। उधर इर्रीगेशन वाले कहते हैं हम पंचायत समिति के काम को नहीं ले सकते हैं। हमारे पास जीप नहीं है, पैसा नहीं है, यह नहीं है, वह नहीं है, ऐसी स्थिति में काम पर नहीं लगा सकते हैं।

आज हमारे इलाके में लोग भूखे सोते हैं, पेट पर पट्टी बांध कर काम पर आते हैं। कुछ दिन पहले हमारे एक साथी से जानकारी मिली विकास अधिकारी एक तालाब पर पहूंचे और वहां पर काम करने वालों की पूरी तलाशी ली तो देखा लोग भूख के मारे काम पर नहीं जा सके और पेट बन्ध कर सोये हुए मिले। मैंने जिलाधीश, उदयपुर से भी कही। जबसे अकाल की समस्या पैदा हुई है तब से जिलाधीश और उप जिलाधीश सभी को चेतावनी देता रहा हूँ। बड़ी भारी समस्या है। लोग भूखों मर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार के दिमाग में क्या है क्या नहीं पता नहीं। व्यवस्था हो रही है लेकिन फिर भी जितनी चाहिए उतनी व्यवस्था नहीं है। मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि इस बजट भाषण के जरिये मैं अकाल की समस्या पर राज्य सरकार को याद दिलाना चाहता हूं कि राज्य सरकार इसमें सक्रिय रहे तो ठीक रहेगा नहीं तो विरोधी पक्ष के लोग भी कहेंगे कि कांग्रेस के राज्य में लोग मर गए, पीने को पानी तक नहीं मिला।

दूसरे मैंने सिंचाई की योजनाओं के लिए बजट में देखा। मैंने देखा कि राज्य सरकार सिंचाई की कोई बड़ी बड़ी योजनायें लायेगी जिससे अकाल का लोग मुकाबला कर सकें। जयसमन्द फीडर के लिए

(श्री देवीलाल)
मैंने सोचा कि इसको प्लान में लेंगे तो सलूम्बर और सराडा तहसील के कई गांवों को पानी मिलेगा लेकिन यह जयसमन्द फीडरा अधूरी पड़ी है। जब इसकी शुरूआत हुई तब तो थोड़े दिन चली और उसके बाद बन्द पड़ी है। तो माननीय वित्त मंत्री जी इसका प्रावधान भी करें कि जयसमन्द फीडर को योजना में लें और इसको भी पूरा किया जाये ताकि जयसमन्द, जो खाली पड़ा है, वह भरा जा सकता है और नीचे के गांवों को पानी मिल सकता है और सिंचाई हो सकती है।

दूसरे उदयपुर में काफी पानी की समस्या पैदा हो रही है। इसके लिए भी देवास योजना बनाई जा रही थी। यह भी अधूरी पडी है लेकिन इस मामले में भी राज्य सरकार का ध्यान नहीं गया। जब लोगों की पानी की समस्या और खाने की समस्या हल नहीं होती है तो लोग कैसे जिन्दा रह सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि यह देवास योजना भी राज्य सरकार अपने हाथ में लेगी और जो अधूरी योजना पडी है उसको पूरा किया जायेगा।

दूसरे सराडा तहसील में भी डाया योजना है जिसका सर्वे हुए आज पांच साल हो गये है, उसका तख्मीना बन गया है और पता नहीं वह राज्य सरकार के पास पडा हुआ है या डिपार्टमेंट के पास पडा हुआ है। लेकिन इसके लिए भी काफी आदिवासी क्षेत्र के लोगों को और उस क्षेत्र के लोगों को फायदा होगा। जिनके पास खाने को नहीं है उनको पानी मिलेगा और बड़े पैमाने पर वहां आदिवासी लोग रहते हैं और सारे आदिवासी गांव हैं वहां पर पिछड़े वर्ग के लोग हैं इसलिए इस योजना का सर्वे कराने का प्रयत्न किया था और यह इनकम्पलीट पडी हुई है और केवल थोडी सी धनराशि की जरूरत है। वित्त मंत्री जी इस योजना को भी बजट में शामिल करेंगे तो काफी गरीबों को फायदा होगा और यह योजना भी बनकर तैयार हो जायेगी और जो गांव हमेशा अकाल में आते हैं उन गांवों में भी अकाल पड़ना बन्द हो जायेगा।

दूसरे सड़कों के लिए मैंने बजट में देखा। मैंने सोचा कि ऐसे गांवों को जल्दी जोड़ा जायेगा जो कि तहसील और उपजिले के बीच में आते हैं। मैं समझता था कि ऐसी सड़कों को प्लान में रखा जायेगा लेकिन केवल नाममात्र के लिए लम्बी लम्बी पटरी दे दी और कहीं सौ मील की सड़क दे दी और उसमें सारा पैसा दे दिया और आदिवासी क्षेत्रों के लिए पैसा नाममात्र को भी नहीं है। जब गरीबों का भला करने के लिए राज्य सरकार सोच रही है समाजवाद की बातें सरकार करती है और पैसा एक तरफ खर्च किया जा रहा है और पिछड़े वर्ग के गांवों में सड़कें नहीं हैं, कोई साधन नहीं हैं. कुए खोदने के लिए वहां कम्प्रेशर नहीं जा सकते तो ऐसी जगह कैसे विकास किया जा सकेगा ? तो मैं यही कहना चाहता था कि तहसील हैडक्वार्टर से सड़क है सराड़ा से चाड, डामली, थाना डीगरी, रेल्वे स्टेशन, जयसमन्द रोड़ सालड़ा होकर बस्सी और सलूम्बर उप जिलाधीश के कार्यालय तक जोड़ा जा सकता है। इस सड़क पर भी काफी धन खर्च हुआ है लेकिन यह आज तक अधूरी है। काफी पुलियायें बन गयी हैं और केवल थोड़े से काम के खातिर सड़क अधूरी पड़ी है इसलिए इसको भी पूरा कराया जाये। दूसरे

(श्री देवीलाल)

रेल्वे स्टेशन जयसमन्द और डामड़ी वाया सिमाल तक के लिए यह एक कोना पड़ गया है जिससे तहसील हैडक्वार्टर को जोड़ने के लिए पुरानी सड़क बनी हुई है लेकिन थोड़े से कार्य के खातिर अधूरी पड़ी हुई है और इसके ऊपर बसें नहीं चल पाती हैं इसलिए राज्य सरकार इसको भी बजट में ले तो यह गांव तहसीलों से जुड़ जायेंगे और गरीबों का भला हो जायेगा।

कई ऐसे गांव हैं कि जिनमें बिजली की भी आवश्यकता है। जहां पानी है वहां तो बिजली कम से कम पहुँचे लेकिन राज्य सरकार का ध्यान इस तरफ नहीं गया। पिछड़े वर्गों के बारे में जैसा मैंने कहा कि जावर माइन्स के आसपास टीडी नदी चलती है उसके किनारे किनारे अच्छे गांव हैं और पानी है, अच्छी खेती है और यह सराड़ा तहसील में से होकर गुजरती है और आगे जाकर गोमती नदी भी गुजरती है और उधर से सोम नदी आती है। इसके किनारे किनारे बिजली की लाइन लगाई जाये तो जहां काश्तकार रहते हैं और ऐसे गांव हैं कि जहां पानी है वहां बिजली दी जा सकती है और नदी से लिफ्ट करके पानी लिया जा सकता है लेकिन इस योजना का सर्वे भी किसी ने नहीं किया और राज्य सरकार ने ध्यान नहीं दिया। मैं चाहूंगा कि राज्य सरकार इस तरफ भी ध्यान दे।

शिक्षा की ओर मैं राज्य सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि शिक्षा के माने में हमारा क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ है। आदिवासी पिछड़े हुए क्षेत्र में केवल दो सैकेन्डरी स्कूल और हायर सैकेन्डरी स्कूल हैं और काफी ऐसे बड़े गांव हैं कि जहां मिडिल स्कूल तक नहीं है। इसलिए मिडिल स्कूल और सैकेन्डरी स्कूल का प्रावधान भी राज्य सरकार करे। जैसे वडावली ऐसा गांव है जहां प्राईमरी स्कूल है लेकिन वहां मिडिल स्कूल नहीं है। दूसरे नईजर में भी मिडिल स्कूल की आवश्यकता है। जायद क्षेत्र और बीरपुरा भी जयसमन्द झील के नीचे हैं उनमें भी प्रावधान राज्य सरकार को रखना चाहिए। इस तरह से शिक्षा के मामले में राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिए वरना आदिवासी वैसे ही रह जायेंगे और धन्धों में नहीं लगेंगे, पढ़े लिखे नहीं होंगे और कामकाज में कोई नहीं समझेंगे इसलिए ही तो अकाल के समय में वह कहीं धन्धा नहीं कर सकते, राज्य सरकार की नौकरियों में नहीं आ सकते। काफी उनके सामने समस्या हैं। मैं राज्य सरकार से पीने के पानी के लिए भी कहूंगा। उदयपुर के पास मेरा चुनाव क्षेत्र पड़ता है। एक दो गांव म्युनिसिपल एरिया में पड़ते हैं और उसकी वजह से वहां पर दूसरे ब्राह्मण और सवर्ण जाति के लोग रहते हैं—उनके यहां तो नल लगाये जाते है लेकिन एक मुहल्ला आदिवासियों का है जिसमें नल नहीं हैं। तो यह पक्षपात समाजवाद में नहीं होना चाहिए। समाज कल्याण विभाग को भी लिखा गया कि आदिवासियों को नल दिलाया जाये तो आज तक समाज कल्याण विभाग ने भी सेंक्शन यानि मन्जूरी नहीं दी और न पैसा दिया। दूसरी जाति वालों के यहां यह आदिवासी पानी भरने जाते हैं तो लोग नफरत करते हैं और झगडा करते हैं और कहते हैं कि हमने पैसा दिया है,

(श्री देवीलाल)

फैला दिया है। ऐसी बातें होती हैं तो राज्य सरकार को ऐसे मामले में ध्यान देना चाहिए। शहर के पास पास जो आदिवासी लोग रहते हैं उनको समाज कल्याण विभाग द्वारा भी सहायता दिलाई जा सकती है लेकिन ऐसा राज्य सरकार नहीं कर रही है। पानेरिया, बाड़ेती की मादड़ी में पाइप लाइन नहीं बिछाई है उसमें नल योजना नहीं लगाई है। राज्य सरकार इसके लिए भी प्रावधान रखे पाईप लाइन बिछाने के लिए।

दूसरे आदिवासी क्षेत्रों में पंचायत समितियों के काफी काम अधूरे हैं। अच्छे टैंक हैं जिनके ऊपर फेमिन पर भी काम हुआ है तो इस फेमिन में भी काफी काम अधूरे हैं जिनको लिया जा सकता है लेकिन राज्य सरकार ने इस बार भी उनका प्रावधान नहीं किया और वह अधूरे रह जाने वाले हैं। करीब करीब यह तालाब पंचायत समितियों में हैं वह तालाब पूरे हो जायें तो लोगों को काफी जमीन में पानी मिल सकता है।

राज्य सरकार ने हालांकि आदिवासियों के लिए रिजर्वेशन कर रखा है लेकिन नौकरियों में भी अभी तक काफी एम. ए., बी. ए. पढ़े लिखे लड़के बेकार घूमते रहते हैं। कहीं कोई जावर माइन्स पर जाता है तो कहीं कोई दूसरी जगह पर जाता है लेकिन उनको लिया नहीं जाता है। अभी अभी कुछ समय पहले पटवारियों का इण्टरव्यू हुआ तो केवल क्लबों में बैठने वाले जो दोस्त थे उनके लड़कों को ले लिया, पटवार ट्रेनिंग में गरीब लड़कों को नहीं लिया जब कि उन लड़कों को, आदिवासियों के लड़कों को नहीं लिया दूसरे भी नहीं लिए। ऐसे लोग इण्टरव्यू में बैठते हैं जो पक्षपात करके लड़कों को ट्रेनिंग में लेते नहीं है तो गरीब कहां जाय ?

दूसरा जो एस. टी. सी. ट्रेनिंग है इसमें भी काफी गरीब आदिवासी लड़के उदयपुर जिले से इधर उधर भेजे गए लेकिन जहां एस. टी. सी. ट्रेनिंग खोली वहां पर सीमाबन्दी कर दी कि वही लड़के वहां रहेंगे, दूसरे जिलों के लड़के नहीं रह पायेंगे तो दूसरे कहां जाय ? इसलिए मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। एक तरफ तो कह रहे हैं कि ट्रेंड टीचर्स नहीं हैं, दूसरी तरह दूसरे जिलों से लिए नहीं जाते हैं तो इस तरह का पक्षपात होना नहीं चाहिए। यहां मैं राज्य सरकार को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस पर ध्यान दिया जावे।

मैं इसके अलावा विशेष नहीं कहना चाहता हूं कि अकाल की समस्या है, राज्य सरकार को और वित्त मंत्री जी को ध्यान देना चाहिए। बड़ी भारी समस्या पैदा हो रही है। मेरे दिल में यह संदेह है कि अकाल के कारण पिछले महीने में कुछ चन्द रोजों में लोग भूख से मर जायेंगे तो राज्य सरकार इस ओर ध्यान दे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमृतलाल गहलोत।

श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस बजट

(श्री अमृतलाल गहलोत)

के सम्बन्ध में कुछ विशेष मुद्दों पर आकर्षित करना चाहता हूं। सर्व प्रथम इसके पहले कि बजट पेश किया जाय, संविधान के अन्तर्गत ऑडिटर एण्ड कन्ट्रोलर जनरल के द्वारा जो फाइनेंस अकाउन्ट्स, जो वित्त लेखे होते हैं उनको मार्च 72 तक के पेश करना आवश्यक होना चाहिए। पिछले साल भी बजट के भाषण के पश्चात् ही उनको पेश किया गया, मेरा ख्याल है कि अब भी वे बाद में ही पेश किए जा सकेंगे, परन्तु यदि पहले पेश किया गया होता तो हमें अपने प्रदेश की अलग-अलग मुद्दों पर जो परिस्थिति है और जो वित्त लेखे रखे जाते हैं, जो क्लासिफाइड होते हैं विधान के मुताबिक, उन पर हमें सोचने का मौका मिलता। परन्तु फिर भी जहां तक मुझे स्मरण है मैं प्रदेश की आर्थिक परिस्थिति के बारे में कुछ आपको अवलोकन करा देना चाहता हूं। पिछले वर्ष में वित्त लेखों में जो राज्य पर कर्जा था और राज्य सरकार के पास में जितने कैपिटल प्रोजेक्ट्स हैं और फिर उन पर व्यापारिक तौर पर, कामर्शियल बेसिस पर विचार करें तो जो लायबलिटी है वह लगभग सौ करोड़ रुपये से ज्यादा की लायबलिटी है और असेट्स कम हैं। ऐसी स्थिति में कामर्शियल सेंस में यदि इसको दिवालिया भी कह दें तो कोई मेरे ख्याल से बुरे शब्दों का प्रयोग नहीं कहा जा सकता परन्तु अभी जो वित्त मन्त्री ने भाषण दिया मुझे स्मरण है जहां तक, सन् 66 से 31 मार्च तक अर्थात् द्वितीय पंचवर्षीय योजना तक हम पर केवल 152 करोड़ का कर्जा था और यह कर्जा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त तक अर्थात् सन् 74 के मार्च तक यह कर्जा बढ़ करके 825 करोड़ हो जाएगा। यह खुद उन्होंने भी उल्लेख किया है अर्थात् हम पर 825 करोड़ का एक तरह से भार बढ़ रहा है। परन्तु हमें यह सोचना है कि इसका क्या कारण है। जहां तक इस कर्जे का यदि हम विश्लेषण करें और मालूम करने का प्रयास करें तो मालूम होगा कि वह कुछ ऐसे मुद्दों के लिए कर्जा लिया गया जिसमें विशेष कर अकाल राहत के लिए था। अकाल राहत के लिए सरकार ने जो ऋण लिया है वह वास्तव में ऋण नहीं है वह अनुदान होना चाहिए। हम समाजवादी समाज की रचना करना चाहते हैं और लोकतन्त्र के आधार पर करना चाहते हैं। सारा देश एक है। राजस्थान में और अन्य प्रदेशों के विषय में कोई भेद नहीं किया जा सकता और यदि इस प्रदेश पर कोई प्राकृतिक संकट नेचुरल केलेमिटी आती है तो सारे देश का उत्तरदायित्व हो जाता है कि वह उसका भार उठाये। एक समाजवादी समाज की रचना में, वैसे वित्त मन्त्री जी ने अपने भाषण में कहा है कि हम तीन दिशाओं में जाना चाहते हैं। वे भी कहते हैं कि हमारी आर्थिक उन्नति, आर्थिक वृद्धि, इकोनोमिक ग्रोथ जो है वह ज्यादा तेज रफ्तार से होनी चाहिए। हमारे समाज के सदस्यों में, नागरिकों में आय और सम्पत्ति की न्यूनतम विषमता होनी चाहिए और तीसरी चीज वे भी कहते हैं कि मानव जीवन की न्यूनतम आवश्यकतायें हैं, मैं मेरे शब्दों में कहता हूं, जो आवश्यकतायें हैं मैं उनको पांच कहता हूं। जो मूलभूत आवश्यकतायें हैं वे हैं भोजन, वस्त्र, आवास शिक्षा और स्वास्थ्य सेवायें। इनका न्यूनतम स्तर प्रत्येक नागरिक को उपलब्ध

(श्री अमृतलाल गहलोत)

कराना होगा चाहे वह रोजगार में हो या न हो। आपके माध्यम से उनका ध्यान आकर्षित करता हूं उन देशों में जहां पर लोकतन्त्र का वास्ता है, जहां पर साम्यवादी व्यवस्था नहीं है, वहां पर साम्यवाद क्यों नहीं फैला। इसका मुख्य कारण यह है कि उन देशों में सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी, चाहे वह बेकार हो, वृद्ध हो, अपाहिज हो, राज्य सरकार अनुदान करती है। हर चीज का इंश्योरेंस है। किसी व्यक्ति को चाहे वह बीमार हो, बेकार हो, भूख से मर जाय या किसी तरह से अपाहिज हो जाय, तो भी उसको चिंता नहीं है कि मेरा और मेरे परिवार का क्या हाल होगा। हम भी सारे कांग्रेसजन इसी तरह की घोषणा करते हैं और दावा करते हैं और समाजवादी भी कहते हैं, तो समाजवादी कहाने के नाते हम पर बहुत ज्यादा उत्तरदायित्व आ जाता है। अतः यह राज्य सरकार का पुनीत कर्त्तव्य हो जाता है कि यदि बेसिक नेसेसिटीज प्रोवाइड नहीं कर सकें तो कम से कम उनको जिन्दा तो रखा जा सके। उनकी न्यूनतम आवश्यकताओं में पहली चीज भोजन है और भोजन में भी अनाज है। वह भी उपलब्ध किया जा सके तो मेरे ख्याल से उन्होंने अपना कर्त्तव्य किया है। जैसा वित्त मन्त्री ने अपने भाषण में कहा कि उन्होंने स्मरण-पत्र दिया है वित्त आयोग को, फाईनेंस कमीशन को कि वह जो एंट्रीज हैं, जो अनुत्पादक हैं, और अकाल राहत कार्यों के लिए ली गई हैं उनको राइट ऑफ कर दिया जावे। वह हमारे पर ऋण नहीं है। वह जो इन्वेस्टमेंट किया है वह उत्पादन पर नहीं किया है परन्तु इस देश के नागरिकों को, राजस्थान प्रान्त के नागरिकों को जिन्दा रखने के लिए किया है। उसकी सारे देश की जिम्मेदारी है। यदि वह एंट्रीज हमारी राइट ऑफ हो जाती हैं, जो हमारा अधिकार है, उनका कर्त्तव्य है और उनका उत्तरदायित्व है, तो मैं समझता हूं कि हम दिवालिया नहीं, हम सम्पन्न हैं।

अभी जैसा वित्त मन्त्री ने कहा है कि हम एक विषम परिस्थिति से गुजर रहे हैं। इस वक्त राजस्थान की 2 करोड़ 60 लाख जनता में से 1 करोड़ 30 लाख जनता अकाल से पीड़ित है। राजस्थान के 32,256 गांवों में से 18,498 गांव अकाल से पीडित हैं। और इस विषम परिस्थिति में यह सारे राष्ट्र की जिम्मेदारी है और मैं तो कहता हूं कि यह राष्ट्र की ही नहीं विश्व की जिम्मेदारी है कि हमारी न्यूनतम आवश्यकताओं को छोड़िए, महज जिन्दा रखने के लिए, जिस अनाज से शरीर की कम से कम आवश्यकता की उत्पत्ति होती है और जो भी हम नहीं करा पा रहे हैं, उसके लिए जिम्मेदारी उठाये।

आज दोपहर की बात है, उदयपुर जिले के एक मेरे साथी विधायक बता रहे थे कि कुछ दिनों के बाद आदिवासी क्षेत्रों में भूखमरी फैल सकती है यदि अनाज का समुचित प्रबन्ध नहीं किया गया। यह एक बहुत बड़ा गम्भीर चिंतन का विषय है। यह केवल राज्य सरकार की ही नहीं, देश के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है और यदि हम लोगों को सप्ताह में एक उपवास भी करना पड़े तो वह भी सहर्ष करना चाहिए। यदि हम समाजवाद में विश्वास करते हैं तो समाजवाद को जीवन में भी धारण करना होगा।

(श्री अमृतलाल गहलोत)

अब रही बात विकास की । मैं प्लानिंग बोर्ड के गठन का स्वागत करता हूं। मैं साथ ही साथ वित्त मन्त्री ने जो शिक्षा के बारे में बताया है उसका भी स्वागत करता हूं। परन्तु पांच विकास की चीजें हैं और इन पांचों में हम पिछड़े हुये हैं। परन्तु सबसे पिछड़ापन अगर देखा जाय और इसके लिए मैं सांख्यिकी विभाग के आंकड़े पेश करना चाहूंगा, जो पुस्तक हमको दी गई है उसको हमने देखा है। उसमें उन्होंने प्रति व्यक्ति आय 1953-54 के मूल्यों के आधार पर, स्थिर मूल्यों पर वह सिर्फ 1969-70 में 268 रुपया बताया गया है । यह प्रति व्यक्ति आय 1970-71 में बढ़ी है और 71-72 में कम हुई है और 72-73 में बिलकुल ही पेंदे में बैठ गई हैं। अन्य राज्यों के आंकड़े मेरे पास में उपलब्ध नहीं हैं । पार्लियामेंट में जो पुस्तक पेश की जाती है वह अब तक मेरे हाथ नहीं लगी है। यह जो 268 रुपया स्थिर मूल्यों के आधार पर प्रति व्यक्ति आय है उसको प्रचलित मूल्यों के आधार पर लिया जायेगा, क्योंकि प्राइसेज का लेविल 270 प्रतिशत तक बढ गया है, और इसको भी 52-53 के आधार से आज के आधार पर माने तो यह 270 से बढ़कर 725 पर पहुंच जायेगा । मूल्य कितना ही बढ़ जाए परन्तु क्रय करने की शक्ति कितनी है मेरे ख्याल से पहले भी नीची थी अब भी यह नीचे गिर गई है। बिहार हम से नीचे हैं परन्तु यह सम्भव भी हो सकता है वह अब हमसे आगे हो गया हो। इस तरह हम इस देश में सबसे गरीब हैं, गरीब ही नहीं है, बल्कि सबसे अधिक अशिक्षित हैं। हम देश में जो विद्युत का उपभोग करते हैं उसी दशा में भी सबसे पीछे हैं। डॉक्टरों का जो अनुपात है उसमें भी पीछे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत और सिंचाई इनमें भी सबसे पिछड़े हुए हैं और वार्षिक जो आय प्रति व्यक्ति है वह भी देश में सबसे कम है और यही हमारी आर्थिक परिस्थिति के लिए मूलभूत आधार है।

जहां तक विद्युत का प्रश्न है। विद्युत के सम्बन्ध में मैंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर हुई चर्चा के दौरान भी कहा था। हमारे यहां पर इन्स्टाल कैपेसिटी है वह देश की सबसे कम है और उसका विकास होने पर वह इस वर्ष 4.41 लाख किलोवाट हो जाएगी। हमारे यहां पर यह उत्पादन की क्षमता हो जाएगी। देश में इन्स्टाल कैपेसिटी इस वर्ष 17 मीलियन किलोवाट है याने 5 प्रतिशत आबादी के अनुपात से निकाला जाए तो हमारे यहां पर 8.05 लाख किलोवाट बिजली होनी चाहिए । अतः हमें क्या करना चाहिए ? कोटा में जो राणा प्रतापसागर है, जो एटामिक एनर्जी है उसका प्लान्ट लग चुका है। इस प्लान्ट की बिजली उत्पादन की क्षमता 2 लाख किलोवाट की है। पहले वर्ष जो प्लान्ट बिजली का उत्पादन करता है वह उसी तरह से होता है जैसे कि बच्चे के दांत आते हैं और वह बीमार पड़ जाता है। इसी तरह से इससे बिजली का उत्पादन हो रहा है....That gives trouble अब फिर वह बन्द हो गया है और पूरी क्षमता में उत्पादन पर नहीं आ पाया है। इससे जल्दी से जल्दी पूरा प्रोडक्शन लेना चाहिए। दूसरा जो प्लान्ट है उसको

(श्री अमृतलाल गहलोत)

दो लाख किलोवाट बिजली की क्षमता है उसको भी हमें कमीशन्ड करना चाहिए और ऐसी प्लानिंग बनानी चाहिए कि आने वाले वर्षों में उसकी क्षमता 3 लाख किलोवाट तक पहुंच जाए। दूसरा यह निवेदन करना चाहता हूं कि कोटा में एक प्रस्तावित थरमल प्लान्ट लगाने की योजना है। इसके लिए कोयला मध्यप्रदेश से लिया जाएगा इसकी भी क्षमता 4.4 लाख किलोवाट तक बनेगी। यह प्लान्ट पांचवी योजना में बनेगा। इसका विस्तार 8.8 लाख किलोवाट तक का पहले से ही प्रस्तावित होना चाहिए। इन बिजली घरों के निर्माण करने और पूरी उत्पादन क्षमता तक पहुंचाने में पांच साल का समय लगता है और जो हाईड्रो होते हैं उनके लिए सात साल का पीरियड चाहिए। 7 साल पहले से ही प्लानिंग नहीं की गई तो आने वाले 7 वर्षों में पावर की शार्टेज आने वाली है। यह समझ लीजिए कि यह प्लानिंग नहीं होगा, तो कृषि का विस्तार नहीं होगा, व्यापार और औद्योगिक संस्थानों की उत्पादन क्षमता का विस्तार नहीं हो पाएगा। हमारे यहां पर बिजली 50 किलोवाट घन्टा प्रति व्यक्ति उपभोग होती है देश में औसतन 110 है, महाराष्ट्र में 200 और अमेरिका में 7.5 हजार किलोवाट घन्टा है। जहां तक ग्रामीण बस्तियों के विद्युतीकरण का प्रश्न है यह इस वर्ष एक हजार गांवों में करना था परन्तु बहुत कोशिश करके यह लक्ष्य 700-800 तक ही पहुंच जाएगा। बीस हजार कुओं को बिजली देने का लक्ष्य था उसमें से अब तक बारह हजार कुओं को ही बिजली दे पाए हैं और कोशिश करके इसको इस वर्ष के अन्त तक 16-17 हजार तक पहुंचा देंगे। परन्तु मैं साफ कहना चाहता हूं कि अब जो लक्ष्य आपने रखा है एक हजार बस्तियों और बीस हजार कुओं को बिजली देने का वह इस वर्ष हम पूरा नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार हम अपने इच्छित लक्ष्य को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। 32,256 गांवों में से अब तक हम 5,500 गांवों में ही बिजली पहुंचा पाएंगे तो मेरे ख्याल से यह 16-17 प्रतिशत ही होगा। जब कि हरियाणा शत प्रतिशत इस ओर बढ़ रहा है। तामिलनाडु भी इस दिशा में हमसे आगे है। इस तरह ग्रामीण विद्युतीकरण में इस देश में सबसे पिछड़े हुए हैं।

सिंचाई के क्षेत्र में हमारे यहां पर लगभग 15-16 प्रतिशत भूमि सिंचित होती है। देश का अनुपात 22-23 प्रतिशत आता है। अतः इस दिशा में हमारी जो योजनाएं हैं उनकी प्रगति की गति को तेज करने की आवश्यकता है। कांग्रेस पार्टी के मेनिफेस्टो में इस बात को कहा गया है। जब गंगा का पानी कावेरी जा सकता है, तामिलनाडु जा सकता है तो राजस्थान में क्यों नहीं आ सकता है? सतलज, रावी, व्यास ये सब महा नदियां हमारे उत्तर में हैं। भाखरा, गंग और राजस्थान नहर में पानी की क्षमता को बढ़ाया जाना चाहिए और साथ ही हमें नर्वदा के पानी में हिस्सा लेने के लिए भी हमको जोर देना चाहिए। बरसात पर अधिक भरोसा नहीं किया जा सकता। विज्ञान आज आगे बढ़ रहा है। जो वैज्ञानिक तरीके निकाले गए हैं उनका हमें अच्छी तरह से उपयोग करना चाहिए। वर्ष 1970-71 में खाद्यान्न का हमारे यहां,

(श्री अमृतलाल गहलोत)

पर रिकार्ड उत्पादन रहा। 1971-72 में यह उत्पादन गिर कर 6.6 मीलियन टन रह गया और इस वर्ष यह 5.4 मीलियन टन ही रह गया है।

मैंने इस बजट भाषण की पुस्तिका को देखा है। यह कहा गया है कि न्यूनतम आवश्यकताओं का विस्तार किया जा रहा है। हमें इसके लिए कृषि उत्पादन को बढ़ाना पड़ेगा। हमारे राज्य की आय 50 प्रतिशत कृषि से होती है। कृषि का उत्पादन गिरता है तो राज्य की आय भी गिरती है और खुशहाली दुःख में परिवर्तित हो जाती है।

जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध है इसका वित्त मंत्री ने जो उल्लेख किया है कि 31 मार्च तक 60 प्रतिशत 6 से 11 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा हम दे पायेंगे। इसके लिए प्रोग्राम आगे फिर बढ़ा रहे हैं। एक हजार नई प्राईमरी स्कूलों को हम खोलने जा रहे हैं और 1,500 स्कूलों को मिडिल स्कूलों में क्रमोन्नत किया जाएगा परन्तु इतना होते हुए भी जैसा कि मेनीफेस्टों में घोषित किया गया है 1975 तक शत प्रतिशत 6 से 11 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा हम दे पाएंगे यह जो हमारा लक्ष्य है इसको हम पूरा नहीं कर पाएंगे। हमारे वित्त मन्त्री ने भी इसको स्वीकार किया है।

जहां तक स्वास्थ्य सेवाओं का प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में तो प्रयास ठीक है, हमारे यहां पर हम प्राईमरी पाठशालाओं को बढ़ा रहे हैं क्योंकि भारत सरकार से पैसा मिल रहा है। यह पैसा भारत सरकार ने अलग से दिया है। क्यों नहीं हम यह प्रयास करें कि जब हमारा राज्य चिकित्सा की दृष्टि से सब से पिछड़ा है, जबकि पंजाब में यह प्रयास किया जा रहा है कि दो हजार व्यक्तियों पर एक डॉक्टर रहे, हमारे यहां पर केवल 9000 व्यक्तियों पर एक है। यह तो हमारी मूलभूत आवश्यकता है। हमारी राज्य सरकार को प्रयास करना चाहिए क्योंकि हमारे यहां पर डॉक्टर बेकार हैं, अस्पतालों की कमी है इसलिए इसके लिए भी केन्द्रीय सरकार हम को मदद करे जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में वह मदद कर रही है ताकि हम ज्यादा अस्पताल यहां पर खोल सकें। सरकार को ऐसा प्रयास करना चाहिये, हमारी आवश्यकता कल्याणकारी राज्य है, तो हमारी समाजवादी केन्द्रीय सरकार का यह परम कर्तव्य होता है कि हमारी जो कमी है उसकी पूर्ति करें।

जहां तक डिपार्टमेंटल जानकारी का प्रश्न है, मैं इसमें शंका करता हूं। कितने प्रतिशत आगे हम डेमोक्रेसी को लाये हैं ? यह तो भविष्य ही बतायेगा, परन्तु ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि बहुत बड़ा एक हमारी सरकार ने सब्ज बाग बना रखा है, वह यह है कि तीन पंचवर्षीय योजनाओं, तीन वार्षिक योजनाओं, और चार साल इस चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को हो गये, यानी 15 और 3, 18 और 4, कुल 22 वर्ष के योजनाबद्ध विकास में हमारी आर्थिक प्रगति, इकॉनामिक ग्रोथ, वह 3.3 प्रतिशत हुई है। हम कहते हैं कि इसको 7 प्रतिशत तक ले जायेंगे, यह डेमोक्रेसी के द्वारा ले जायेंगे। जहां लेन देन के झगड़े पैदा होते हैं आज तक डेटा नहीं है,

(श्री अमृतलाल गहलोत)

एम. एल. एज. में अनुशासन नहीं है। कैसे ले जायेंगे ? यह वृद्धि असम्भव लगती है। कुछ मुल्कों में 10, 12, 14 तक ले गये, उन लोगों ने प्रमाण दिया। इसका मूलभूत कारण यह है कि उनमें बहुत बड़ा अनुशासन है। यदि हम लोकतन्त्रीय तरीके से लाना चाहते हैं तो हमें पता होना चाहिये कि लोकतन्त्र की क्या परिभाषा है। चार परिभाषाएं मैं आपके समक्ष रखता हूं लोकतन्त्र को कोई रूल ऑफ लॉ, यानी कानून का राज्य भी कहते हैं। कुछ विद्वान यह कहते हैं कि गवर्नमेंट बाई डिस्कशन, डिबेट एन्ड कंसेन्ट। अब्राहम लिंकन ने कहा है गवर्नमेंट आफ दी पीपुल, बाई दी पीपुल, फार दी पीपुल, जनता की सरकार, जनता द्वारा और जनता के हित में चलाई जाती है। परन्तु एक परिभाषा और है जो मुझे सबसे अच्छी लगती है गवर्नमेंट बाई सेल्फ डिसिप्लिन यानि स्वानुशासन से सरकार चलाना। यदि हम में स्वानुशासन नहीं आया तो चाहे आप लोकायुक्त नियुक्त करो चोर चोरियां करते ही रहेंगे और अदालतें कानून चलती ही रहेंगी लेकिन वही की वही बात, वही का वही भ्रष्टाचार रहेगा। और यह जो स्वप्न है वह स्वप्न ही रहेगा अनुशासन आना चाहिये जनता में, अनुशासन आना चाहिये राज कर्मचारियों में, अनुशासन आना चाहिये अपने मंत्रियों में, और अनुशासन आना चाहिये विधायकों में। आज का अनुशासन नहीं कि थर्ड क्लास में ट्रेवल करते हैं और फर्स्ट क्लास का किराया लेते हैं। यह हमारे में अनुशासन की कमी है। हमें अपने आपको शुद्ध करना चाहिये। यदि हम नहीं कर सकते हैं तो फिर लोगों को क्या प्रेरणा देंगे ? यदि हम स्वच्छ हों तो दूसरों को स्वच्छ बनने के लिये प्रेरित कर सकते हैं, यदि हम झूठे हैं तो अपने पाखण्डपूर्ण व्यवहार से दूसरों को प्रेरित नहीं कर सकते हैं। अनुशासन हर क्षेत्र में आना चाहिये। अगर नहीं आया तो हमारा यह सब्ज बाग, सब्ज बाग ही रह जायेगा।

मैं ज्यादा चिकनी चुपड़ी बात न कह कर यही कहूंगा कि वित्त मंत्री जी ने कर लगाये हैं दो-एक है प्रत्यक्ष और एक है अप्रत्यक्ष। एक है डाईरेक्ट टैक्स, वस्तु पर टैक्स, दूसरा इन्डाइरेक्ट टैक्स। दूसरा डाइरेक्ट टैक्स है वह अमीर मकान वालों पर लगाया है। मैं दोनों का स्वागत करता हूं। वैसे सेन्ट्रल एक्साइज ड्यूटी के अन्दर शुगर और सो मैनी थिंग्स, वस्त्र आदि इन पर एडीशनल एक्साइज ड्यूटी लगती है और वह इसलिये लगती है कि उसके लगने के बाद राज्य वाले उस पर विक्रय कर नहीं लगा सकें लेकिन उन्होंने जो ड्यूटी कमोडिटीज पर लगाई उसमें खण्डसारी और कपड़े पर एडीशनल एक्साइज ड्यूटी नहीं लगती थी, जो एस्केप हो गया था। उसको इस दायरे में ले आये हैं वह मेरे खयाल से एक बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने यह भी विश्वास दिलाया है कि इसमें जो आय होगी उससे दुगनी खण्डसारी के उत्पादन में लगा दी जायेगी। मैं इसको विक्री कर नहीं मान कर एक डवलपमेन्ट टैक्स मानता हूं।

दूसरा टैक्स जो लगाया है जो कि राजस्थान के नगरों के मकानों पर लगा

(श्री अमृतलाल गहलोत)

रहे हैं इस कर का मैं स्वागत करता हूं। कर की आवश्यकता हो तो जरूर दें कर, परंतु इन्सान कर क्यों देता है ? कर इसलिए देता है ताकि वह उसके विकास के काम में लाये। राजस्थान सरकार, नगरपालिका, नगरपरिषद् और अन्य स्वायत्तशासन के क्षेत्र हैं उनमें कर प्राप्त करती है। एक कर बताऊं मैं मनोरंजन कर। मेरे नगर में से 20 लाख रुपये प्रति वर्ष मनोरंजन कर के लेती है राज्य सरकार और नगरपरिषद् को एक लाख रुपया देती है। विक्रय कर की बात छोड़िये, मैं कुछ दिनों पहले यहां के मुख्य सचिव से मिला था मैंने कहा कि मेरे नगर के साथ अन्याय हुआ है। मैंने एक प्रतिवेदन जो मुख्य मंत्री जी को दिया था उसकी एक प्रतिलिपि उनको दी और कहा कि जयपुर के साथ में पक्षपात किया है और जोधपुर के साथ अन्याय किया है। आप हमें भी पैसा विकास का दीजिये। उन्होंने कहा कि नगरपरिषद करेगी तो नगररिषद् के पास तो कर्मचरियों के वेतन के लिये ही पैसे नहीं है। आप भले ही बन्द कर दें। यदि जोधपुर शहर की जनता को नगरपरिषद् बताकर राजस्थान सरकार यह कहना चाहती है कि नगरपरिषद् करेगी तो वह मेरे खयाल से घोर अन्याय करती है हमारे साथ में। मैं उल्लेख करना चाहता हूं वोल्यूम न. 2 में जो हमारे साथ अन्याय किया है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने यह अन्याय हमारे साथ में किया है और जयपुर के साथ में यही पक्षपात किया है। वोल्यूम नं. 2 पेज 230 केन्द्रीय प्रवर्तित योजना नगर जयपुर। कुल 9 आइटम्स दिये गये हैं और इस वर्ष पहला आइटम झोटवाड़ा रोड़ से निर्वाण मार्ग की तरफ नालियां, कारपेटिंग बनवाना, इसके लिये 1,58,000 के निर्माण कार्य का लिखा है। 17,15,000 रु. इस वर्ष खर्च होने का अनुमान है। अगले साल के लिये 18 लाख रुपया रखा है और जोधपुर को एक नया पैसा भी नहीं है, जोधपुर की 3.। लाख जनता ने इसका विरोध किया है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो वहां के प्रतिनिधि 15 वर्ष रहे हैं, उनसे किया है। इस अन्याय के प्रति जोधपुर की जनता विद्रोह कर रही है। वहां पर मुस्लिम लीग पैदा हो चुकी है, वहां पर नक्सलवादी पैदा हो चुके हैं, वह विद्रोह करेंगे और मैं विद्रोह करूंगा। बुरा करना पाप है लेकिन बुराई को बरदाश्त करना महा पाप है और मैं इस महा पाप का भागीदार नहीं हो सकता। मैं आपके माध्यम से मेरे साथी सदस्यों और राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं कि जोधपुर की साढ़े तीन लाख जनता यह राजस्थान सरकार का पक्षपातपूर्ण रवैया कभी बरदाश्त नहीं करेगी। हमारे साथ में अन्याय किया है। यह गलत उदाहरण 230 पेज पर है। एक पैसा हमको नहीं दिया है और 35 लाख रुपयों में से गुलाबी नगरी को ज्यादा गुलाबी बनाया जा रहा है। यह पूंजीवाद पनप रहा है। छोटे नगरों की उपेक्षा की जा रही है और बड़े नगरों को ज्यादा खूबसूरत बनाया जा रहा यह पूंजीवाद नहीं है तो क्या है ? भारत सरकार ने 50 लाख रुपये जयपुर की कच्ची बस्ती के लिये दिये हैं क्योंकि 5 लाख से ज्यादा जयपुर की जनसंख्या है इसलिये वह उन बस्तियों के दायरे में आता है जिनको भारत सरकार मदद देती। जयपुर शहर को 50 लाख की

(श्री अमृतलाल गहलोत)

मदद वह करेगी और राजस्थान के इस दुर्लभ, कठिन वित्तीय वर्ष में इस बजट में भी इसके लिये पैसा है। छोटी नगर परिषदों के क्षेत्रों की उपेक्षा करके जयपुर के ऊपर यह मेहरबानी करके यह कौनसा न्याय कर रहे हैं, यह राजस्थान सरकार को पता है।

जोधपुर में राजस्थान मुस्लिम लीग का निर्माण हो गया है। मैं कहता हूं कि मेरे क्षेत्र के नगर में ऐसी बस्तियां है जो नरक के तुल्य सड़ रही हैं। जाकर, उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री लोग देख सकते है, विधायक लोग देख सकते हैं। मैं कई बार कह चुका हूं और फिर नम्रता पूर्वक कहूंगा कि हम इस अन्याय को बरदाश्त नहीं कर सकेंगे और मैं आपके माध्यम से सदस्यों से निवेदन कर रहा हूं कि यदि एक नगर के साथ अन्याय हो सकता है तो दूसरों के साथ भी अन्याय होगा। इसलिये आप लोग भी मेरा साथ दीजिये और इस अन्याय का विरोध कीजिये।

यह कर लगाया है मैं इसका इसलिये स्वागत करता हूं परन्तु इस कर में सुधार करना पड़ेगा। इसमें समाजवाद की बातें लाना पड़ेगी। एक तो यह कि 50 हजार वाले पर कर लगाया है तो पहले तो यह बतादें कि एरिया क्या होगा? मेरा सुझाव है कि इसका एरिया होना चाहिये जो अरबन सीलिंग का है। दूसरा इस पर प्रोग्रेसिव स्लेब से टैक्स होना चाहिये यानी 50 हजार से एक लाख तक 1/2 प्रतिशत, क से दो लाख पर 1 परसेन्ट और दो से तीन लाख पर डेढ़ परसेंट कीजिये जिससे कि ज्यादा आमदनी हो। साथ में यह भी खुलासा करना पड़ेगा कि चूंकि हम गृह कर लगा चुके हैं और कहीं पर लगने वाला है, तो गृह कर और इस कर को कम्बाइण्ड कर दें, क्लब कर दें। इसको क्लब करने से क्या होगा कि एक व्यक्ति को जगह जगह नहीं जाना पड़ेगा। आप शहरी जनता को परेशान मत कीजिये आपको पैसा चाहिये तो टैक्सेशन पाइंट एक होना चाहिये और टैक्सिंग आथोरिटी एक होनी चाहिये।

जैसा कि मैंने पहले बताया इसके साथ में मेरी यह मांग है कि जो पैसा जिन नगरों से इकट्ठा किया जाय, वह उनके विकास पर ही काम में लिया जाय। आप जो जोधपुर से पैसा इकट्ठा करें वह जोधपुर में ही लगायें। गुलाबी नगरी को और ज्यादा गुलाबी बनाने के लिये आप कर्ज ले रहे हैं और वहां नगर गंदगी से सड़ रहा है।

एक माननीय सदस्य : फिर तो समाजवाद नहीं है।

श्री अमृतलाल गहलोत : मुझे आशा है कि जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं गांवों की उनकी पूर्ति होगी और जो नगरों की मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति होगी। नगरों में गंदगी है, तो उनकी गंदगी को दूर किया जाये, और गांवों के लिये भी प्रयास किया जायेगा।

जहां तक वित्त मन्त्री महोदय के भाषण में 10 करोड़ का प्रावधान पेयजल योजना के लिए रखा गया है, वह सराहनीय है। हालांकि सराहनीय है लेकिन कहते हैं कि

(122)

(श्री अमृतलाल गहलोत)

पाइप नहीं मिलता है। इस साल पैसा लैप्स हो रहा है और अगली साल भी होगा। पाइप दो ही जगह बनते हैं। एक कारखाना बांगड सेठ का और एक कारखाना बिडला सेठ का है। हमारे यहां गन्दी बस्तियों, शिड्यूल्डकास्ट्स की बस्तियों का एक लाख रुपया लैप्स हो चुका है क्योंकि पाइप नहीं मिला है। जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए पैसा रखा गया है, यह ठीक है। मेरे नगर के लिए वित्त मन्त्री जी ने पैसा नहीं दिया है। पर मैं एक बात निवेदन करूंगा, हमारे राज्य के आइटम हैं, एक तो अतिवृष्टि, अनावृष्टि, और असामयिक वृष्टि। आज एक प्रकार से हमारा विकास रुक गया है। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानकारी करें तो पता चलेगा कि भारतवर्ष में इण्डस्ट्रीज के उपभोग के अनुपात में वृद्धि हुई है, परन्तु राजस्थान में नहीं। जो हुई, वह अपनी नेचुरल ग्रोथ में हुई है, सरकार के प्रयास से नहीं। सरकार की तरफ से मामला ठप्प है। मैं आपको कहता हूं कि आबादी जोरों से बढ़ रही है। उनको उद्योग और व्यापार चाहिए। धरती माता इतनी सक्षम नहीं है कि बच्चों को पाल सके। अनएंम्प्लायमेण्ट भी बढ़ता जा रहा है। उद्योग धन्धे भी कम खुल रहे हैं। पिछले वर्ष वित्त मन्त्री के भाषण में था कि सरकार ये 10 उद्योग लगा रही है। थ्री ह्वीलर, टू ह्वीलर, सोडा एश, ग्लास बोटल्स आदि ये 10 प्रकार के उद्योग हैं। इनमें से दो अलवर, एक जयपुर व एक सवाई माधोपुर में लगाने की घोषणा है परन्तु छः का पता ही नहीं है। हमारे यहां पर सुविधाओं के अभाव से औद्योगीकरण रुक गया है। उद्योग लगाये जा रहे है, उनमें जबरदस्त स्प्रिट है, जो लोग तारीफ करते हैं। जैसा कि सदस्य मोहनराज जी ने फरमाया था कि फालना में और रानी में जो उद्योग लगे थे, वह यहां से पालनपुर जा रहे हैं। वहां उनको अच्छा मार्केट मिल रहा है। उनको अच्छी सुविधायें मिल रही हैं। सारे बेकार व्यक्ति केवल भाषण से जिन्दा नहीं रह सकते हैं। गांधी जी शब्दों में भूखे मरने वाले व्यक्ति के लिए भगवान भी उसके सामने आयेगा तो रोटी रोजी बनकर आयेगा। नहीं तो भूखे के सामने भगवान भी ठहर नहीं सकता है। जब भगवान भी भूखे के सामने नहीं ठहर सकता, तो यह सरकार कैसे ठहर सकती है। हमको अपने को इनवाल्व करना पड़ेगा। एक बात मैं कह दूं, माननीय खनिज मन्त्री जी विराजे हुये हैं। 10% वृद्धि के लिए मैं बधाई देता हूं। लेकिन हमारे साथ अन्याय किया है। जोधपुर में 25 हजार मजदूर हैं, जो फिदूसर की खानों में काम करते हैं। खनिज क्षेत्र वाले 15 लाख रुपया सरकार को प्रतिवर्ष देते हैं जिसमें 11 लाख रू. रायल्टी का देते हैं। उन्होंने 200 रु. प्रति खान 65-66 में जमा कर रखा है। उनका ब्याज तक नहीं दिया है। यह आप अन्याय कर रहे हैं। मुख्य मन्त्री ने यह लिखकर दिया है कि 20% आय सड़कों पर खर्च होगी। मुख्य मन्त्री की खुशामद नहीं करनी चाहिये, लेकिन सड़कों के लिए करनी पड़ी है। मेरा निवेदन है कि मुझे पानी, बिजली नहीं चाहिए, सड़कें चाहिएं जो टूट चुकी हैं। वहां एक हजार गाड़ियां प्रतिदिन निकलती हैं। 50 किलोमीटर की रफ्तार से आप जाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि वहां सड़कों का क्या हाल

(श्री अमृतलाल गहलोत)

है। जोधपुर माइन्स क्षेत्र है, वह बहुत उत्पादक है। खनिज क्षेत्र बहुत उत्पादक है। माननीय मन्त्री महोदय, खनिज मन्त्री महोदय, वहां के लोगों के साथ न्याय करें। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही दिनांक 7 मार्च, 1973 के प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायंकाल 6 बजे -बुधवार दिनांक 7-3-73 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई)

परिशिष्ट 1

(दखिये तारांकित प्रश्न संख्या 284)

क. सं.	ग्राम का नाम	संभावित कनेक्शनों की संख्या				प्रस्तावित एल.टी. लाइन		कार्य के लिए एस्टीमेट बनाये जा चुके हैं	प्रार्थना-पत्र जो प्राप्त हुए हैं			
		कॉमर्शियल	घरेलू	कुए	स्ट्रीट लाइट	3 फेस	सिंगल फेस		कॉमर्शियल	घरेलू	कुए	स्ट्रीट लाइट
1.	पीथूसर	—	30	1	—	0.5	0.5 Per Kw.	2,078/-	—	7	—	—
2.	हमीरवास	—	25	1	—	0.5	0.5 ,,	—	—	—	—	—
3.	बास दौलतखां	—	5	1	—	0.5	0.5 ,,	2,597/-	1	12	1	—
4.	जावासर	1	50	2	5	0.8	1.0 ,,	8,360/-	5	49	3	1
5.	जवाहरपुरा	—	30	2	—	0.8	0.5 ,,	1,674/-	—	7	—	—
6.	टमकोर	2	200	4	20	1.0	3.0 ,,	23,690/-	9	82	9	—

परिशिष्ट 2

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 285)

राजस्थान नहर में गत पांच वर्षों में प्राप्त पानी व सिंचाई के सम्बन्ध में सूचना

विवरण	यूनिट	1968-69	1969-70	1970-71	1971-72	1972-73
(क) राजस्थान नहर को पानी मिला	लाख क्यूसेक दिन	7.7	10.1	10.5	11.5	15.3 (20 फरवरी, 73 तक)
(ख) प्राप्त पानी से संभावित सिंचाई	लाख एकड़	1.44	1.72	2.19	2.69	3.17
(ग) राजस्थान नहर से वास्तविक सिंचाई	लाख एकड़	2.5	3.4	4.2	4.6	4.8 लक्ष्य
(घ) राजस्थान नहर व बीकानेर कैनाल में उपलब्ध पानी का वास्तविक हक	लाख क्यूसेक दिन	16.1	18.1	22.3	19.3	23.0 (20 फरवरी, 73 तक)
(च) ऊपर(घ)में दिखाये गये शेयर के अगेन्स्ट से राजस्थान को मिले पानी की मात्रा	लाख क्यूसेक दिन	14.4	17.5	21.6	18.5	22.0 (20 फरवरी, 73 तक)
(छ) राज्य सरकार की पानी लेने की क्षमता	लाख क्यूसेक दिन	15.5	17.6	23.9	23.9	23.0 (20 फरवरी, 73 तक)

परिशिष्ट 3

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 287)

नाम सब डिविजन	आवंटित भूमि क्षेत्रफल (एकड़ में)	आवंटित भूमिहीन व्यक्तियों की संख्या	संख्या आवंटितियों को पट्टे जारी किये जा चुके हैं	संख्या आवंटितियों को कब्जा दिया जा चुका है	विशेष विवरण
गंगापुर	30,211	8,988	8,918	8,988	अब तक की पूर्णतया सूचना
करौली	4,764	1,720	1,035	1,375	,, ,,
हिन्डोन	1,486	509	358	458	सन् 1970-71 व 72की सूचना
सवाई माधोपुर	2,580	1,269	660	660	1-4-72 से अब तक की सूचना
योग:—	39,041	12,486	10,971	11,481	

परिशिष्ट 4

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 296)

जिला परिवार नियोजन अधिकारी, बांसवाड़ा के पद पर गत तीन वर्षों पर रहे पदासीन अधिकारियों का ब्यौरा

नाम	दिनांक से	दिनांक तक
(1) डॉ. डी. पी. सक्सेना	2-7-67	3-8-70
~~(2) डॉ. आर. पी. सक्सेना~~	~~4-8-70~~	~~8-4-71~~
(3) श्री एस. एम. झाला	9-4-71	30-4-71
(4) डॉ. एम. आर. सब्बरवाल	1-5-71	23-4-72
(5) डॉ. एच. के. गुप्ता	मई, 72	निरन्तर।

राजपत्रित एवं अराजपत्रित स्थानीय अधिकारियों की सूची

क्रम संख्या	अधिकारी/कर्मचारियों के नाम	पद
1	2	3
(1)	डॉ बी. टाली	सी. ए. एस.
(2)	श्री भागीरथ व्यास	लेखालिपिक
(3)	,, एम. एल. जैन	वरिष्ठ लिपिक
(4)	,, हकीमुद्दीन	वरिष्ठ लिपिक
(5)	,, नरेन्द्रसिंह	कनिष्ठ लिपिक
(6)	,, जुगलकिशोर	कनिष्ठ लिपिक
(7)	,, अमजद हुसैन	संगणक
(8)	,, चन्द्र कुमार दोषी	संगणक
(9)	,, नरवर सिंह	संगणक
(10)	,, हरिश्चन्द्र	स्वास्थ्य सहायक
(11)	,, पराक्रम सिंह	वाहन चालक

(128)

1	2	3
(12)	श्री भेरूलाल	वाहन चालक
(13)	,, द्वारकादास	वाहन चालक
(14)	,, नाहरसिंह	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
(15)	,, भरतसिंह	,,
(16)	,, प्रकाश	,,
(17)	,, देवा	,,
(18)	,, अमरचन्द	,,
(19)	श्रीमती गंगाबाई	,,
(20)	,, पार्वती बाई	,,
(21)	,, सज्जनबाई	,,
(22)	,, चम्पी बाई	,,

जिले में परिवार नियोजन कार्यक्रम को गत तीन वर्षों की उपलब्धियां

वर्ष	नसबन्दी			लूप			गर्भ निरोधक		
	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत
1969-70	1295	945	45.5	607	310	51.1	2608	1209	46.4
1970-71	1565	791	50.5	626	211	33.7	2608	996	30.2
1971-72	2000	944	47.2	700	333	47.9	2000	1172	58.6

129

परिशिष्ट 5

(देखिये स्थगित प्रश्न संख्या 93)

जिलेवार विवरण वर्ष 1971-72

क्रम सं.	नाम जिला	वर्ष 1971-72 (क्षेत्रफल हैक्टेयरों में)
1.	अजमेर	61265
2.	अलवर	197982
3.	बांसवाड़ा	49004
4.	बाड़मेर	4799
5.	भरतपुर	140334
6.	भीलवाड़ा	94767
7.	बीकानेर	496
8.	बूंदी	3256
9.	डूंगरपुर	43105
10.	चूरू	4707
11.	चित्तौड़	101756
12.	गंगानगर	94600
13.	जयपुर	136143
14.	जैसलमेर	19
15.	जालोर	30411
16.	झालावाड़	57148
17.	झुंझुनू	68343
18.	जोधपुर	7063
19.	कोटा	44315
20.	नागौर	12446
21.	पाली	26673
22.	स. माधोपुर	87933
23.	सीकर	38667
24.	सिरोही	20135
25.	टोंक	36470
26.	उदयपुर	119371
	योग	15,10,517

परिशिष्ट 6

(समयाभाव के कारण सदन में न लिये गये तारांकित प्रश्नोत्तर)

खानपुर पंचायत समिति क्षेत्र में लकड़ी का अभाव

298. श्री गौरीशंकर (खानपुर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि खानपुर पंचायत समिति क्षेत्र में झाड़ बाड़ व लकड़ी नहीं मिलने के कारण जनता बहुत परेशान है? यदि हां, तो उन्हें आसानी से सस्ती दर पर उपलब्ध करवाये जाने हेतु राज्य सरकार क्या प्रबन्ध कर रही है ?

उत्तर

जी नहीं। अन्य प्रश्न नहीं उठते।

सहायक खनिज अभियन्ता, अलवर का स्थानान्तरण

299. श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सहायक खनिज अभियन्ता, अलवर का कितनी बार स्थानान्तरण हुआ है और कितनी बार वह स्थानान्तरण किन किन कारणों से स्थगित किया गया है ?

(2) सहायक खनिज अभियन्ता कितने वर्षों से अलवर में ही कार्यरत हैं ? क्या सरकार इनका स्थानान्तरण करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सहायक खनिज अभियन्ता, अलवर का तीन बार स्थानान्तरण हुआ है एवं तीनों ही बार स्थगित हुआ।

(2) सहायक खनिज अभियन्ता दिनांक 26-10-66 से सहायक खनिज अभियन्ता, अलवर के पद पर कार्यरत हैं। जी हां, एजूकेशनल सेशन के बाद।

जयपुर-दिल्ली नेशनल हाईवे में तहसील बहरोड़ के गांवों की अवाप्त जमीन

300. श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर से दिल्ली के नेशनल हाईवे में बहरोड़ तहसील के कौन कौन से गांव की कितनी कितनी जमीन किस किस किसान की, सरकार द्वारा एक्वायर की गई थी ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) यह नया नेशनल हाईवे कब निकाला गया था ? क्या यह जमीन एक्वायर की गई थी ?

(3) क्या यह सही है कि अब तक इन किसानों को उनकी जमीन का कोई मुआवजा नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

(4) क्या सरकार अब इस जमीन का मुआवजा शीघ्र दिलाने की आज्ञा प्रदान करेगी ?

उत्तर

(1) सूची (अ) प्रस्तुत है।

(2) वर्ष 1960-61 भूमि में अवाप्तिगी की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई थी।

(3) जी हां। अवार्ड नहीं होने के कारण मुआवजा भुगतान संभव नहीं हुआ है। इसमें शीघ्रता करने के आदेश दे दिये गये हैं।

(4) जी हां। शीघ्रता करने के आदेश दे दिये गये हैं।

(सूची विस्तुत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

राजस्थान नहर की सूरतगढ़ ब्रांच से प्रेमपुरा के पास से एक शाखा नहर निकाल कर सिंचाई कार्य

301. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : क्या राजस्थान नहर परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पिछले वर्ष में राजस्थान नहर की शाखा नहर सूरतगढ़ ब्रान्च से गांव प्रेमपुरा के पास एक उपशाखा नहर निकाल कर भाखरा नहर परियोजना के कुछ क्षेत्र की सिंचाई करने की कोई योजना बनी थी ? यदि हां, तो यह योजना कब बनी थी तथा इससे कितना क्षेत्र सिंचित किया जाना था और योजना आज तक पूरी क्यों की गई ?

(2) क्या राज्य सरकार अब मोतीराम कमेटी की रिपोर्ट लागू करने की घोषणा करने के बाद रिपोर्ट को दृष्टि में रखते हुए इसका निर्माण कराने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। नवम्बर, 1970 में यह योजना तैयार की गई थी और इससे 12264 एकड़ क्षेत्र की सिंचाई करने का प्रावधान रखा गया था। योजना की स्वीकृति नवम्बर, 1971 में दी जा चुकी है और इस योजना को कार्यान्वित करने की कार्यवाही अधीक्षण अभियन्ता, राजस्थान नहर परियोजना, सूरतगढ़ द्वारा की जा रही है।

(2) जी हां। इस योजना में अभी तक कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

राजस्थान के विभिन्न जिलों में सीलिंग कानून के तहत ऑर्डिनेन्स आने से पूर्व अवाप्त भूमि

302. श्री शंकरलाल (पाली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान के विभिन्न जिलों में कितनी कितनी भूमि सीलिंग कानून के तहत मौजूदा ऑर्डिनेन्स आने के पूर्व ली जा चुकी थी ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) ऑर्डिनेन्स आने के पश्चात् प्रत्येक जिले में सीलिंग कानून के तहत

Page No 132

(132)

(श्री शंकर लाल)
सरकार द्वारा ली जाने वाली भूमि कितनी कितनी होगी ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) राजस्थान के विभिन्न जिलों में भूमि सीलिंग कानून के तहत 1, 26,050 एकड़ भूमि मौजूदा ऑर्डिनेन्स आने के पूर्व ली जा चुकी थी। जिलेवार आंकड़ों की सूची संलग्न है।

(2) सूचना एकत्रित की जा रही है।

जिलेवार आंकड़ों की सूची

क्र सं.	नाम जिला	भूमि अधिग्रहण की गई (एकड़)	निम्न दिनांक को
1.	अजमेर	1935	31-7-72
2.	अलवर	137	31-1-73
3.	उदयपुर	2323	31-12-72
4	कोटा	23	31-12-72
5.	गंगानगर	2135	31-1-73
6.	चित्तौड़गढ़	2375	31-1-73
7.	चूरू	957	31-1-73
8.	जयपुर	5240	30-11-72
9.	जालौर	6368	31-1-73
10.	जैसलमेर	3542	31-1-73
11.	जोधपुर	2848	31-1-73
12.	झालावाड़	893	31-1-73
13.	झुंझुनूं	—	31-1-73
14.	टोंक	1325	31-10-73
15.	डूंगरपुर	459	31-1-73
16.	नागौर	372	31-1-73
17.	पाली	12368	31-1-73
18.	बाड़मेर	30996	31-1-73
19.	बांसवाड़ा	1359	31-1-73
20	बीकानेर	36689	31-1-73
21.	बूंदी	170	31-8-72
22.	भरतपुर	571	31-1-73
23.	भीलवाड़ा	10000	31-1-73
24.	सवाई माधोपुर	1140	31-1-73
25.	सिरोही	1825	31-1-73
26.	सीकर	1825	31-1-73
	योग:—	1,26,050	

पाली-देसूरी बस रूट पर चलने वाली बसें

303. श्री मोहनराज (बाली) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पाली-देसूरी बस रूट में सोमेसर, देवली आदि गांव शामिल हैं जब कि इस रूट पर चलने वाली बसें देवली गांव को छोड़ कर निकलती हैं ?

(2) क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में पिछले दो वर्षों में यातायात विभाग के अधिकारियों के समक्ष कई बार शिकायतें की गई, पर इस बस रूट के ठेकेदार अपनी मनमानी के कारण नियमित रूप से बसें नहीं चला रहे हैं ?

(3) क्या राज्य सरकार इस रूट पर चलने वाली बसों की कमी व यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए और अधिक बसें चलाने के परमिट जारी करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। पाली-देसूरी बस रूट में सोमेसर, देवली गांव शामिल हैं। इस रूट पर चलने वाली बसें, देवली ग्राम को छोड़कर नहीं जाती बल्कि गांव देवली में जाती हैं।

(2) जी नहीं। केवल बरसात में देवली के आगे का रास्ता खराब हो जाने के कारण कुछ समय तक वाहन नहीं चलाये जा सकते।

(3) जी नहीं। रूट का फिर से सर्वे करवा कर निर्णय लिया जायेगा।

ग्राम कालपा एवं पंचकुई, तहसील छीपा बड़ोद के तालाबों को सिंचाई विभाग द्वारा स्वीकृत राशि

304. श्री मनमोहनसिंह (छाबड़ा) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम कालपा, तहसील छीपा बड़ोद एवं ग्राम पंच कुई, तहसील छीपा बड़ोद के तालाबों के निर्माण हेतु सिंचाई विभाग द्वारा कभी कोई धनराशि स्वीकृत की गई थी ? अगर हां, तो कितनी और कब ?

(2) इन तालाबों को बनवाने का सरकार का अब क्या इरादा है ?

उत्तर

(1) ग्राम कालपा, तहसील छीपा बड़ोद एवं ग्राम पंच कुई, तहसील छीपा बड़ोद के तालाबों के निर्माण हेतु वर्ष 1970-71 में मेन्टेनेन्स ग्रान्ट में से क्रमशः 30,000 रुपये व 35,000 का प्रावधान किया गया था।

(2) पंच कुई तालाब को अकाल राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत ले लिया गया है। कालपा तालाब को आवश्यक धनराशि की उपलब्धि पर ही लिया जा सकेगा।

गंगापुर पंचायत समिति द्वारा ट्रंक-कालस का खर्चा

305. श्री हरिश्चन्द्र पहलीवाल (गंगापुर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गंगापुर पंचायत समिति द्वारा सन् 1965 अप्रेल से सन् 1973 जनवरी तक किस किस माह में कितना कितना रुपया टेलीफोन तथा ट्रंककाल का खर्च किया गया है ?

(2) ट्रंककाल कहां कहां किसको किये गये थे ? क्या यह सही है कि अधिकांश ट्रंक निजी कार्य से करने के पश्चात् सरकारी व्यय में डालकर पेमेन्ट करा दिया गया है ?

(3) क्या सरकार इसकी विस्तृत रूप से जांच करायेगी ?

(स्थगित किया गया)

गत 5 वर्षों में भारत सरकार से सिचाई विभाग को प्राप्त रकम

306. श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत 5 वर्षों में भारत सरकार से सिचाई विभाग को कितनी रकम मिली ? कृपया प्रत्येक वर्ष का व्योरा दीजिये ।

(2) इस रकम में से कितनी खर्च हुई और कितनी वापिस लौटाई गई तथा इसके खर्च न होने के क्या कारण थे ?

(1) भारत सरकार द्वारा राज्य को प्लान वर्क्स, डी. पी. ए. पी. व भू-मापन एवं अनुसंधान योजनाओं के लिए धनराशि दी जाती है । प्लान वर्क्स के लिए धनराशि पूरे राज्य को ब्लोक ग्रान्ट के रूप में मिलती है । अलग से सिंचाई विभाग को सिर्फ अनुसंधान एवं भू-मापन के लिए ही धनराशि मिलती है । इस मद में पिछले पांच वर्षों का ब्योरा इस प्रकार है ।

1967-68	
1968-69	
1969-70	10 लाख रु.
1970-71	21 लाख रु.
1971-72	25 लाख रु.

(2) वर्ष 1969-70 में 2 लाख एवं 1970-71 में 3 लाख रुपये कम खर्च हुए जिसका कारण धनराशि की स्वीकृति देरी से प्राप्त होना है । वर्ष 1971-72 में पूरी राशि खर्च हो गई थी ।

श्री डूंगरगढ़ के ग्रामों में हरिजन मौहल्लों में विद्युत लाइनें

307. श्री लूनाराम (डूंगरगढ़) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गत वर्ष इस वर्ष पंचायत समिति क्षेत्र श्री डूंगरगढ़ (चूरू) के ग्रामों में हरिजन मौहल्लों में विद्युत देने के लिये समाज कल्याण विभाग ने विद्युत विभाग को रकम अलॉट की ? यदि हां, तो किस किस ग्राम के कितने

(श्री भूनाराम) : कितने मोहल्लों के लिये रकम अलॉट की गई थी ?

(2) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा समस्त रकम का उपयोग विद्युत लाइनें हरिजन मोहल्लों में लगाकर कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या ऐसी समस्त रकम का उपयोग 31 मार्च, 1973 तक कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

बाड़मेर जिले की सहकारी औद्योगिक समितियां

308. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बाड़मेर जिले में सहकारिता के आधार पर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से अब तक कितनी औद्योगिक सहकारी समितियों का गठन किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त औद्योगिक समितियों में से कितनी सफल रही और कितनी असफल रही ? (सूची सदन की मेज पर रखने) की कृपा करें।

(3) उक्त समितियों की असफलता के क्या कारण रहे हैं ? प्रत्येक समिति का अलग से विवरण देने की कृपा करें।

(4) क्या यह सही है कि इन असफलताओं का मुख्य कारण सहकारिता विभाग और उद्योग विभाग में सहयोग की भारी कमी है ?

(5) क्या राज्य सरकार उन कारणों को जिनके कारण उक्त समितियां असफल रही हैं, को मिटाने के लिये गम्भीरता से सोच रही है ? यदि हां, तो राज्य सरकार इसके लिये क्या विशेष कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) बाड़मेर जिले में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 162 औद्योगिक सहकारी समितियों का गठन किया गया है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सूची के कॉलम नं. 3 में अंकित कर दिया गया है।

(3) औद्योगिक समितियों के असफलता के मुख्य कारण प्रायः निम्न हैं :-

(अ) सदस्यों का आपस में मिलजुल कर एक स्थान पर सामूहिक रूप से उत्पादन में रुचि नहीं रखना।

(आ) पृथक पृथक रह कर भी उत्पादन में रुचि नहीं लेने बल्कि प्राप्त ऋण राशि को आपस में बांटकर निजी कार्य में उपयोग कर ली गई।

(ई) संस्थाओं को स्वयं की न तो ऐसी सुदृढ़ स्थिति है कि वे पूरे समय के लिये व्यवस्थापक ही रख सकें और न ही पर्याप्त अनुदान इत्यादि ही प्राप्त हुआ। व्यवस्थापक व पूंजी के अभाव में कच्चे माल की व्यवस्था नहीं की जा सकी। इसी प्रकार तैयार माल की बिक्री की भी व्यवस्था का कोई समाधान नहीं था। न ही समितियों के हिसाब किताब व अन्य कार्य की देखरेख हो सकी।

(4) जी नहीं।

(5) जी हां, समितियों का सर्वे करवाया गया है। जिसके अनुसार समितियों को पुनर्जीवित करने, विलीनीकरण करने अथवा प्रवसायन में लाने की कार्यवाही की जा रही है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

झालरापाटन तहसील में बकानी के नायब तहसीलदार को रजिस्ट्रेशन के अधिकार

309. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि झालरापाटन तहसील में बकानी के नायब तहसीलदार को रजिस्ट्रेशन आदि करने के अधिकार नहीं दिये हुए हैं? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि नायब तहसील, बकानी के आसपास के 200 ग्रामों के व्यक्तियों को लगभग 30-40 मील का चक्कर झालरापाटन तहसील में रजिस्ट्री कराने में लगाना पड़ता है जिससे इन्हें काफी समय के साथ खर्चा भी उठाना होता है?

(3) क्या राज्य सरकार शीघ्र ही नायब तहसील, बकानी में ही रजिस्ट्रेशन आदि की सुविधा देने का आदेश प्रदान करेगी?

उत्तर

(1) जी, हां। साधारणतः रजिस्ट्रेशन करने के अधिकार तहसीलदार को ही दिये हुए हैं। नायब तहसीलदार, बकानी को भी ऐसे अधिकार देने का प्रश्न विचाराधीन है।

(2) नायब तहसीलदार, बकानी के क्षेत्र के 153 ग्रामों के व्यक्ति तहसील झालरापाटन में रजिस्ट्री कराने आते हैं। ग्रामों की दूरी भिन्न भिन्न ग्राम की अलग है। दूर के ग्राम 30 मील तक हैं।

(3) नायब तहसीलदार, बकानी को रजिस्ट्रेशन करने के अधिकार देने का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

फागी व चाकसू तहसीलों में पंचायत भवन

310. श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा (फागी) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) फागी व चाकसू तहसील में कुल कितनी ग्राम पंचायत व न्याय पंचायतें हैं;

(37)

(श्री जयकिशन लाल)

और क्या प्रत्येक ग्राम पंचायत व न्याय पंचायत मुख्यालय पर पंचायत भवन उपलब्ध हैं ? यदि हां, तो कहां कहां है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) ऐसे कितने पंचायत मुख्यालय हैं जिन पर पंचायत भवन नहीं है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। इन स्थानों पर भवन निर्माण का कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) ऐसे पंचायत मुख्यालय जहां पंचायत भवन नहीं है इसका विवरण सदन की मेज पर रखी गई सूची में अंकित किया गया है। जैसे जैसे राशि अनुदान के रूप में और जनसहयोग से उपलब्ध होगी पंचायत भवन का निर्माण करवाया जा सकेगा।

क्र. सं.	तहसील	नाम पंचायत जहां पंचायत भवन उपलब्ध हैं	पंचायत जहां भवन उपलब्ध नहीं है
1	2	3	5
1.	फागी	1. फागी	1. डिडावता
		2. चकवाड़ा	2. दौसरा
		3. चौरू	3. चांदमांकला
		4. मेंदवास	4. भांकरोटा
		5. बीमेड़ा	5. लसाड़िया
		6. किशोरपुरा	6. मोहब्बतपुरा
		7. नारेड़ा	7. चित्तौड़ा
		8. माधोराजपुरा	8. पहाड़िया
		9. पीपला	9. हरसूलिया
		10. रेनवाल मांजी	10. मोदी
		11. गोहन्दी	11 पवंण
		12. कौसल	12. झाड़ला
			13. मण्डावरी
			14. लदाना
			15. डाविच
			16. मण्डोर
			17. पचाला

1	2	3	4
2.	चाकसू	13. कोदखावदा	18. रामनगर
		14. ठी. मीनान	19. महादेवपुरा
		15. गरूडवासी	20. झोपदा
		16. मेन्डालिया	21. खेड़ारानीनिवास
		17. कोथून	22. देहलाला
		18. थली	23. ठीकरिया गुजरान
		19. छादेल	24. शक्करखावदा
		20. निमोड़िया	25. टूमलीकावास
		21. चेंदलाई	26. माधोसिंहपुरा
		22. कुम्हारियावास	27. तामड़िया
		23. बडोदिया	28. कावेड़ा
		24. रोडोली	29. करेड़ा
			30. काठावाला
			31. बापूगांव
			32. हरीपुरा
			23. आकोड़िया
			34. शिवदासपुरा
			35. बाडा पदमपुरा
			36. तोतरिया
			37. टूटोली (अपूर्ण है)
			38. रूपाहेड़ी

जयपुर की पंजीकृत सहकारी गृह निर्माण समितियां

311. श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधी नगर, जयपुर) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर में कितनी पंजीकृत सहकारी गृह निर्माण समितियां हैं ?

(2) क्या पंजीयन के समय इन सहकारी समितियों के पास जमीन होना आवश्यक होता है ? यदि हां, तो क्या उन समितियों को भी पंजीकृत किया गया जिनके पास कृषि भूमि थी ? यदि हां, तो क्या विभाग ने पंजीयन के पूर्व इस बात का प्रमाण इन समितियों से मांगा था कि यह भूमि किसी प्रकार अनधिकृत नहीं है ?

(3) सहकारिता विभाग ने इन समितियों की कृषि भूमि को आबादी में परिवर्तित करने की दिशा में कुछ सहयोग प्रदान किया है ? यदि हां, तो क्या क्या

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

और किन किन समितियों के लिए ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें। यदि नहीं, तो सहकारिता आधारित गृह निर्माण का उद्देश्य क्यों प्रचारित किया गया ?

(4) क्या यह सही है कि सहकारी गृह निर्माण समितियों में भ्रष्टाचार है? यदि हां, तो सहकारिता विभाग ने कब और किन किन समितियों की जांच की और जांच के बाद क्या परिणाम सामने आये ?

उत्तर

(1) जयपुर शहर में 149 गृह निर्माण सहकारी समितियां पंजीकृत हैं।

(2) जी हां। दिनांक 15-6-70 के आदेश के पश्चात् यह आवश्यक है। उक्त आदेशों के पूर्व ऐसी समितियां पंजीकृत की गई थीं जिनके पास कृषि भूमि थी। पंजीयन से पूर्व इस बात का प्रमाण-पत्र मांगा था कि यह भूमि किसी प्रकार अनधिकृत नहीं है।

(3) यह नीति सम्बन्धी मामला होने के कारण राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(4) जी नहीं। जिन सहकारी समितियों की शिकायतें प्राप्त हुई और जांच करवाई गई तथा जांच के जो परिणाम हुए, का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

जयपुर शहर की उन गृह निर्माण सहकारी समितियों की सूची जिनके विरुद्ध जांच करवाई गई

क्र. सं.	नाम समिति	सहकारी अधिनियम की किस धारा के अन्तर्गत जांच कराई गई	जांच का आधार	परिणाम अगर जांच पूर्ण हो गई हो
1	2	3	4	5
1.	सिविल लाइन्स को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि., जयपुर	70	मौजूदा मन्त्री समिति के प्रार्थना-पत्र पर कि समिति के भूतपूर्व पदाधिकारियों द्वारा की गई अनियमितताओं के बारे में, जैसा कि सदस्यों की रकम जमा कर ली गई तथा उनको प्लाट आवंटित नहीं किया गया तथा एक प्लाट कई सदस्यों को आवंटित किया गया ।	जांच अभी पूर्ण नहीं हो पाई है ।
2.	ब्रह्मपुरी रिफ्यूजी को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि., जयपुर	70	सदस्यों की शिकायत पर कि मौजूदा प्रबन्धकारिणी प्लाटों का आवंटन गलत कर रही है जो सदस्य पहले से ही समिति की वेटिंग लिस्ट में थे, को आवंटन नहीं कर, नये सदस्यों को आवंटन कर रही है	जांच पूर्ण नहीं हो पाई है क्योंकि जांच के आदेशों के विरुद्ध समिति ने राज्य सरकार के यहां रिवोजन पिटीशन किया है ।

3.	गोविन्द गृह निर्माण सहकारी समिति लि., जयपुर	70 (1)	ऑडिटर के द्वारा समिति में गम्भीर अनियमितताएं बतलाने पर	जांच अभी पूर्ण नहीं हो पाई है।
4.	कृष्णपुरी गृह निर्माण सहकारी समिति लि., जयपुर	70	विभाग के पास शिकायत प्राप्त हुई कि समिति के अध्यक्ष एवं भूतपूर्व कोषाध्यक्ष के बीच रु. 5340/- का मामला उत्पन्न हुआ है तथा इस कारण भूतपूर्व कोषाध्यक्ष का जो पैसा समिति में जमा है, का भुगतान समिति नहीं कर रही है	जांच पूर्ण हो चुकी है। जांच के परिणाम में पैसा समिति के अध्यक्ष के पास होना पाया गया। दोषी व्यक्तियों को अपना स्पष्टीकरण देने के लिए नियमान्तर्गत नोटिस दे दिये गये हैं। उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

(142)

नीम का थाना उपखंड में सिवाय चक में कुओं से सिंचाई कार्य

312. श्री मालाराम (नीम का थाना): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(अ) नीम-का-थाना उपखंड में सिवाय चक में कितने कुए हैं ?

(ब) क्या यह सही है कि इन कुओं से सिंचाई करने के कारण काश्तकारों से लगान वसूल किया जाता है ? यदि हां, तो कुल कितना और किस किस दर से ?

(स) क्या यह सही है कि इन कुओं की मिल्कियत काश्तकारों के नाम नहीं है इसलिए तहसील की अनुमति के बिना कुओं में बिजली नहीं लगा सकते और न ही सिंचित भूमि के विकास, कुओं को गहरा करने, उनकी मरम्मत आदि के लिये क़र्जा प्राप्त कर सकते हैं ?

(द) क्या यह सही है कि तहसील से अनुमति प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई होती है ? यदि नहीं तो कृपया यह बताया जाय कि सन् 1971-72 में कितने काश्तकारों ने ऐसी अनुमति प्राप्त करने के लिये कब कब आवेदन-पत्र दिये और उनको कब कब अनुमति दी गयी ?

उत्तर

(1) नीम का थाना उपखंड में 9575 बिलानामी कुए थे।

(2) जी हां, इन कुओं से सिंचाई करने के कारण काश्तकारों से लगान वसूल किया जाता है। सेटलमैन्ट की निर्धारित दर के मुताबिक लगान वसूल किया जाता है जिसका ब्यौरा संलग्न सूची में अंकित है।

(3) जी हां, जिन कुओं की मिल्कियत रेकार्ड में राज्य सरकार दर्ज है उन पर काश्तकारों द्वारा बिजली लगाने का प्रश्न ही नहीं होता जब तक उनको स्वामित्व नहीं हो जावे। इसी प्रकार वो इन कुओं पर कर्जा भी प्राप्त नहीं कर सकते।

(4) जिन कुओं की मिल्कियत सरकार में दर्ज है उनकी अनुमति देने में कठिनाई होती है।

सूची

चाही अव्वल	रु. 9-13,	रु. 08-12,	रु. 07-30,	रु. 9-96	
चाही दोयम	रु. 05-65,	रु. 07-19,	रु. 06-63		
चाही सोयम	रु. 04-65,	रु. 04-08,	रु. 03-75,	रु. 04-53,	रु. 03-12
चाही अलीफ	रु. 10-16,	रु. 07-50,	रु. 06-57		

पंचायत समिति सांचौर में एप्लाइड न्यूट्रिशन कार्यक्रम

313. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(1) क्या यह सत्य है कि पंचायत समिति सांचौर में एप्लाइड न्यूट्रिशन कार्यक्रम अभी तक शुरू नहीं किया गया है ? अगर हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि पंचायत समिति सांचौर में उपरोक्त कार्यक्रम लागू करने की मांग प्राप्त हुई है ? अगर हां, तो कब ?

(3) क्या यह भी सत्य है कि पंचायत समिति सांचौर में उपरोक्त कार्यक्रम लागू करने के सारे आधार मौजूद हैं ? अगर हां, तो उक्त कार्यक्रम पंचायत समिति में कब तक लागू कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। एप्लाइड न्यूट्रिशन कार्यक्रम लागू करने के लिये कृषि उत्पादन क्षमता एवं सिंचाई के साधन आदि के आधार पर पंचायत समितियों की तुलना में जिन्हें चयन किया गया, उक्त साधन कम होने के कारण इस कार्यक्रम में शामिल नहीं किया जा सका है।

(2) जी हां, मांग दिनांक 22-2-71 को प्राप्त हुई थी।

(3) जी नहीं। प्राप्त सूचना के अनुसार पंचायत समिति सांचौर में उपरोक्त कार्यक्रम लागू करने के सारे आधार इस समय मौजूद नहीं हैं। विस्तृत जांच करवा कर भारत सरकार को सिफारिश की जायेगी। उनके उत्तर आने पर ही निश्चय रूप से कहा जा सकेगा।

अमरपुरा सोम पिकपवेयर नहर को पक्के कराने का कार्य

314. श्री विद्यासागर (खेरवाड़ा) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि अमरपुरा सोम पिकपवेयर की नहर कच्ची होने से भोराई घाटा के लोगों को नहर का पानी नहीं मिल पाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र के लोगों को पानी देने के लिये अमरपुरा सोम पिकपवेयर की नहर को पक्का बना रही ? यदि हां, तो कब तक नहर पक्की बनादी जायगी ?

उत्तर

मोराई घाटा गांव को पानी मिल रहा है। मोराई गांव ऊंचा होने के कारण कमांड में नहीं है। नहर का कुछ भाग पक्का कराया जा चुका है। शेष भाग में जहां आवश्यक है, पक्का कराने, का काम अकाल राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत ले लिया गया है।

चित्तौड़गढ़ जिले के अन्तर्गत क्रेश प्रोग्राम के कार्य

315. श्री शंकरलाल जाट (कपासन) : क्या सामुदायिक विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि भारत सरकार ने क्रेश प्रोग्राम के तहत राज्य

(144)

(श्री शंकरलाल जाट)
सरकार को कुछ राशि प्रदान की है ? यदि हां, तो कुल कितनी राशि प्रदान की गई ?

(2) क्या यह सत्य है कि जो राशि भारत सरकार से प्राप्त हुई वह सब राशि खर्च नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों ? यह राशि किसकी लापरवाही से खर्च नहीं हुई ?

(3) क्या यह भी सत्य है कि जिला चित्तौड़गढ़ के अन्तर्गत भी कुछ काम क्रेश प्रोग्राम में लिये गए हैं ? यदि हां, तो कौन कौन से कार्य और कौन कौन से स्थान पर किस किस विभाग के अन्तर्गत स्वीकृत हुए हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि जिला चित्तौड़गढ़ में जो क्रेश प्रोग्राम के अन्तर्गत कार्य स्वीकृत किए गए हैं, उनमें से बहुत से कार्य प्रारम्भ नहीं किये गये हैं ? यदि हां, तो कौन से ऐसे कार्य हैं जहां कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है और कार्य प्रारम्भ नहीं करने का क्या कारण है ?

उत्तर

(1) जी हां। सन् 71-72 व 1972-73 में क्रेश कार्यक्रम के अन्तर्गत 3.25 करोड़ रुपया प्रति वर्ष भारत सरकार ने प्रदान किया है।

(2) 1971-72 में 114.37 रुपये व्यय किये गये। इस वर्ष 31-1-1973 तक 253.99 लाख रुपया खर्च किया जा चुका है। शेष राशि भी खर्च कर दी जायगी। सन् 71-72 में कार्यों की स्वीकृति भारत सरकार से देरी से प्राप्त होने, भारत-पाक युद्ध एवं पूर्वी राजस्थान में अधिक वर्षा के कारण राशि कम खर्च की जा सकी।

(3) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) जी नहीं। 119 कार्य स्वीकृत हुए उनमें से 88 कार्य आरम्भ होकर चालू हैं। 31 कार्य आरम्भ नहीं हो सके। जिसका विवरण सदन की मेज पर रखी गई सूची में दिया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

(145)

परिशिष्ट 7

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 286)

THE CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LTD., TONK

STATEMENT OF DEFAULTER SOCIETIES AS ON 31-12-72

S. No.	Name of Societies	
1	2	
	PANCHAYAT SAMITI TONK	
1.	Churiya	G. S. S.
2.	Parana	,,
3.	Hazipura	,,
4.	Chauki Ahamadyara	,,
5.	Soda Bawadi	,,
6.	Pansretiya	,,
7.	Kathmana	,,
8.	Kabra	S. K. S. S.
9.	Bagadwa	G. S. S.
10.	Peeplu	V. B. S. S.
11.	Loharwada	G. S. S.
12.	Kabra	,,
13.	Chandlai	,,
14.	Takheli	,,
15.	Bagdi	,,
16.	Bharni	,,
17.	Sandeda	,,
18.	Dayda Turki	,,
19.	Sonwa	,,
20.	Tonk	B. S. S.
21.	Phoolbag	G. S. S.
22.	Lawadar	,,
23.	Choram	,,

Page No 146

146

S. No.	Name of Societies	
24.	Deoli	G.S.S.
25.	Soran	"
26.	Hathona	"
27.	Bambora	
28.	Lahan	
29.	Ghans	"
30.	Sohela	
31.	Mahandwas	"
32.	Gilod	"
33.	Haripura Sindhi	"
34.	Dadwadi	
35.	Solangpura	"

PANCHAYAT SAMITI MALPURA

S. No.	Name of Societies	
36.	Kachdiya	G. S. S.
37.	Dungri Kalan	"
38.	Adarsh Krashak	B. S. S.
39.	Tordi	G. S. S.
40.	Chianpura	"
41.	Shri Kalyan	"
42.	Thadi	"
43.	Antoli	"
44.	Lawa	"
45.	Lamba Harisingh	V. B. S. S.
46.	Dholi	G. S. S.
47.	Jhadali	"
48	Pachavar	V. B. S. S.
49.	Malika Nagar Kheda	
50.	Indoli	G. S. S.
51.	Morla	"
52.	Nagar	"
53.	Malpura	"
54.	Barol Sah. Bank	

Page No 147

147

PANCHAYAT SAMITI DEOLI

S. No.	Name of Societies	
55.	Gothara	R. T. K. S. S
56.	Ganwari	G. S. S.
57.	Nagar	,,
58.	Sandala	,,
59.	Kanwara	,,
60.	Dewarawar	,,
61.	Tokarawas	,,
62.	Rajkot	,,
63.	Beejwar	,,
64.	Charneth	,,
65.	Kasir	,,
66.	Dhunwa	,,
67.	Junia	,,
68.	Padiya	,,
69.	Ramthala	,,
70.	Panthala	,,
71.	Poliyara	,,
72.	G. Ghad	,,
73.	Sitapura	,,
74.	Gurari	,,
75.	Chandli	,,
76.	Bishalpur	,,
77.	Deolicant	,,
78.	Dooni	,,
79.	Thumwala	,,
80.	Nasirda	,,
81.	Anwa	,,
82.	Chandwar	,,
83.	Garoli	,,
84.	Balunda	,,
85.	Panwad	,,

S. No.	Name of Societies	
	PANCHAYAT SAMITI NEWAI	
86.	Khandwa	G. S. S.
87.	Gunsi	
88.	Bansthali Sah. G. Bank	,,
89.	Laxmi	G. S. S.
90.	Dangarkal	,,
91.	Navjyoti	,,
92.	Datwas	,,
93.	Siras	,,
94.	Natwada	,,
95.	Chanani	,,
96.	Seedada	,,
97.	Durga	,,
98.	Chatar Bhujpura	,,
99.	Bada Ganw Tatali	,,
100.	Pahadi	,,
101.	Lalwadi	,,
102.	Hitkar	B. S. S.
103.	Turkiya	G. S. S.
104.	Khandewa	,,
105.	Jaisinghpura	,,
106.	Dhanijugarpura	,,
107.	Sunara	,,
108.	Luhara	,,
109.	Vishnu	,,
110.	Raholi	,,
111.	Dahlod	,,
	PANCHAYAT SAMITI TODARAISINGH	
112.	Basu	G. S. S.
113.	Judaviya	,,
114.	Pandraludi	,,
115.	Mau Bhatiya	,,

S. No.	Name of societies	
116.	Hanirpur	G. S. S.
117.	Detali	,,
118.	Kulhad	,,
119.	Mahu	,,
120.	Bawadi	,,
121.	Butanda	,,
122.	Khouda	,,
123.	Bhatida	,,
124.	Pathaj Kal	,,
125.	Garuti	,,
126.	Mare	,,
127.	Mundiya	,,
128.	Lomba Kala	,,

PANCHAYAT SAMITI ALIGARH

129.	Bilota	G. S. S.
130.	Deoli	,,
131.	Benetha	,,
132.	Khatali	,,
133.	Mohd. Garh	,,
134.	Pateli	,,
135.	Jhundwa	,,
136.	Kunder	,,
137.	Pachala	,,
138.	Palai	,,
139.	Kekor	,,
140.	Fuleta	,,
141.	Balithal	,,
142.	Sop	,,
143.	Rooppura	,,
144.	Payaga	,,
145.	Gothada	,,
146.	Uniara	,,

(150)

S. No.	Name of societies	
147.	Kachrawta	G. S. S.
148.	Roopwas	,,
149.	Dhikoliya	,,
150.	Hydrypura	,,
151.	Balapura	,,
152.	Deoli	,,
153.	Mohd. pura	,,
154.	Suthada	,,
155.	Ranipura	,,

(151)

परिशिष्ट- [illegible]

परिशिष्ट 8

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 139)

नामान्तरकरण के मामले

1968		1969			1970			1971			1972			शेष		
निर्णित	शेष	मामले दायर	निर्णित	शेष	मामले दायर	निर्णित	शेष	मामले दायर	निर्णित	शेष	मामले दायर	निर्णित	शेष	मामले दायर	निर्णित	[illegible]
71[illegible]2	7722	18906	11963	6943	10580	3695	6885	भू संशोधन कार्य आरम्भ होने से प्रगति स्थगित रही।						44400	22850	21[illegible]
1694	2825	8058	6358	1700	8739	7[illegible]54	1085	9018	7362	1656	9531	7936	1[illegible]95	39865	[illegible]1004	880[illegible]
1670	—	4632	4632	—	2524	2524	—	10245	10245	—	3358	3358	—	22429	22429	—
5317	1434	4702	4064	638	10967	[illegible]466	1501	16743	14841	1902	9079	8245	834	48242	41933	6309
6417	3964	1255[illegible]	8749	3804	14510	11458	[illegible]052	12753	10253	2500	58529	55997	2532	103726	92874	15852
[illegible]0895	4182	20969	19049	1920	39202	36[illegible]97	280[illegible]	45427	43713	1714	47493	43895	3598	178168	163949	14219
1694	404	3253	28[illegible]0	433	5490	5022	468	4615	3639	976	8513	7438	1075	23969	[illegible]0613	3[illegible]56
49	14	368	196	172	3173	1197	1976	9172	6396	2776	2063	3642	—	14839	11480	3359
9405	2471	12297	10555	1742	11955	10707	1248	43371	41683	1688	16473	14403	2070	88833	86753	2070
1305	645	1037	288	949	3 67	2109	1258	1344	737	607	1674	1098	576	9[illegible]72	5537	3835
7333	2572	4881	2855	2026	4539	3950	589	16168	15791	377	7171	6178	993	42664	36107	6557
1729	518	4499	3597	902	2810	1303	1507	4808	4542	266	3414	2767	617	17778	13968	3810
11177	—	10531	11775	—	11042	11078	—	12252	13398	—	15914	15407	—	66641	62835	3806
सूचना इकजायी दो हुई है	वर्षवार सूचना	उपलब्ध नहीं है।												11676	11274	40[illegible]
3322	5800	112[illegible]6	8035	3211	13393	11239	2154	17948	15199	2749	8697	7953	744	60406	45748	14653
1642	383	2563	316[illegible]	399	4005	3098	907	16879	5558	1[illegible]21	7638	5625	2013	23110	18087	5023
इकजायी सूचना दी हुई है	वर्षवार सूचना	उपलब्ध नहीं है।												20959	[illegible]039[illegible]	566
इकजायी सूचना दी हुई है	वर्षवार सूचना	उपलब्ध नहीं है।												41186	40194	1092
3287	5955	10143	4692	5451	13259	8385	4874	12438	9581	2857	31327	22206	9121	76409	48151	2[illegible]58
8911	2305	8859	6518	2341	9215	6822	2393	14564	12245	2319	2 002	18119	3883	65856	52615	13[illegible]41
4055	—	5082	5508	—	3313	5006	—	26144	25176	—	8784	7557	—	50461	47302	3159
5918	4390	6[illegible]70	2450	4520	10015	5900	4115	15935	12373	3562	21963	16853	5110	65191	43494	21697
पांच वर्षों की इकजाई सूचना है वर्ष वार सूचना नहीं है।														31660	[illegible]0461	1199
1757	1078	2089	564	1525	5196	3148	2048	5185	3578	1607	5152	4211	941	[illegible]0454	13258	7196
6132	1917	11181	8574	2607	7662	5768	1894	9041	7006	2034	11990	8870	3120	47923	[illegible]6350	11573
20289	7825	22245	139 0	8325	26546	18489	8057	27753	20587	7166	35095	2 998	50[illegible]7	108380	103283	[illegible]0[illegible]7
311[illegible]0	56304	187064	139326	49408	220502	174415	48816	[illegible]21803	283903	38078	335860	2[illegible]1786	439[illegible]9	1[illegible]29[illegible]87	1122 4[illegible]	206745

परिशिष्ट 9

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 12)

1 मार्च, 1972 से 28 फरवरी, 1973 तक हुए स्थानान्तरणों की संख्या की सूची

पद अधिकारी	2 वर्ष से कम	2 वर्ष से अधिक	3 वर्ष से अधिक	4 वर्ष से अधिक	5 वर्ष से अधिक	6 वर्ष से अधिक	7 वर्ष से अधिक
अधीक्षण अभियन्ता	5	2	—	—	—	—	—
अधिशासी अभियन्ता	14	8	5	—	—	—	—
सहायक अभियन्ता	27	12	8	4	1	—	1
अधि दर्शक							
जयपुर वृत 1	11	3	2	1	1	2	1
जयपुर वृत 2	16	3	3	—	2	1	—
राष्ट्रीय मार्ग वृत जयपुर	5	4	—	—	—	—	—
गंगानगर वृत	13	3	—	2	—	—	2
बीकानेर वृत	1	1	—	—	—	1	—
जोधपुर वृत 1	9	—	1	—	—	—	—
उदयपुर वृत 1	10	3	—	1	1	—	—
उदयपुर वृत 2	1	2	1	2	—	1	2
कोटा	16	5	—	4	—	—	—

नोटः—अधिदर्शकों की सूची वृतवार प्रेषित है।

शुद्धि-पत्र

मंगलवार, दिनांक 6, मार्च 1973

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या		अशुद्ध	शुद्ध
1	2		3	4
3	ऊपर से	2	पानी का राजस्थान	पानी का हिस्सा राजस्थान
7	नीचे से	13	श्री राफ गोटेयाला	श्रीराम गोटेवाला
9	नीचे से	8	तो हक उनको	तो हम उनको
10	ऊपर से	7	एकट्ठा	इकट्ठा
12	नीचे से	13	हरीशचन्द्र पालीवाल	हरिश्चन्द्र पल्लीवाल
13	ऊपर से	2	,,	,,
13	नीचे से	8	,,	,,
14	ऊपर से	6	,,	,,
14	,,	7	कास्ट ग्रौर ट्राइब्ज	कास्ट्स ग्रौर ट्राइब्ज
17	,,	5	उपयोग में करते	उपयोग करते
17	,,	6	श्री जुजारसिंह	श्री जुझारसिंह
22	नीचे से	6	श्री निरंनजनाथ	श्री निरंजननाथ
23	ऊपर से	11	श्री विद्युत् मंत्री	विद्युत् मंत्री
33	ऊपर से	11	व्यहार	व्यवहार
37	नीचे से	3	उसमें	उनमें
39	ऊपर से	9	कृषि विभाग	कृषि भूमि
41	,,	5	खाम खा	ख्वामा ख्वाह
42	नीचे से	11	श्री हरदेव जोशी	श्री हरिदेव जोशी
42	,,	2	,,	,,
46	ऊपर से	9	मालुम	मालूम
46	नीचे से	17	वगैरा	वगैरह
49	,,	8	जिले कि	जिले की
49	,,	7	वह वहां	वहां
50	,,	16	इन्टेन्सिटि	इन्टेन्सिटी
50	,,	15	,,	,,
52	ऊपर से	1	तो क्या यह	तो यह
53	,,	13	actualy	actually

1	2		3	4
53	,,	18	हारी	उन्हालू
54	,,	2	,,	,,
62	नीचे से	6	हेल्थस	हेल्थ
63	नीचे से	1	एम्प्लान्सेज	एप्लायन्सेज
66	शीर्षक		पचायत	पंचायत
70	ऊपर से	10	छंगानी	छंगाणी
73	,,	7	एजोर्नमेंट	एडजोर्नमेण्ट
81	,,	8	ह	यह
82	नीचे से	4	लाडेड डंकी	लोडेड डंकी
85	ऊपर से	13	प्रय ग	प्रयोग
102	ऊपर से	14	लिखा	लिखो
102	नीचे से	17	मिसा ।	मिला ।
102	नीचे से	19	पिजडा	पिछड़ा
125	ऊपर से	3	प्र त	प्रति
126	,,	11	ाज	राज
129	नीचे से	1	मुझे	मुझ
131	उपर से	3	पास ही	पास भी
133	,,	6	कहा था	कही थी
134	नीचे से	7	कि दावे	दावे
140	,,	18	जनता जो परिचय-पत्र	जनता को परिचय-पत्र
146	,,	9	जो	ज्यों
156	,,	17	वेने वाला	देने वाला
157	ऊपर से	10	सुपरफुलग्रस	सरप्लस
164	,,	10	करने लिए	करने के लिए
167	नीचे से	13	जिलवाइज	जिलावाइज
182	ऊपर से	7	मायन्ता	मान्यता
182	नीचे से	2	को-प्रॉपरेटिव	को-ऑपरेटिव
191	ऊपर से	5	कांग्रेस मैने	कांग्रेस मैन
208	नीचे से	19	सस्वीकृत	स्वीकृत
221	ऊपर से	4	फीडरा	फीडर
230	नीचे से	10	भूखमरी	भुखमरी